लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ५८, १९६१/१८८३ (शक)

[४ से ८ सितम्बर १९६१/१३ से १७ भाद्र १८८३ (शक)]

2nd Lok Sabha

चौदहवां सत्र, १९६१/१८८३ (शक)

(खण्ड ५८ में अंक २१ से २५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय-सूची

पृष्ठ

अंक २१--सोमवार, ४ सितम्बर, १९६१/१३ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११५९ से ११६४, ११६६ से ११७१ और ११७४ ३२७१--९६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ३२९६--९८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११५८, ११६५, ११७२, ११७३, ११७५ से १२०९ ३२९८--३३१५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३१५० से ३२९३, ३२९५ से ३३०२, ३३०४ से ३३३३ और ३३३५ से ३३४३ ३३१५--९६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३३९६

वित्तीय समितियां (१९६०-६१)- एक समीक्षा--

सभा-पटल पर रखी गयी ३३९७

राज्य सभा से सन्देश ३३९७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ३३९७

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति--

कार्यवाही सारांश और बारहवां प्रतिवेदन ३३९७-९८

सभा का कार्य ३३९८

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक ३३९८--३४१७

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव ३३९८--३४०२

खंड ३ से २९ और १ ३४०२--०५

पारित करने का प्रस्ताव ३४०५--१७

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव ३४१७--२१

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक सम्मेलनों के बारे में आधे घंटे की चर्चा ३४२१--२३

दैनिक संक्षेपिका ३४२४--३४

अंक २२--मंगलवार, ५ सितम्बर, १९६१/१४ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२१० से १२१४, १२१६, १२१७, १२२० से १२२३, १२२५ से १२३१ ३४३५--६१

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२१५, १२१८, १२१९, १२२४, १२३२ से १२४० ३४६१—६७

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३४४ से ३४६३ . ३४६७—३५१८

स्थगन प्रस्ताव . . ३५१८—२०

(१) मोसावाडी में तांबों की खानों का बन्द किया जाना ३५१८–१९

(२) तीस्ता नदी पर रस्सी के पुल का टूटना ३५१९–२०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ३५२०–२१

पुनर्वास प्रतिकर दावों के आवेदन पत्रों का अस्वीकार किया जाना ३५२०–२१

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३५२१–२२

राज्य सभा से सन्देश . . . ३५२२, ५६–५७

अनुपस्थिति की अनुमति . ३५२२

धार्मिक न्यास विधेयक—

संयुक्त समिति में सदस्यों की नियुक्ति ३५२३

सभा का कार्य ३५२४

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ३५२४—३७

खंड २ से २६, २०क और १ ३५३४—३६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३५३६–३७

गन्ना उपकर (वैधकरण) विधेयक ३५३७—५३

विचार करने का प्रस्ताव ३५३७—५१

खंड २ से ५ और १ . ३५५३

पारित करने का प्रस्ताव . ३५५३

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक . ३५५३—५६

विचार करने का प्रस्ताव ३५५३—५६

आयकर विधेयक, १९६१ . . . ३५५७

राज्य सभा से संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया

लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा के बारे में आधे घंटे की चर्चा ३५५७—६२

दैनिक संक्षेपिका ३५६३—७०

पृष्ठ

अंक २३—बुधवार, ६ सितम्बर, १९६१/१५ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४३, १२४५, १२४६, १२४७, १२४९, १२५० से १२५५, १२५७, १२५८ और १२६१ . . . ३५७१–९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४१,१२४२, १२४४, १२४८, १२५६, १२५९, १२६० और १२६२ से १२७० ३५९५–३६००

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४६४ से ३५९४, ३५९६, ३५९७, ३५९९ से ३६१८, ३६१९क, ३६१९ख, ३६१९ग, ३६१९घ और ३६१९ङ ३६०१–६८

अतारांकित प्रश्न संख्य . . . . उत्तर में शुद्धि ३६६८

स्थगन प्रस्ताव—

नजफगढ़ झील से पानी का बह निकलना ३६६९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कलकत्ते के हवाई अड्डे पर डकोटा विमान की दुर्घटना ३६६९–७०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३६७०

राज्य सभा से सन्देश ३६७१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और सदस्यों सम्बन्धी समिति—

नवास्सीवां प्रतिवेदन . ३६७१

लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति—

चौथा प्रतिवेदन ३६७१

सदस्य का त्याग पत्र . ३६७१

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ३६७१–९२

खंड २ से २३ और १ ३६९२–९७

पारित करने का प्रस्ताव ३६९२–९७

खनिज रियायत निगम के बारे में प्रस्ताव ३६९८–३७०७

भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के बारे में आधे घंटे की चर्चा ३७०७–१३

दैनिक संक्षेपिका . . ३७१४–२२

पृष्ठ

अंक २४ गुरुवार, ७ सितम्बर, १९६१/१६ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२७१ से १२७६, १२७८ से १२८०, १२८२, १२८४ ३७२३–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२७७, १२८१, १२८३, १२८५ से १३१८ ३७४७–६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६२० से ३७७६, और ३७७६क ३७६३–३८३२

नागा पहाड़ियों की स्थिति के बारे में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ३८३२

गैर सरकारी क्षेत्र में इस्पात के कारखानों को कोयले और चूने के पत्थर के नियमित रूप से संभरण न होने के कारण कठिनाइयां ३८३२

कोयले की स्थिति के बारे में वक्तव्य ३८३३

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३८३३

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ३८३४

कार्यवाही का सारांश ३८३४

याचिका सम्बन्धी समिति—

(१) कार्यवाही सारांश ३३३४

(२) तेरहवां प्रतिवेदन ३८३४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति कार्यवाही सारांश ३८३४

प्राक्कलन समिति—

(१) कार्यवाही सारांश ३८३४

(२) एक सौ बयालीसवां प्रतिवेदन ३८३४

जमा धन बीमा निगम विधेयक ३८३५–५७

विचार करने का प्रस्ताव ३८३५–५५

खंड २ से ६ ३८५५–५७

कोयले के उत्पादन और संभरण के बारे में प्रस्ताव ३८५७–७६

बोनस आयोग के बारे में आधे घंटे की चर्चा ३८७६–८०

दैनिक संक्षेपिका ३८८१–९०

पृष्ठ

अंक २५—शुक्रवार, ८ सितम्बर, १९६१/१७ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३१९ से १३२८, १३३० से १३३६, १३४२-अ और १३३७ . . . ३८९१—३९१९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ से ६ . . . ३९१९—३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२९ और १३३८ से १३४५ . . . ३९३४—३८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७७७ से ३८४४ और ३८४६ से ३८७४ . . . ३९३८—८५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . . . ३९८५—९५

(१) कुछ खानों में दुर्घटनायें

(२) आई० सी० एस० अधिकारियों की उपलब्धियों में कथित कटौती

(३) फर्रुखाबाद में रेल गाड़ी को रोका जाना

(४) उड़ीसा के लिये तृतीय पंच वर्षीय योजना में किये गये आवंटन का पुनरीक्षण

(५) कुछ संघ राज्यों में नई राजनैतिक व्यवस्था

(६) हथकरघे कपड़े के लिये गोदी निरीक्षण प्रमाणपत्र

(७) लोहे की कतरन का निर्यात

(८) अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिये मैट्रिक के बाद की छात्र-वृत्तियों का दिया जाना

(९) विज्ञान संवर्धन संस्था कलकत्ता के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की धमकी

(१०) राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (बैंक विवाद) द्वारा पंचाट देने में विलम्ब

(११) दिल्ली विश्वविद्यालय के एक अनुसंधान विद्यार्थी द्वारा कथित आत्महत्या

(१२) नौकरी से हटाये गये कुछ कर्मचारियों को फिर से बहाल न किया जाना और कर्मचारियों के संघों तथा फैडरेशनों को पुनः मान्यता देने में विलम्ब

(१३) उड़ीसा में बाढ़

(१४) कुछ सरकारी शिक्षा संस्थाओं का राष्ट्रीय शिक्षा प्रतिष्ठान में विलयन

	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	३९९५—९८
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति . . कार्यवाही-सारांश	३९९८
राज्य सभा से संदेश . .	३९९८
लोक लेखा समिति . .	३९९९
अड़तीसवां प्रतिवेदन	
तीस्ता नदी के पुल के टूटने के बारे में वक्तव्य	३९९९
सदस्य द्वारा वक्तव्य . .	३९९९
आयकर विधेयक . .	३९९९—४००३
राज्य सभा द्वारा किए गये संशोधन	
जमा धन बीमा निगम विधेयक	४००३—०५
खंड ६ से ५१ और १	४००३—०४
पारित करने का प्रस्ताव	३००४—०५
यूरोपीय साझा बाजार के बारे में प्रस्ताव	४००६—१६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति नवासीवां प्रतिवेदन	४०१६
अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के बारे में संकल्प . . .	४०१६—३४
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा रासबिहारी बसु की अस्थियों के बारे में संकल्प . . .	४०३५–३६
दैनिक संक्षेपिका . . .	४०३७–४६
चौदहवें सत्र की कार्यवाही का संक्षेप .	४०४७–४९

लोक-सभा

गुरुवार, ७ सितम्बर, १९६१
१६ भाद्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दक्षिण में हिन्दी विश्वविद्यालय

+

*१२७१. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री भक्त दर्शन :
श्री सुब्बया अम्बलम् : }

क्या **शिक्षा** मंत्री २१ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १६६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण भारत में हिन्दी माध्यम का विश्वविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या कर्नाटक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रान्त ने भी ऐसे विश्वविद्यालय की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो किस-किस ने और सरकार का उस सम्बन्ध में क्या विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से इस सुझाव पर विचार किया गया था । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का यह विचार है कि दक्षिण में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने के स्थान पर फिलहाल यह ज्यादा अच्छा होगा कि दक्षिण के विश्वविद्यालयों के हिन्दी विभागों को सबल बनाया जाए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

1221 (Ai) LSD—1

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : पीछे एक बार माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी थी कि उस्मानिया विश्वविद्यालय को हिन्दी माध्यम का विश्वविद्यालय बनाने का केन्द्रीय सरकार का विचार था परन्तु आन्ध्र सरकार उससे सहमत न हुई । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो अपना सुझाव दिया है केन्द्रीय सरकार क्या उससे सहमत है और यदि नहीं है तो क्या वह अपनी ओर से दक्षिण में एक हिन्दी माध्यम का विश्वविद्यालय बनाने का विचार कर रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जैसा सदस्य महोदय जानते हैं यह विचार काफी लम्बे समय से सरकार के सामने रहा है लेकिन इसके लिए उचित और अनुकूल वातावरण हो तभी सफलता मिल सकती है । इसलिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन का यह विचार था कि फिलहाल जो हिन्दी के डिपार्टमेंट्स हैं सब यूनिवर्सिटीज़ में उनको सहायता दी जाए, उनको जितनी धनराशि दे सकें, दें और उनको मजबूत किया जाए । जब अनुकूल वातावरण होगा तो इस विचार को कर्यान्वित किया जायेगा ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : कर्नाटक सरकार ने जब केन्द्रीय सरकार से अपने यहां गुलबर्गा में हिन्दी माध्यम का विश्वविद्यालय खोलने का अनुरोध किया है तो केन्द्रीय सरकार की सम्मति इस विषय में क्या है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : केन्द्रीय सरकार तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन से मशविरा करती है क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन ही एजेंसी है भारत सरकार की कि जिस के परामर्श से, जिस की राय से जितने भी महाविद्यालयों के काम हैं, विश्वविद्यालयों के काम हैं, वे होते हैं । इस मामले में कोई फर्क नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक समय इस बात की कोशिश हुई थी जैसा आप जानते हैं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का जब सवाल उठा था उस वक्त, और आंध्र गवर्नमेंट को यह लिखा गया था कि भारत सरकार यह चाहती है कि उसको एक हिन्दी विश्वविद्यालय किया जाए । इसका यह कारण भी था कि स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमिशन ने भी इस बारे में अपना विचार जाहिर किया था । लेकिन आंध्र गवर्नमेंट उस वक्त तैयार नहीं हुई । जब मैसूर ने यह प्रस्ताव रखा तो उसकी भी कोई रूपरेखा स्पष्ट नहीं थी । गुलबर्गा में वह चाहते थे कि भारत सरकार एक यूनिवर्सिटी कायम करे । लेकिन उसका जो स्वरूप था वह भी स्पष्ट नहीं था । मैंने आपसे निवेदन किय है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन ने इस पर बहुत गहराई से विचार किया है और उसका यह निर्णय है कि फिलहाल यह ज्यादा अच्छा होगा कि अभी हिन्दी के डिपार्टमेंट जितने भी हैं दक्षिण में उनको मजबूत किया जाए और जब ठीक समय हो तो फिर इस प्रस्ताव पर भी विचार कर लिया जाए ।

†**श्री तंगामणि** : इसका अंग्रेजी में अनुवाद करवा दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या यह सच नहीं है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उस्मानिया विश्वविद्यालय को हिन्दी विश्वविद्यालय बनाने के स्थान पर वहां एक हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित करने में भारत सरकार को सम्पूर्ण सहायता देने का वचन दिया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं नहीं जानता कि किस प्रकार की सहायता से अभिप्राय है । कदाचित वे भूमि दे देंगे परन्तु वे आशा करते थे कि सारा व्यय भारत सरकार उठाये । उन्होंने कहा था कि भारत सरकार वहां एक एकदम नया विश्वविद्यालय बनाये। राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह सुझाव दिया था कि भारत सरकार उस्मानिया विश्वविद्यालय को अपने हाथ में ले ले और उसे हिन्दी विश्वविद्यालय बना दे । आन्ध्र सरकार ने वह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या भारत सरकार की नीति यह नहीं है कि वे प्रादेशिक भाषायें विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम रहेंगी और अंग्रेजी या हिन्दी को विश्वविद्यालयों में पारस्परिक संपर्क के लिए प्रयोग किया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : विश्वविद्यालय की शिक्षा और शिक्षा के माध्यम के बारे में भारत सरकार की नीति का उल्लेख मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में स्वीकार किये गये अन्तिम संकल्प में है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान माननीय मंत्री जी ने बताया है कि फिलहाल दक्षिण के जो विश्वविद्यालय हैं, उनके हिन्दी विभागों को पुष्ट करने का कार्य किया जाएगा मैं जानना चाहता हूं कि इस समय वहां क्या स्थिति है और क्या कोई प्रोग्राम बनाया गया है कि अगले पांच दस वर्षों में उनको किस प्रकार की और कितनी सहायता दी जाएगी ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सहायता देने के लिए कहा गया है और यही नहीं, बल्कि उत्तर के विश्वविद्यालयों में दक्षिण की भाषायें सिखाई जाएं, इसके लिए भी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन ने सहायता दी है यूनिवर्सिटीज को और डिपार्टमेंट्स नए खुले हैं । इस तरफ कार्य हो रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सब माननीय मंत्रियों से निवेदन करता हूं कि दक्षिण के बारे में किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय वे यदि संभव हो तो उसे अंग्रेजी में दे सकते हैं ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : कभी कभी उत्तर भारत के माननीय सदस्य भी दक्षिण के बारे में प्रश्न पूछते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे अंग्रेजी जानते हैं । श्री भक्त दर्शन अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह जानते हैं । कुछ माननीय सदस्य दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार के बारे में बहुत दिलचस्पी रखते हैं । श्री तंगामणि उत्तर का अंग्रेजी में अनुबाद करवाना चाहते थे, परन्तु मैं इन सब का अनुवाद कैसे करा सकता हूं ।

†**श्री रंगा** : क्या कोई ऐसी बात है जो भारत सरकार को उस विश्वविद्यालय को, जिस पर वह १५ करोड़ रु० व्यय कर चुकी है, अपने हाथ में लेने के बजाये तैलंगाना में एक हिन्दी विश्व-विद्यालय स्थापित करने से रोकती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : किसी भी विश्वविद्यालय को अपने हाथ में लेने या नये विश्वविद्यालय स्थापित करने से भारत सरकार को कोई नहीं रोकता । परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार था कि नया विश्वविद्यालय स्थापित करने के बजाय दक्षिण में सारे विश्वविद्यालयों के हिन्दी विभाग को सबल बनाने से वही उद्देश्य अभी तो प्राप्त हो जायेगा ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : वह कोई सहायता नहीं चाहते । अभी जो नीति बताई गई है वह एकदम भिन्न है । इसका स्पष्टीकरण किया जाये ।

†**डा० आचमम्बा** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक हिन्दी विश्वविद्यालय खोल रहा है । उन्होंने पुस्तकें हिन्दी में प्रकाशित करने में क्या प्रगति की है, क्योंकि विश्वविद्यालय होगा, तो विज्ञान और अनेक विषय पढ़ाये जायेंगे । विश्वविद्यालय खोलने की अपेक्षा यह अधिक महत्वपूर्ण है ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : प्रश्न का पहिला भाग ठीक नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार कोई विश्वविद्यालय आरम्भ करने का नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : दूसरा प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री हेम बरुआ** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का दक्षिण में हिन्दी विश्वविद्यालय खोलने का आजकल कोई विचार नहीं है । परन्तु यह विचार सर्वथा छोड़ा तो नहीं गया ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हां, श्रीमान । मैंने कहा था "आजकल" ।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्पष्टतः उत्तर भारत के बहुत से माननीय सदस्य यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि जब वे राज्य सरकारें तैयार नहीं हैं तो स्वयं केन्द्रीय सरकार ही वहां हिन्दी विश्वविद्यालय क्यों नहीं खोलती । आखिर हिन्दी राजभाषा है । हम कब तक माननीय मंत्रियों से अपने उत्तरों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिये कहते रहेंगे ?

†**श्री ब्रजराज सिंह** : यह बात नहीं है कि राज्य सरकारें तैयार नहीं हैं । वस्तुतः उत्तर से यह पता चला है कि स्वयं मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वहां एक हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित करने को कहा था और अब केन्द्रीय सरकार मार्ग का रोड़ा बन रही है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय नहीं बना रहा है । स्वयं मैसूर सरकार ने इस के लिए प्रार्थना कराई थी ।

†**श्री त्यागी** : जब तक उत्तर भारत वालों को दक्षिण की भाषायें पढ़ने की सुविधा न हो तब तक दक्षिण में हिन्दी विश्वविद्यालय खोलना अनुचित है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री त्यागी याद रखेंगे कि दक्षिण भारत की कोई भी भाषा संघ की सरकारी भाषा नहीं है । यदि हिन्दी को सरकारी भाषा के पद से उतार दिया जाता है, तो दक्षिण में हिन्दी विश्वविद्यालय को कोई मांग नहीं करेगा । परन्तु यहां अनेक माननीय सदस्य ऐसे हैं जो हिन्दी का एक भी शब्द नहीं समझते । यदि उन के बच्चों को, विशेषकर, होने वाले विधायकों को, हिन्दी सीखने की सुविधायें न हों तब तक यह कहने का क्या मतलब है कि जब तक यहां तेलगू विश्वविद्यालय न खुले तब तक वहां भी, हिन्दी विश्वविद्यालय नहीं खुलना चाहिये । तेलगू संघ की राजभाषा नहीं हो रही है ।

†**श्री त्यागी** : हम तेलुगू सीखना चाहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री तं० म० णे : हिन्दी पढ़ाने की बात तो समझ में आती है ; परन्तु यह शिक्षा का माध्यम कैसे हो सकती है।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : अगर कोई कहे कि हिन्दी सीखने के लिये सुविधायें प्रदान की जायें, तो यह बात तो समझ में आ सकती है ; परन्तु दक्षिण भारत में ऐसा विश्वविद्यालय खोलना कहां तक सम्भव है जिस में शिक्षा का माध्यम ही हिन्दी हो ?

खनिज सम्पत्ति की खोज

+

†*१२७२. { **श्री प्र० चं० बरूआ** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वारियर :
श्री नागी रेड्डी :
श्री कोडियान :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्र० गं० देव :
श्री साधन गुप्त :
श्री इन्द्रजीत गुप्त : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार शीघ्र ही भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग और भारतीय खान कार्यालय का पुनर्गठन करने का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करने वाली है ताकि देश की खनिक सम्पति की खोज तेजी से की जाय ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मोटी मोटी बातें क्या हैं ; और

(ग) भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के पुनर्गठन में कुल कितना अतिरिक्त खर्च होगा ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) : (क) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठन करने का निश्चय किया गया है ताकि वह अधिक कुशलता से कार्य कर सके। पुनर्गठन १ सितम्बर, १९६१ से आरम्भ हुआ है।

भारतीय खान विभाग का पुनर्गठन विचाराधीन है।

(ख) योजना की मोटी मोटी बातें दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६६]**

(ग) इस वर्ष लगभग ९६,००० रु० (छियानवे हज़ार रु०) का अतिरिक्त व्यय होगा परन्तु यह भावी बचत से पूरा हो जायेगा। जो कि यात्री-भत्ता आदि के घटे व्यय और विकेन्द्रीकरण से होने वाले अन्य लाभों से प्राप्त होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० बरूआ** : इन संस्थाओं, अर्थात् भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण और भारतीय खान विभाग के विकेन्द्रीकरण और पुनर्गठन के इस कार्य के बारे में क्या विदेशों से कोई परामर्श प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो कहां से और क्या पुनर्गठित व्यवस्था जो कि लागू कर दी गई है, सफल रही है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मेरी समझ में नहीं आता कि हम प्रत्येक उस मामले पर, जिस पर स्वयं विचार करें, विदेशों से परामर्श लेने के लिए क्यों इच्छुक हैं। वास्तव में, भूतत्वीय सर्वेक्षण को विकेन्द्रीकरण कर के कुशल ढंग से चलाने के लिए हम जिम्मेदार हैं। हमारे चिन्तन के परिणाम स्वरूप, हमने समूचे ढंग को पुनर्गठित कर दिया है और मैं सभा को सहर्ष सूचित करता हूं कि राज्य सरकारों ने इस योजना का बड़ा स्वागत किया है।

†**श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या विदेशों के अनुभव से अपनी योग्यता को समृद्ध बनाने में कोई हानि है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वे यह आवश्यक नहीं समझते।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : विवरण से विदित होता है कि विकेन्द्रीकरण का मुख्य उद्देश्य विशेष व वैज्ञानिक कार्य में सुधार करना है। यह बात ध्यान में रखते हुए कि पुस्तकालय और प्रयोगशाला आजकल कलकत्ता में है जिनका कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय और एशियाई सोसाइटी से घनिष्ट संबंध है, क्या इन प्रादेशिक कार्यालयों को खोला जाना लाभदायिक होगा जब कि उन्हें आने वाले बहुत समय तक ये सुविधायें न मिल सकेंगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : वैज्ञानिक तथा टेक्निकल प्रकार के काम के सुधार करने पर इस कारण जोर दिया जाता है कि इसे प्रशासी कार्य से अलग कर दिया जाये जो कि मुख्यालय में बहुत ही मिला हुआ था। हमने नयी व्यवस्था में यह किया है कि अधिक प्रादेशिक कार्यालय बनाये हैं और राज्यों में सर्किल बनाये हैं अधिकतर टेक्निकरल कार्यकर्ता राज्यों में रहेंगे। वे हमारे सर्किल कार्यालयों में आजकल की अपेक्षा जल्दी जल्दी जायेंगे। वे प्रतिवर्ष अपना अधिक समय टेक्निकल और वैज्ञानिक कार्य को देंगे। अब तक, मुख्यालय में आने का मतलब अधिक प्रशासी कार्य करना होता जो कि बहुत मिला जुला था। कार्य में सुधार करने का यह वैज्ञानिक ढंग है।

†**श्री नरसिंहन्** : इस बात को ध्यान में रखकर कि कार्य में वृद्धि की जाये, क्या सरकार को सन्तोष है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों से भूतत्ववेत्ता काफी संख्या में निकल रहे हैं और यदि नहीं तो क्या वे भूतत्ववेत्ताओं की संख्या में वृद्धि करने के लिये कोई विशेष कार्यवाही कर रहे हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : हम ने इस बात पर विचार किया है और हम ने आगामी ५, १०, १५ वर्षों में भूतत्व वेत्ताओं संबंधी अपनी आवश्यकता की सावधानीपूर्ण योजना बना ली है ?

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि इस मामले में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है और उन्होंने उसका स्वागत किया है। मुख्यालय को कलकत्ता से हटाने के बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार का क्या मत है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : कलकत्ता से कोई मुख्यालय नहीं हटाया गया है। भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण का केन्द्रीय मुख्यालय कलकत्ता में ही है । आयोजन, केन्द्रीय कार्य-अनुसन्धान , समन्वय , देखभाल के अतिरिक्त केवल कार्य प्रोग्राम का पुनर्गठन किया गया है। और यह सब कलकत्ता में है। प्रणाली क्षेत्रीय कार्य के लिए हम ने अपने भूतत्वीय सर्वेक्षण के व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना विकेन्द्रित कर दिया है।

†**श्री दामानी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर और उदयपुर में , खनिज सम्पत्ति के पर्याप्त मात्रा में पाये जाने की सम्भावनायें हैं; क्या उस क्षेत्र में खोज की जायेगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री कासलीवाल** : विवरण में केवल तीन प्रादेशिक कार्यालयों पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी, का उल्लेख है पश्चिमी प्रदेश का जिस में गुजरात तथा राजस्थान आते हैं, कोई उल्लेख नहीं है । क्या इस प्रदेश को भूतत्वीय सर्वेक्षण से वंचित रखने का विचार है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : नहीं, श्रीमान। सर्वेक्षण से देश के किसी भी भाग को वंचित रखने का कोई विचार नहीं है ।

†**श्री कासलीवाल** : क्या राजस्थान और गुजरात दक्षिणी प्रदेश में आयेंगे या उत्तरी प्रदेश में ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : इन सब पर आजकल विचाराधीन योजनायें लागू होंगी। प्रत्येक राज्य में सर्किल आफिस होंगे आशा है कि ये आफिस तीन प्रादेशिक सर्किल आफिसों के अधीन कुशलता से कार्य करेंगे ।

†**श्री च० द० पाँडे** : क्या सरकार प्रादेशिक आफिसों का पुनर्गठन कर के अतिरिक्त कुछ खनिजों को राज्यों और केन्द्र में विभाजित करने पर विचार करेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में ऐसे अनेक खनिज पदार्थ हैं जो निकाले नहीं जा रहे हैं क्योंकि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार में कोई समन्वय नहीं है और खोज कार्य नहीं हो रहा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मेरा ख्याल है कि मेरे माननीय मित्र का कथन आजकल सर्वथा सत्य नहीं है । राज्य सरकारो और केन्द्रीय सरकार में समन्वय की कमी नहीं है । बात यह है कि खनन और खोज करने पर बहुत अधिक व्यय होता है और कार्य भी बहुत विस्तृत है और इस के लिए राज्य सरकार अभी तैयार नहीं है । वे उतना धन लगाने को तैयार नहीं हैं। कृपया याद रखिये कि भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण का विकास होने में १०० वर्ष लगे हैं। हम उन्हें सारी आवश्यक सहायता दे रहे हैं।

†**श्री साधन गुप्त** : मैं समझता हूं कि भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण आजकल भारतीय संग्रहालय और एशियाई सोसाइटी के पुस्तकालय और प्रयोगशाला का प्रयोग करता है। प्रादेशिक आधार पर इन सुविधाओं को उपलब्ध बनाने में कितना समय लगेगा और तब तक प्रदेशों में इन सुबिधाओं के बारे में क्या किया जायेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण का सारा गठन प्रादेशिक आधार पर कर दिया गया है और उन्हें सारी जानकारी, सारे उल्लेखों, सारे अनुसन्धान तथा अध्यापन के

---

†मूल अंग्रेजी में

लिये कलकत्ता में अपने मुख्यालय पर निर्भर रहना होगा। यदि कार्य कुशलता बढ़ाने के लिये कोई जोड़तोड़ करना होगा तो सरकार समूचे मामले पर बिचार करेगी।

श्री भक्त दर्शन: श्रीमान् इस विवरण के अनुसार एक प्रादेशिक कार्यालय लखनऊ में और खोला जा रहा है। इस निश्चय का स्वागत करते हुये मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग है उस से इस का कैसा सहयोग होगा। क्या यह शिकायत नहीं है कि दोनों में सहयोग नहीं है।

श्री के० दे० मालवीय: शिकायत के बारे में तो मैं जानता नहीं। अगर स्टेट गवनमेंट को शिकायत है तो वह सेंट्रल गवनमेंट को लिखे और हम उसे हर तरह से सहायता करने को तयार हैं लेकिन वहां पर जो हमारा रीजनल आफिस खुला है, उस के अन्तगत जो सर्किल आफिस खुलेगा, उससे जो कुछ हो सकेगा वह करेगा।

†**श्री च० द० पांडे:** क्या खनिजों को भी बड़े तथा छोटे खनिजों में छोटे खनिज पूर्णतया राज्य सरकारों को और बड़े खनिज केन्द्रीय सरकार को देने के लिये विभाजित करने की संभावना है ताकि कोई कठिनाई न हो ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इस प्रश्न का सम्बन्ध भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण से है।

†**श्री च० द० पांडे :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या .....

†**अध्यक्ष महोदय :** खनिज होने के कारण क्या यहां प्रत्येक प्रश्न पूछा जा सकता है ?

†**श्री त्यागी :** वह प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

†**श्री के० दे० मालवीय :** शायद मेरे माननीय मित्र यह चाहते हैं कि ....

†**अध्यक्ष महोदय :** वह उत्तर देना चाहते हैं ? मैंने उस प्रश्न की अनुमति नहीं दी है। मैं कोई सिफारिश नहीं सुनूंगा। मुझे विश्वास है कि यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री त्यागी :** क्या काश्मीर और लद्दाख के खनिज-समृद्ध क्षेत्र भी भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण के अधीन हैं और क्या वे उनके बारे में कार्यवाही कर रहे हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** हां, वे इसी संगठन के अधीन हैं।

पंजाब में सेवाओं का एकीकरण

†*१२७३. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** २१ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १६६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में सेवाओं के एकीकरण के लिये सर्वसम्मत हल निकालने के लिये किये गये प्रयत्न का क्या परिणाम निकला ;

(ख) नये सर्वसम्मत सूत्र का ब्यौरा क्या है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस नये सर्वसम्मत सूत्र को ध्यान में रखते हुये काम पूरा करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) काम संभवतः कब तक पूरा हो जायगा ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) से (घ). स्वीकृत सूत्र का ब्यौरा बताने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है। इस सूत्र के आधार पर आदेश दे दिये गये हैं। संशोधित आदेशों को ध्यान में रख कर सामान्य श्रेणीकरण सूचियों को संशोधित करने का कार्य अब आरम्भ किया जायेगा। आशा है कि कार्य लगभग चार मास में पूरा हो जायेगा।

१. पंजाब सेवा एकीकरण नियमों के नियम १४ में दिया गया "वर्गीकरण सूत्र"

विवरण

(१) पंजाब सेवा एकीकरण नियमों के उपबन्धों के अनुसार पदों का समानीकरण पदाली के आधार पर होगा, जहां कहीं नियमित पदालियां हैं।

(२) समानीकृत श्रेणी में १–११–१९५६ को पदासीन अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता बनाई जायेगी। वह सूची बनाने में यदि किसी अधिकारी को वर्गीकरण सूत्र के फलस्वरूप उच्च स्थान प्राप्त होता है, तो उसी पर रहेगा।

(३) जिन मामलों में वर्गीकरण सूत्र के फलस्वरूप उच्च पदाली के अधिकारियों को अन्य राज्य की निम्न पदाली के अधिकारियों से नीचे स्थान मिलता है, तो ऐसे अधिकारियों को उस उच्च पदाली में सबसे नीचे रखा जायेगा जिसमें उनके १–११–१९५६ के पदों का समानीकरण किया गया है।

(४) यदि किसी निम्न पदाली के अधिकारी को उच्च पदाली के अधिकारी से उच्च स्थान मिलता है तो पहिले को उसी की श्रेणी में रखा जायेगा और उच्च श्रेणी के अधिकारी की अपेक्षा उसे वरिष्ठता नहीं दी जायेगी।

२. जिन मामलों में उपरोक्त सूत्र लागू करने से परेशानी होगी या असमानीकरण सिद्ध होगा। उनके बारे में तदर्थ आधार पर कार्यवाही की जायेगी। पंजाब सरकार ऐसे सारे मामले केन्द्रीय सरकार को भेज देगी और केन्द्रीय मंत्रणादात्री समिति के परामर्श से अंतिम आदेश दिये जायेंगे।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : पहिले प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि स्वीकृत सूत्र के अनुसार सूची तैयार की जायेगी। अब तक क्या प्रगति हुई है और क्या सब विचाराधीन मामले इस सूची में ले लिये जायेंगे ?

†**श्री दातार**: हां। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, अन्तिम सहमति अभी हाल में हुई है। इस सम्बन्ध में कार्य आरम्भ हो गया है। उचित निष्कर्ष निकालने के लिये सरकार के पास सामग्री है।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : इस मामले में अब भी कितनी अपीलें पड़ी हैं ?

†**श्री दातार** : अभी मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूबी जनरल इंश्योरस कंपनी के बारे में जांच पड़ताल

+

†*१२७४. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री पांगरकर :
श्री सुब्बया अम्बलम :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री कोडियान :
श्री वारियर :

क्या वित मंत्री २१ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १६७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन लेखा परीक्षकों ने रूबी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के मामलों की जांच पड़ताल की थी, क्या सरकार ने उनकी रिपोर्ट की छानबीन कर ली है; और

(ख) यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) हां, श्रीमान ।

(क) लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों का संक्षेप कम्पनी को बता दिया गया था। उसका उत्तर आया और विचार किया गया। विधि मंत्रालय की मंत्रणा पर और कोई कार्यवाही न करने का निश्चय किया गया है :

† **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या यह सच है कि कुछ संचालकों पर गबन के आरोप थे और क्या लेखा परीक्षकों ने सिफारिश की थी कि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जाये और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मैंने मुख्य उत्तर में बताया है कि लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और कम्पनी के उत्तर पर विधि मंत्रालय के परामर्श से वित्त मंत्रालय में विचार किया गया और यह निर्णय किया गया है कि आगे कोई कार्यवाही न की जाये ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या इस रिपोर्ट की प्रति सभा पटल पर रखी जा सकती है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : सामान्यतया गोपनीय रिपोर्टों की प्रतियां पटल पर नहीं रखी जातीं। क्योंकि हो सकता है कि उसका कम्पनी पर बुरा प्रभाव पड़े ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : लेखा परीक्षकों ने क्या क्या अनियमिततायें बताई हैं और विधि मंत्रालय ने किस आधार पर आगे कार्यवाही न करने की मंत्रणा दी है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : ब्यौरा बताने और उसे पटल पर रखने में कोई अन्तर नहीं है। जैसा कि हमने पहिले कहा था, आरोप हानि छिपाने, लेखे में अदल बदल करने, आदि के थे। लेखापरीक्षकों ने इनकी जांच की और अपनी रिपोर्ट दी । हमने कम्पनी से उत्तर मांगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इन सब बातों की बहुत ही विस्तृत जांच की गई और वैधिक राय भी ली गई । इन सब बातों के बाद हमने आगे और कोई कार्यवाही न करने का निर्णय किया है ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : आगे कार्यवाही न करने के कारण तो बताये जा सकते हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : यदि किसी विशेष बीमा कम्पनी के विरुद्ध भारी शिकायतें थी तो इसका क्या कारण है कि सरकार उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती । सरकार ने क्या कायवाही की है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : हमने कार्यवाही की है । आरोप लगाये जाने पर हमने दो लेखा-परीक्षक नियुक्त किये । उन्होंने पूर्ण जांच की और रिपोर्ट पेश की । उस रिपोर्ट पर, हमने कम्पनी से उत्तर मांगा । ये सारी बातें विधि मंत्रालय को बताई गईं । वैधिक राय ली गई । प्रत्येक आरोप, कम्पनी के उत्तर और लेखापरीक्षकों के निष्कर्षों की पूर्ण जांच की गई । फिर, हमने देखा कि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती । या तो आरोप ऐसे थे कि उन्हें न्यायालय में सिद्ध नहीं किया जा सकता था या केवल संदेह मात्र थे और उनका कोई आधार न था ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : लेखापरीक्षकों की क्या रिपोर्ट है ? वह सन्देहजनक कैसे हो सकती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सरकार केवल अपने विधि मंत्रालय से परामर्श ले सकती है कि क्या कोई दाण्डिक कार्यवाही की जा सकती है या क्षति के लिए दीवानी कार्यवाही की जानी चाहिये । विधि मंत्रालय उच्चतम प्राधिकार है जिससे कोई भी मंत्रालय वैधिक मंत्रणा मांग सकता है । यदि विधि मंत्रालय का मत यह है कि कोई दाण्डिक अभियोग नहीं चलाया जा सकता और कोई उपयुक्त कार्यवाही नहीं की जा सकती तो, क्या मैं यहां उसका फैसला करूं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : यह मामला विधि मंत्रालय को भेजा गया था और उसने इसे अतिरिक्त महा सालिसिटर को भेजा था । उसने प्रत्येक बात की जांच की और बहुत ही स्पष्ट मत दिया कि आगे कार्यवाही करने में कोई औचित्य नहीं है ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या विधि मंत्रालय लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से सहमत न था ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : लेखा परीक्षकों ने कम्पनी का कोई उत्तर नहीं मांगा था । उन्होंने मामले की केवल परीक्षा की थी और रिपोर्ट दी थी । उन्होंने कोई उत्तर नहीं मांगा था, क्योंकि, अन्यथा, शायद लेखापरीक्षकों पर आरोप लगाये जाते । निश्चय ही लेखापरीक्षकों ने यह सोचा होगा और हमने उनसे उत्तर मांगने के लिए नहीं कहा था । उनकी रिपोर्ट आने पर देखा कि कम्पनी का उत्तर नहीं है और उसके बिना यह पता लगाना हमारे लिए कठिन था कि सत्यता क्या है । अतः कम्पनी से उत्तर मांगा गया । उत्तर आया । उत्तर और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट दोनों ही विधि मंत्रालय को भेज दिये गये क्योंकि वैधिक स्थिति के बारे में मंत्रणा देने वाले वे सर्वोत्तम व्यक्ति हैं । उन्होंने मामला अतिरिक्त महा सालिसिटर को भेजा जिसने हर बात की जांच करके विस्तृत और निश्चित राय दी कि और आगे जांच पड़ताल करने या कार्यवाही करने में कोई औचित्य नहीं है ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या हम यह समझें कि लेखापरीक्षकों ने जांच पड़ताल के समय कम्पनी से अनियमितताओं का उत्तर देने को नहीं कहा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ने यही तो कहा है। परन्तु लेखापरीक्षक कम्पनी से पूछे बिना कैसे कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** वे उत्तर नहीं मांग सकते। उन्होंने विद्यमान कुछ बातों की रिपोर्ट दी, कुछ अनियमितताओं की जो लेखे में थीं परन्तु कोई उत्तर नहीं मांगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या यह लेखापरीक्षकों का काम नहीं है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** प्रथा यही है, जैसा कि कहा जाता है। परन्तु उनसे मेरे बिना कहे कि वे कम्पनी का उत्तर भी मांगें, वे ऐसा नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता था कि वे यह सब करें। यह काम नियमित रूप में हम यहां से क्यों न करें ?

†**श्री राजेन्द्र सिंह :** यहां सभा में और बाहर इस मामले के खुले आम उठाये जाने के बाद इस कम्पनी का काम कम हुआ है या गढ़ा है या ज्यों का त्यों है ?

श्री तंगामणि : कम्पनी के सभापति ने कहा है कि काम बढ़ा है।

†**श्री ब० रा० भगत :** मैं पूर्वसूचना चाहता हूं।

†**श्री पु० र० पटेल :** क्या यह कम्पनी देश की दो बड़ी बीमा कम्पनियों में से एक है और क्या इस कम्पनी ने इस वर्ष अधिक कार्य किया है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** मेरे पास यह जानकारी नहीं है। मैं प्रश्न की पूर्वसूचना चाहता हूं।

श्री त० ब० विट्ठलराव : क्या यह रिपोर्ट पटल पर या संसद पुस्तकालय में रखी जा सकती है क्योंकि इसमें हम सब की अभिरुचि है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** आरोप लगाये जाने पर यह सरकार का काम है कि वह कोई समिति या कुछ लेखा परीक्षक नियुक्त करे। हां, यदि सभा में कोई संकल्प रखा जाये और सभा स्वयं ही कोई समिति नियुक्त करनी चाहे तो दूसरी बात है। अतः सरकार ने कुछ लेखा परीक्षक नियुक्त किये और उन पर बताई गई सारी कार्यवाही की। यदि सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि और अधिक कुछ नहीं किया जा सकता और हर बात ठीक है और काम भी ठीक हो रहा है, तो उन से लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को पटल पर रखने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है ?

†**श्री त० ब० विट्ठलराव :** हम अपने को सन्तुष्ट करना चाहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कुछ मामलों में केवल सरकार ही स्वयं को सन्तुष्ट कर सकती है। कुछ बातें गोपनीय होती हैं। लोक हित में एक विशेष प्रकार का विशेषाधिकार की मांग केवल सरकार कर सकती है मैं भी सोचता हूं कि राष्ट्रीय हित है या नहीं। कहा जाता है कि दि रूबी जनरल इन्श्यूरेन्स कम्पनी देश की एक बड़ी कम्पनी है और यदि जरा भी आरोप लगाया जाये तो सारी कम्पनी ही समाप्त हो जायेगी। प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य इसे पटल पर रखने की अनुमति दिये जाने से कोई बुराई ढूंढ निकालने की इच्छा कर रहे हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

अगला प्रश्न।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा

+

†*१२७५. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री १० अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १४०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा देने की योजना के बारे में और ब्यौरे तैयार किये जा चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के परामर्श से योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

मैं यह और बता दूं कि दूसरे वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि सारे देश में एक से पाठ्यक्रम और एक ही माध्यम के कई स्कूल खोले जायें और वे अखिल भारतीय संस्था से सम्बद्ध हों । मुझे सभा को यह बताने में प्रसन्नता है कि सरकार ने एक केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड कायम करने का निश्चय किया है जिसके साथ ये स्कूल संबद्ध किये जा सकेंगे और जिसके अधीन इन स्कूलों के बच्चे परीक्षा में बैठ सकेंगे । पहली कार्यवाही की जा चुकी है । हम अब उन स्थानों को ढूंढ रहे हैं जहां ये संस्थाए स्थापित की जा सकेंगी ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** चूंकि यह योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल की जा चुकी है, क्या उसके लिए कोई रकम रखी गयी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** तीसरी योजना अवधि में योजना की अनुमानित लागत २० लाख रुपये है ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह सच नहीं है कि दूसरे वेतन आयोग ने यह सिफारिश भी की थी कि विभिन्न नगरों में सहायता के आधार पर छात्रावास बनाये जायें और सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए वहां स्थान नियत कर दिये जायें, ठीक उसी तरह जैसा कि रेलवे अभी फिलहाल कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में विचार कर रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी हां । वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी और हम उसे कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, यह बताया गया है कि विभिन्न मंत्रालयों से इस बारे में परामर्श किया जा रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो अगला सीजन शुरू होने वाला है, क्या उससे पहछ इस बारे में निर्णय हो जायगा और क्या सैंट्रल बोर्ड आफ़ एजूकेशन की स्थापना की जायगी ।

डा० का० ला० श्रीमाली : मुझे यह तो आशा है कि जो अगला सत्र (सेशन) शुरू होने वाला है, उस वक्त तक ज़रूर यह काम शुरू हो जायगा । जैसा कि मैंने निवेदन किया है, सेंट्रल बोर्ड आफ़ एजूकेशन को स्थापित करने का निर्णय कर लिया गया है और वह शीघ्र ही स्थापित कर दिया जायगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा** : क्या मंत्रिमंडल में इस सामान्य प्रश्न पर कभी चर्चा की गयी है कि यदि सरकारी कर्मचारियों, रेलवे कर्मचारियों, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों आदि के बच्चों के लिए यह विशिष्ट व्यवस्था की जाती है और इस प्रकार नये विशिष्ट वर्ग का निर्माण होता है और सर्वसाधारण जनता को उसी तरह गिरी हुई हालत में छोड़ दिया जाता है तो इससे देश पर क्या प्रतिक्रिया होगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मुझे आशंका है कि माननीय सदस्य ने कुछ सरकारी कर्मचारियों की कठिनाई महसूस नहीं की है। उनकी एक जगह से दूसरी जगह बदली हो जाती है। चूंकि अब प्रादेशिक भाषाएं शिक्षा का माध्यम हो गयी हैं, इन कर्मचारियों के बच्चों को बेहद कठिनाई होती है। इसलिए वेतन आयोग ने उचित ही यह सिफारिश की है कि एक से पाठ्यक्रम और एक ही माध्यम के, जो हिन्दी हो या अंग्रेजी हो, कुछ स्कूल खोले जायें। ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। इससे दूसरे लोगों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है और न ही कोई विशेषाधिकार की बात इसमें निहित है। यह तो उन लोगों के बच्चों को सहायता देने का प्रश्न है जिन्हें इन कई कठिनाइयों के कारण तकलीफ हो रही है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : इन स्कूलों में शिक्षा का माध्यम क्या होगा और क्या पाठ्यक्रमों की छानबीन कर उन्हें निश्चित किया जा चुका है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : अभी फिलहाल, वह हिन्दी या अंग्रेजी या हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही होगा।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या रेलवे कर्मचारियों के बच्चे भी इस योजना के अन्तर्गत आ जायेंगे या नहीं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : रेलवे की अपनी निजी संस्थाएं होती हैं। हम रेलवे कर्मचारियों के अलावा सरकारी कर्मचारियों के बारे में सोच रहे हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : उन जगहों पर जहां अंग्रेज़ी माध्यम के इस तरह के स्कूल हैं जैसे, देहरादून, कलकत्ता, दार्जिलिंग, शिलांग, आदि में हैं, क्या सरकार का दोहरा प्रयत्न करने का विचार है या विद्यमान स्कूलों को ही वित्तीय सहायता दी जायगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी नहीं। दोहरे प्रयत्न नहीं किये जायेंगे। वास्तव में यदि किसी क्षेत्र में पहले से ही कोई संस्था हो तो हम इतना ही करेंगे कि उसे और अधिक सहायता दी जाय ताकि ये बच्चे भी वहां भरती किये जा सकें और वे अंग्रेज़ी या उस माध्यम से जो केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड ने मंजूर कर लिया हो, सीख सकें।

भारत और पाकिस्तान के बीच शेष वित्तीय समस्याएं

+

†*१२७६. { **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री राधा रमण :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन संबंधी शेष वित्तीय समस्याएं हल करने की दिशा में कोई प्रगति करना संभव हुआ है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो हल निकालने के लिए कोई नयी कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १ दिसम्बर, १९६० को इस संबंध में इस सभा में जो कुछ बताया गया था उससे आगे ये प्रश्न सुलझाने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत फिर से जारी करने का कोई कार्यक्रम अभी तक तय नहीं किया गया है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या इस मामले में पाकिस्तान सरकार के वर्तमान रुख के बारे में कोई संकेत उपलब्ध हैं ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : वह जितना मुझे मालूम है उतना ही माननीय सदस्य को भी मालूम है ।

†**श्री हेम बरूआ** : इस विषय में पाकिस्तान की उदासीनता को देखते हुए क्या सरकार का ऐसा कोई विचार है कि नहरी पानी संधि की शर्तों के अधीन जो भुगतान हम कर रहे हैं उसमें कुछ तालमेल बैठाकर शेष देनदारियों को चुकता कर दिया जाय ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : वह संभव नहीं है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : हमारे हिसाब के मुताबिक कुल कितनी रकम बकाया है जो पाकिस्तान द्वारा भारत को दी जानी है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : ये सब कुल रकमें बनाना कठिन है क्योंकि वह और दूसरे दावे भी रख सकता है और हम उन दावों पर दावे पेश कर सकते हैं । इस सब से आगे बातचीत करना कठिन हो जाता है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या मैं यह समझूं कि हमें यह मालूम नहीं है कि हमें पाकिस्तान से कितनी रकम वसूल करनी है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : हमें वह अच्छी तरह मालूम है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि यहां किसी बात का उल्लेख किया जाता है तो वे उस पर और दावा कर सकते हैं और हम और आगे उस पर दावा कर सकते हैं ।

†**श्री हेम बरूआ** : जानकारी के हेतु । मैंने यह पूछा था कि नहरी पानी संधि के अधीन जो भुगतान हम कर रहे हैं उसके साथ इसका तालमेल नहीं बैठाया जा सकता और वित्त मंत्री ने बताया कि हमने वैसा नहीं किया है । इस तरह की कार्यवाही के बारे में न सोचने के क्या कारण हैं ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं समझता हूं कि कारण स्पष्ट है । सिन्धु नदी के बारे में जो संधि की गयी थी, वह एक अलग संधि है जिसमें विश्व बैंक मध्यस्थ था और उसका दूसरी किसी चीज से कोई संबंध नहीं है । मध्यस्थता की यही शर्त थी । मैं समझता हूं कि इस तरह की कोई मांग रखना ही गलत है ।

†**श्री राधा रमण** : क्या पाकिस्तान के साथ यह प्रश्न हल करने के रास्ते में कश्मीर के सवाल के कारण रुकावट हो रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई** : रास्ते में चाहे जो भी रुकावट हो, लेकिन कोई रुकावट है अवश्य । मैं यह नहीं बताना चाहता कि रास्ते में अड़चन क्या है ।

†**श्री रामनाथ चेट्टियार** : इस बात को देखते हुये कि यह एक पुरानी समस्या है और दिसम्बर, १९६० से इस बीच कोई प्रगति नहीं हुई है, हमारी सरकार पाकिस्तान सरकार को यह समझाने के लिए क्या कार्यवाही करेगी कि एक पैकेज डील होना चाहिये जिसमें सारी समस्याएं निबटायी जायें ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह कहना आसान है कि पैकेज डील होना चाहिये लेकिन वह इतनी आसानी से नहीं होता ।

†**श्री दामानी** : क्या दोनों देशों के वित्त सचिवों की कोई बैठक हुई थी ? यदि हां, तो क्या उस बैठक में कोई प्रगति की गयी थी ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : उसके बाद कोई बैठक नहीं हुई है ।

हिन्दी विश्वकोष

+

*१२७८. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **शिक्षा** मंत्री २१ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २६७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा हिन्दी का जो विश्वकोष तैयार किया जा रहा था, उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है और भारत सरकार द्वारा उस संस्था को उस कार्य के लिये कितनी सहायता दी जा चुकी है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

विश्वकोष के खण्ड २ की सामग्री में संशोधन किया जा रहा है । संशोधित सामग्री का लगभग आधा भाग प्रेस को भेजा जा चुका है और अभी तक लगभग ८० पृष्ठ छप चुके हैं । इसके अतिरिक्त इस खण्ड के आगे के खण्डों की कुछ सामग्री का भी साथ ही साथ सम्पादन किया जा रहा है । इस प्रयोजन के लिए सभा को अभी तक ३·८५ लाख रु० की राशि दी गई है ।

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से यह ज्ञात होता है कि इस विश्व-कोष के द्वितीय खंड की सामग्री में संशोधन किया जा रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस काम में इतनी देरी क्यों हो रही है और देर से देर कब तक इस के समाप्त होने की आशा की जा सकती है ।

डा० का० ला० श्रीमाली : पूरा विश्व -कोष—उस की सब वाल्यूम्ज़—तैयार होने में अर्सा लगेगा । मैं समझता हूं कि एनसाइक्लोपीडिया कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो कि जल्दी तैयार हो सकती है । लेकिन नागरी प्रचारिणी सभा ने यह आश्वासन दिया है कि ये चार पांच वर्ष में सब काम समाप्त कर देंगे । इस के लिये अभी कोई निश्चित अवधि नहीं रखी जा सकती है । दूसरा वाल्यूम प्रैस में है और मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही वह तैयार हो जायगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : पिछले दिनों इस प्रकार का एक मतभेद पैदा हो गया था कि अंकों को रोमन लिपि में लिखा जाए या देवनागरी लिपि में। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है और अगर कर लिया गया है तो वह निर्णय क्या है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मतभेद पैदा हुआ था और उसको दूर कर लिया गया है । एक मीटिंग हुई थी नागरी प्रचारिणी सभा और गवर्नमेंट आफिसर्स की और उसमें फैसला हुआ कि जितने भी साइंटिफिक और टैक्नीकल टापिक्स हैं, उनमें इंटरनैशनल फार्म आफ न्यूमरल्ज़ इस्तेमाल किए जायेंगे और दूसरे जो नान-टैक्नीकल मामले हैं उनमें वे चाहें तो देवनागरी न्यूमरल्ज़ को भी काम में ला सकते हैं। इस मामले पर नागरी प्रचारिणी सभा के अधिकारियों से बातचीत हुई थी और इसका यह फैसला हो गया था और उन्होंने इसको मंजूर भी कर लिया है ।

श्री नवल प्रभाकर : जो पहला प्रिंट प्रकाशित हुआ है, उसमें आबू की ऊंचाई नहीं दी गई है । मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : एनसाइक्लोपीडिया में एक शब्द आबू है, उसकी ऊंचाई नहीं दी हुई है, इसका जवाब मैं इस सदन में अभी कैसे दे सकता हूं, आप ही बतायें । प्रश्न यह उठाया गया है कि विश्वकोष में माउन्ट आबू का उल्लेख किया गया है और उसकी ऊंचाई नहीं दी गयी है। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि यह क्यों नहीं किया गया है। क्या इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए संभव है ?

श्री म० ला० द्विवेदी : यह जो स्टेटमेंट सभा पटल पर रखी गई है इसमें लिखा है कि ३ लाख ८५ हज़ार रुपये दिए जा चुके हैं और ८० पेज तैयार हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इतनी रकम खर्च करने के बाद भी केवल ८० पेज ही तैयार हुए हैं, इसका क्या कारण है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : कुल जो धनराशि दी गई है, वह ३ लाख ८५ हज़ार है। एक वाल्यूम तो छप गया है। दूसरा तैयार हो रहा है और आधा छप कर तैयार हो गया है और कुछ मैटर प्रैस में चला भी गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि काम आगे नहीं बढ़ा है, काम बढ़ता ही जा रहा है। एक वाल्यूम तैयार हो गया है, दूसरा तैयार हो रहा है, और शायद तीसरे का काम शुरू भी कर दिया गया होगा। इसमें कोई अधिक खर्च नहीं हुआ है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मद्रास

†*१२७९. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नेकराम नेगी :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, मद्रास के निर्माण कार्य में कोई प्रगति हुई है ।

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यह संभवतः कब तक पूरा हो जायगा ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). जी हां । ३१ जुलाई, १९६१ तक संस्था के निर्माण-कार्य पर ३६·६३ लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी । संस्था की इमारत (प्रथम प्रक्रम) और वर्कशाप की सात इकाइयां और विद्यार्थियों के होस्टलों की दो इकाइयां पूर्ण होने वाली हैं ।

(ग) संस्था के कार्यक्रम के अनुसार तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि की समाप्ति तक सम्पूर्ण निर्माण कार्यों के पूर्ण होने की आशा है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या इस संस्था का निर्माण पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : पूरी तरह से पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें पहले प्रक्रम के जुलाई, १९६१ तक पूर्ण हो जाने की आशा थी । परन्तु विलम्ब मुख्यतया इस्पात की कमी के कारण हुआ है । हमने जर्मनी से ६०० टन विशेष किस्म का इस्पात लेने का प्रबन्ध कर लिया है और काम अधिक तेज़ी से प्रगति पर है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : माननीय मंत्री ने बताया है कि निर्माण-कार्य पूर्णता के समीप है । हमें संघानीय जर्मन गणतंत्र से इस संस्था में उपयोग में लाने के लिये कितनी लागत का सामान प्राप्त हुआ है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : लगभग १७० लाख रुपये के उपकरण की प्रतिज्ञा की गई है और वह धीरे धीरे आ रहा है । मैं नहीं कह सकता कि अभी कितनी लागत का सामान प्राप्त हुआ है ।

†**श्री तंगामणि** : पहले खर्च की गई ३६·६३ लाख रुपये की राशि के अतिरिक्त, चालू वर्ष के लिये कितनी और राशि मंजूर की गई है । क्या जर्मनी के अतिरिक्त और किसी देश ने भी सहायता पेश की है, यदि हां, तो किस रूप में ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : आवश्यक धन दिया जा रहा है । हमने आगामी कुछ महीनों में पहले प्रक्रम को पूर्ण करने के लिये पर्याप्त उपबन्ध किया है और दूसरे प्रक्रम का काम भी प्रगति पर है । जहां तक इस संस्था का सम्बन्ध है । किसी अन्य देश से सहायता का सवाल पैदा नहीं होता ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : इस्पात और अन्य वस्तुओं के इस समय बढ़ते हुए मूल्यों को देखते हुए क्या सरकार योजना में परिवर्तन करने का विचार करती है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । पूर्ण हो जाने पर संस्था की कुल लागत ७ $^{१}/_{४}$ करोड़ से अधिक होगी और उसमें परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है । जैसा मैंने बताया, अब हमारे पास इस्पात है और हमने सीमेंट का भी प्रबन्ध कर लिया है । अतः मुझे कोई कठिनाई इस समय समझ में नहीं आती ।

†**श्री तंगामणि** : मद्रास सरकार ने गिंडी क्षेत्र में कितने एकड़ भूमि दी है और क्या वे और अधिक देने का भी विचार करते हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैं स्मरण शक्ति के आधार पर कह रहा हूं कि यह लगभग ५०० एकड़ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : मद्रास में संस्था की अनुमानित लागत क्या है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैंने अभी आंकड़े दिये हैं ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : कामों पर जो राशि खर्च की गई है क्या वह अनुमानित लागत के अन्दर खर्च की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह अभी पूरी नहीं हुई है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : मैं नहीं कहता कि पूरी इमारत बन चुकी है । जो कुछ पूरा किया गया है क्या वह अनुमानित राशि के अन्दर है या नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : पूर्ण लागत ७½ करोड़ रुपये है, इसमें ५ वर्ष लगेंगे और ३६ लाख रुपये खर्च हो चुके हैं । प्रत्येक प्रक्रम पर हम यह नहीं कह सकते कि क्या यह बढ़ गया है । हमें काम पूर्ण होने पर इसको देखना चाहिये । इसलिये मैं इसकी अनुमति नहीं देता ।

गिडी कोयला खान में आग

†*१२८०. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करनपुरा में गिडी कोयला खान को भूमिगत आग से बहुत अधिक नुकसान पहुंचा है ;

(ख) क्या यह सच है कि कीमती मशीनों को खान में ही छोड़ देना पड़ा ;

(ग) इस कारण राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को कुल कितने मूल्य की हानि हुई ; और

(घ) क्या आग के कारणों की जांच पड़ताल की गयी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)**: (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

२४ मई, १९६१ को सायंकाल ५½ बजे गिडी कोयला खान की भूमिगत खानों में तीन में से एक ढाल में आग लग गई । कोयला खान कर्मचारियों ने आग के स्थान पर पहुंचने का प्रयत्न किया, परन्तु नीचे भारी धुआं होने के कारण उनका पहुंचना संभव नहीं था । तब सहायता दलों ने नीचे जाने का प्रयत्न किया, परन्तु वे भी आग के स्थान पर पहुंचने में असफल रहे । परिणामतः खान को बन्द कर देने का फैसला किया गया और बन्द करने का कार्य आग लगने के २४ घंटों के अन्दर २५ मई, १९६१ तक पूरा कर दिया गया ।

आग जून के मध्य में बुझी और खान २५ जुलाई १९६१ को फिर खोली गई । खान को बन्द करने के कारण अन्दर जल का स्तर ऊपर उठ गया था । तथापि, तब से खान में से पानी निकाल दिया गया । बिजली का उपकरण जो गीला हो गया था, निकाल लिया गया है । और सब भूमिगत सामान ठीक था । लगभग एक सप्ताह के अन्दर खान से कोयला निकालना शुरू होने की आशा है । प्रबन्ध निदेशक ने आग के कारण की जांच के लिये जांच समिति नियुक्त कर दी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खान प्रत्येक ढलान से प्रति मास १८,००० टन कोयला उत्पादन कर रही थी और चूंकि केवल एक ढलान में आग लगी थी, उत्पादन की हानि लगभग १८,००० टन प्रति मास थी। किसी मजदूर को बेकार नहीं किया गया, क्योंकि उन सब को खान के दूसरे भागों में लगा दिया गया जहां काम चल रहा था।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : विवरण से पता चलता है कि कुछ उपकरण खान में से बाहर निकालना पड़ा था और अन्य भूमिगत सामान ठीक था। मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या उपकरण के अंश को स्थायी हानि हो गयी है और जब आग लगी तो भूमिगत छोड़े गये उपकरण की लागत क्या थी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : सौभाग्य से, उपकरण को कोई स्थायी हानि नहीं हुई। कुछ उठा सकने योग्य किसम का सामान निकाल लिया गया था और आवश्यक मरम्मत कर ली गयी थी। कुछ और सामान जो निकाला नहीं जा सकता था, उसको उसके स्थान से हटाये बिना ही उसकी मरम्मत कर दी गई। मशीनरी को ठीक करने पर होने वाले व्यय के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं, परन्तु व्यय अधिक नहीं था।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : आग विवरण के अनुसार २४ मई को लगी। अब तक इस आग के कारण की जांच पूरी नहीं हुई है। इस विलम्ब का क्या कारण है और कब तक जांच का परिणाम मालूम हो जाएगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा जांच समिति नियुक्त की गई थी और हमें मालूम नहीं कि प्रतिवेदन दे दिया गया है या नही। हमने कल भी उनसे पूछने का प्रयत्न किया, परन्तु हमें पता नहीं चला। अतः हम उनको जांच शीघ्र करने और प्रतिवेदन देने के लिये कहेंगे।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : समिति के सदस्य कौन हैं ? क्या यह वही समिति है जिसने कुरासिया में लगी आग की जांच की थी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह संभवतः वही समिति है और सिंगरेनी खानों के श्री नारगुंडकी इसके सभापति या एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, परन्तु मुझे इसका पक्का पता नहीं है।

†**श्री तंगामणि** : इस खान की क्षमता १८,००० टन मासिक थी। क्या सम्पूर्ण खान को बन्द करना पड़ा था और उत्पादन रोकना पड़ा था या केवल इसका कुछ भाग बन्द करना पड़ा था, क्योंकि विवरण से प्रतीत होता है कि यद्यपि एक ढलान में आग लगी थी, समूचा उत्पादन बन्द कर दिया गया था।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : नहीं। उत्पादन केवल उसी ढलान में बन्द हुआ था। विवरण में यह बात स्पष्ट है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : समाचारपत्रों में यह समाचार है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कुछ खानों में गिड़ी से आरम्भ हो कर भूमिगत आग थी और परिणामतः कुरासिया में अत्यधिक भारी आग लग गई और यह विचित्र परिस्थितियों में हो रहा है। क्या मंत्रालय ने किसी प्रकार से इस पहलू की जांच या खोज की है या विचार किया है ? यह बहुत बड़ी गम्भीर बात है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जब ये दुःखद दुर्घटनायें होती हैं, लोग साधारणतया अपने अपने आरोप लगाते हैं। लगाये गये किसी आरोप का खंडन करना मेरा काम नहीं है। जांच समिति नियुक्त कर दी गई है। यह आग के कारणों की खोज करेगी। मैं जांच समिति के जांच कार्य में किसी प्रकार का विपरीत असर न डाल कर उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करूंगा।

सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें

*१२८२. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें बनाने का उत्तरदायित्व डायरेक्टर जनरल आफ बार्डर रोड्स का नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). उत्तर प्रदेश के सीमान्त क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए प्रान्त के अन्य क्षेत्रों के समान साधारणतः राज्य सरकार ही जिम्मेदार है। डायरेक्टर जनरल आफ बार्डर रोड्स विशेष रूप से सैनिक (सुरक्षा) महत्व की सड़कों का निर्माण कराते हैं।

श्री खुशवक्त राय : क्या मैं यह जान सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो सड़कों के निर्माण का कार्य चल रहा है उस की प्रगति क्या बहुत धीमी नहीं है, और कहीं कहीं पर तो नहीं के बराबर है ?

†**श्री दातार** : वे हमें समय समय पर गैर सामरिक महत्व वाली सड़कों के बारे में सूचनाएं भेजते रहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या काम तेज़ी से चल रहा है ?

†**श्री दातार** : यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि यह धीरे धीरे किया जा रहा है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान् क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि चूंकि इन सड़कों का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है, और उनके काम का सिस्टम वही पुरानी ठेकेदारी प्रथा का है, इसकी वजह से काम में कोई प्रगति नहीं हो रही है, पिछले दिनों बद्रीनाथ के यात्रियों को बड़ी कठिनाइयां इस वजह से हुईं कि काम पूरा नहीं हुआ था ? अतः क्या इस काम में तेज़ी लाई जायगी ?

†**श्री दातार** : मुझे माननीय सदस्य द्वारा कही गई बात का आधार मालूम नहीं है। यदि उनके पास कोई निश्चय आधार है तो वह मुझे बता सकते हैं।

श्री खुशवक्त राय : क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो सड़कें हैं वे स्ट्रेटैजिक इम्पार्टेंस की क्यों नहीं मानी गई ?

†**श्री दातार** : वे मानी गई हैं। वे सामरिक महत्व की सड़कें हैं और हम उनको बना रहे हैं।

श्री हेम बरुआ उठे--

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या अध्यक्ष महोदय उत्तर प्रदेश के हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : इस का कोई अन्तर नहीं। हम सब अखिल भारतीय आधार पर यहां आए हैं ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सीमान्त सड़कों में से कौन कौन सी सड़कें सरकार ने अपने हाथ में ली हैं बनाने के लिये, उन में कितना काम हुआ है और उन पर कितने व्यय का अनुमान है ?

†**श्री दातार** : जहां तक सामरिक सड़कों का संबंध है उनका ब्योरा देना लोकहित की दृष्टि से ठीक नहीं है। जहां तक गैर सामरिक सड़कों का संबंध है जिनमें राज्य सरकारों को दिलचस्पी है मेरे पास ब्योरा नहीं हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : साधारणतया आसामी लोगों के विरुद्ध यह आरोप लगाया जाता है कि वे अखिल भारतीय आधार पर काम करने का प्रयत्न नहीं करते हैं। परन्तु यदि हम अखिल भारतीय आधार पर काम करने का प्रयत्न करते हैं तो हमे अवसर नहीं दिया जाता।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो कोई भी, इस सभा की कार्यवाही देखता है और श्री हेम बरुआ के कार्य को देखता है, वह यह बात कभी नहीं कहेगा। यह उनके लिये बड़े लाभ की बात है। मुझे उनके लिये सब प्रश्नों की अनुमति देने की जरूरत नहीं। यह न केवल आगामी निर्वाचन के लिये लाभ दायक होगा, अपितु अनेक निर्वाचनों के लिये।

कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिये। मैं नहीं चाहता कि ऐसा विचार पैदा किया जाये कि कोई माननीय सदस्य किसी विशिष्ट निर्वाचन को ध्यान में रख कर प्रश्न पूछता है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि श्री हेम बरुआ बहुत अधिक दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं अप्रत्यक्षत्यः भी कोई निन्दा नहीं करना चाहता। परन्तु यदि वह उसे प्रशंसा समझते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

†**श्री त्यागी** : यहां एक प्रथा निश्चित की जानी चाहिये कि अध्यक्ष की ओर से किसी सदस्य की प्रशंसा में कहे गये शब्दों को प्रयोग निर्वाचन प्रचार के लिये नहीं किया जाना चाहिये।

†**श्री हेम बरुआ** : यहां मेरी उपस्थिति के उन ४½ वर्षों में मेरी लगातार भर्त्सनाएं ही की गईं और यदि आप ने अब प्रशंसा के कुछ शब्द कहे हैं तो उनका उल्लेख क्यों न किया जाए ?

वृहत् हिन्दी शब्दसागर

*१२८४. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वृहत् हिन्दी शब्दसागर तैयार करने के लिये कितनी धनराशि नियत की गयी है;

(ख) इसमें से कितने रुपये की अदायगी हो चुकी है ;

(ग) शब्दसागर का कितना भाग तैयार हो चुका है ; और

(घ) पूर्ण शब्दसागर कब तक तैयार हो जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) इस प्रयोजन के लिए नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, को १ लाख रु० का अनुदान स्वीकृत किया गया था, परन्तु सभा ने ६५,००० रु० के अतिरिक्त अनुदान की प्रार्थना की है।

(ख) ९०,००० रु०।

(ग) प्रथम खण्ड की सामग्री प्रेस को भेजने के लिये तैयार है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) आशा है कि शब्दसागर, चार खण्डों में, २ वर्ष से ३ वर्ष तक की अवधि में पूर्ण हो जाएगा।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या शब्दसागर के निर्माण के काम को प्रारम्भ करने के लिये सभा को सौंपने के पूर्व शिक्षा मंत्रालय ने इस बात की जांच पड़ताल कर ली थी कि कहां तक यह शब्दसागर बनाने का काम उन के द्वारा अच्छा हो सकता है ? और यदि हां, तो किस ने जांच की थी, और इस समिति में कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : नागरी प्रचारिणी सभा सारे देश में प्रसिद्ध है, और जब शब्द-सागर बनाने के लिये उन का प्रस्ताव आया तो उसे सरकार ने मंज़ूर किया। यह सवाल था कि यह काम १ लाख रुपये में और पांच वर्ष की अवधि में समाप्त हो जायेगा लेकिन काम समाप्त नहीं हो पाया है क्योंकि कुछ कठिनाइयां हुई। यह कोई सरल काम नहीं था। कठिनाइयों का पूरा अन्दाजा उन को नहीं था, यह उन की गलती जरूर हुई, लेकिन मैं नहीं समझता कि यह कोई ऐसा बड़ा दोष है। कुछ कठिनाइयां थीं जिन पर उन्हें पूरा काबू नहीं था, और काम नहीं हो सका। मैं आशा करता हूं कि दो या तीन साल में यह काम पूरा हो जायेगा।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जनाना चाहता हूं कि सभा के द्वारा इस शब्दसागर के निर्माण-कार्य में जो विद्वान लगाये गये हैं उन के बारे में क्या सरकार को इस बात का पता है कि वे शब्द-सागर को बनाने में सक्षम हैं, और यदि हां तो इतना बिलम्ब इस काम में क्यों लगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : नागरी प्रचारिणी जी सभा एक स्वतन्त्र सभा है। गवर्नमेंट एक जिम्मेदार सभा को जब काम सौंप देती है तो उस के रोजमर्रा के काम में वह दखल नहीं दे सकती है। लेकिन अब यह जरूर किया गया है कि हिन्दी डाइरेक्टोरेट का एक आदमी एडिटोरियल बोर्ड पर रहेगा ताकि काम में और तेज़ी लाई जा सके।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या यह सच नहीं है कि हिन्दी की लोकप्रिय पुस्तकों को छापने और उन का अनुवाद करने का जो काम सभाओं और संस्थाओं को दिया जा रहा है, क्या उन के अनुवाद के काम को पहले शिक्षा मंत्रालय देख भी लेता है और तब काम सुपुर्द करता है ? यदि यह सही है तो दूसरे ग्रंथों के बारे में शिक्षा मंत्रालय पहले से जांच क्यों नहीं करता ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मैं आवश्यकता नहीं समझता। नागरी प्रचारिणी सभा को सरकार एक जिम्मेदार संस्था समझती है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान अभी पहले हिन्दी विश्व कोष का प्रश्न उठा था और अब वृहत् हिन्दी शब्दसागर का। इन कामों के लिये इतना रुपया सरकार दे रही है तो भी समय उस के अनुमान से बहुत ज्यादा लग रहा है। इस लिये क्या गवर्नमेंट ने इस सुझाव पर विचार किया है कि इन कामों के लिये कोई केन्द्रीय सम्पादक मंडल या देखरेख की कोई दूसरी संस्था होनी चाहिये, जिस से कि काम जल्दी से जल्दी हो सके ?

डा० का० ला० श्रीमाली : केन्द्र में भी यह काम हो रहा है। सरकार यह चाहती है कि जितनी हमारी सार्वजनिक संस्थायें हैं हिन्दी की वृद्धि के लिये वे सब काम करें और सरकार भी उनको सहायता देना चाहती है। अगर सब एक साथ काम करें और केन्द्र भी यह काम करें तो यह काम ज्यादा जल्दी से हो सकता है। इसी प्रयोजन से इन संस्थाओं को काम सौंपा गया है।

श्री त्यागी : और दूसरी ग्रान्ट देने से पहले क्या गवर्नमेंट इस बात की परवाह करेगी कि वह जांच कर ले कि इस वक्त तक वह कितना काम कर चुकी हैं, और क्या वह इस काबिल है कि आगे ग्रान्ट दी जाये ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, सरकार ने जांच की है। ज्वायेंट सेक्रेट्री मिनिस्ट्री के गये थे और इस की पूरी जांच हो गई है। उन के द्वारा कोई रुपये का दुरूपयोग नहीं हुआ है। सिर्फ यह बात है कि जो कठिनाइयां शब्दसागर के बनाने में थीं उन का पूरा अन्दाजा नागरी प्रचारिणी सभा को नहीं था। यह एक ऐसी भूल है जिस के लिये उन को सजा देना वाजिब नहीं होगा। कई संस्थायें जब काम उठाने जाती हैं तो कार्य करने में देरी हो जाती है। डिक्शनरी बनाने, ग्रन्थ बनाने, इन्साइक्लोपीडिया बनाने आदि का काम ऐसा नहीं है कि मिकैनिकली आप समय निर्धारित कर दें और उसी समय पर वह पूर्ण हो जाय। कठिनाइयां हो सकती हैं और इस लिये उन में देर हो सकती है। प्रेस, लेखन आदि की कितनी ही कठिनाइयां हो सकती हैं। इस लिये जहां तक सरकार ने जांच की है, और जांच पूरी की गई है, वहां तक उन तक काम में कोई गड़बड़ नहीं है और वह अच्छी तरह से हो रहा है।

श्री अन्सार हरवानी : क्या शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब केन्द्र में एक साहित्य अकादमी का निर्माण हो चुका है तो इस कार्य को नागरी प्रचारिणी सभा को क्यों दिया गया ?

डा० का० ला० श्रीमाली : केन्द्र की जो साहित्य अकादमी है उसका इस काम से कोई संबंध नहीं है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय का प्रयास वास्तव में स्तुत्य है कि वह इस प्रकार के विश्वकोषों के निर्माण के लिये आर्थिक सहयोग दे रहा है, और दिल्ली में भी एक हिन्दी निदेशालय स्थापित करके शब्दों के निर्माण का काम कराया जा रहा है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या शिक्षा मंत्रालय को दूसरे मंत्रालय से इस प्रकार के आश्वासन मिले हैं कि जिन शब्दों का वह निर्माण करा रहे हैं उनको दूसरे मंत्रालय व्यवहारिक रूप देंगे, अथवा वह केवल अलमारियों की शोभा बढ़ाते रहेंगे ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जो नहीं, वह अलमारीयों की शोभा नहीं बढ़ाऐंगे। उनका प्रयोग किया जाएगा। और जैसा कि सदस्य महोदय को मालूम है, अभी एक हिन्दी कमीशन भी नियुक्त हुआ है, और इन शब्दों को पुनः दुहराया जा रहा है और हमने उनको हिदायत दी है कि जहांतक सम्भव हो साइंटिफिक और टैकनिकल टरम्स के लिये जो शब्द केन्द्रीय निदेशालय ने बनाए हैं उनका ही वह लोग उपयोग करें, और ऐसा किया भी जा रहा है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान मुझे आशंका है कि मेरे पहले प्रश्न को माननीय शिक्षा मंत्री जी पूरी तरह समझ नहीं पाए। मेरा मतलब यह है कि अब तक जितना यह कार्य हो रहा है यह ऐसी संस्थाओं के द्वारा हो रहा है जिनमें पूरा समय देने वाले विद्धान नहीं रहते। अतः क्यों न केन्द्रीय सरकार चार पांच विद्वानों को पूरे समय के लिये वेतन देकर नियुक्त कर ले ताकि वह काम जल्दी हो सके ?

डा० का० ला० श्रीमाली : हमारा यह ख्याल है कि इस प्रकार की सार्वजनिक संस्थाओं में यह काम ज्यादा अच्छा हो सकता है। यह ऐसा काम नहीं है जिसको केन्द्रीय सरकार करे। और जैसा कि मैं ने निवेदन किया केन्द्रीय सरकार भी इसके मुताल्लिक कछ काम कर रही है, लेकिन

मेरा ख्याल है कि यह काम यूनीवर्सिटीज़ और लर्नेड संस्थाओं में ज्यादा अच्छी तरह हो सकता है और इसीलिये गवर्नमेंट उनको इस तरह का काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है ।

†**डा० विजय आनन्द :** प्रश्न अंक १२८५ और १३०० का भी उत्तर देने की अनुमति दे दीजाए क्योंकि वे महत्वपूर्ण हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने मुझे पहले सूचना नहीं दी ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

इस्पात का वितरण

†*१२७७. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात की सप्लाई और उसके वितरण सम्बन्धी स्थिति की समीक्षा करने के लिए नियुक्त की गयी समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) और (ख). विशेष रूप से इस्पात के संभरण और वितरण की देखभाल के लिये कोई समिति स्थापित नहीं की गई है । इस्पात सलाहकार परिषद् और इस्पात उद्योग की स्थायी समिति (व्यापार) हाल ही में सरकार के द्वारा इस्पात के संभरण एवं वितरण की सामान्यतयादेख रेख करने के लिये बनाई गई है ।

गुजरात में पुरातत्व संबंधी खुदाई

†*१२८१. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजकोट (गुजरात) के पास घाटी में पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो खुदाई के मुख्य परिणाम क्या हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (श्री म० मो० दास):** (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

कोयला धुलाई कारखान

†*१२८३. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला धुलाई को तापीय बिजली पैदा करने और दो नान-कोकिंग कोयला धुलाई कारखाने स्थापित करने के काम में लाने का कोई प्रस्ताव है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो दोनों प्रस्तावों के ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). कोयला धुलाई कारखाना से निकलने वाले मध्यम दर्जे के कोयले के उपयोग से सम्बन्धित तदर्थ समिति ने, जो भारतीय कोयला परिषद् द्वारा स्थापित की गई है, सिफारिश की है कि जहां तक सम्भव हो सके, भविष्य में तापीय विद्युत् केन्द्रों और कोयला धुलाई कारखानों की योजना का समन्वय होना चाहिये। इस का एक विशिष्ट सुझाव यह है कि गैर-कोकिंग कोयला धोने के कारखाने स्थापित किये जाने चाहियें। इनमें से एक कारखाना बिहार में करनपुरा में स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। इस कारखाने की यन्त्र क्षमता २८ लाख टन होगी और यह धोया हुआ स्टीम कोयला रेलवे को धोया हुआ स्लैक कोयला इस्पात संयंत्रों को देगा। इस कारखाने का परियोजना प्रतिवेदन इस समय अन्तिम रूप में तैयार किया जा रहा है। दूसरा गैर-कोकिंग कोयला धोने का कारखाना मध्य भारत के कोयला क्षेत्रों के कोयले पर आधारित करने का विचार है। इस से संभरण रेलवे को होगा। मध्यम दर्जे के कोयला निकालने के स्रोतों की उपलब्धि आदि ऐसे तत्वों और धुलाई के सामान्य आर्थिक पहलुओं के परीक्षण के पश्चात् इसके सही स्थान का फैसला किया जायेगा। इस समय परीक्षण जारी है।

विदेशी छात्रों द्वारा काश्मीर की सैर

†*१२८५. **श्री प्र० गं० देव** :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी छात्रों को काश्मीर की सैर के लिए सुविधाएं दी गयी थीं; और

(ख) यदि हां, तो इस काम पर कितनी रकम खर्च की गयी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, हां।

(ख) १९५५ से १९६१ की अवधि में ३७,१४३ रुपये।

कोयला खान

†१२८६. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार-बंगाल कोयला क्षेत्र की अनेक कोयला खानों ने जुलाई, १९६१ के महिने में विस्फोटकों की भारी कमी के कारण या तो अपना काम बंद कर दिया था या लगभग ९० प्रतिशत उत्पादन कम कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोयला खानों का सामान्य कामकाज चालू कराने के लिए समय पर ही कार्यवाही की थी और यदि हां, तो क्या; और

(ग) क्या कोयला खानों का सामान्य रूप से कामकाज पुनः शुरू हो गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) यह कहना सही नहीं है कि किसी कोयला धुलाई कारखाने में उत्पादन या तो पूर्णतया बन्द कर दिया गया था या विस्फोटक पदार्थों की कमी के कारण लगभग ९० प्रतिशत तक कम कर दिया गया था।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

नई दिल्ली नगरपालिका

†*१२८७. **श्री बलराज मधोक :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली क्षेत्र के निवासियों की बराबर यह मांग रही है कि नई दिल्ली नगरपालिका निर्वाचित संस्था हो, न कि नामजद जैसी कि वह फिलहाल है; और

(ख) यह मांग पूरी करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

इस्पात का उत्पादन

†१२८८. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में उत्पादन पूरे निर्धारित उत्पादन के स्तर तक पहुंच गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और १९६०–६१ के अन्त तक कितनी कमी रही ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी, नहीं।

(ख) तीनों इस्पात कारखानों की विभिन्न इकाइयों के आरम्भ किये जाने में थोड़े विलम्ब के अतिरिक्त एकीकृत संचालन के लिये अपेक्षित अधिकतम कुशलता के हालात प्रारम्भिक स्थिति में नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त, अपेक्षित गुण प्रभार और कच्चे माल की मात्रा के संभरण, परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों और इन पेचीदा संयंत्रों के संचालन के लिये अपेक्षित अनुभव वाले प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी आदि की कठिनाइयां थीं। क्योंकि संयंत्र एकीकृत इकाइयों के तौर पर, काम करते हैं, जब तक सब इकाइयां पूरी तरह न चलने लग जायें, उत्पादन में कमी का अनुमान लगाना कठिन है।

हिन्दी का प्रचार

†*१२८९. **श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी की उन्नति और प्रचार के लिए क्षेत्रीय संगठन कायम किये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) और (ख). ऐसी संस्थाएं स्थापित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कलाकारों और लेखकों को सहायता

†*१२९०. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीड़ित कलाकारों और लेखकों या उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देने की कोई योजना निश्चित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो किन किन शर्तों के अधीन कोई व्यक्ति उपरोक्त सहायता का पात्र हो सकता है;

(ग) उम्मीदवारों को कितनी सहायता दी जायगी; और

(घ) योजना का खर्च कैसे पूरा किया जायगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर):** (क) जी हां। योजना कई वर्षों से चालू है।

(ख) कला और लेखन के लिये अभ्यर्थी का अंशदान महत्वपूर्ण होना चाहिये और उसकी निजी आय १५० रुपये मासिक से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(ग) अधिक से अधिक १५० रुपये प्रति मास।

(घ) चालू वर्ष से, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच व्यय सामान्यतः २ : १ के आधार पर होगा।

थोक और उपभोक्ता मूल्य

†*१२९१. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि १९५१ से १९५९ तक थोक कीमतों में लगभग कोई वृद्धि नहीं हुई है जब कि उपभोक्ता मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है; और

(ख) सरकार की राय में इस स्थिति का क्या कारण है और इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) जी हां।

(ख) स्थिति का स्पष्टीकरण, अन्य बातों के साथ साथ इस तथ्य से हो जाता है कि थोक मूल्यों का स्तर १९५१ में कोरियाई तेजी के कारण कच्चे माल के ऊंचे दामों के कारण अत्यधिक अधिक था। १९५२ के पश्चात् थोक और खुदरा दाम असाधारण नहीं रहे हैं।

मूल्य स्थिति की लगातार निगरानी रखी जाती है और अर्थ व्यवस्था के समूचे हितों की दृष्टि से जब आवश्यक होगा, ठीक करने के लिये कार्रवाई की जायेगी।

मतदाताओं की सूची

†*१२९२. **श्री तंगामणि :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये मतदाताओं की अंतिम सूचियां प्रकाशित की जा चुकी हैं,

(ख) यदि नहीं, तो देर होने के क्या कारण हैं; और

(ग) वे संभवतः कब तक तैयार हो जायेंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**विधि उप-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) कुछ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये निर्वाचक सूचियां अन्तिम रूप में प्रकाशित हो चुकी हैं। अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में वार्षिक संशोधन कार्य चल रहा है।

(ख) जनवरी, फरवरी और मार्च में दस वर्षीय जन गणना कार्य, दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन, उड़ीसा में मध्य-कालीन सामान्य निर्वाचन, दक्षिण भारत में अप्रत्याशित बाढ़ें और दावे तथा आपत्तियां करने के लिये अवधि का विस्तार विलंब के प्रमुख कारण हैं।

(ग) उड़ीसा को छोड़कर जहां निर्वाचक सूचियां दिसम्बर के अन्त तक प्रकाशित होंगी, सभी निर्वाचक सूचियां नवम्बर के मध्य तक अन्तिम रूप में प्रकाशित होने की आशा की जाती है।

दक्षिण और उत्तर कनारा में कोयला

†*१२९३. **श्री आचार** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य के पश्चिमी तट पर दक्षिण और उत्तर कनारा जिलों मे कोयला पाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस क्षेत्र, या क्षेत्रों में कोयले का पता लगा है और उसकी मात्रा कितनी है और उसकी किस्म कैसी है ;

(ग) यह खोज किसने की ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस क्षेत्र में कोई पूरा पूरा भूतत्वीय सर्वेक्षण किया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में ऐसा कोई सर्वेक्षण करने का सरकार का विचार है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) भारत सरकार की ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) से (ङ). सवाल पैदा नहीं होता।

केन्द्रीय सचिवालय में असिस्टेण्ट

†*१२९४. { **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय और उसके विभिन्न कार्यालयों में अभी फिलहाल कुल कितने स्थायी असिस्टेन्ट काम कर रहे हैं ;

(ख) इनमें से कितने असिस्टेन्टों ने असिस्टेंट की ग्रेड में १५ साल से अधिक सेवा की है ; और

(ग) ऐसे वरिष्ठतम सहायकों को असिस्टैन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट के रूप में पदोन्नत करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) लगभग ३८००।

(ख) लगभग ८००, जिनमें से लगभग ३२० अस्थायी तौर पर कर सैक्शन अफसर हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना के अनुसार सैक्शन अफसर के ग्रेड में ५० प्रतिशत स्थायी संधारण पद आई० ए० एस० आदि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती से पूरे किये जाते हैं और शेष पद असिस्टेंटों के ग्रेड से इस प्रकार पदोन्नति के द्वारा भरे जाते हैं :—

(१) आधे पद संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाने वाली विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर और निम्नतम निर्धारित सेवा अवधि वाले असिस्टेंट उस में बैठ सकते हैं ; और

(२) शेष आधे पद केन्द्रीय सचिवालय सेवा चतुर्थ ग्रेड में वरिष्ठता के आधार पर असिस्टेंटों की पदोन्नति के द्वारा, यदि वे उपयुक्त हों । यह पर्याप्त समझा जाता है ।

दिल्ली में मकान निर्माण सहकारी समितियां

†*१२९५. **श्री अमजद अली :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह बात मालूम है कि राजधानी में मकान निर्माण सहकारी समितियों को जमीनें देने के बारे में समय समय पर दैनिक समाचारपत्रों में जारी किये गये वक्तव्यों के कारण लोग काफी द्विविधा में हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या निवास प्रयोजन के लिए मकान निर्माण सहकारी समितियों को ये जमीन देने के संबंध में कोई निश्चय किया गया है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर हां हो, तो ऐसी मकान निर्माण सहकारी संस्थाएं कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी जमीनें उन्हें दी जा रही हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार):** (क) से (ग). इन मकान निर्माण सहकारी समितियों और अन्य लोगों को भूमि नियतन के विषय के बारे में सरकार के निर्णय स्पष्ट शब्दों में २३ मार्च, १९६१ को दिल्ली में अधिकृत भूमि के नियतन संबंधी नियम १९७ के अन्तर्गत सूचना के उत्तर में सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं । मकान निर्माण सहकारी समितियों को भूमि का नियतन विवरण में दी गई शर्तों और निबंधनों के अनुसार किया जाएगा ।

सेना के ट्रकों का निर्माण

†*१२९६. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जबलपुर में सेना के ट्रक तैयार करने का एक कारखाना खोलने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वित्तीय या शिल्पिक सहयोग प्राप्त करने के लिए किसी विदेशी फर्म के साथ बातचीत कर रही है ; और

(ग) इस परियोजना का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैय्या).** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) सवाल पैदा नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में वर्षा और आंधी

*१२९७. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २० अगस्त, १९६१ को दिल्ली में वर्षा और आंधी के कारण कितनी क्षति हुई ; और

(ख) सरकार ने सहायता के लिये क्या कार्यवाही की ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार): (क) चार व्यक्ति मारे गये और ५३ मकानों को क्षति हुई ।

(ख) पीड़ित कुटुम्बों को अस्थायी पनाह देने के लिये सिरकी की झोंपड़ियां मोहय्या की गइं । नष्ट होने वाले हर मकान के लिये ५० रुपये का नकद अनुदान दिया गया । इसके अलावा पीड़ित परिवारों को करीब १५०० रुपये कीमत के खाद्य पदार्थ बांटे गये ।

प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्रणा समिति

†*१२९८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रमुख उद्योगपतियों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्रणा समिति को पुनः सक्रिय बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). इस प्रश्न का सरकार ने ध्यानपूर्वक परीक्षण किया है और यह विचार है कि ऐसी समिति न तो उपयोगी होगी और न उचित ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की कार्य की दशा

*१२९९. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री पांगरकर :
श्री सुब्बया अम्बलम् :
श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १० अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १४०४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की कार्य की दशा के सम्बन्ध में अन्तर्विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट मिल गई ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) और (ख) समिति ने दिल्ली और अन्य मुख्य-मुख्य शहरों में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण-कार्य पूरा कर लिया है । अब रिपोर्ट तैयार की जा रही है और उसके शीघ्र प्राप्त होने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

छात्रों में राष्ट्रीय चेतना

†*१३००. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री मुब्बया अम्बलम् :
श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री हेम बरुआ :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **शिक्षा** मंत्री १० अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १४०८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छात्रों में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति कायम करने का प्रस्ताव कार्यान्वित किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति की रचना का ब्यौरा क्या है और उसके सामने विचारणीय विषय कौन कौन से हैं ;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की है ; और

(घ) यदि हां, तो सिफारिशें क्या क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख) विवरण संलग्न है ।

विवरण

भावनात्मक एकता संबंधी समिति के सदस्य---

१. डा० सम्पूर्णानन्द	सभापति
२. श्रीमती इन्द्रा गांधी .	सदस्य
३. प्रो० टी० एम० अडवानी	,,
४. प्रो० हीरेन मुकर्जी ऐम० पी० .	,,
५. श्री एम० हनरी सैमुअल ऐम० पी० .	,,
६. प्रो० एम० एन० श्रीनिवास	,,
७. भाई जोधसिंह . .	,,
८. श्री ए० ई० टी० बरो ऐम० पी०	,,
९. श्री अशोक मेहता ऐम० पी० .	,,
१०. श्री ए० ए० ए० फैंजी	,,

†मूल अंग्रेजी में

समिति के निर्देश पद ये हैं :—

(१) राष्ट्रीय जीवन में भावनात्मक एकता के तरीकों को मजबूत करने और बढ़ाने के लिये शिक्षा के योग का अध्ययन करना और उनके विकास में आने वाली प्रवृत्तियों का परीक्षण करना।

(२) उस अध्ययन की दृष्टि से सामान्यतया युवकों के लिये और खास कर स्कूलों और कालेजों के विद्यार्थियों के लिये उनमें भावनात्मक एकता के तरीकों को मजबूत करने के लिये सक्रिय शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों के बारे में मंत्रणा देना ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कालेजों को विश्वविद्यालयों से संबद्ध करना[1]

†*१३०. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री १० अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १४११ के उत्तर के संबंध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालेजों को संबद्ध करने के बारे में सभी विश्वविद्यालय में एक सी पद्धति लागू करने के संबंध में सरकार ने विश्वविद्यालयों की राय मालूम की है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस विषय में सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिखे हैं। अभी तक २७ विश्वविद्यालयों ने उत्तर दिये हैं। शेष विश्वविद्यालयों के उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है।

पवन चक्कियां

†*१३०२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २३ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०५५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात, मैसूर, मद्रास और महाराष्ट्र में दस पवन चक्कियां इस बीच स्थापित हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी पवन चक्कियां बनायी जा चुकी हैं ;

(ग) क्या बिहार में कोई पवन चक्की कायम करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) और (ख). अभी तक नहीं, परन्तु तीन स्थापित की जा रही हैं।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Affiliation of Colleges.

हिन्दी में लोकप्रिय पुस्तकें

*१३०३. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोकप्रिय पुस्तकों के सस्ते संस्करण हिन्दी में प्रकाशित करने की जो योजना है उसके अनुसार अब तक कितनी ऐसी पुस्तकें तैयार करने का काम आरम्भ हो चुका है; और

(ख) इस योजना को चालू करने के लिये कितने प्रकाशकों का सहयोग प्राप्त हुआ है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ल० श्रीमाली) : (क) ११ ।

(ख) योजना के अन्तर्गत खुले विज्ञापन के जरिये निविदाएं मांगी गई थीं। ८ निविदाकारों में से ४ ने सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर कार्य करना स्वीकार कर लिया है। इसलिये ११ पुस्तकों का अनुवाद और प्रकाशन कार्य इनको सौंप दिया गया है।

भारत इलक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा ट्रांसमीटरों का निर्माण

*१३०४. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के नये विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत अगले पन्द्रह महीनों में जो ट्रांसमीटर उसे उपलब्ध किये जायेंगे, उनका निर्माण भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा किया जायेगा;

(ख) क्या यह भी विचार है कि ये ट्रांसमीटर विदेशों से आयात किये जायेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो किस देश से आयात करने का प्रस्ताव है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया): (क) योजना है, कि जो ट्रांसमीटर अखिल भारत आकाशवाणी की, द्वितीया प्रावस्था आवश्यकताओं को पूरा करने को दिए जाने हैं, उन्हें भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड में आयात संघटकों को जोड़ कर बनाया जाये, क्योंकि उनकी संख्या इतनी कम है, कि उन का खान सामग्री से स्थानीय उत्पादन, बचत के दृष्टिकोण से न्याय्य नहीं होगा।

(ख) जी नहीं, सम्पूर्ण इकाइयों में नहीं, अत्युच्च शक्ति के ट्रांसमीटरों को छोड़ कर।

(ग) सर्वश्री निप्पान इलेक्ट्रिकल कम्पनी से समझौते के अन्तर्गत, जापान से।

विदेशों में प्रशिक्षित कर्मचारी

†*१३०५. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में प्रशिक्षित कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति की जांच पड़ताल यह मालूम करने के लिए की जा रही है कि प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में विदेशी प्रशिक्षण का उद्देश्य किस हद तक पूरा हुआ है, और इस प्रशिक्षण से जो लाभ प्राप्त होने की आशा थी क्या वे प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) क्या कोई विवरण या रिपोर्ट तैयार की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उसकी प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता।

गैर सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों का विकास

†*१३०६. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री हेम बरुआ :
श्री आचार :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के कोयला उद्योग के प्रतिनिधियों का एक दल तीसरी पंचवर्षीय योजना में गैर-सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों के विकास के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने के प्रयोजन से बातचीत करने के लिये अभी हाल अमरीका गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) एक वरिष्ठ सरकारी अफसर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल में जो विश्व बैंक से ऋण के बारे में बातचीत करने के लिये संयुक्त राज्य अमरीका गया था, कोयला उद्योग के गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल थे।

(ख) बैंक ने भारत सरकार के लिये ३५० लाख डालर ऋण देना स्वीकार कर लिया है, तो मुख्य रूप से तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में उद्योग की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता की पूर्ति करेगा।

उड़ीसा के निर्वाचन में अमान्य मत

†*१३०७. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के अभी हाल के मध्यावधि निर्वाचन में अमान्य मतों की संख्या पिछले दो निर्वाचनों में वैसे मतों की संख्या से बहुत अधिक रही ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति के क्या कारण हैं और इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) और (ख). उड़ीसा के हाल के मध्य कालीन निर्वाचनों में अवैध मतों की संख्या १९५१–५२ के सामान्य निर्वाचनों की ३·८७ प्रतिशत तथा १९५७ के सामान्य निर्वाचनों की ३·९१ प्रतिशत की तुलना में थोड़ी अधिक थी, अर्थात्, ६·२ प्रतिशत थी। आंकड़ों से उचित तुलना नहीं हो सकती, क्यों कि पहले दो आम चुनावों में समूचे राज्य में मतदान शलाका पद्धति से हुआ था, जब कि १९६१ में हुए मध्यावधि निर्वाचनों में, मतदान चिन्हन प्रणाली के द्वारा हुआ था। ज्यों ज्यों मतदाता चिन्हन प्रणाली से अधिक परिचित होंगे अवैध मतों का प्रतिशत कम होता जाएगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

इंग्लैंड में भारत सम्बन्धी पुस्तकों की नीलाम द्वारा बिक्री

†*१३०८. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान दिनांक २१ जुलाई, १९६१ के "हिन्दुस्तान टाइम्स" समाचार पत्र में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि सैनिक तथा ऐतिहासिक रुचि के महत्वपूर्ण चित्रों तथा केरबेरी टावर्स, मिडलोथियन (इंगलैंड) में स्थित एलफिन्स्टन फैमिली के पुस्तकालय की पुस्तकों को, जिनमें भारत संबंधी पुस्तकों का महत्वपूर्ण संग्रह शामिल है, शीघ्र ही नीलाम द्वारा बिक्री की जाने वाली है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत संबंधी पुस्तकें खरीदने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गयी हो या की जाने वाली हो तो वह क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्यमंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) जी हां ।

(ख) सरकार मामले की जांच कर रही है ।

विश्वविद्यालय अध्यापकों के वेतन क्रम

†*१३०९. **श्री तंगामणि :**
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मैसूर में हुई अपनी पिछली बैठक में लेक्चरारों, रीडरों और प्रोफेसरों के वेतन-क्रम बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया था ;

(ख) यदि हां, तो कौन कौन विश्वविद्यालय इस प्रस्ताव से सहमत हो गये हैं ;

(ग) पुनरीक्षित वेतन-क्रम क्या होंगे ; और

(घ) संशोधित हरीक्षित वेतन-क्रम किस तारीख से लागू होंगे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

मैसूर में दिसंबर १९६० में आयोजित अपनी बैठक में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केवल तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों (अलीगढ़, बनारस और दिल्ली) के अध्यापकों के वेतन मानों के संशोधन के प्रश्न पर विचार किया । राज्यों के विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के वेतन मानों के संशोधन के प्रश्न पर आयोग ने बाद में नई दिल्ली में मार्च १९६१ में अपनी बैठक में विचार किया । आयोग ने फैसला किया कि यदि विश्वविद्यालय चाहें तो वे अपने अध्यापकों को भी अप्रैल १९६१ से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिये प्रस्तावित नये वेतन मान दे सकती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तीनों केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त, निम्न राज्य विश्वविद्यालयों ने आयोग का उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है :

१. बर्दवान
२. कलकत्ता
३. कल्यानी
४. पंजाब
५. कुरुक्षेत्र
६. बिहार
७. केरल
८. श्री वेंकटेश्वर और
९. जादवपुर

संशोधित वेतन मान इस प्रकार हैं :—

प्रोफेसर .	. १०००–५०–१५०० रुपये
रीडर .	. ७००–४०–११०० रुपये
लैक्चरर . .	. ४००–३०–६४०–४०–८०० रुपये

उपरोक्त वेतन क्रम केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिये १ अप्रैल, १९६१ से लागू होते हैं और उसी तिथि से राज्य विश्वविद्यालयों के लिये लागू होते हैं यदि वे ऐसा करना चाहते हैं और ऐसा फैसला कर लेते हैं ।

राष्ट्रमंडल प्रतिरक्षा अभ्यास

†*१३१०. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री प्रभात कार :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री तंगामणि :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीनों सेनाध्यक्ष राष्ट्रमंडल प्रतिरक्षा अभ्यास में भाग लेने के लिये एक साथ ब्रिटेन गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पिछले वर्षों के अनुसार एक सामान्य प्रथा है अथवा उससे कुछ भिन्न है ;

(ग) क्या ब्रिटेन के सेना अधिकारियों द्वारा आयोजित ऐसे प्रतिरक्षा अभ्यास यूरोप में नाटो (उत्तर अटलांटिक संधि संगठन) युद्धाविधि से संबंधित हैं ; और

(घ) क्या भविष्य में राष्ट्रमंडल सेना अभ्यास में भारत का सम्मिलित होना जारी रखने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) केवल दो चीफ आफ स्टाफ, अर्थात्, सेना और वायु बल के प्रमुख इंगलैंड के सेना प्रमुखों द्वारा आयोजित अन्तर्सेना सम्मेलन (इंटर-सर्विस स्टडी) में शामिल होने के लिये इंगलेंड गये हैं।

(ख) प्रत्येक दूसरे वर्ष इंगलैंड में ऐसा अन्तर्सेना सम्मेलन (इंटर-सर्विस स्टडी होता है, जिसमें राष्ट्रमडलीय देशों के सेना प्रमुखों को आमंत्रित किया जाता है। ऐसा अध्ययन सब से पहले १९५९ में हुआ था और वायुबल के प्रमुख उस सम्मेलन में गये थे।

(ग) "स्टडी" का यूरोप में 'नाटो' युद्ध नीति से कोई संबंध नहीं है।

(घ) ऐसी "स्टडीज़" में हमारे शामिल होने का निर्णय प्रत्येक बार उसके गुण दोष के आधार पर होता है।

वैज्ञानिक अनुसन्धान

†*१३११. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए सीमित मात्रा में धन उपलब्ध होने के कारण अपनी अनुसन्धान योजनायें कार्यान्वित करने के लिए एक प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के अधीन राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं अपना अनुसन्धान कार्यक्रम बनाते समय प्राथमिकताएं निर्धारित करती हैं क्योंकि ऐसी पद्धति अनुसंधान संगठन का अत्यावश्यक क्रम होती है। इस पद्धति का योजना अवधि में उपलब्ध केवल निधियों से ही सम्बन्ध नहीं होता।

(ख) समस्यायें सरकार के विभागों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य संगठनों के द्वारा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को भेजी जाती हैं। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की कार्यपालिका परिषद प्रयोगशालाओं में उपलब्ध कर्मचारियों उपकरण, और विधियों के साधनों को ध्यान में रखते हुए प्रति वर्ष प्रयोगशालाओं के अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यक्रमों की प्राथमिकताएं निर्धारित करती हैं। कार्यक्रम लचीले रखे जाते हैं और उनमें प्रति वर्ष परिवर्तन की गुंजाइश होती है।

अध्यापकों के वेतनों में सुधार

†*१३१२. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री १० अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १४१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्कूलों, कालिजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतन में सुधार करने के प्रस्तावों की जांच पड़ताल करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सुझाव पर विचार किया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां।

(ख) समिति स्थापित न करने का फैसला किया गया है।

बीमा कर्मचारियों की मांगें

†*१३१३. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री साधन गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री तंगामणि :

क्या वित्त मंत्री १० अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १४२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जीवन बीमा निगम के क्षेत्र कर्मचारियों (फील्ड स्टाफ) की विभिन्न मांगों की जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं। क्षेत्रीय कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर विचार करने के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा नियुक्त समिति का प्रतिवेदन सरकार को पेश किया जाना जरूरी नहीं है।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

बुनियादी स्कूलों के अध्यापकों के लिये स्रोत पुस्तकें

१३१४. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुनियादी स्कूलों के अध्यापकों के लिये स्रोत पुस्तकें तैयार करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये कितने लेखक चुने गये हैं ; और

(ग) क्या अब तक कोई पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) समाज विज्ञान और सामान्य विज्ञान—दो विषयों में स्रोत पुस्तकें तैयार करने का काम आरम्भ कर दिया गया है।

(ख) २२।

(ग) जी, नहीं।

रूरकेला इस्पात कारखाना

†*१३१५. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात कारखाना अन्य इस्पात कारखानों, भिलाई और दुर्गापुर के समान स्तर पर नहीं चल रहा है, ऐसा कहा जाता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ऐसा होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति संभालने के लिए क्या कार्यवाही की गयी हैं या की जायेगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). रूरकेला संयंत्र को अपने भाग से अधिक प्रारम्भिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है । यह अन्य दो की अपेक्षा अधिक पेचीदा संयंत्र है और इसके संचालन के लिए ऊंचे दर्जे की योग्यता की जरूरत है । यद्यपि हिन्दुस्तान इस्पात के लोगों को प्रशिक्षण दिया है, उनके पास पर्याप्त योग्यता नहीं है, जो केवल अनुभव के द्वारा प्राप्त की जा सकती है । इस कठिनाई को दूर करने के लिये, हिन्दुस्तान इस्पात कम्पनी इस संयंत्र को चलाने और कायम रखने तथा विभिन्न इकाइयों को कुशलतापूर्वक चलाने के लिये कम्पनी के शिल्पियों को प्रशिक्षण देने के लिये अधिक उच्च विदेशी शिल्पियों को लगा रही है ।

मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन, में किये गये निर्णय

†*१३१६. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, १९६१ में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में किये गये निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) सरकार का जनता के नेताओं का प्रस्तावित सम्मेलन कब बुलाने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के निर्णय सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सम्बद्ध मंत्रालयों और भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त को भेज दिये गये हैं, जो निस्संदेह उनको यथासमय कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

(ख) राष्ट्रीय एकता सम्बन्धी बड़ा सम्मेलन २८ और २९ सितम्बर १९६१ को करने का विचार है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के मुख्यालय का अन्य स्थान पर ले जाया जाना

†*१३१७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम में शिवसागर में स्थित तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय जोरहाट ले जाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सचिवालय सेवा

१३१८. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा को प्रशासित करने के लिये कोई संविहित नियम नहीं बनाये गये हैं जब कि उसके कर्मचारी पिछले दस वर्षों से कार्य कर रहे हैं और आजकल इनकी संख्या लगभग ८००० है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकारी कर्मचारियों में संवैधानिक आभारों की पूर्ति न करने के कारण बड़ा असन्तोष है ; और

(घ) ये नियम कब तक अन्तिम रूप से तैयार हो जायेंगे तथा प्रकाशित हो जायेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). कुछ वर्ष पहले केन्द्रीय सचिवालय सेवा के लिये संविहित नियम (स्टेचूटरी रूल्स) बनाने का कार्य आरम्भ किया गया था किन्तु वह पूरा नहीं हो सका क्योंकि केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना के मूल व्यवस्थाओं (ओरिजनल प्रोविजन्स) में कुछ बदलाव करने के बारे में समय समय पर विचार-विमर्श होता रहा ।

(ग) सरकार को इसकी सूचना नहीं है ।

(घ) हाल के निर्णय के कारण केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में कुछ और परिवर्तन करने पर विचार करना है जिससे कि सम्बन्धित मंत्रालयों और विभागों को सेक्शन अफसरों के स्तर तक के कर्मचारियों के निर्देशन का अधिकार दे दिया जाये । जब इन परिवर्तनों को लाने के बारे में निर्णय हो जायेगा तब ही नियमों को अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

अफीम का निर्यात

†३६२०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में नियत की गई अफीम की कुल मात्रा और मूल्य क्या है ; और

(ख) १९६१–६२ का निर्यात कार्यक्रम क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) ५९६ टन जिसका मूल्य लगभग ४.४९ करोड़ रुपए है ।

(ख) ६५० टन जिसका मूल्य लगभग ४.९१ करोड़ रुपए है ।

विकास ऋण निधि

†३६२१. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री चुनी लाल :

क्या **वित्त** मंत्री १८ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३४९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास ऋण निधि से औद्योगिक वित्त निगम के लिए २०० लाख डालर का ऋण प्राप्त करने के लिए हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : बातचीत अभी चल रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राभिलेख विधान सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

†३६२२. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री तंगामणि :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री क० भे० मालवीय :

क्या शिक्षा मंत्री १८ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित प्राभिलेख विधान सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). प्रतिवेदन की अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों और प्रशासनों, सरकारी उद्योग क्षेत्र के प्रमुख उपक्रमों आदि से मिलकर जांच की जा रही है। इस बीच में समिति की भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की गवेषणा छात्रवृत्ति योजना को खत्म करने की सिफारिश स्वीकृत एवं क्रियान्वित की गई है। गैर सरकारी प्राभिलेखों के प्रव्रजन एवं अनधिकृत निर्यात को रोकने के लिए प्राचीन वस्तु निर्यात नियंत्रण अधिनियम, १९४७ में संशोधन से सम्बन्धित एक अन्य सिफारिश भी स्वीकार कर ली गई है।

मद्रास का खनिज सम्बन्धी विकास

†३६२३. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :
श्री सुब्बया अम्बलम् :
श्री मुरारका :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री १८ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास सरकार द्वारा खनिज विकास और एक कच्चे लोहे के संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में पेश की गई योजना पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). मद्रास सरकार ने अपने राज्य में खनिज निक्षेपों और भूमिगत जल संसाधनों की खोज के लिए राष्ट्र संघ विशेष निधि से सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव किया था। प्रस्ताव की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि मद्रास सरकार

---

†मूल अंग्रेजी में

जो खोज कार्य प्रारंभ करना चाहती है वह भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण, भारतीय खनिज विभाग और खान तथा प्राकृतिक गैस आयोग जैसे केन्द्रीय सरकार के संगठनों के सामान्य कृत्यों में आता है और ये संगठन यह कार्य करने के लिए भली प्रकार सज्जित हैं। मद्रास सरकार को स्थिति सूचित कर दी गई है।

जैसा कि मैंने १८ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५९० के उत्तर में बताया था, कच्ची सामग्री की, कच्चे लोहे के लाभपूर्ण निर्माण के लिए, उपयुक्तता निश्चित करने की दृष्टि से निवेली के लिगनाइट का प्रयोग करने वाले कच्चे लोहे के संयंत्र के संबंध में अभी प्रारंभिक खोज जारी है। निवेली लिगनाइट निगम के नवीनतम प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि लिगनाइट का बड़े पैमाने पर निकाला जाना इस वर्ष के अन्त तक प्रारंभ होगा। बड़े पैमाने के वाणिज्यिक परीक्षण उसके पश्चात् ही किए जा सकते हैं।

सरकारी संगठनों का नामकरण

†३६२४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुन्नी लाल :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १८ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३४३७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नए सरकारी संगठनों का नाम शुरू से ही भारतीय भाषाओं में रखने के संबंध में अंतिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय किस प्रकार का है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). जी नहीं, परन्तु इस प्रश्न पर सक्रियतापूर्वक विचार किया जा रहा है।

दिल्ली में नगरीय बेसिक स्कूल

†३६२५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री कुन्हन :
श्री नारायणन कुट्टि मेनन :

क्या **शिक्षा** मंत्री १८ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३४४१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक नगरीय बेसिक स्कूल की स्थापना संबंधी ब्यौरा तैयार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख) दिल्ली में एक नगरीय बेसिक स्कूल की स्थापना की योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। परन्तु दिल्ली प्रशासन का पहले कक्षा १ से कक्षा ५ तक का स्कूल खोलने का प्रस्ताव है जिसमें निम्नलिखित शिल्पों की शिक्षा की जाएगी :

(१) लकड़ी का काम, कागज और गत्ते का काम ;

(२) चमड़े का काम ;

(३) मिट्टी का काम ;

(४) कागज की लुग्दी से खिलौने बनाने का काम ;

(५) बागवानी ;

उस स्कूल को कालान्तर में हायर सेकण्डरी स्तर का बना देने का विचार है।

सोहागा के निक्षेप

†३६२६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १८ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५८१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लद्दाख और जम्मू तथा काश्मीर में पाए गए सोहागा के निक्षेपों को उचित रूप से निकालने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). लद्दाख के सोहागा के निक्षेपों को उचित रूप से निकालने के प्रश्न पर जम्मू तथा काश्मीर सरकार ध्यान दे रही है।

चण्डीगढ़ में सैनिक हवाई अड्डा

†३६२७ **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १८ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३४५१ के उत्तर के संबंध बताने की कृपा करेंग कि चण्डीगढ़ में सैनिक हवाई अड्डे की स्थापना में क्या अग्रेतर प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : चण्डीगढ़ में विमान सेना का नियमित अड्डा बन गया है। आवश्यक निर्माण कार्य सेवाओं के उपबन्ध के लिए कार्यवाही जारी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

महाराष्ट्र में हिन्दी प्रचार

†३६२८. **श्री पांगरकर:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य को राज्य में हिन्दी के प्रचार के लिए वर्ष १९६०–६१ में किस प्रकार की सहायता दी गई है ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कितनी राशि आवण्टित की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) १९६०–६१ में निम्नलिखित अनुदान मंजूर किए गए थे :

(१) राज्य के हाई और हायर सेकण्डरी स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए ४५,८०४ रुपए ; और

(२) चार हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र चालू करने के लिए ३६,४८० रुपए ।

इसके अतिरिक्त राज्य क्षेत्र की "हिन्दी प्रचार" योजना के लिए भी केन्द्रीय सहायता दी गई थी । वास्तविक राशि ज्ञात नहीं है क्योंकि चालू प्रक्रिया के अन्तर्गत योजनावार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(ख) केन्द्रीय सहायता का आवण्टन वार्षिक योजनाओं के आधार पर किया जाता है। १९६१–६२ के लिए भाग (क) में उल्लिखित (१) और (२) योजनाओं के लिए आवण्टन राज्य सरकार द्वारा ब्यौरा पेश किए जाने के पश्चात् किए जायेंगे । १९६१–६२ की योजना में हिन्दी प्रचार के लिए राज्य के क्षेत्र में कोई योजना नहीं है ।

अभ्रक उद्योग

†३६२९. **श्री पांगरकर** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में वर्ष १९६०–६१ में अभ्रक उद्योग का विकास करने के लिए क्या निर्दिष्ट कदम उठाए गए हैं ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में इस प्रयोजन के लिए कुल कितना व्यय किया गया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली के अध्यापकों के बच्चों को रियायतें

३६३०. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के अध्यापकों के बच्चों को उनकी शिक्षा के संबंध में कुछ रियायतें दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन रियायतों में उन्हें अध्यापकों के पद पर नियुक्त करने के लिये प्राथमिकता देना भी शामिल है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह सुझाव विचाराधीन नहीं है

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों का विकास

३६३१. श्री खुशवक्त राय : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के तीन नवसंगठित जिलों के विकास के लिये कितना रुपया तृतीय पंच-वर्षीय योजना में रखा गया है ;

(ख) इनमें से कितना केन्द्रीय सरकार देगी और कितना राज्य सरकार ; और

(ग) यह रुपया मदवार किन-किन कामों में कितना-कितना खर्च होगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दातार) : (क) २८ करोड़ रुपये ।

(ख) इस उद्व्यय[1] से निम्न प्रकार के अनुपातों में आर्थिक सहायता दी जाएगी :—

(१) इस क्षेत्र के विकास पर राज्य सरकार द्वारा सामान्यत : खर्च की जाने वाली प्रत्याशित आठ करोड़ रुपये की राशि का उदव्यय	५० प्रतिशत ऋण
(२) शेष बीस करोड़ रुपये	७५ प्रतिशत अनुदान २५ प्रतिशत ऋण

(ग) १९६१–६२ के लिए स्वीकृत आवंटन (allocation) का एक विवरण पत्र संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । [देखिये संख्या एल० टी० ३२४१/६१]** आगामी वर्षों के संबंध में निर्णय प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में किए जायेंगे ।

आदिवासी तथा हरिजन कल्याण

†३६३२. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में आदिवासियों तथा हरिजनों के कल्याण के लिए दिए गए केन्द्रीय अनुदानों में से किन किन गैर सरकारी संगठनों को धन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) ऐसे प्रत्येक संगठन को १९५६–५७, १९५७–५८, १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में कितनी राशि दी गई थी ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ३२४२/६१]**

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद्

†३६३३. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Outlay.

(क) क्या पूर्वी क्षेत्रीय परिषद ने रूरकेला में एक प्रादेशिक मेडिकल कालेज की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही के संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). लोक सभा में ४ सितम्बर, १९६१ को प्रश्न संख्या ३१७६ के उत्तर में यह कहा गया था कि जनशक्ति समिति ने यह सिफारिश की थी कि उड़ीसा में एक प्रादेशिक मेडिकल कालेज स्थापित किया जाना चाहिये। परिषद द्वारा इस संबंध में किए गये निर्णय के अनुसार, समिति की सिफारिश भारत सरकार के पास भेज दी गई थी। मामले की जांच की जा रही है।

आन्ध्र प्रदेश में सोना

†३६३४. श्री मं० वें० कृष्णराव : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में कुछ सोने के निक्षेप पाए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितनी मात्रा का पता लगा है ;

(ग) क्या उन क्षेत्रों के विस्तृत सर्वेक्षण की कोई योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उस योजना की लागत क्या है ?

†इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हां, श्रीमन्।

(ख) जिस क्षेत्र में खोज की गई है उसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

चित्तुर जिले में बिसनाथम् क्षेत्र में १:१५,८०४ पैमाने पर ४१·४४ वर्ग किलोमीटर का मानचित्रण और अनन्तपुर जिले में रामगिरि क्षेत्र में १:७९२० पैमाने पर ११.७ वर्ग किलोमीटर का मानचित्रण।

(ग) बिसनाथम् क्षेत्र का कार्य भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा पूरा किया जा चुका है और वह क्षेत्र ऐसा नहीं पाया गया है जिसमें सोना निकलने की आशा हो।

भारतीय खानि विभाग दिसम्बर, १९६० से रामगिरी की सोने की पट्टी का विस्तृत अनुसंधान कर रहा है और वह कार्य तीसरी योजना अवधि में जारी रखा जा रहा है।

(घ) विभिन्न राज्यों में भूतत्वीय सर्वेक्षण करने के लिये कोई पृथक वित्तीय उपबन्ध नहीं किया जाता है और जो व्यय होता है वह भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण / भारतीय खानि विभाग की समस्त देश के लिए मंजूर किए गए अनुदानों में से दिया जाता है।

कोयम्बटूर जिले में लौह अयस्क

†३६३५. श्री नंजप्प : क्या स्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य के कोयम्बटूर जिले में यादकंजी मलाई में लौह अयस्क निक्षेप पाए गए हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उपलब्ध लौह अयस्क निक्षेपों की मात्रा और किस्म के संबंध में कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण अथवा परीक्षण किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन परीक्षणों के क्या परिणाम निकले ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अवशिष्ट कार्य

†३६३६. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश न्यायालय में इस समय कितने मामले निर्णय के लिये लम्बित हैं ; और

(ख) उन मामलों के निपटारे के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त

†३६३७. **श्री सिदय्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त द्वारा अपने १९५८–५९ और १९५९–६० के प्रतिवेदन में की गई विभिन्न सिफारि ों पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन सभा पटल पर रखा गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त द्वारा अपने १९५८–५९ के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही का विवरण २४ अप्रैल, १९६१ को सभा पटल पर रखा गया था । १९५९–६० के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही का विवरण आयुक्त के १९६०–६१ के प्रतिवेदन के संसेद के समक्ष रखे जाने के समय सभा पटल पर रखा जायेगा ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त

†३६३८. **श्री सिदय्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त ने अपना वर्ष १९६०–६१ का प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) आयुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन के राष्ट्रपति को पेश किये जाने की तारीख प्रति वर्ष ३० सितम्बर होती है।

रूरकेला इस्पात संयंत्र

†३६३९ **श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूरकेला के कार्य के मूल्यांकन के लिये नियुक्त फ्रांसीसी विशेषज्ञों के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). सरकार ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के उत्पादन आयोजन एवं औद्योगिक इंजीनियरिंग विभागों, जिनकी वे स्वतंत्र रूप से स्थापना करना चाहते हैं, से संबंधित सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय नोट कर लिया है।

दिल्ली में तम्बुओं में स्कूल

३६४०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के उन स्कूलों के लिये, जो तम्बुओं में चलाये जा रहे हैं, भवन बनाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) कितने स्कूलों के लिये भवन बना दिये गये हैं ; और

(ग) शेष स्कूलों के लिये कब तक भवन बनाये जाने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में ६५ स्कूल भवनों का निर्माण कराया जिनमें से ५३ भवन उन स्कूलों के लिये थे जो तम्बुओं में चलाये जा रहे थे। इस समय दिल्ली प्रशासन के ३४ स्कूल ऐसे हैं जो अभी भी तम्बुओं में चल रहे हैं। इनमें से १३ इसी वर्ष खोले गये हैं।

(ग) इन ३४ स्कूलों में से ९ के लिये भवन निर्माण किये जा रहे हैं, और ६ के लिये गैर सरकारी भवन प्राप्त किये जा रहे हैं। आशा है कि शेष स्कूलों के लिये भवन निर्माण का कार्य इस वर्ष आरम्भ कर दिया जायेगा यदि इनके लिये उपयुक्त भूमि मिल गई।

आई० एम० एस० अधिकारी

†३६४१. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ चिकित्सा अधिकारियों को, जिन्हें पिछले युद्धकाल में आई० एम० एस० (भारतीय चिकित्सा सेवा) में एमरजेंसी कमीशन दिया गया था, स्थायी कमीशन दिये जाने पर १९५५ और आगामी वर्षों में चिकित्सा अधिकारियों की कमी के कारण अपनी दो वर्षों की वरिष्ठता छोड़नी पड़ी थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) क्या यह भी सच है कि समस्त अन्य सशस्त्र बल सेवाओं में भारतीय सेना में पूरे वेतन को कमीशन्ड सेवा उन्हीं समान परिस्थियों में स्थायी कमीशन दिये जाते समय कमीशन की वरिष्ठता में पूरी गिना जाती थी ; और

(ग) यदि हां, तो पहले अधिकारियों को उनकी उचित वरिष्ठता दिलाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है ।

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियां करने के लिये ए० एम० सी० (आर्मी मेडिकल कोर) के पर्याप्त वरिष्ठता वाले अधिकारियों की उपलब्धता के संबंध में भविष्य में गंभीर परिस्थिति उत्पन्न होने से रोकने और संवर्ग के समायोजन के लिए १९५५ में आर्मी मेडिकल कोर के समस्त अस्थायी अधिकारियों, कुछ एमरजेंसी कमीशन आई० एम० एस० (भारतीय चिकित्सा सेवा) के अधिकारियों को सम्मिलित करके, को स्थायी कमीशन देने की दृष्टि से एक विशेष प्रवरण बोर्ड के सामने पेश करने का निर्णय किया गया था। वे सामान्य नियमों के अन्तर्गत स्थायी कमीशन के लिये योग्य नहीं थे और पहले स्थायी कमीशन के प्रवरण के संबंध में असफल रहे थे। यही नहीं पहले के स्थायी कमीशन प्राप्त एमरजेंसी कमीशन के अधिकारियों की तुलना में उन्हें अधिक समय तक ऊंचा वेतन मिल चुका था क्योंकि पहले एमरजेंसी कमीशन के अधिकारियों के लिए अधिक उदार नियम थे। यह दो वर्षों की कटौती इस दृष्टि से की गई थी कि वरिष्ठता और वेतन के संबंध में उनकी स्थिति पहले प्रवरण किए जा चुके अधिकारियों के समान हो जाये जो सामान्य नियमों के अन्तर्गत स्थायी कमीशन प्राप्त करने के लिए सब प्रकार से योग्य हैं। उन्हें उनकी बराबरी में लाना अन्याय समझा गया। बाद में भी इसी सिद्धांत का पालन किया गया है। चिकित्सा और गैर-चिकित्सा अधिकारियों की सेवा शर्तें भिन्न भिन्न हैं इसलिये दोनों की श्रेणियों की तुलना नहीं की जा सकती। फिर भी स्थायी कमीशन प्राप्त गैर-चिकित्सा एमरजेंसी कमीशन के अधिकारियों की वरिष्ठता के लिये पूरे वेतन की पिछली कमीशन्ड सेवा गिनी जाती थी परन्तु उन्हें २१ वर्ष की अवस्था के पूर्व की गई ९ महीने की सेवा, यदि कोई हो, छोड़नी पड़ती थी ।

(ग) नहीं श्रीमान्। परन्तु केवल वेतन में वृद्धि के प्रयोजन के लिए समस्त पूरे वेतन की कमीशन्ड सेवा को मान्यता देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

पठानकोट के सैनिक स्टोरों के लिए मिलावट वाली शराब (रम)

†३६४२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में सेना सुरक्षा सेवा ने पठानकोट के सैनिक स्टोरों के लिए मिलावट वाली शराब (रम) भेजने का कोई मामला पकड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई जांच का क्या परिणाम निकला ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) नहीं, श्रीमान् । ऐसा कोई मामला हमारी जानकारी में नहीं आया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विस्फोटक पदार्थों सहित गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध मामला

†३६४३. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २१ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १६७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ९ अप्रैल, १९६१ को विस्फोटक पदार्थों सहित गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध मामले की जांच कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). अपराधी को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा दे दी गई है ।

भाषाई अल्पसंख्यक

†३६४४. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री १ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४२०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार के मुख्य मंत्रियों तथा उड़ीसा के राज्यपाल की एक बैठक हुई थी जिसमें इन चारों राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार के बारे में अन्तरराज्यीय समझौते के बारे में बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बातचीत का सारांश क्या था; और

(ग) बातचीत के परिणाम क्या निकले ?

†**गृह-कार्यमंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में कोयले की कमी

†३६४५. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में छोटे कोयले की बहुत कमी आ गई है जिसके परिणाम-स्वरूप ईंट भट्ठा उद्योग एकदम ठप्प हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो पंजाब में छोटे कोयले के संभरण के लिए क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) सरकार को पंजाब में ईंट पकाने के कोयले की कमी के समाचार मिले हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) राज्य में (छोटे कोयले समेत) कोयले के सम्भरण को बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

१. गत जुलाई से लगभग २०० वैगन प्रति दिन मुगलसराय से ऊपर की ओर कोयले के लदान के लिए रेल परिवहन क्षमता बढ़ा दी गई है ।

२. राज्य सरकार के परामर्श से ईंट पकाने के कोयले, घरेलू कोयले तथा छोटे पैमाने के उद्योग के कोयले का ब्लाक रेक्स तथा हाफ रेक्स में आयोजित लदान करने की व्यवस्था की गई है ।

३. छहेरटा (अमृतसर) तथा भटिंडा में कोयले का भांडार बनाया गया है और इन स्थानों पर कोयला भेजना शुरू कर दिया गया है ।

इन कार्यवाहियों के कारण पंजाब में कोयले का उत्तम संभरण हो रहा है । उदाहरणतः जुलाई में १५६३ वैगन ईंट पकाने का कोयला पंजाब में आया जबकि जून में केवल १०४२ वैगन आया था । अगस्त महीने के लिए १६७५ वैगन ईंट पकाने के कोयले का इकट्ठा आवंटन कर दिया गया है ।

पाकिस्तान से धर्म नगर खजाने के पोतदार का निकाला जाना

†३६४६. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** २१ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १६६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गबन के मामले में सम्बद्ध तथा पाकिस्तान से गिरफ्तार त्रिपुरा धर्मनगर खजाने के पोतदार को भारत में वापस लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) इसके परिणाम क्या निकले हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). पूर्वी पाकिस्तान अधिकारियों से अभी पत्र व्यवहार हो रहा है ।

दिल्ली में राजघाट के निकट आग

†३६४७. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने २० अप्रैल, १९६१ को राजघाट के निकट लगी आग के कारणों की जांच कर ली है ?

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) दिल्ली के नगर निगम ने जांच की थी ।

(ख) जांच से पता लगा कि आग केवल दुर्घटना से लगी थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रबन्ध संस्थायें

†३६४८. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और अहमदाबाद में स्थापित प्रबन्ध संस्थाओं के समान प्रबन्ध संस्थायें स्थापित करने के लिए तीसरी योजना में कोई योजना रखी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के ब्यौरे क्या हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) तीसरी योजनावधि में कलकत्ता और अहमदाबाद में केवल दो प्रबन्ध संस्थायें स्थापित करने का विचार है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विदेशी तेल समवायों का भारतीयकरण

†३६४९. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १० अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १४१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में किसी विदेशी तेल समवाय ने अपने यहां पूरी तरह भारतीय कर्मचारियों को रखना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे समवाय कौन कौन से हैं ; और

(ग) योजना के ब्यौरे क्या हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) से (ग). भारतीयकरण करने की सरकारी नीति के विदेशी स्वामित्व प्राप्त/नियंत्रित तेल समवाय धीरे धीरे अपने विदेशी कर्मचारियों की संख्या कम कर रही है तथा उच्च पदों में भारतीय कर्मचारियों की संख्या बढ़ा रही है । अतारांकित प्रश्न संख्या २२६१ के उत्तर में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने ७-९-१९६० को विदेशी तेल समवायों समेत सभी विदेशी समवायों में भारतीय कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए निश्चित खुलासा सिद्धान्तों को बताने वाला ब्यौरेवार विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जा चुका है ।

भारत तथा पाकिस्तान के बीच तस्कर व्यापार

†३६५०. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान को रेशम तथा पाकिस्तान से भारत को काली मिर्च और लौंग का तस्कर व्यापार बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) मई से जुलाई, १९६१ तक तस्कर व्यापार के कितने मामलों का पता लगा है ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) पकड़ी गई वस्तुओं के आंकड़ों से पता लगा है कि भारत से पाकिस्तान को रेशम तथा पाकिस्तान से भारत को काली मिर्च तथा लौंग का तस्कर व्यापार कुछ बढ़ गया है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) जब इस प्रकार के मामलों का पता लगता है तो वस्तुओं को जब्त कर लिया जाता है और अपराधियों पर भारी जुर्माना किया जाता है। कुछ मामलों में अदालत में अपराधियों पर मुकदमा चलाया जाता है। सीमा पर निवारक कार्यवाही बढ़ा दी गई है।

(ग) रेशम के बारे में	२१
काली मिर्च के बारे में	९
लौंग के बारे में	८३

शिक्षा प्रशासक

†३६५१. **श्री कोडियान :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्रशिक्षित शिक्षा प्रशासकों की कमी दूर करने के लिए कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, हां।

(ख) भारत में क्षेत्रीय केन्द्र (यूनैस्को की सहायता से) बनाने की योजना पर विचार किया जा रहा है जिसमें शिक्षा प्रशासकों, आयोजकों, तथा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

कई प्रशिक्षण कालिजों में शिक्षा प्रशासन का विषय निर्धारित कर दिया है। सेवा के प्रशिक्षण के लिए गोष्ठियों का संगठन भी किया गया है।

कोयला परिषद्

†३६५२. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला परिषद् द्वारा कनिष्ठ प्रविधिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए निगम द्वारा १० नये स्कूल स्थापित करने की सितम्बर, १९५९ में की गई सिफारिश पर राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया; और

(ग) १९६१–६२ में कितने नये स्कूल खोले जायेंगे ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) से (ग). कनिष्ठ प्रविधिक कर्मचारियो के प्रशिक्षण के लिए निगम अब करगली, गिरिडीह, कुरासिया, तालचेर तथा भुरकुंडा में पांच खनन प्रशिक्षण स्कूल चला रहा है। इन पांचों स्कूलों में अब पहले से दुगने विद्यार्थी प्रविष्ट होते हैं और इनमें तीसरी योजना के पहले तीन वर्षों के लिए निगम की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त कनिष्ठ प्रविधिक कर्मचारियों की व्यवस्था की जायेगी। इस समय निगम का विचार इन स्कूलों की संख्या बढ़ाने का नहीं है। तीसरी योजना के दूसरे वर्ष के अन्त तक स्थिति पर पुनः विचार होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

दरीबों और खेत्री में तांबे का खनन

†३६५३. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरीबों तथा खेत्री में तांबा अयस्कों के खनन के लिए योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) ३१ मार्च, १९६१ के अन्त तक कितना अनुमानित उत्पादन हुआ; और

(ग) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में अयस्क के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). जी, हां । दरीबों तथा खेत्री में तांबा निक्षेपों की खोज का काम राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को सौंपा गया है । दरीबों में भारतीय खान ब्यूरो खनन खोज कार्य कर रहा है तथा आशा है कि खेत्री क "स्मैल्टर" (धातु गलाने का कारखाना) तथा "रिफाइनरी" (धातु शोधक कारखाना) में उत्पादन आरम्भ हो जाने पर इस क्षेत्र में उत्पादन होगा । खेत्री के सम्बन्ध में निगम ने अमरीका की 'मैसर्स वैस्टर्न नैप इंजोनियरिंग कम्पनी' को सलाहकार नियुक्त किया है । आशा है कि परियोजन प्रतिवेदन १९६१ के अन्त तक मिल जायेगा और विद्युदंशिक (इलैक्ट्रोलिटिक) तांबे के उत्पादन के आरम्भिक कार्य १९६४ के मध्य से आरम्भ हो जायेंगे । दरीबों तथा खेत्री खानों से प्रति वर्ष ११,५०० टन विद्युदंशिक (इलैक्ट्रोलिटिक) तांबे के उत्पादन का अनुमान है ।

(ग) जी, नहीं । सलाहकारों द्वारा परियोजना प्रतिवेदन पर ब्योरेवार विचार कर लिए जाने के बाद लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे ।

सीमावर्ती जिले

३१५४. **श्री भक्त दर्शन :** क्या गृह-कार्य मंत्री २८ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी सीमान्त क्षेत्र में जिन छः नये जिलों की स्थापना की गई थी, उनमें से प्रत्येक में विशेष विकास कार्यक्रम के कार्यान्वित करने में ३१ मार्च, १९६१ तक क्या प्रगति हुई थी;

(ख) उन जिलों के लिये जो धन स्वीकृत किया गया था, उनमें से कितने रुपये उक्त तिथि तक वास्तव में व्यय हो पाये थे;

(ग) सन् १९६१-६२ के वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष में उनमें से प्रत्येक जिले के लिये किस प्रकार का विशेष विकास कार्यक्रम स्वीकार किया गया है और उसके विभिन्न कार्यक्रमों के लिये कितनी धन-राशियां निश्चित की गई हैं; और

(घ) उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में इस वर्ष कहां तक सफलता मिली है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). चार विवरण पत्र संलग्न हैं । **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी०—३२४३/६१ ।]**

(ग) और (घ). १९६१-६२ में उत्तर प्रदेश के उत्तराखण्ड डिवीजन में कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नई योजनाओं का एक विवरण पत्र संलग्न है । पंजाब व काश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

छावनी बोर्ड

३६५५. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २० दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २०७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लैंसडाउन, लंढौर, नैनीताल, अलमोड़ा, रानीखेत, देहरादून, चकरौता और क्लीमेंट टाउन के छावनी बोर्डों को वर्ष १९६०–६१ के लिये जो अनुदान दिये गये थे उनका कहां तक और किस प्रकार उपयोग किया गया; और

(ख) प्रत्येक उक्त छावनी बोर्ड को १९६१–६२ के लिये किन-किन विकास कार्यों के लिये कितने-कितने अनुदान की स्वीकृति दी गई है ?

प्रतिरक्षा उप-मंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७०।]**

•

विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियम

†३६५६. श्री पांगरकर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०–६१ में विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करने के कारण कुछ व्यक्तियों पर अभियोग लगाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों पर अभियोग लगाया गया; और

(ग) कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मामले खत्म कर दिये गये ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). १ अप्रैल, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक की अवधि में 'विदेशी मुद्रा सम्बन्धी' विनियमों का उल्लंघन करने के लिए अदालतों में २०० व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायतें की गई हैं।

(ग) १३ ।

केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

†३६५७. श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि केरल उच्च न्यायालय में पर्याप्त न्यायाधीश नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का कोई विचार है; और

(ग) केरल उच्च न्यायालय में इस समय कितने मुकदमे लम्बित हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) १ जुलाई, १९६१ को १५५७३ दीवानी तथा ६१६ फौजदारी मुकदमे लम्बित थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूसी वनस्पति शास्त्री

†३६५८. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० पैट्रलपिन के सभापतित्व में रूसी वनस्पति शास्त्रियों के एक दल ने भारत का दौरा किया था ;

(ख) क्या उन्होंने अखबारी कागज तथा अन्य वस्तुओं के निर्माण में कच्ची सामग्री के रूप में काम में लाने के लिए भारत में फर वृक्ष उगाने के बारे में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो प्रतिवेदन के ब्यौरे क्या हैं; और

(घ) इन सिफारिशों के बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी हां । प्रो० एन० ए० एवटोरिन के सभापतित्व में ६ रूसी वनस्पतिशास्त्रियों के दल ने भारत का दौरा किया था । डा० पेट्रलपिन उस दल में नहीं थे ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

इम्फाल नगर

†३६५९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के इम्फाल नगर में, इम्फाल नगरपालिका के अन्दर बाजार क्षेत्र में भूमि का निरंकुश रूप में निबटारा करने के बारे में क्या सरकार को शिकायतें मिली हैं;

(ख) मुख्य आयुक्त द्वारा स्वीकृत बोर्ड के संकल्प का उल्लंघन करके इम्फाल नगरपालिका बोर्ड के परामर्श के बिना व्यक्तियों को प्लाट दे दिये गये हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार नगरपालिका तथा बोर्ड की सामान्य प्रक्रिया तथा निबटारे के सामान्य नियमों के अनुसार निबटारे के मामलों पर पुनः विचार करने का है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) इम्फाल में हाल में किये गये भूमि आबंटन के बारे में कुछ अभ्यावेदन मिले हैं ।

(ख) और (ग). शिकायतों की जांच की जा रही है ।

आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए स्टैनोग्राफी के लिए छात्रवृत्तियां

†३६६०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र की योजनाओं के अधीन आन्ध्र में अनुसूचित जाति के स्टैनोग्राफी की छात्रवृत्ति पाने वाला कोई भी व्यक्ति स्टैनोग्राफी में अर्हता प्राप्त नहीं कर सका;

(ख) टैक्नीकल शिक्षा के निदेशक, आन्ध्र प्रदेश द्वारा ली गई टैक्नीकल परीक्षाओं के परिणामों का पुनर्विलोकन क्या है तथा क्या उसको केन्द्र सरकार को भेजा गया था; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह छात्र वृत्ति उनको मिलती रही है जो इस स्टैनोग्राफिक छात्रवृत्ति के अधिकारी नहीं थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). राज्य सरकार से अपेक्षित जानकारी मंगाई गई है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

तस्कर व्यापारी

†३६६१. { **श्रीमती इलापाल चौधरी :**
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी से ३० जून, १९६१ तक पाकिस्तानी सीमा पुलिस द्वारा कितने भारतीय तस्कर व्यापारी गिरफ्तार किए गए तथा/अथवा गोली से मार डाले गये तथा कितने पाकिस्तानी तस्कर व्यापारी भारतीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तथा/अथवा गोली से मार डाले गये और १९६० की इसी अवधि के आंकड़े क्या थे ; और

(ख) उनसे किस प्रकार की तस्कर व्यापार द्वारा लाई गई वस्तुयें पकड़ी गईं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७१]**

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय

३६६२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय दोनों के नाम साम्प्रदायिक हैं ;

(ख) क्या इन के नामों में परिवर्तन करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) विषय विचाराधीन है ।

(ग) जी, नहीं ।

बीमा विभाग शिमला

†३६६३. **श्री मुरारका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के बाद से बीमा विभाग, शिमला के पास बहुत कम काम रह गया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस विभाग का पुनर्गठन करने का है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो किस रूप में ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

विशेष राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों का जारी किया जाना

†३६६४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंडक परियोजना के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए विशेष राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). विशेष प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए हैं परन्तु उस क्षेत्र में जो प्रमाणपत्र बेचे गये उन पर 'गंडक परियोजना' शब्द छाप दिए गए थे । परन्तु यह खरीदार पर था कि वह इनको खरीदें अथवा सादे खरीदें ।

अमरीकी गैर-सरकारी पूंजी का विनियोजन

†३६६५. { **श्री बहादुर सिंह :**
श्री नेक राम नेगी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना की क्रियान्विति में अमरीका के बैंकरों तथा उद्योगपतियों ने कितनी गैर-सरकारी पूंजी लगाई है ; और

(ख) क्या भारत के वित्त मंत्री और अमरीका के बैंकरों और उद्योगपतियों के बीच इस संबंध में पिछले वर्ष न्यूयार्क में कोई बातचीत हुई थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना की क्रियान्विति में अमरीकी बैंकरों तथा उद्योगपतियों द्वारा कितनी गैर-सरकारी पूंजी लगाई जायेगी इसका अनुमान बताना संभव नहीं है क्योंकि भारत में गैर-सरकारी फर्मों तथा अमरीकी बैंकरों तथा उद्योगपतियों को इस संबंध में बहुत सी बातों पर विचार करना होगा । जैसे किन परियोजनाओं में उनका धन लगेगा, तीसरी योजना में उन परियोजनाओं की क्या प्राथमिकता है विदेशी सहयोग के प्रत्येक मामले पर सरकार की स्वीकृति लेनी होगी ।

(ख) जी नहीं । बैंकरों तथा उद्योगपतियों से मिलने में उनका उद्देश्य यह था कि उनको पहली तथा दूसरी योजनाओं की प्रगति तथा तीसरी योजना के उद्देश्य बतायें और देश की आर्थिक क्षमता का पूरा-पूरा हवाला दें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मंत्रियों की विदेश यात्रा

३६६६. { **श्री खुशवक्त राय :**
श्री कुन्हन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक-सभा के गत सत्रावसान के बाद ७ अगस्त, १९६१ तक केन्द्रीय सरकार के कितने मंत्री विदेश गये ;

(ख) वे किन-किन देशों में गये और किस-किस कार्य से ; और

(ग) प्रत्यक यात्रा पर पृथक्-पृथक् कितना व्यय हुआ ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश-तिब्बत सीमावर्ती सड़क

३६६७. **श्री खुशवक्त राय :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिब्बत उत्तर प्रदेश सीमाओं पर सड़क का निर्माण उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है ;

(ख) क्या उक्त विभाग के पास इन सड़कों के निर्माण के लिये आवश्यक सारी सामग्री है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उनको जुटाने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेषतया प्रतिरक्षा मंत्रालय की ओर से क्या सहायता दी जा रही है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) कुछ सड़कें, सीमा-सड़क-विकास आयोग की देख रेख में, राज्य सरकार के लोक-कर्म-विभाग द्वारा बनाई जा रही हैं।

(ख) तथा (ग). जहां भी विशिष्ट साज़सामान की आवश्यकता पड़े और मशीनें और सामान सहज प्राप्य नहीं होता आयोग द्वारा सहायता दी जाती है।

भारतियों को प्रशिक्षित करने के लिये रूसी विमान चालक

३६६८. **श्री खुशवक्त राय :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा रूस से प्राप्त किये गये विमानों को चलाना सिखाने के लिये कितने रूसी विमान चालक आये थे ;

(ख) वे भारत में कब से कब तक रहे ;

(ग) उन्होंने किन-किन स्थानों पर उड़ानें कीं ; और

(घ) उन पर कितना व्यय हुआ ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) छै।

(ख) वह भारत में ४८ दिन से लेकर १०६ दिनों तक की विभिन्न अवधियों के लिए रहा।

(ग) चण्डीगढ़, पठानकोट, श्रीनगर, लेह, चुशूल, थोयशे, बम्बई, अहमदाबाद, जोधपुर और दिल्ली।

(घ) लगभग ३८,००० रुपये।

दिल्ली के परिवीक्षाधीन बाल तथा वयस्क अपराधी

†३६६९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के समाज कल्याण निदेशालय ने परिवीक्षाधीन बाल तथा व्यस्क अपराधियों को, उन्हें पुनः रोजगार पर लगाने के लिए, भौतिक सहायता देने के प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) हां, श्रीमान्।

(ख) दिल्ली अपराधी परिवीक्षा नियम, १९६० में परिवीक्षियों को सहायता देने के बारे में एक उपयुक्त उपबन्ध रखा गया है। यह नियम निम्न है :—

"नियम २०—परिविक्षी की बाद की देखभाल और पुनः प्रतिष्ठापन

(१) परिवीक्षी अधिकारी परिवीक्षी को समाज में पुनः स्थान दिलाने में सहायता देगा ताकि वह फिर अपराध करने पर विवश न हो। इस प्रयोजन के लिए परिवीक्षी अधिकारी परिवीक्षी के लिए निम्न सुविधायें प्राप्त करने की कोशिश करेगा :—

(क) प्रशिक्षण सुविधायें,

(ख) रोजगार के अवसर,

(ग) कोई आवश्यक वित्तीय सहायता, और

(घ) सामान्य व्यक्तियों और बाल स्काउट्स तथा गर्ल गाइड्स जैसे उपयोगी संघों, युवक संघों तथा सामुदायिक परियोजनाओं से सम्पर्क तथा मेल-जोल।"

संस्कृत में अनुसंधान

†३६७०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **शिक्षा** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संस्कृत में अनुसन्धान करने के लिए छात्रवृत्तियां देनें के लिए कितने प्रार्थनापत्र आये थे ; और

(ख) उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) पैंतीस, श्रीमान्।

(ख) ये विचाराधीन हैं। प्रार्थनापत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख ३१ अगस्त, १९६१ थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना

३६७१. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **गृह-कार्य** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा योजना में काम करने वाले कर्मचारियों को पदालीहीन पदों पर नियुक्त करने पर वह वेतन नहीं दिया जाता जो कि बाहर से चुने गये उम्मीदवारों को दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). वर्तमान आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय क्लेरिकल सेवा के सदस्यों को जब पदालीहीन पदों पर डिपुटेशन पर भेजा जाता है तो साधारणत: व अपने ग्रेड का वेतन और उसका २० प्रतिशत या पदालीहीन पद का वेतन जो भी उनके अनुकूल हो, पाने के अधिकारी होते हैं ।

'रिवर्ट' किये गये सेक्शन अफसर और हिन्दी असिस्टेंट

३६७२. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को यह ज्ञापन भेजा है कि 'रिवर्ट' किये गये सेक्शन अफसरों को पदालीहीन पदों के लिये प्राथमिकता दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस विषय की हिदायतें देने का विचार है कि पदालीहीन पदों पर नियुक्ति करते समय रिवर्ट किये गये उन हिन्दी असिस्टेंटों को प्राथमिकता दी जाये जिन के वेतन आदि मे भारी कमी हो गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां, लेकिन यह अनुदेश केवल उन 'रिवर्ट' हुये सेक्शन अफसरों पर ही लागू होता जिनकी अनुमोदित सेवा रिर्वशन की तारीख पर २ वर्ष या अधिक थी ।

(ख) यह जरूरी नहीं समझा जाता क्योंकि ऐसे हिन्दी असिस्टेंटों की संख्या बहुत थोड़ी है जो उपर्युक्त पदालीहीन पदों पर नियुक्त नहीं हुये हैं या जिनको रेगुलर लाईन में उन्नति नहीं मिली है और उनका केस उन रिवर्ट हुये सेक्शन अफसरों के समान भी नहीं हैं जो कि अपने पदोन्नति की सीधी लाईन में "ऊंचे" पदों पर नियुक्त थे ।

पुनर्बीमा कम्पनी की स्थापना

३६७३. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक बीमा विशेषज्ञ श्री कुक को भारत में एक पुनर्बीमा कम्पनी की स्थापना करने के लिये यहां बुलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). श्री कुक जीवन बीमा निगम (लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन) की सहायक कम्पनी-भारतीय गारण्टी और सामान्य बीमा कम्पनी (इण्डियन गारण्टी एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी) को उसके दैनिक प्रबन्ध-कार्य के सम्बन्ध में सलाह देते हैं। सरकार से किसी तरह की सिफारिश करने का सवाल पैदा नहीं होता।

प्रविधिक अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण छात्रवृतियां

३६७४. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रविधिक अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत १९६० से अब तक ३५०–२५–४०० रुपये की छात्रवृत्तियां किन-किन विषयों के लिये दी गईं; और

(ख) छात्रवृत्तियां पाने वालों की संख्या क्या है?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) और (ख) वर्ष १९६० की जानकारी नीचे दी जा रही है :—

विषय	दी गई फेलोशिपें	ली गई फेलोशिपें
(१)	(२)	(३)
१. सिविल इंजीनियरी .	५२	४७
२. मेकनीकल इंजीनियरी . .	२८	२३
३. बिजली इंजीनियरी	१७	११
४. टेली-कम्युनिकेशन इंजीनियरी .	४	५ बिजली इंजीयनरी के एक उम्मीदवार की फेलोशिप बाद में टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरी में बदल दी गई थी।
५. मेटलर्जी	६	—
६. रसायन इंजीनियरी	३	३
७. आर्कीटेक्चर	१	—
कुल जोड़ .	१११	८९

१९६१ में अब तक इन सभी विषयों में फेलोशिपें देने के लिये ९३ लोग चुने गये हैं। १२ और उम्मीदवार चुनने का इरादा है।

अस्थायी सरकारी पद

३६७५. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूसरे वेतन आयोग की उस सिफारिश पर अमल शुरू कर दिया है जिसके अनुसार अस्थायी पदों में से ८० प्रतिशत को स्थायी बनाया जाना है ;

(ख) केन्द्रीय सचिवालय क्लैरिकल सर्विस योजना के प्रथम ग्रेड में कितने कर्मचारी हैं ; और

(ग) उपरोक्त व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति दूसरे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार स्थायी घोषित किये जायेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) दूसरे वेतन आयोग की सिफारिश को ध्यान में रख कर २४ मार्च, १९६० को इस विषय पर वित्त मंत्रालय द्वारा अनुदेश जारी किये गये हैं। इन अनुदेशों के अनुसार मत्रालय/विभाग स्थायी पदों की आवश्यकताओं की जांच स्वतंत्र ही कर सकते हैं। और वे ८० प्रतिशत अस्थायी पदों को जो कि लगातार कम से कम पिछले तीन वर्षों से चालू हैं और जिनके आगे भी स्थायी रूप से रहने की आवश्यकता है वित्त मंत्रालय की अनुमति से स्थायी बनाये जा सकते हैं। केन्द्रीय सचिवालय क्लेरिकल सेवा के ग्रेड १ की अधिकृत स्थायी स्ट्रेंथ की वार्षिक जांच होती है और प्रत्येक वर्ष की पहली मई से यह निश्चित की जाती है। सी० एस० सी० एस० के ग्रेड १ की १-५-६० से अधिकृत स्थायी स्ट्रेंथ निश्चित करते समय उपर्युक्त अनुदेशों को ध्यान में रखा गया था । १-५-६१ को स्ट्रेन्थ निश्चित करते समय उन अनुदेशोंका पालन किया जायेगा ।

(ख) अपर डिवीज़न क्लर्क के पदों पर ओफिसियेट कर रहे व्यक्तियों की संख्या २३५१ है, इनमें से २३२६ पहले ही से लोअर डिवीज़न क्लर्कों (केन्द्रीय सचिवालय क्लैरिकल सेवा के ग्रेड २) के पदों पर स्थायी हैं और अपर डिवीज़न (केन्द्रीय सचिवालय क्लैरिकल सेवा का ग्रेड १) के पद पर अपनी बारी से स्थायी होने के पात्र हैं बाकी के २५ अस्थायी अपर डिवीजन क्लर्क उस ग्रेड में स्थायी होने के पात्र नहीं हैं ।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय क्लैरिकल सेवा के ग्रेड १ की अधिकृत स्थायी स्ट्रेंथ की आगे होने वाली जांच के फलस्वरूप जो पदों की संख्या उपलब्ध होगी उस पर ही यह निर्भर करता है ।

केन्द्रीय सचिवालय क्लैरिकल सेवा

३६७६. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय क्लैरिकल सेवा योजना के प्रथम ग्रेड और द्वितीय ग्रेड के कर्मचारियों के लिये सरकार ने यह नीति निश्चित की है कि उनकी तरक्की कुछ तो वरिष्ठता के आधार पर होगी और कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त निर्णय के अनुसार पिछले बारह महीनों में कितने लोगों को तरक्की देकर असिस्टेंट के पद पर नियुक्त किया गया ; और

(ग) असिस्टेंटों की आर० टी० ई० परीक्षा कब तक होने की संभावना है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) यह संकेत शायद केन्द्रीय सचिवालय सेवा के असिस्टेन्ट ग्रेड की तरक्की के बारे में है। इस सम्बन्ध में आजकल जो नीति प्रयोग में है उसके अनुसार केन्द्रीय सचिवालय क्लैरिकल सेवा के क्लैरिकल ग्रेड १ में स्थायी क्लर्कों की असिस्टेन्ट ग्रेड में तरक्की ज्येष्ठता के आधार पर होती है बशर्ते कि अयोग्यता के कारण कोई अस्वीकृत न हुआ हो।

(ख) पिछले १२ महीनों में उपरोक्त रीति से असिस्टेंटों के पद पर नियुक्त किये गये ग्रेड १ के स्थायी क्लर्कों की संख्या १८२ है।

(ग) इस समय असिस्टेंट ग्रेड के लिये आर० टी० ई० की परीक्षा करने का कोई विचार नहीं है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

†३६७७. **श्री झूलन सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रावासों तथा उपगृहों में निवास के नियमों के अन्तर्गत सामिष भोजन करने की अनुमति नहीं है;

(ख) क्या ये नियम विश्वविद्यालय के अहाते के छात्रावासों पर ही लागू होते हैं या उसके बाहर उपगृहों तथा गृहों पर भी लागू होते हैं;

(ग) क्या ये नियम बनाते समय मांसाहारी विद्यार्थियों की भावनाओं, आवश्यकताओं और भोजन की आदतों का ध्यान रखा गया था; और

(घ) क्या अखिल भारतीय स्तर के अन्य किसी विश्वविद्यालय में भोजन तथा प्रकृति सम्बन्धी नियम हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रावासों के नियम विश्वविद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनाये थे। ये नियम विश्वविद्यालय के अहाते में स्थित छात्रावासों तथा उसके बाहर उपगृहों दोनों पर लागू होते हैं। इन नियमों में अन्य उपबन्धों के अतिरिक्त एक यह उपबन्ध था कि सामिष भोजन को छात्रावास के क्षेत्र में या उपगृहों के अहातों में न लाने दिया जायेगा। संस्थापक की भावनाओं को ध्यान में रख कर, विश्वविद्यालय सामिष भोजनालयों को प्रोत्साहन नहीं देता परन्तु ऐसे भोजनालयों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। छात्रावासों में सदैव ही ऐसे भोजनालयों की व्यवस्था की अनुमति दी जाती है। हां, केवल यह ध्यान रखा जाता है कि आमिष वासियों की भावनाओं को ठेस न लगे। आजकल विश्वविद्यालय के लगभग सभी छात्रावासों में सामिष भोजनालय हैं।

(घ) नहीं, श्रीमान्।

उत्तर प्रदेश में तेल पाये जाने की संभावनाएं

†३६७८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री विश्वनाथ राय :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री १३ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १४८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हिमालय की पहाड़ी तलहटियों में तेल की खोज करने के काम में इस बीच अद्यतन कितनी प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**इस्तपात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : प्रायः शिवालिक तलहटी की पूरी पट्टी का भूतत्वीय मानचित्र बनाने का काम पूरा हो गया है । दो बड़ी उलटी झुकी निम्न संरचनायें मिली हैं :

(१) देहरादून और सहारनपुर जिलों में मोहान्द भंजचाप; और

(२) नैनीताल जिले में कालागढ़–पौलगढ़ भंजचाप ।

अभी इन संरचनाओं पर गहरे छेद करने का विचार नहीं है ।

बिना परिपत्र के पाकिस्तानियों और चीनियों की गिरफ्तारी

†३६७९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री आगाडी :
श्री सुगन्धि :
श्री वोडयार :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल से ३१ अगस्त, १९६१ तक की अवधि में भारत में बिना पारपत्र के या जाली पारपत्र वाले कितने चीनी और पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को गिरफ्तार किया गया; और

(ख) उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बाल साहित्य की रचना

†३६८०. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना में बाल साहित्य की रचना के लिये जो कार्यक्रम निश्चित किया गया है उसकी संक्षिप्त रूपरेखा क्या है; और

(ख) क्या यह सच है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में बाल साहित्य की रचना का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह पूरा नहीं हो पाया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) बाल साहित्य तैयार करने के कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा जिसे तृतीय पंचवर्षीय आयोजना में कार्यान्वित किया जा रहा है :

१. बाल पुस्तकों के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी प्रादेशिक भाषाओं में हिन्दी, सिंधी और उर्दू में भी प्रत्येक वर्ष बाल पुस्तकों की एक पुरस्कार प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। पुरस्कार प्रदान करने के अतिरिक्त, स्कूल पुस्तकालयों, शैक्षणिक संस्थाओं और बाल केन्द्रों आदि को वितरित करने के लिए प्रत्येक पुरस्कृत पुस्तक की अधिकतम २,००० प्रतियों की खरीद की भी व्यवस्था है।

२. साहित्य रचनालय

बाल साहित्य तैयार करने की प्रणाली (तकनीक) में लेखकों को प्रशिक्षण देने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष छः साहित्य रचनालय आयोजित करने का विचार है। प्रत्येक रचनालय केवल एक भाषा में पुस्तकें तैयार करने से सम्बन्ध रखता है और इसकी अवधि छः सप्ताह है।

३. प्रमुख भारतीय भाषाओं में बच्चों के लिए चित्र-पुस्तकें तैयार करना

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी प्रमुख प्रादेशिक भाषाओं में बच्चों के लिए सस्ती चित्र-पुस्तकें तैयार करने का सुझाव है। ऐसा विचार है कि पुस्तक इस प्रकार से तैयार की जाये कि उसका चित्रात्मक भाग अधिक मात्रा में छापा जा सके—५०,००० से १ लाख प्रतियों तक—और तब प्रत्येक भाषा की पुस्तक की सामग्री अलग-अलग संख्या में छापी जा सके। इस प्रकार बच्चों को ये पुस्तकें सस्ती उपलब्ध हो सकेंगी।

४. राष्ट्रीय भावात्मक एकता के विषय पर बच्चों और अध्यापकों के लिए पुस्तकें तैयार करना

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय भावात्मक एकता के विषय पर बच्चों और अध्यापकों के प्रयोग के लिए हिन्दी तथा अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में पुस्तकें तैयार की जायेंगी।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में कार्यान्वित किये गये बाल साहित्य तैयार करने के किसी कार्यक्रम के लिए पुस्तकों की संख्या अथवा साहित्यिक सामग्री का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

पब्लिक स्कूलों में राष्ट्रीय सेनाछात्र दल

३६८१. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पब्लिक स्कूलों के राष्ट्रीय सेनाछात्र दल का खर्च सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार यह खर्च करती है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर हर साल कितना रुपया व्यय होता है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) लगभग ९०,००० रुपये प्रति वर्ष ।

अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार

३६८२. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को १९६०-६१ के अन्तर्गत किस प्रकार के पुरस्कार दिये गये; और

(ख) इन पुरस्कारों के लिये अध्यापकों का चुनाव किस प्रकार किया जता है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). राष्ट्रीय पुरस्कार के लिये चुने गए ७१ अध्यापकों में से प्रत्येक को एक प्रमाणपत्र और ५०० रुपये का नकद अनुदान दिया गय । इन पुरस्कारों को प्राप्त करने के पात्र वे सेवाकालीन अध्यापक हैं जिन्होंने किसी प्राथमिक, मिडिल, हाई तथा उच्च माध्यमिक स्कूल में कम से कम २० वर्ष तक मान्यता-प्राप्त शिक्षक की हैसियत से सेवा की है । पुरस्कारों के लिए आवेदन-पत्र राज्य सरकारों तथा संघीय क्षेत्रों के शिक्षा विभागों के ज़रिये निर्धारित फार्म पर आमंत्रित किये जाते हैं । प्रारम्भिक चुनाव राज्य स्तर पर किया जाता है और अन्तिम चुनाव केन्द्रीय चुनाव समिति द्वारा किया जाता है जो कि राज्य सरकारों तथा संघीय क्षेत्रों से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष बनाई जाती है । चुनाव करते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है :—शिक्षक की स्थानीय समाज में प्रतिष्ठा; उसकी शैक्षणिक कार्यक्षमता तथा शिक्षा में सुधार की उसकी इच्छा; उसकी बच्चों में वास्तविक दिलचस्पी और उनके लिए स्नेह; तथा स्थानीय समाज के सामूहिक जीवन में उसका अंशदान ।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड

३६८३. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड की कितनी बैठकें हुईं; और

(ख) उन बैठकों में बोर्ड द्वारा किये गये निर्णयों को अब तक किस हद तक लागू किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) एक ।

(ख) बोर्ड की सिफारिशें कहां तक लागू की गई हैं इसके सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारियों से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होते ही यथासंभव लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सिंगरेनी की कोयले की खानें

†३६८४. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार का विचार सिंगरेनी की कोयले की खानों की 'प्रीमियर कोल माइन कम्पनी' के प्रबन्ध में नियंत्रणकारी भाग लेने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) और (ख). सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी को केन्द्रीय सहायता का स्वरूप और उसके परिणामस्वरूप, उसके कार्यों के संचालन में केन्द्र के सहयोग पर विचार किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोयला-खान कम्पनी अपने विकास कार्य को आगे बढ़ाती रहे।

दिल्ली पुलिस

†३६८५. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस को पुनर्गठित करने और उसकी संख्या बढ़ाने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है और अब तक इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) आजकल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बिहार में शिक्षा संस्थाओं को विद्यार्थी पर्यटनों के लिए सहायता

†३६८६. श्री विभूति मिश्र : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९, १९५९-६० और १९६०-६१ में बिहार में किस किस संस्था को विद्यार्थियों के पर्यटनों का आयोजन करने के लिए कितनी कितनी वित्तीय सहायता दी गई ; और

(ख) दी गई सहायता से कहां कहां की यात्रा की गई और उनका क्या ब्यौरा है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ३२४०/६१]

---

†मूल अंग्रेजी में

ब्रिटिश अफसरों को पेंशन

३६८७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन के उन लोगों को जो ब्रिटिश राज के दौरान भारत में विभिन्न पदों पर काम करते थे पेंशन के रूप में प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाती है ; और

(ख) इन पेंशनरों की संख्या क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). पहली अप्रैल, १९५५ से स्टर्लिंग पेंशनों का दायित्व इकमुश्त (लम्प सम) के बदले ब्रिटेन की सरकार को सौंप दिया गया था। इसलिए भारत सरकार द्वारा इस समय दी जाने वाली ऐसी पेंशनों की संख्या और रकम बहुत ही कम होगी ।

लौह-अयस्क

†३६८८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में कोई अयस्क उद्योग का विस्तार करने का निश्चित प्रोग्राम बना लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो आजकल कितना अयस्क उपलब्ध है और प्रोग्राम के अन्तर्गत इसमें कितनी वृद्धि होगी; और

(ग) योजना पर कितना व्यय होगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). १९६० में लोह अयस्क का १०५·९ लाख टन उत्पादन हुआ और तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक ३२० लाख टन उत्पादन करने का उद्देश्य है ताकि इस्पात उद्योग की आवश्यकता पूर्ण करने के बाद न्यूनतम १ करोड़ टन निर्यात किया जा सके। विद्यमान खानों के अतिरिक्त किरिबुरू परियोजना का विकास किया जा रहा है जिस पर लगभग ९·०६ रु० व्यय होंगे । इस साधन से १९६४ से १० लाख टन लौह-अयस्क जापान को निर्यात किया जायेगा और उस समय तक किया जायेगा जब तक कि इस साधन को बेला दिला से स्थानापन्न किया जाये। तब से यह साधन इस्पात कारखानों जिनमें बोकारो भी सम्मिलित होगा, की आवश्यकता पूर्ति करेगा और इस कार्य के लिए ६ करोड़ रु० की लागत से इसका और विस्तार किया जायेगा। बेलादिला परियोजना पर लगभग १७ करोड़ रु० व्यय होंगे । आशा है कि १९६६ से उससे जापान को निर्यात होने लगेगा और अन्त में उसका उत्पादन बढ़ा कर ६० लाख टन कर दिया जायेगा । इसके अतिरिक्त, रूरकेला और भिलाई के इस्पात के कारखानों से सम्बद्ध खानों का भी इस्पात कारखानों का विस्तार ध्यान में रख कर विस्तार किया जायेगा । अतः खानों के विकास का व्यय इस्पात कारखानों के विस्तार के समूचे अनुमानित व्यय में सम्मिलित कर दिया गया है । सरकारी क्षेत्र में, निर्यात के लिए उड़ीसा की योजना और मैसूर की योजना में भी क्रमानुसार सुकिन्दा और बेलारी हास्पेट खानों के विकास का उपबन्ध किया गया है । प्रोग्राम बनाने और इस वांछित समूचे विकास की लागत, गैर-सरकारी क्षेत्र की खानों सहित, का ब्योरा अभी तैयार नहीं किया गया है ।

मूल अंग्रेजी में

'जिरेनियम' की कृषि

†३६८९. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की सगन्ध तेल समिति ने जिरेनियम' की कृषि की संभाव्यताओं का अध्ययन किया था ;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन का क्या फल रहा ;

(ग) क्या तीसरी योजना में इस पौदे की कृषि तथा उत्पाद का निर्यात बढ़ाने की योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो योजना की मोटी मोटी बातें क्या हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) हां ।

(ख) अध्ययन से विदित हुआ है कि इस पौदे की कृषि निम्न तत्वों पर निर्भर है :—

१. ५००० से ८००० फीट की ऊंचाई ।

२. नर्सरी में फैलाव सामग्री का चुनाव और छाया तथा उचित खाद की व्यवस्था ।

३. ४ फीट की दूरी वाली कतारों में एक एक फुट के फासले पर उथली खाइयों में मई के महीने में पौदे लगाना ।

४. नियमित सिंचाई ।

(ग) और (घ). विचार है कि इस पौदे की कृषि करने की मद्रास सरकार की योजना है । विस्तृत ब्यौरा प्राप्त किया जायेगा और सभा पट ल पर रख दिया जायेगा ।

चेकोस्लोवाकिया से ऋण

†३६९०. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना में चेकोस्लोवाकिया से कितना ऋण मिलने की आशा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस देश के साथ करार हो गया है ; और

(ग) उसकी शर्तें क्या हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) से (ग). अब तक चेकोस्लोवाकिया गणतंत्र की सरकार ने १३·१ करोड़ रुपये ऋण दिया है जिसका करार २४ नवम्बर, १९५९ को हुआ था । यह ऋण (१) ढलाई कारखाने के तीसरे प्रक्रम (२) भारी मशीनी औजार बनाने के कारखाने और (३) बिजली का भारी सामान बनाने के कारखाने (उच्च दबाव वाला बायलर संयंत्र सहित) के लिये प्रयोग होगा । ऋण पर २ १।२ प्रतिशत वार्षिक ब्याज है आठ समान वार्षिक किस्तों में लौटाया जायेगा । प्रत्येक परियोजना के लिये पूर्ण ऋण प्राप्त होने के एक वर्ष बाद पहिली किस्त लौटाई जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इंजिनीयरी कालिज और पालिटेक्निक

†३६९१. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१–६२ में अब तक कौन कौन और कहां कहां इंजीनियरी कालिज और पालिटेक्निक खोले गये हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** इंजीनियरी कालिज :

१. मोतीलाल नेहरू कालिज आफ इंजीनियरी तथा टेक्नोलोजी, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)
२. कालिज आफ़ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी, नई दिल्ली ।
३. सरदार बल्लभभाई कालिज आफ इंजीनियरी एण्ड टेक्नालोजी सूरत (गुजरात)
४. जलपाइगुरी इंजीनियरिंग कालिज, जलपाइगुरी, पश्चिमी बंगाल ।
५. रीजनल इंजीनियरिंग कालिज, कोजीकोडे, केरल ।
६. इंजिनियरिंग कालिज, रूरकेला ।

पालिटेक्निक :

१. नवगंग पालिटेक्निक, नवगंग, असम ।
२. माल्दा पालिटेक्निक, माल्दा, पश्चिमी बंगाल ।
३. गोविन्द बल्लभ पन्त पालिटेक्निक, ओखला, दिल्ली ।
४. झज्जर पालिटेक्निक, झज्जर, पंजाब ।
५. गवर्नमेंट पालिटेक्निक, कोल्हापुर ।
६. गवर्नमेंट पालिटेक्निक, रत्नगिरि, महाराष्ट्र ।
७. गवर्नमेंट पालिटेक्निक, खमगांव, बुल्डाना जिला, महाराष्ट्र ।
८. श्री कृष्ण लाल झावेरी पालिटेक्निक इंस्टिट्यूट, ब्रौच, गुजरात ।
९. गवर्नमेंट पालिटेक्निक, पेरिन्थलमाना, केरल ।
१०. गवर्नमेंट पालिटेक्निक, सिरिकाकुलम, आन्ध्र प्रदेश ।

जमना बाजार की कोढ़ी बस्ती

†३६९२. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली के जमुना बाजार की पुरानी कोढ़ी बस्ती के निवासी शाहदरा में एक नयी बस्ती में पहुंचा दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने परिवार पहुंचाये गये हैं; और

(ग) योजना पर कितना व्यय हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) हां ।

(ख) १७१ परिवार ।

(ग) १२,३३० रु० ।

कलकत्ता नगर की समस्यायें

†३६९३. { **श्री मुहम्मद इलियास** :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक तथा संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कलकत्ता नगर की समस्याओं का अध्ययन कर लिया है ;

(ख) क्या उन्होंने कलकत्ता नगर के विकास के लिए कोई रिपोर्ट तथा योजना पेश की है ; और

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट और योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्रीमोरारजी देसाई)**: (क) से (ग). संयुक्त राष्ट्र के विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक परामर्शदाता दल ने १९५९ में बृहत कलकत्ता क्षेत्र में वातावरण की सफाई की हालतों का पुनरीक्षण किया था । इस दल ने फरवरी, १९६० में भारत सरकार को रिपोर्ट पेश की । दल का मत था कि बृहत कलकत्ता क्षेत्र में निम्न सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है :

> वातावरण की सफाई की स्थिति, छने या अन्यथा पीने के अच्छे पानी की व्यवस्था, मल का हटाया जाना, तूफान के पानी का हटाया जाना और मक्खियों का प्रजनन समाप्त करना ।

दल ने इस के लिए कुछ अन्तरिम और दीर्घकालीन उपायों का, जिस में नगर जल तथा भूमिगत नाली बोर्ड का गठन भी सम्मिलित है, सुझाव दिया ।

विदेशी तेल शोधक कारखानों के लाभ

†३६९४. { **सरदार इकबाल सिंह** :
श्री तंगामणि :
श्री प्रभात कार :

क्या **इस्तान, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०में भारत में विदेशी तेल शोधक कारखानों और तेल स्टोर तथा वितरण कम्पनियों को कुल और शुद्ध लाभ कितना कितना हुआ ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**:१९६० के वर्ष के लिए प्रश्नास्पद तेल कम्पनियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कराधान के लिए व्यवस्था करके कुल और शुद्ध लाभ की राशियां दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७२]**

---

†मूल अंग्रजी में

मास्को में युवक गोष्ठी

†३६९५. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मास्को में युवक गोष्ठी में भाग लेने के लिए किसी युवक संघ को आमंत्रित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या आमंत्रण वैदेशिक कार्य मंत्रालय द्वारा दिये गये थे;

(ग) क्या किसी संघ को प्रतिनिधि भेजने की अनुमति दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो कितने प्रतिनिधि भेजे गये और प्रतिनिधियों की यात्रा पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) हां ।

(ग) हां ।

(घ) मास्को में युवक गोष्ठी के लिए छः युवक संघों को आमंत्रित किया गया था । सरकार ने उन सब को प्रतिनिधि भेजने की अनुमति दे दी थी । अखिल भारतीय युवक फेड्रेशन से तीन प्रतिनिधि, अखिल भारतीय विद्यार्थी फेड्रेशन से चार प्रतिनिधि और भारत युवक समाज से एक प्रतिनिधि ने पारपत्र लिये । कोई विदेशी मुद्रा व्यय नहीं हुई ।

लाहौल

†३६९६. **श्री हेम राज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'कछ' को जो लाहौल के अनुसूचित क्षेत्र में उगाया जाता है, हिमाचल प्रदेश राज्य क्षेत्र में होकर कुल्लू से बाहर जाने की अनुमति नहीं है और व्यापारियों द्वारा कुल्ल से पंजाब ले जाने में उस पर प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि पंजाब सरकार इसे वन-उत्पाद नहीं मानती जबकि हिमाचल प्रदेश प्रशासन ऐसा मानता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार दो राज्य क्षेत्रों के नियमों को समान बनाने का है ताकि व्यापारियों तथा वहनकर्ताओं की परेशानी दूर हो जाये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). स्थिति सुनिश्चित की जा रही है और यथासमय एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी

†३६९७. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी १९६० से जून १९६१ तक वैध अनुमति के बिना पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार हुए कोई पाकिस्तानी पकड़े गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितने पकड़े गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) हां ।

(ख) ११,४७७ ।

भारत के हिन्दी भाषी लोग

†३६९८. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली जनगणना के अनुसार भारत में हिन्दी भाषी लोगों के सम्बन्ध में कोई मूल आंकड़े उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिशत क्या है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). जानकारी १९६३ तक प्राप्त होगी जबकि गणना अनुसूचियों को अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है ।

सेना पेंशन नियम

†३६९९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरानी जम्मू और कश्मीर सेना के जे० सी० ओ० (कनिष्ठ आयुक्त पदाधिकारी) और ओ० आर० (अन्य श्रेणियां) को भारतीय सेना में उनके प्रतिरूप को भारतीय पेन्शन नियमों के अधीन मिलने वाले लाभ नहीं मिल रहे हैं;

(ख) क्या १९४७ से १९५८ की अवधि में पुरानी जम्मू और कश्मीर सेना के पेन्शनरों और भारतीय सेना के पेन्शनरों के लिए पेन्शन क्रम भिन्न भिन्न थे; और

(ग) यह असमानता दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) से (ग). १९५७ में भारतीय सेना में जम्मू और कश्मीर राज्य सेना को मिलाने से पहले, राज्य सेना के जे० सी० ओ/ओ० आर० राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवा की शर्तों और दशाओं तथा समय समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किये गये विशेष आदेशों के अनुसार प्रशासित होते थे । इन विशेष आदेशों में इस बात का ध्यान रखा गया था कि जम्मू और कश्मीर राज्य सेना भारतीय सेना की कमान के अधीन नियुक्त की गयी थी और राज्य सेनाओं पर संपूर्ण नियंत्रण १ सितम्बर, १९४९ से भारत सरकार के हाथ में था । इन आदेशों के फलस्वरूप राज्य नियमों के अधीन स्वीकृत, सेवा की दरें, अपंगता और पारिवारिक पेन्शनें क्रमशः उदार कर दी गयीं । वे सभी मामलों में भारतीय सेना दरों के बराबर नहीं कर दी गयी थीं । ये आदेश सभी सुसंगत बातों पर जिनमें जम्मू और कश्मीर राज्य सेनाओं के कमचारियों के प्रति व्यवहार की अन्यत्र होने वाली प्रतिक्रिया की संभावना भी शामिल है, विचार करने के बाद जारी किये गये थे । सरकार इस दशा में यह आवश्यक नहीं समझती कि इन आदेशों का पुनर्विलोकन और उनमें कोई परिवतन किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में थियेटर संगठनों को सहायता

†३७००. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ में अब तक उड़ीसा में थियेटर संगठनों को कोई सहायता दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो किसको और कितनी ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीय सेना में गोरखे

†३७०१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सेना में कितने गोरखा काम कर रहे हैं;

(ख) १९६० में कितने गोरखा भरती किये गये; और

(ग) १९६१ में कितने गोरखा भरती किये गये हैं या किये जाने वाले हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया):** (क) से (ग). यह जानकारी देना लोकहित में उचित नहीं है ।

रेलवे के ह्वील सेट्स (पहियों के सेट)

†३७०२. **श्री सुबिमन घोष :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ह्वील सेट्स (पहियों के सेट) तैयार करने के लिए एक नया संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र स्थापित करने का काम कब शुरू होगा;

(ग) उत्पादन संभवतः कब शुरू होगा; और

(घ) क्या पूरे पूरे ह्वील सेट्स तैयार किये जायेंगे या उनके कुछ हिस्से आयात किये जायेंगे ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) से (घ). सरकार केवल ह्वील (पहिये) और एक्सेल संयंत्र की योजना पर ही, जो दुर्गापुर इस्पात कारखाने का मुख्य भाग है, विचार कर रही है । कारखाने की प्रारम्भिक क्षमता ४५,००० ह्वील सेट (पहियों के सेट) प्रति वर्ष होगी और ७५,००० तक की संख्या तक विस्तार किया जा सकता है । कोई हिस्से संभवतः आयात नहीं किये जायेंगे । आशा है कि पहले दौर में एक्सेल का उत्पादन अक्तूबर, १९६१ तक और पूरे ह्वील सेट्स का उत्पादन मार्च, १९६२ तक शुरू हो जायगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेपाल में भारतीय सेना-प्रशिक्षण मंत्रणा दल

†३७०३. **श्री कालिका सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नेपाल में काठमांडू में भारतीय सेना प्रशिक्षण मंत्रणा दल ने अब तक क्या विशिष्ट कार्य किया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: यह समुदाय जैसा कि नाम से पता चलता है, नेपाली सेना को सलाह देता है और प्रशिक्षित करता है। यह अपना काम संतोषजनक रूप से कर रहा है।

पंजाब सीमा-प्रतिरक्षा व्यय

†३७०४. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या यह सच है** कि फिलहाल संपूर्ण सीमा व्यय पंजाब राज्य सरकार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की है कि संपूण सीमा प्रतिरक्षा व्यय वह उठाये; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की क्या राय है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**:(क) प्रश्न स्पष्ट नहीं है। प्रतिरक्षा व्यय से आशय यदि सैनिकों का व्यय हो, तो वह भारत सरकार करती है, यदि उसका आशय सीमा पर पुलिस रखने का खर्च हो, तो वह राज्य सरकार करती है।

(ख) और (ग). जी, नहीं। लेकिन पंजाब सरकार ने अभी हाल में अपनी सीमावर्ती पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए सहायता की प्रार्थना की थी। मामले की छानबीन अभी हो रही है।

महान्यायवादी[1] की रूस यात्रा

†३७०५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के महान्यायवादी ने रूसी विधि पद्धति का अध्ययन करने के लिये रूस की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने सरकार को अपनी राय के बारे में कोई रिपोर्ट पेश की है; और

(ग) यदि हां, तो उस रिपोर्ट की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) रूस के उच्चतम न्यायालय के निमंत्रण पर भारत के महान्यायवादी और उनकी पत्नी विधि संबंधी कार्यवाहियों की रूसी पद्धति और रूसी जनता के जीवन से परिचित होने के लिये रूस गये थे।

(ख) और (ग). चूंकि महान्यायवादी की यात्रा भारत सरकार की ओर से नहीं थी इसलिये सरकार को कोई रिपोर्ट पेश करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Attorney General.

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का जहाज

†३७०६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के जहाज की मरम्मत और उसके रखरखाव पर १९६०-६१ में अब तक कितनी रकम खर्च की गयी ; और

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड किस प्रयोजन के लिये इस जहाज का उपयोग करता है?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) ३,३५,१९० रुपये ।

(ख) चूंकि कोई भी इस्पात कारखाना आपस में या कंपनी के मुख्य कार्यालयसे नवाणिज्यिका विमान कंपनियों द्वार संबंध नहीं है इसलिये यह विमान मुख्यत : कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अपने अत्यावश्यक कार्य करने के लिये काम में लाया जाता है ।

सिक्के बनाना

†३७०७. **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वित्त** मंत्री १ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८२३ के उत्तर के संबंध बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टकसालों के कितने अफसरों को सिक्के बनाने के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिये विदेश भेजा गया ;

(ख) क्या वे वापस लौट आये हैं और उन्होंने अपनी सिफारिशें पेश की हैं; और

(ग) सिक्कों में सस्ती धातुओं के उपयोग के मामले में संभवत : कब निश्चय किया जायेगा?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) टक्साल के दो अफसर उत्पादन प्रबन्ध और औद्योगिक इंजीनियरी का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अभी हाल विदेश गये हैं ।

(ख) ये अफसर संभवत : फरवरी, १९६२ में वापिस आयेंगे । उनका प्रशिक्षण कारखानों में भविष्य में उनके काम के लिये उपयोगी सिद्ध होगा और सिक्के बनाने के संबंध में कोई औपचारिक सिफारिशों की आशा उनसे नहीं को जाती ।

(ग) अभी इस मामले की जांच पड़ताल हो रही है ।

अवैध अफीम

३७०८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डिब्रूगढ़ के १५ मिलडर नढुआ चाय बागान में २ लाख रुपय की अवैध अफीम गड़ी हुई मिली ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : जी नहीं । डिब्रूगढ़ के नढुआ चाय बागान के ५ नम्बर वाले खण्ड (सेक्शन) में चाय की झाड़ियों के नीचे छिपाई हुई ३१.७ किलोग्राम

---

†मूल अंग्रेजी में

अफीम पकड़ी गयी थी। इसके अलावा इस चाय बागान के दूसरे लोगों के पास से भी २९.६ किलोग्राम अफीम बरामद की गयी। अनुमान है कि कुल ७०,००० रुपये की अफीम पकड़ी गयी।

स्टेट बैंक की शाखाओं का खोला जाना

†३७०९. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (भारत का राज्य बैंक) अगले पांच साल में भारत में और अधिक शाखाएं खोले ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित एक उपसमिति की यह सिफारिश स्टेट बैंक ने मान ली है कि १ जुलाई, १९६० से ३० जून, १९६५ तक पांच साल की अवधि में स्टेट बैंक को अपने सहायक बैंकों के साथ साथ ३०० केन्द्रों में शाखाएं खोलनी चाहियें।

(ख) ये केन्द्र ग्रामीण तथा अर्ध-नगरीय क्षेत्रों में से चुने जायेंगे। स्टेट बैंक और उसके सहायकों के बारे में कोई कठोर नियम नहीं किया गया है। शाखाएं सभी बैंकों के लिये सुविधाजनक ढंग से खोली जायेंगी।

(ग) केन्द्रों का चुनाव अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

केन्द्रीय पेट्रोलियम अनुसन्धान संस्था, देहरादून

†३७१०. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैज्ञानिक, अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून में केन्द्रीय पैट्रोलियम अनुसंधान संस्था के लिए जमीन खरीद ली गयी है ;

(ख) क्या एक व्यक्ति को जमीन के लिए करीब २ लाख रुपये की रकम अदा की जा चुकी है ;

(ग) क्या वह जमीन वास्तव में उस व्यक्ति की नहीं थी ;

(घ) यदि हां, तो क्या एक दूसरे व्यक्ति ने जिसे उस जमीन का वास्तविक मालिक बताया जाता है, एक मामला दायर किया है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या फैसला सरकार के खिलाफ हुआ है ; और

(च) यदि हां, तो इस मामले में आगे और क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी नहीं। वह भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार के जरिये प्राप्त की जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(घ) और (ङ). कुछ मालिकों ने भूमि अर्जन कार्यवाहियों के विरुद्ध लेख याचिका पेश की थी लेकिन वह मामला खारिज कर दिया गया ?

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिण अर्काट में तांबा और जस्ता

†३७११. **श्री नरसिंहम्** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अर्काट जिले में तांबा और जस्ता अयस्क मिलने के संबंध में और आगे जांच पड़ताल की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने १९५८ में दक्षिण अर्काट जिले के कल्लाकुरिछी तालुक में ममुन्दर क्षेत्र में तांबे के पुराने निक्षेपों का पता लगाया था। निक्षेपों के और आस पास के क्षेत्र के विस्तृत नक्शे तैयार करने का काम १९५८–५९ और १९५९–६० में पूरा हो गया। १.५२ से ७.६२ मीटर तक विभिन्न मोटाई के खनिज क्षेत्र ५०० मीटर की लंबाई तक फैले हुए हैं। उस क्षेत्र में खुदाई करने पर जस्ता, सीसा, और तांबे के अयस्क मिले हैं जिनमें जस्ते का अयस्क प्रधान रूप से है। खाइयों में प्रारंभिक नमूना सर्वेक्षण से ५ प्रतिशत के औसत मिश्रित धातु का पता लगा है। भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग की यह योजना है कि लगभग ९० मीटर की औसत गहराई के करीब ६ छिछले छिद्र बनाये जायें। पहला छिद्र तैयार किया जा चुका है और ३ मीटर का मोटा खनिज क्षेत्र विभाजित किया गया है।

इस क्षेत्र में दूसरा छिद्र भी ३३.३२ और ५२.०२ मीटर के बीच काफी चौड़ा खनिज क्षेत्र विभाजित करने के बाद ५६.९३ मीटर की गहराई पर पूरा किया गया था। इन गहराइयों के बीच विभाजित नाली की कुल चौड़ाई करीब १२.१ मीटर है यहां नाली मुख्यतः चालको पाराइट (तांबा-लोहा सल्फाइड) की है। पहले ३ मीटर में स्फालेराइट (जस्त सल्फाइड) और गलेना (सीसा सल्फाइड) थोड़ी मात्रा में देखे गये हैं और वे शेष भाग में नहीं हैं। तीसरा छिद्र बनाने के लिए व्यवस्था की जा रही है।

मैट्रिक के बाद के अध्यापक प्रशिक्षण कालेज

३७१२. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अगस्त, १९६१ को किन किन राज्यों में, कितनी मैट्रिक के बाद के अध्याप प्रशिक्षण कालेज, दोसाला पाठ्यक्रम के तथा कितने एकसाला पाठ्यक्रम के थे ;

(ख) इनमें से कितने केवल महिलाओं के लिये, कितने केवल पुरुषों के लिये तथा कितने दोनों के लिये हैं ; और

(ग) उक्त कालेजों में से कौन-कौन से ऐसे हैं जहां गरीब विद्यार्थियों को केन्द्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा वृत्ति अथवा अन्य आर्थिक सुविधायें प्रदान की जाती हैं तथा किस-किस प्रकार की;

शिक्षामंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). मांगी गई सूचना राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभापटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नयी दिल्ली

†३७१३. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिक्रीकर आयुक्त, दिल्ली ने अभी हाल में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नयी दिल्ली, पर ५०० रुपये का जुर्माना किया था ;

(ख) क्या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने आवश्यक फार्म प्रस्तुत नहीं किये थे ;

(ग) उसके कारण क्या थे ;

(घ) इस अनियमितता के लिए कौन कर्मचारी उत्तरदायी थे ; और

(ङ) सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ङ). कुछ चीजों की बिक्री के तिमाही विवरण निश्चित तारीखों तक पेश नहीं किये गये थे और उसके लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए इस मामले की जांच पड़ताल हो रही है ।

ए० एस० सी० नायकों के लिए पदोन्नति

†३७१४. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए० एस० सी० में नायक अपनी सेवा की संपूर्ण अवधि में हवलदार के तौर पर पदोन्नति के अधिकारी नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ;

(ग) ए० एस० सी० में ऐसे कितने नायक हैं जिन्होंने भारत में १० साल से अधिक नौकरी की है ; और

(घ) नायकों की पदोन्नति के लिए अवसर देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) और (ख). ए० एस० सी० में सभी श्रेणियों के नायक, स्टोरहैन्ड टेक्निकल की श्रेणी के नायकों को छोड़कर, ऊंची श्रेणी में पदोन्नति के अधिकारी होते हैं । स्टोरहैन्ड टेक्निकल कर्मचारियों के लिए उच्चतम पद, ए०एस०सी० संस्थानों में, अधिकृत रूप में, नायक का होता है । इसलिए वे हवलदार के पद पर पदोन्नति के अधिकारी नहीं होते हैं ।

(ग) १३१४ जिनमें ६५१ स्टोरहैन्ड टेक्निकल नायक भी शामिल हैं ।

(घ) ए० एस० सी० के नायक, स्टोरहैन्ड टेक्निकल नायकों को छोड़कर, ऊंचे पदों पर पदोन्नति के अधिकारी होते हैं बशर्ते कि स्थान रिक्त हों और उनके पास आवश्यक योग्यताएं हों । स्टोरहैन्ड टेक्निकल नायकों के मामले में जिनके पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अर्थात् मैट्रिक्यूलेशन प्रमाणपत्र, होती है, उन्हें नायक क्लर्क स्टोर के तौर पर, जिस पद पर अधिक वेतन होता है, नियुक्त किया जाता है और इस प्रकार हवलदार तथा उससे ऊपर के पद पर बाद में पदोन्नति के लिए उन्हें अवसर मिलता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी माल का तस्कर व्यापार

†३७१५. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के एक एरिया मैनेजर को कुछ विदेशी माल लाने के लिए जिसमें एक 'फ्रिजिडेयर' भी शामिल था, एक विमान संख्या वीटी-डी आई जेड से १० नवम्बर, १९५९ को पालम पर उतरने के बाद सीमाशुल्क पदाधिकारियों ने पकड़ लिया था ;

(ख) क्या सीमाशुल्क पदाधिकारियों ने दूसरे यात्रियों को भी पकड़ा था ;

(ग) क्या उपर्युक्त पदाधिकारी पर १,००० रुपये का जुर्माना किया गया था ;

(घ) उसके खिलाफ क्या आरोप थे ;

(ङ) क्या उस मामले पर अब भी विचार हो रहा हैं ; और

(च) यदि हां, तो इस विलंब का क्या कारण है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १० नवम्बर, १९५९ को इंडियन एअरलाइन्स कारपोरेशन के एक एरिया मैनेजर ने, जो विमान वीटी-डी आई जेड का कप्तान था, उस सूची में जो उसने दिल्ली सीमाशुल्क विभाग को पेश की थी रेफ्रीजरेटर वाला एक पैकेज शामिल नहीं किया था । यह रेफ्रीजरेटर उसका नहीं था ।

(ख) कुछ यात्रियों के पास ऐसी वस्तुएं पायी गयीं जिन पर शुल्क लगाया जा सकता था । ये वस्तुऐं जब्त कर ली गयीं और मालिकों के खिलाफ कार्यवाही की गयी ।

(ग) यह रेफ्रीजरेटर जब्त कर लिया गया और ९१५ रुपये का जुर्माना और देय सीमा शुल्क दिये जाने के बाद उसे छुड़ाने की अनुमति दी गयी थी ।

(घ) आरोप यह था कि विमान के कप्तान के रूप में उपर्युक्त पदाधिकारी ने सूची में रेफ्रीजरेटरदर्ज न करके समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ३३ का उल्लंघन किया था ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जीवन बीमा निगम की पालिसियों का हस्तान्तरण

†३७१६. **श्री सम्पत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के श्री लंका रजिस्टर से निगम के भारतीय रजिस्टर में पालिसियों के हस्तान्तरण की प्रथा अब बंद कर दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ; और

(ग) जब से यह प्रथा बंद हुई है तब से श्री लंका रजिस्टर से भारतीय रजिस्टर में पालिसियों के हस्तान्तरण के कितने आवेदनपत्र आये ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही और वह प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दिया जायगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सुल्तानपुर उपनिर्वाचन

†३७१७. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री तंगामणि :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल में हुए सुल्तानपुर उपनिर्वाचन के बाद एक पराजित उम्मीदवार ने हिसाब किताब पेश नहीं किया ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस भविष्य में चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है ;

(ग) क्या इस आशय की कोई गजट अधिसूचना जारी की गयी थी ;

(घ) क्या वह अधिसूचना रद्द कर दी गयी थी ; और

(ङ) उसके कारण क्या थे ?

†विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी नहीं। सुलतानपुर उपनिर्वाचन के सभी उम्मीदवारों ने विधि द्वारा आवश्यक ढंग से चुनाव खर्च के अपने अपने हिसाब पेश कर दिये थे लेकिन एक उम्मीदवार का हिसाब-किताब चुनाव अफसर को २२ जून, १९६१ को मिला था जब कि हिसाब पेश करने की आखिरी तारीख २१ जून, १९६१ थी।

(ख) और (ग) जिस उम्मीदवार के चुनाव खर्च का हिसाब चुनाव अफसर को निश्चित-तारीख के बाद मिलता है वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा ७ के खंड (ग) के अधीन अयोग्य हो जाता है। इसलिए उसका नाम २२ जुलाई, १९६१ के गजट ऑफ इंडिया में अधिसूचित कर दिया गया था।

(घ) जी हां।

(ङ) उम्मीदवार ने निर्वाचन आयोग के पास यह अभ्यावेदन भेजा था कि उसने २० जून, १९६१ को रजिस्टर्ड और बीमाशुदा लिफाफे में चुनाव खर्च का अपना हिसाब दिल्ली से चुनाव अफसर के पास इस आशा से भेजा था कि वह समय पर अर्थात् २१ जून, १९६१ को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जायेगा और इस आधार पर उसकी अनर्हता रद्द कर दी जाये। वास्तव में वह हिसाब किताब २२ जून, १९६१ को पहुंचा था।

निर्वाचन आयोग ने उसका स्पष्टीकरण मंजूर कर लिया और उसकी अनर्हता रद्द कर दी।

कच्चे लोहे का मूल्य

†३७१८. श्री ले० अचौ सिंह : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर सरकारी और सरकारी उद्योग क्षेत्रों में निर्मित किए जाने वाले कच्चे लोहे के प्रतिधारण एवं विक्रय मूल्यों में २५ रुपए प्रति मीट्रिक टन वृद्धि कर दी ह ; और

(ख) यदि हां, तो यह वृद्धि किस आधार पर की गई है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) और (ख). विधान, न्यायनिर्णयन अथवा समझौते के पंचाटों, अवक्षयण आदि द्वारा किए गए रेलवे के भाड़े में परिवर्तनों, कोयले के

---

†मूल अंग्रेजी में

संविहित मूल्यों, कच्ची सामग्री, स्टोर अथवा मशीनों की लागत और श्रम लागत के परिणाम स्वरूप उत्पादन लागत में कुछ स्वीकृत परिवर्तनों के लिए प्रतिधारण मूल्यों का समय समय पर समायोजन किया जाता है। भारतीय लोहा तथा इस्पात समवाय और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को देय कच्चे लोहे के प्रतिधारण मूल्यों में १९५८ में प्रचलित मूल्यों से औसतन २५ रुपए से ३० रुपए प्रतिटन वृद्धि की गई थी। विक्रय मूल्य २८ जुलाई, १९६१ से २५ रुपए प्रति मीट्रिक टन बढ़ा दिए गए हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की निधियां

†३७१९. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपनी अतिरिक्त निधियों का वाणिज्यिक बैंकों से भारत के राज्य बैंक में व्यपवर्तन करने का निदेश दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निदेश के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) यद्यपि १९५२ में जारी किए गए निदेशों के अनुसार स्थानीय निधियों और अर्ध-सरकारी संस्थाओं के लिए अपनी निधियां सरकार अथवा भारत के राज्य बैंक में जमा करना आवश्यक है परन्तु सरकारी उद्योग क्षेत्र के स्वायत्तशासी उपक्रमों पर लागू किए जाने के लिए कोई स्पष्ट एवं निर्दिष्ट आदेश नहीं है। स्थिति के स्पष्टीकरण का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय विनियोजन केन्द्र

†३७२०. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विनियोजन केन्द्र को अमरीकी समवायों से अनेक प्रकार के उद्योगों के लिए वित्तीय सहयोग के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस विदेशी सहयोग का धन एवं प्रविधिक ज्ञान सबंधी ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) यह सहयोग किस प्रकार के उद्योगों के लिए चाहा गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). भारतीय विनियोजन केन्द्र को अनेक प्रकार के उद्योगों में सहयोग के संबंध में अमरीकी समवायों तथा कनाडा, इटली, हौलैण्ड, स्विटज़रलैण्ड, आस्ट्रेलिया आदि के समवायों से भी पूछताछ करने वाले पत्र प्राप्त हुए हैं। वे व्याख्यात्मक हैं और कोई ठोस प्रस्ताव सामने नहीं रखते हैं।

(ग) विदेशी साथों ने आधारभूत रसायनों के निर्माण, निर्माण उपकरण, औद्योगिक कुम्भकारी, स्टील ट्यूब, विद्युत् उपकरण, औषधियों, परिष्कृत खाद्य आदि के संबंध में पूछा है। कुछ अन्य देशों ने संयुक्त उपक्रमों की स्थापना से संबंधित प्रक्रिया एवं कानूनी प्रश्नों के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में शरणार्थियों का पुनर्वास

†३७२१. **श्री दशरथ देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने विस्थापित परिवार हैं जिन्हें अभी तक त्रिपुरा में पुनर्वास के लिए एक शरणार्थी परिवार को दिये जाने वाले प्रस्तावित धन और भूमि का पूरा कोटा प्राप्त नहीं हुआ है ; और

(ख) उनके मामलों में शीघ्रता करने के लिए क्या प्रभावपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) उन परिवारों ऋण तथा अनुदान का पूरा कोटा नहीं मिला है : २७१ ।

उन परिवारों की संख्या जिन्हें भूमि का पूरा कोटा नहीं मिला है : १२०० ।

(ख) इन विस्थापित व्यक्तियों को शेष राशि पूर्व शर्तों की पूर्ति किए जाने पर भुगतान की जा रही है । आवंटन के लिए भूमि धीरे धीरे प्राप्त की जा रही है ।

पेंशनों के मामले

†३७२२. **श्री बलराज मधोक :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई स्थायी आदेश है कि निवृत्त कर्मचारी के पेंशन के मामले का तुरन्त फैसला किया जाना चाहिए ताकि उसको अपनी पेंशन निवृत्ति के एक महीने के अन्दर मिल सके ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पेंशन के मामलों का फैसला निवृत्ति के पश्चात् तीन महीने से एक वर्ष तक की अवधि में भी नहीं किया जाता है ;

(ग) सरकारी विभागों में (मंत्रालय-वार) कितने ऐसे मामले पड़े हुए हैं जिनका फैसला पिछले तीन वर्षों में नहीं किया गया है ; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) हां, श्रीमान् । सम्बन्धित उपबन्ध सिविल सेवा विनियमों के अनुच्छेद ९०६ में सन्निहित है जिसमें यह कहा गया है कि पेंशन के प्रार्थनापत्रों का फैसला करने वाले अधिकारियों को यह प्रयत्न करना चाहिए कि अधिकारी को उसी दिन पेंशन मिल सके जिस दिन वह देय होती है ।

(ख) पेंशन के मामलों के फैसले में कभी कभी देर हो जाती है ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और कालान्तर में सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) पिछले दो वर्षों में पेंशनों की मंजूरी और भुगतान में होने वाले विलम्ब को कम करने के लिए कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी सुधार किये गये हैं । पेंशन के प्रयोजन के लिए सेवा काल और उपलब्धियों के आकलन के नियम सरल बनाये गये हैं । पेंशन के मामलों के समय पर निबटारे की व्यवस्था के लिए एक निदेश पुस्तिका प्रकाशित की गई है । प्रक्रियासम्बन्धी सुधारों और नियमों के सरलीकरण के सम्बन्ध में एक विवरण १० अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९७९ के उत्तर में सभा-पटल पर रखा गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमावर्ती क्षेत्रों की सड़कें

३७२३. **श्री ज० ब० सिं० बिष्ट :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में सड़कों के निर्माण पर पृथक्-पृथक् कितनी राशि व्यय की गई ; और

(ख) उपरोक्त राज्यों में से प्रत्येक के पहाड़ी क्षेत्रों में कितने मील लम्बी सड़क बनाने का विचार है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) तथा (ख) इस सूचना को प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है ।

एक पूर्वी जर्मन प्रोफेसर द्वारा भारत के संबंध में लिखी गई पुस्तक

†३७२४. **श्री वाजपेयी:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक पूर्वी जर्मन प्रोफेसर द्वारा लिखित "एन इन्ट्रोडक्शन टु इंडिया : ए समेरी ऑफ इंडियाज़ हिस्टॉरीकल एण्ड कल्चरल डेवलपमेंट" नामक पुस्तक की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें भगवान बुद्ध को "प्रतिक्रियावादी, अवसरवादी नेता और निरंकुशता का समर्थक" कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में पूर्वी जर्मन सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा गया है ; और

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो उस के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) से (ग) प्रश्न में उल्लिखित नाम की पुस्तक, जिसके लेखक पूर्व बर्लिन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाल्टर रुबेन हैं, की आपत्तिजनक बातों के सम्बन्ध में सरकार ने अगस्त, १९५९ में कुछ अखबारों में प्रकाशित खबरें देखी थीं । हमने अपने बर्लिन स्थित दूतावास से उस पुस्तक की एक प्रति प्राप्त करने के लिए कहा था । परन्तु वे इस नाम की पुस्तक का पता नहीं लगा सके ।

शब्दकोष

†३७२५. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के श्री बी० डी० नरवाने ने एक १६ भाषाओं का शब्दकोष तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस शब्द कोष का संकलन किन किन भाषाओं में किया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस शब्द कोष की लगभग २००० प्रतियां खरीदने का एक प्रस्ताव भारतसरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो ये प्रतियां किस प्रयोजन एवं कितनी लागत पर खरीदने का विचार किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[Reactionary, a demagogue and a clandestine ally of despotism.

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) १. आसामी । २. बंगला । ३. अंग्रेजी । ४. गुजराती । ५. हिन्दी । ६. कन्नड़ । ७. काश्मीरी । ८. मलयालम् । ९. मराठी । १०. उड़िया । ११. पंजाबी । १२. संस्कृत । १३. सिन्धी । १४ तामिल । १५. तेलगू । १६. उर्दू ।

(ग) और (घ). उस प्रकाशन की ३० रुपये प्रति पुस्तक की दर से १७०० प्रतियां खरीदने का निर्णय किया गया है । ये प्रतियां विश्वविद्यालयों, उनके संगठक तथा सम्बद्ध कालेजों, स्वयं-सेवी हिन्दी संगठनों, गुरुकुलों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, केन्द्रीय सरकार आदि के पुस्तकालयों को मुफ्त वितरित की जायेंगी ।

बिशनपुर (मनीपुर) का महल

†**३७२६. श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में स्थित बिशनपुर के लोगों ने बिशनपुर के प्राचीन महल और "बांगोम फूरा" नामक प्राचीन मन्दिर के संरक्षण के लिए अभ्यावेदन भेजा है ;

(ख) क्या प्राचीन महल का अहाता स्थानीय लोगों द्वारा आपत्ति किए जाने के बावजूद गैर सरकारी पट्टे की भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो प्राचीन महल के अवशेषों को कितनी क्षति पहुंच चुकी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). वह महल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के चार्ज में नहीं है अतः उसका इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

भारतीय छिद्रण कर्मचारी[1]

†**३७२७. श्री कै० प० सिन्हा** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छिद्रण कर्मचारीवर्ग के भारतीयकरण के लिए क्या कदम उठाए गए है ;

(ख) इस समय कितने विदेशी छिद्रण कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) उनके स्थान में भारतीय कर्मचारियों को रखने में कितना समय लगने की संभावना है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) छिद्रण कर्मचारीवर्ग के यथाशीघ्र भारतीयकरण के लिए समस्त संभव कदम उठाए जा रहे हैं । उन्हें छिद्रण कार्य में भारत में तथा विदेशों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

(ख) १११ ।

(ग) संभवतः तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Indian Drilling Staff.

राजस्थान में तेल

†३७२८. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में तेल और पेट्रोलियम के सम्बन्ध में अभी तक कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) जैसलमेर जिले में लगभग १८०० वर्ग मील में विस्तृत भूतत्वीय मापांकन किया गया है और जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर जिलों में लगभग २४०० वर्ग मील में अर्ध-विस्तृत भूतत्वीय मापांकन किया गया है । १७,००० वर्ग मील में वायु-चुम्बकीय (एयरोमैगनेटिक) सर्वेक्षण और ७,४०० वर्गमील में भूमि गुरुत्व एवं चुम्बकीय सर्वेक्षण किया गया है । इसके अतिरिक्त ५२ लाइन मीलों में भूकम्पीय सर्वेक्षण भी किया गया था ।

मनीपुर में स्कूल की इमारतों का निर्माण

†३७२९. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग तीस हजार रुपये की राशि निर्दिष्टत: मनीपुर प्रादेशिक परिषद् के अन्तर्गत स्कूलों की इमारतों के निर्माण के लिए मंजूर की गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस निर्दिष्ट अनुदान का दुरुपयोग एवं विभिन्न प्रयोजनों के लिए व्यपवर्तन किया गया है ; और

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (ग). सूचना मनीपुर प्रशासन से एकत्रित की जा रही है और कालान्तर में सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

यूरोप में आर्थिक मामलों सम्बन्धी भारतीय आयोग का मुख्यालय

†३७३०. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोप में आर्थिक मामलों सम्बन्धी भारतीय महा-आयुक्त का मुख्यालय लन्दन से ब्रूसेल्स हटाया जाना है ; और

(ख) क्या इस व्यवस्था के कोई विशेष कारण हैं और यदि हां, तो मुख्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) और (ख). यूरोपीय आर्थिक समुदाय में होने वाले संभावित परिवर्तनों के अनुसार यूरोप में भारतीय आर्थिक मामलों सम्बन्धी भारतीय महा-आयोग के भावी गठन के प्रश्न की जांच की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

‡European Economic Community.

विद्युत् जनन के लिए अमरीका से ऋण

†३७३१. **श्री कैं० प० सिन्हा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका ने इस देश में विद्युत् जनन (बिजली घरों की स्थापना) में सहायता के लिए तीस करोड़ रुपये का ऋण देना स्वीकार कर लिया है;

(ख) यह धन किस प्रकार व्यय किया जायेगा; और

(ग) इस ऋण पर ब्याज की दर क्या होगी और उसका भुगतान किस प्रकार किया जायेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, हां ।

(ख) उन ऋणों, जो डालरों में होंगे, का उपयोग तलचेर (उड़ीसा), बिरसिंहपुर (मध्य प्रदेश) और शेरावती २ प्रक्रम (मैसूर) की विद्युत् परियोजनाओं के लिए उपकरण की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा व्यय क लिए किया जायेगा ।

(ग) ऋणों पर ३½ प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज होगा और उनका पुनर्भुगतान २० वर्षों में अर्ध-वार्षिक किश्तों में किया जायेगा ।

मद्रास में स्कूल के बच्चों को खाद्योपहार

†३७३२. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने मद्रास के स्कूलों के बच्चों को खाद्योपहार भेजने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मात्रा कितनी है; और

(ग) क्या खाद्य का संभरण प्रारम्भ हो गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). सूचना मद्रास सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी सुविधायें

†३७३३. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय पिछड़े वर्ग संघ ने हाल में पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए अधिक शिक्षा सुविधाओं की मांग की थी ताकि वे अनुसूचित जातियों की समानता कर सकें;

(ख) यदि हा, तो उन्होंने और क्या सुविधायें मांगी हैं; और

(ग) इन मांगों पर सरकार का निर्णय क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क) यह बात अभी हमारी जानकारी में नहीं आई है ।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यापन व्यवसाय के संगठनों का विश्व संघ

†३७३४. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अध्यापन व्यवसाय के संगठनों के विश्व संघ का दसवां वार्षिक अधिवेशन हाल में दिल्ली में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में क्या विचार व्यक्त किये गये थे और क्या सिफारिशें की गई थीं; और

(ग) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही, यदि कोई हो, की जानी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार को कोई प्रतिवेदन नहीं मिला है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली के बिक्री-कर कार्यालयों द्वारा फार्मों का संभरण

†३७३५. **श्री बलराज मधोक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह ज्ञात है कि दिल्ली के व्यापारियों को केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम के अन्तर्गत 'सी' फार्म लेने के लिए दिल्ली के बिक्री-कर कार्यालयों में अनेक चक्कर लगाने पड़ते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन फार्मों का कुछ मूल्य देना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो ये फार्म व्यापारियों को उनके द्वारा पहली बार मांग किये जाने पर ही क्यों नहीं दे दिये जाते हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) नहीं, श्रीमान् । दिल्ली के बिक्री-कर आयुक्त द्वारा यह हिदायतें जारी की गई हैं कि घोषणा पत्र 'सी' जारी करने के लिए प्रार्थना पत्रों का निपटारा उसी दिन हो जाना चाहिए । व्यापारियों को उन्हीं मामलों में दुबारा आना पड़ता है जबकि वे पहले दिये गये 'सी' फार्मों के उचित उपयोग के समर्थन में प्रमाण पेश नहीं कर पाते हैं ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) उपरोक्त (क) की दृष्टि से उत्पन्न नहीं होता ।

कच्छ में पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी

†३७३६. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मो० ब० ठाकुर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में ८० पाकिस्तानी राष्ट्रजनों, जिनमें स्त्रियां भी हैं, को जिन्होंने कच्छ जिले (गुजरात) में हावदा के निकट भारतीय राज्य क्षेत्र में प्रवेश किया था, गिरफ्तार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का पूरा ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बातार)** : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

सशस्त्र बल मुख्यालय में लोअर डिवीजन क्लर्क

†३७३७. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र बल मुख्यालय, नई दिल्ली के भर्ती नियमों के अन्तर्गत लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए विनिहित न्यूनतम शिक्षा सम्बन्धी योग्यता मैट्रिकुलेशन अथवा कोई समान परीक्षा है;

(ख) क्या आफिसर सुपरवाईजरों और उससे ऊपर के पदों के लिए ऐसी कोई न्यूनतम योग्यतायें निर्धारित नहीं हैं; और

(ग) क्या ये नियम भी वरिष्ठता और पुष्टि के नियमों के मामले की तरह गृह-कार्य मंत्रालय सेवा मुख्यालय, सशस्त्र बल मुख्यालय के कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त संघों और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से बनाये गये थे ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रेड के लिए भर्ती नियम नहीं बनाये गये हैं । परन्तु इस ग्रेड के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम शिक्षा सम्बन्धी योग्यता, अर्थात् मैट्रिकुलेशन अथवा कोई समान परीक्षा, का पालन किया जाता है ।

(ख) नहीं, श्रीमान्, क्योंकि गजटेड पदों के लिए कोई प्रत्यक्ष भर्ती नहीं की जाती है ।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) की दृष्टि से उत्पन्न नहीं होता ।

सशस्त्र बल मुख्यालय में स्टैनोग्राफर

†३७३८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी–जून १९६१ में सशस्त्र बल मुख्यालय, नई दिल्ली में द्वितीय श्रेणी के ५० स्टैनोग्राफर भर्ती किये गये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह भरती संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा नहीं की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या १८ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५०० के उत्तर में बताई गई यह बात कि "द्वितीय श्रेणी के स्टैनोग्राफरों की भरती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई है" ग़लत बताई गई थी ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) और (ख). जी नहीं । सशस्त्र बल मुख्यालय में काम करने वाले ३४ स्टैनोग्राफरों को अस्थाई रूप में तब तक के लिए जब तक संघ लोक सेवा आयोग छांटे हुए नामों को नहीं भेजता है, द्वितीय श्रेणी के स्टैनोग्राफरों के पदों पर नियुक्त कर लिया गया था ।

(ग) जी नहीं, उत्तर ठीक था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दीवान हाल की घटना

†३७३९. **श्री वी० चं० शर्मा:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दीवान हाल, जहां पर हिन्दी रक्षा समिति के नेता अनशन रखे हुए थे, में सार्वजनिक सभा के बीच में २० अगस्त, १९६१ को एक पटाखा फेंका गया था ?

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं तथा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे ।

(ग) मामले की जांच हो रही है ।

पुरातत्व विभाग के सुपरिंटेंडेंट के कार्यालय पर पुलिस द्वारा छापा

†३७४०. **श्री बलराज मधोक :** क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि पुरातत्व विभाग, उत्तर-पश्चिम सर्किल, नई दिल्ली के सुपरिंटेंडेंट के कार्यालय पर गृह-कार्य मंत्रालय विशेष पुलिस संगठन ने अप्रैल, १९५८ में छापा मारा था;

(ख) किस प्रकार की रिपोर्ट के आधार पर छापा मारा गया था;

(ग) क्या विशेष पुलिस संगठन ने आरोपों की जांच कर ली थी और वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था;

(घ) सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी;

(ङ) क्या यह भी सच है कि इन में से दो व्यक्तियों की सेवा वृद्धि की गई थी तथा एक व्यक्ति को पदोन्नति के लिए चुन लिया गया था; और

(च) यदि हां, तो ऐसा करने का क्या औचित्य था ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) से (घ). विशेष पुलिस संगठन को कुछ शिकायतें मिली थीं कि उत्तर पश्चिम सर्किल के कुछ कर्मचारियों ने विभिन्न ठेकेदारों को अनियमित भुगतान किये थे । तदनुसार विशेष पुलिस संगठन कार्यालय में गया था उन्होंने जांच के लिये उचित रिकार्ड इकट्ठा किये थे । छापा नहीं मारा गया था । बाद में पुलिस के मंत्रालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसके आधार पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाये गये थे । अधिकारियों के लिखित उत्तर मिल गये हैं और उनकी जांच की जा रही है ।

(ङ) और (च). सम्बन्धित अधिकारियों में से किसी को भी पदोन्नति के लिये नहीं चुना गया है । एक व्यक्ति की सेवा वृद्धि अवश्य की गई क्योंकि ऐसा न करने पर मामले पर बुरा प्रभाव पड़ सकता था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के प्राइमरी अध्यापकों के लिए भविष्य निधि योजना

†३७४१. **श्री बलराज मधोक :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने सहायता प्राप्त स्कूल सम्बन्धी समिति (सुचेता कृपालानी समिति) की इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है कि दिल्ली के सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को परिवीक्षावधि समाप्त हो जाने के बाद भविष्य निधि योजना के लाभ दिये जाने चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि दिल्ली के प्राइमरी सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को अब तक भविष्य निधि योजना के लाभ नहीं दिये गए हैं; और

(ग) यदि उपरिलिखित भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

टैक्नीकल असिस्टेंट

†३७४२. **श्री बलराज मधोक :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों में कुछ असिस्टेंटों के पद टैक्नीकल असिस्टेंटों के पद बना दिये गये हैं;

(ख) असिस्टेंटों, टैक्नीकल असिस्टेंट तथा यू० डी० सी० के कर्तव्यों में क्या अन्तर है;

(ग) टैक्नीकल असिस्टेंट के चुनाव का क्या आधार है ;

(घ) क्या इन पदों को काम दिलाऊ दफ्तरों के द्वारा विज्ञापित किया गया है अथवा व्यक्तियों को भरती किया गया है;

(ङ) क्या यह सच है कि यू० डी० सी० की उपेक्षा करके टैक्नीकल असिस्टेंटों के कुछ पदों पर एल० डी० सी० को पदोन्नत कर दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार):** (क) जी नहीं । गृह-कार्य मन्त्रालय की जानकारी के अनुसार ।

(ख) टैक्नीकल असिस्टेंट विशेष अथवा टैक्नीकल काम करते हैं । इसके अतिरिक्त नियमित असिस्टेंट तथा यू० डी० सी० सचिवालय के सामान्य सचिवालय काम, जैसे नोटिंग/ड्राफ्टिंग तथा नानटैक्नीकल कामों को करते हैं ।

(ग) काम के प्रकार तथा उसके लिए अपेक्षित अर्हताओं के आधार पर प्रत्येक विभाग में अलग अलग आधार होता है ।

(घ) सम्बन्धित मन्त्रालय/विभाग द्वारा पदों के लिये बनाये गये भरती नियमों पर यह आधारित होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) और (च). यह मामला मन्त्रालयों/विभागों से सम्बन्धित है और पदों के लिये बनाये गये भरती नियमों के अनुसार भरती की जाती है इसलिये गृह-कार्य मन्त्रालय को इन नियुक्तियों की जानकारी नहीं है ।

लोअर डीविजन क्लर्क तथा अपर डिवीजन क्लर्क

†३७४३. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री राम गरीब :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोअर डिवीजन क्लर्कों तथा अपर डिवीजन क्लर्कों के पदों को आपस में विलीन करके 'जूनियर असिस्टेंट' के पद बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आदेश कब जारी किये जायेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अंकलेश्वर तेल क्षेत्र

†३७४४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १६ अगस्त १९६१ को अंकलेश्वर के कूवां नम्बर ९ में तेल निकल आया है ;

(ख) यदि हां, तो यह तेल किस किस्म का है; और

(ग) इस कुवें के अनुमानित रिजर्व क्या हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) जी हां ।

(ख) अंकलेश्वर तेल क्षेत्रों के अन्य कूवों में प्राप्त तेल के समान ही इस कुवें का तेल भी है।

(ग) एक कुवें के निश्चित रिजर्व नहीं होते हैं अपितु रिजर्व हमें पूरे तेल क्षेत्र के होते हैं ।

नालीदार लोहे की चादरों का वितरण

†३७४५. **श्री ले० अवौ सिंह** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्धारित फर्मों पर नालीदार लोहे की चादरों के सम्भरण के लिये मनीपुर प्रशासन को अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो १९६०–६१ में ऐसे कितने अभ्यावेदन मिले थे; और

(ग) १९६०–६१ में अब तक जनता को कितनी मात्रा का वितरण किया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: राज्य इस्पात लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा मनीपुर क्षेत्र में गैल्वैनाइज्ड नालीदार लोहे की चादरों का वितरण किया गया है। मनीपुर प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी नीचे दी जाती है:—

(क) जी हां।

(ख) १,१२२।

(ग) आदिम जातियों समेत जनता को ३७५ मीट्रिक टन दिये गये थे।

शिवसागर में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की बस्ती

†**३७४६. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के शिवसागर में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बस्ती निर्माण में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में काम अनुसूची से पीछे है;

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) बस्ती के लिये अभी उपयुक्त स्थान का चुनाव नहीं किया गया है।

(ख) अभी निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है।

(ग) उपयुक्त स्थान का चुनाव करने में कठिनाई।

(घ) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग प्रयत्न कर रहा है कि भूमि का चुनाव करें और उसके बाद तुरन्त ही काम आरम्भ हो जायेगा।

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड

†**३७४७. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत इलैक्ट्रानिकस लिमिटेड द्वारा निर्मित भवन का बहुत सा भाग खाली पड़ा है और स्थापित दर्शन क्षमता भी बहुत सी बेकार पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) और (ख). रडार, ट्रांसिस्टर तथा कैपेसिटर परियोजनाओं के लिये निश्चित समस्त निवास स्थान का लगभग २७ प्रतिशत बेकार पड़ा है। यह परियोजनायें बनाई जा रही हैं इसलिये निकट भविष्य में पूरे स्थान का पूरा उपयोग कर लिया जायेगा। सामान्यतः उत्पादन मशीनों का लगभग ६० प्रतिशत से ६२ प्रतिशत उपयोग किया जा रहा है क्योंकि इलैक्ट्रानिक उद्योग उपक्रम के लिये कई प्रकार के भिन्न भिन्न यन्त्रों का निर्माण करना पड़ता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का निवास स्थान

†३७४८. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के प्रथम निवास स्थान को दक्षिण अफ्रीका में भारतीय इतिहास के दस्तावेजों को रखने के लिये संग्रहालय बनाया जा रहा है ;

(ख) क्या भारत सरकार इस योजना की क्रियान्विति में भाग लेगा; और

(ग) यदि हां, तो किस रूप में ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर):** (क) भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पुनर्वास वित्त प्रशासन

†३७४९. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया:** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्वास वित्त प्रशासन को सरकार ने वित्त मन्त्रालय का अधीनस्थ कार्यालय बना दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यालय में वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया है; यदि नहीं, तो क्यों नहीं ;

(ग) क्या सरकार ने इस कार्यालय में काम करने वाले अधिकांश कर्मचारियों को सेवा मुक्त करने का निर्णय कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या छंटनी किये गये कर्मचारियों को खपाने के लिये कोई व्यवस्था की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) ३१ दिसम्बर, १९६० को काम की समाप्ति पर पुनर्वास वित्त प्रशासन के बन्द हो जाने से ऋण की वसूली का काम वित्त मत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय पुनर्वास वित्त प्रशासन एकक को सौंप दिया गया था ।

(ख) जी, नहीं । ३१ दिसम्बर, १९६० को प्रशासन में काम करने वाले सभी कर्मचारियों जिन्होंने प्रशासन के कर्मचारी विनियमनों के अधीन सेवा की शर्तों के अनुसार सरकारी नौकरी में रहना स्वीकार कर लिया था, को एकक में रख लिया गया था ।

(ग) ऋण ज्यूं ज्यूं वसूल होता जायेगा त्यूं त्यूं अधिक होने पर कर्मचारियों को पदच्युत किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) एकक में जो कर्मचारी सरकारी विभागों में नौकरी के उपयुक्त होंगे उनको रोजगार तथा प्रशिक्षण के महानिदेशालय की विशेष व्यवस्था के द्वारा पुनर्वास मंत्रालय के कर्मचारियों के समान नौकरी दिला दी जायेगी।

प्रतिरक्षा सामान का उत्पादन

†३७५०. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे प्रतिरक्षा सामान के २६ करोड़ रुपये के अलग अलग आंकड़े क्या हैं; और

(ख) द्वितीय पच वर्षीय योजना के हमारे लक्ष्य तथा १९६१–६२ में उत्पादन का कार्यक्रम क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) २६ करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था तथा १९५९–६० में आयुध कारखानों में उत्पादन २५.१४ करोड़ रुपये का हुआ था। अलग अलग यह है :—

	रुपये करोड़ों में
१. सेना . . .	१९.९४
२. नौबल, वायुसेना, एम० ई० एस०, आदि . . .	१.७५
३. असैनिक व्यापार	३.४५

(ख) प्रतिरक्षा व्यय तृतीय पंच वर्षीय योजना के बाहर है।

१९६१–६२ वित्तीय वर्ष में उत्पादन ३६ करोड़ रुपये का होने की आशा है।

सवारी–भत्ता

†३७५१. **श्री राम गरीब : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार में कुछ अफसरों को कार/मोटर साइकिल/घोड़ा भत्ता लेने का अधिकार है;

(ख) यदि हां, तो किन पदों के अधिकारियों को यह भत्ता लेने का अधिकार है; और

(ग) क्या इस भत्ते की स्वीकृति के लिए कार्यालय तथा निवास स्थान के बीच न्यूनतम दूरी की कोई शर्त है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). जी, हां। कार/मोटर साइकिल/घोड़ा भत्ता उन अफसरों को दिया जाता है जो मुख्य कार्यालय से थोड़ी दूरी पर कर्त्तव्यपालन में अत्यधिक यात्रा करते हैं। इनको दैनिक भत्ता नहीं दिया जाता है। भत्ता सवारी के प्रकार तथा यात्रा दूरी के आधार पर दिया जाता है और उसका सरकारी कर्मचारियों के पदों से कोई सम्बन्ध नहीं है। सवारी भत्ते से सम्बन्धित शर्तें वित्त मंत्रालय, आफिस मैमोरन्डम संख्या ११(५)–ई ४ (बी)/६० दिनांक २४ मई, १९६१ में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुरातत्व वस्तुओं में कार्बन–१४' का निश्चयन

†३७५२. **श्री तंगामणि :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक–कार्य** मंत्री २८ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मौर्य खंडहरों में प्राप्त वस्तुओं में कारबन–१४ का निश्चयन किस प्रयोगशाला में किया गया था;

(ख) क्या पुरातत्व वस्तुओं में कारबन–१४ का निश्चयन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकीय विश्व-विद्यालय कालिज के भौतिकी विभाग में किया जाता है;

(ग) क्या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में इस कार्य पर गवेषणा वैज्ञानिक लगे हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनके नाम, उनकी अर्हतायें क्या हैं तथा कितनी खोज हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर):** (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय कालिज, कलकत्ता की प्रयोगशाला में ।

(ख) और (ग). जी नहीं । अभी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मद्रास तथा नागपुर नगरों को 'ए' क्लास बनाना

†३७५३. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मद्रास तथा नागपुर को 'ए' क्लास का नगर बनाने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) सरकार को मद्रास को 'ए' क्लास का नगर बनाने का अभ्यावेदन मिला है; नागपुर को 'ए' क्लास का नगर बनाने का कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है ।

(ख) क्योंकि मद्रास अथवा नागपुर की जनसंख्या १९६१ की जनगणना के अनुसार २० लाख से अधिक नहीं है इसलिए इन दोनों नगरों को 'बी' से 'ए' क्लास करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि 'ए' क्लास नगर बनने के लिए २० लाख से अधिक जनसंख्या होना आवश्यक होता है ।

सशस्त्र बल मुख्यालय के कर्मचारी

†३७५४. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २२ अगस्त, १९६१ को अतारांकित प्रश्न संख्या १९८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र बल मुख्यालय, नई दिल्ली के कितने कर्मचारियों की ई० टी० ई० सर्विस (अतिरिक्त अस्थायी स्थापना में सेवा) की वरिष्ठता और पदोन्नति के लिए गणना की गई है;

(ख) कितने कर्मचारियों की ई० टी० ई० सेवा की अभी गणना नहीं की गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित कर्मचारियों की इस सेवा की गणना न करने के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और समय पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) नियमों के अधीन जो लोग सशस्त्र बल मुख्यालय में १-८-१९५१ को आये थे उनकी वरिष्ठता इस मुख्य कार्यालय में उनके आने की तिथि से निश्चित की गई थी । इसलिए सशस्त्र बल मुख्यालय में एल डी ग्रेड में उनकी ई० टी० ई० सेवा की गणना करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को दिया गया सामान

†३७५५. **श्री कुन्हन** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री १ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से, उसको रायपुर के अधिवेशन के लिए दिये गये सामान का भाड़ा रुपये १०,३४३·५६ नये पैसे वसूल कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो इस धनराशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या यह सच है कि जब इस सामान का संभरण किया गया था उस समय भाड़े के भुगतान का समय निर्धारित कर दिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने बताया है कि रायपुर के अधिवेशन के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को दिये गये सामान का किराया---१०,३४३ रुपये ५६ नये पैसे---अभी नहीं दिया गया है ।

(ग) मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को याद दिलाया गया है कि शीघ्र भुगतान करे ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्रभाकर बैंक का बन्द होना

†३७५६. **श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या **वित्त** मंत्री १७ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायालय में लंबित, प्रभाकर बैंक लि० के मामले में निदेशकों और लेखा परीक्षकों के विरुद्ध चलाई गई अधिकार का दुरुपयोग करने के अपराध की कार्यवाही किस स्थिति में है ; और

(ख) जिन निदेशकों और लेखपरीक्षकों के विरुद्ध अधिकार के दुरुपयोग की कार्यवाही चल रही है, उनके नाम क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). प्रभाकर बैंक के निम्नलिखित निदेशकों और लेखा परीक्षकों के विरुद्ध चलाई गई अधिकार के दुरुपयोग संबंधी कार्यवाही की महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के द्वारा सुनवाई १३ नवम्बर, १९६१ के लिये नियत की गई है :—

निदेशक

१. श्री कारकल श्री निवास कामत
२. श्री चेरदप्पा माधव प्रभु
३. श्री नारायण शेशगिरि भट्ट
४. श्री गोपाल लक्ष्मण प्रभु
५. श्री लक्ष्मण एन० शेनाई
६. श्री अन्नप्पा अच्युत शेनाई
७. श्री माधव वासुदेव शेनाई
८. श्री नरसिंहम कृष्ण कामत
९. श्री रघुनाथ विट्ठल कामत
१०. श्री कुडपी श्रीनिवास शेनाई

लेखा परीक्षक

श्री ए० उमानाथ राव ।

भारतीय विमान बल के लिये असैनिक विमान चालक

†३७५७. **श्री ब्रजराज सिंह : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में 'बी' लाइसेंस वाले १० असैनिक विमान चालकों को भारतीय विमान बल के प्रशिक्षण के लिये चुना गया है ;

(ख) क्या इन विमान चालकों का प्रशिक्षणक्रम १५ सितम्बर, १९६१ से आरम्भ होगा ;

(ग) क्या प्रति वर्ष लगभग एक सौ विमान चालक भारतीय विमान बल के प्रशिक्षण के लिये भर्ती किये जाते हैं, और

(घ) यदि हां, तो क्या 'बी' लाइसेंस वाले असैनिक विमान चालकों में से शीघ्र ही अधिक विमान चालक भर्ती करने का विचार है ताकि उनको १५ सितम्बर से प्रारंभ होने वाले प्रशिक्षण-क्रम में शामिल किया जा सके ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रशिक्षण पाने वाले लोगों की संख्या लोकहित की दृष्टि से सभा पटल पर बताई नहीं जा सकती ।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नौसेना के दस्ते के लिये विमान चालक

†३७५८. **श्री ब्रजराज सिंह:** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय को भारतीय नौ सेना के नौ सेना दस्ता विमान कक्ष (नेवल फ्लीट एयर आर्म) के लिये विमान चालकों की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस काम के प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षणार्थियों का चुनाव खुले आम (ओपन मार्केट) होगा ;

(ग) क्या इस काम के प्रशिक्षण के लिये 'बी' लाइसेंस वाले असैनिक विमान चालकों में से विमान चालक चुनने के लिये एक प्रस्ताव प्रतिरक्षा मंत्रालय के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो यह चुनाव कब किया जा रहा है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) और (ख) जी हां ।

(ग) प्रशिक्षित असैनिक विमान चालक पहले से ही भर्ती के लिये अर्ह हैं यदि उनके पास अपेक्षित शिक्षा संबंधी योग्यता है और यदि वे निर्धारित आयु सीमा के अन्दर आते हैं ।

(घ) अभी तक अगली भर्ती की तिथि नियत नहीं की गई है ।

विदेशियों का भारत में अधिक समय तक ठहरना

†३७५९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल १९६१ से भारत सरकार को ऐसे कितने मामलों की सूचना मिली है जिनमें कुछ विदेशी उनके पासपोर्टों की अवधि बीत जाने के पश्चात भी भारत में ठहरे रहे थे ; और

(ख) वे किन देशों के थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अनुसूचित जातियों के लिये जम्मू व काश्मीर में आवास योजनाएं

†३७६०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ अनुसूचित जातियों के लिये आवास योजनाओं के लिये कितनी राशि मंजूर की गई थी ;

(ख) क्या नियतन की गई राशि, पूरी खर्च की गई है ; और

(ग) १९६०-६१ में इस योजना के अन्तर्गत काश्मीर में अनुसूचित जातियों के लिये कितने मकान बनाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):(क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मिट्टी के तेल की खपत

†३७६१. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी योजना की समाप्ति पर भारत में मिट्टी के तेल की प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी ; और

(ख) मिट्टी के तेल की हमारी वर्तमान प्रति व्यक्ति खपत, अमरीका, रूस, इंगलैंड और पश्चिम जर्मनी तथा चीन की प्रति व्यक्ति खपत की तुलना में कैसी है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) और (ख). विभिन्न किस्मों के मिट्टी के तेलों की प्रति व्यक्ति खपत जिनमें जेट का ईंधन आदि शामिल है, दूसरी योजना के पिछले वर्षों में ६.४ लीटर थी। इंगलैंड, रूस, पश्चिम जर्मनी, अमरीका और चीन में मिट्टी के तेल की प्रति व्यक्ति खपत संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शक्ति के बारे में सांख्यकी प्रकाशित करता रहा है, परन्तु देश विदेश की विभिन्न परिमात्राएं होने के कारण ठीक ठीक तुलनात्मक आंकड़े बताना कठिन है। कुछ एक रूप परिभाषाओं के आधार पर जिसकी उससे पुलना नहीं की जा सकती जिसके आभार पर दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष के उपरोक्त आंकड़े निकाले गये हैं) संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित आधुनिकतम प्रकाशन "विश्व शक्ति सांख्य १९५५–५८ " में, १९५८ के आंकड़े जो आधुनिकतम उपलब्ध हुये हैं जिसके बारे में जैट ईंधन आदि समेत मिट्टी के तेल के बारे में आंकड़े उपलब्ध हैं, नीचे दिये विवरण में दिखाए जाते हैं : —

देश	जैट ईंधन आदि समेत मिट्टी के तेल की प्रति व्यक्ति खपत
अमरीका	१९१.३ लीटर
इंगलैंड	५३.५ लीटर
पश्चिम जर्मनी .	६.४ लीटर
भारत . . .	५.५ लीटर

प्राविधिक विषयों के साहित्य का अनुवाद

†३७६२. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के पास विविध प्राविधिक विषयों संबंधी बहुतेरी विदेशी साहित्य अंग्रेजी और / अथवा हिन्दी में अनूदित है ;

(ख) यदि हां, तो किन अभिकरणों को वह काम सौंपा गया था ;

(ग) प्रत्येक मंत्रालय / विभाग द्वारा १९५९–६० और १९६१ में कितना व्यय किया गया; और

(घ) अनूदित साहित्य कितना उपयोगी पाया गया है और क्या उस पर हुए व्यय की तुलना में पर्याप्त उपयोगी है ।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायगी।

†मूल अंग्रेजी में

अध्ययन अवकाश सम्बन्धी नियम

†३७६३. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अध्ययन अवकाश की सुविधायें दूसरे वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर और उदार बना दी गयी हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकांश मामलों में सरकारी कर्मचारियों के द्वारा मांगी गयी पढ़ाई की छुट्टी किसी न किसी कारण से मंजूर नहीं की गई

(ग) कितने मामलों में छुट्टी इस आधार पर नहीं दी गयी कि परिणामतः रिक्त स्थान भरा नहीं जा सकता ; और

(घ) इस दिशा में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ताकि अपना अध्ययन जारी रखने के इच्छुक सरकारी कर्मचारियों को पढ़ाई की छुट्टी की सुविधा से वंचित न रखा जाए ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां।

(ख) अध्ययन अवकाश तत्संबंधी नियमों में निर्धारित कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए दी जाती है। यह तब अस्वीकार की जाती है जब संबंद्ध व्यक्ति उन शर्तों को पूरा नहीं करते यह सरकारी सेवा की आवश्यकता के आधार पर भी अस्वीकार की जा सकती है।

(ग) चूंकि प्रशासी मंत्रालय अध्ययन अवकाश देने में संक्षम हैं, अपेक्षित सूचना उनसे एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी । तथापि वर्तमान नियम और आदेश अध्ययन अवकाश दिये जाने से उत्पन्न रिक्त स्थान की पूर्ति को मना नहीं करते ।

(घ) दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर हाल ही में पढ़ाई की छुट्टी की सुविधायें काफी उदार बनाई गई थीं और वे उचित समझी जाती हैं।

लोअर डिवीजन क्लर्क

†३७६४. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अस्थायी लोअर डिवीजन क्लर्कों को २ अतिरिक्त वेतन-वृद्धियों का लाभ प्राप्त करने के लिये तीन वर्ष की सेवा पूरी करनी पडती है ;

(ख) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग की १९५८ की क्लर्क ग्रेड परीक्षा के आधार पर पुर किये गये, अस्थायी पदों पर लगे हुए अधिकांश लोअर डिवीजन क्लर्कों को ४ अतिरिक्त वेतन वृद्धियों का लाभ दिया गया है, हालांकि उन्होंने ३ वर्ष की सेवा पूरी नहीं की थी ; और

(ग) यदि हां, तो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के आधार पर लगे हुए अस्थायी लोगों को यह लाभ क्यों दिया गया है, जबकि यह लाभ पहले से सेवा में लगे हुए लोगों को नहीं दिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). अग्रिम वेतन-वृद्धियां लोअर डिवीजन क्लर्कों को दी जाती हैं जो क्लर्क ग्रेड में स्थायी पदों पर नियुक्ति के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

उपयुक्त समझे जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के आधार पर नियुक्त लोअर डिवीजन क्लर्कों के मामले में ये वेतन-वृद्धियां, ग्रेड में उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के आधार पर दी गई थीं, क्योंकि स्थायी तौर पर नियुक्त होने के लिये उनकी उपयुक्तता संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के आधार पर पहले ही निश्चित हो गई थी। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के अतिरिक्त नियुक्त लोगों के मामले में स्थायी तौर पर नियुक्ति की उपयुक्तता ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष तक काम करने के पश्चात् ही निश्चित की जा सकती है। इन दोनों श्रेणियों के लोगों को प्रति मिनट ४० शब्द की गति से टाइप करने की परीक्षा पास करने पर दो और वेतन-वृद्धियां मिल सकती हैं। वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् २८-९-१९६० से ये दोनों प्रकार की वृद्धियां बन्द कर दी गई हैं।

लोअर डिवीजन क्लर्क

†३७६५. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्थायी होने पर और संघ लोक सेवा आयोग की टाइप की परीक्षा पास करने पर लोअर डिवीजन क्लर्कों को पृथक-पृथक दो अग्रिम वेतन-वृद्धियां मिलना २८ सितम्बर, १९६० से बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस तिथि से पूर्व सेवा में लगे कितने क्लर्कों को यह लाभ मिला है ;

(ग) कितने ऐसे व्यक्तियों को ये वृद्धियां नहीं मिली हैं जिन्होंने अपेक्षित टाइप परीक्षा पास की थी ;

(घ) वेतन आयोग का प्रदिवेदन प्रस्तुत होने से पूर्व कितने लोगों ने टाइप परीक्षा पास की थी ; और

(ङ) इस रियायत को हटाने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : २८ सितम्बर, १९६० से पहले संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरती किये गये क्लर्कों को ग्रेड में उनकी नियुक्ति पर दो अग्रिम वेतन-वृद्धियां मिलने का हक था, और दो और वेतन-वृद्धियों का हक प्रति मिनट ४० शब्द की गति से टाइप परीक्षण पास करने पर था। अन्य क्लर्कों को भी उस ग्रेड में ३ वर्ष की सेवा पूरी करने पर दो वृद्धियां मिलने का हक था, यदि उन्हें उस ग्रेड में स्थायी होने के लिये उपयुक्त समझा जाता है, और यदि। वे प्रति मिनट ४० शब्दों की गति पर टाइप की परीक्षा पास करें तो उनको भी दो और वेतन-वृद्धियां मिल सकती हैं। दोनों प्रकार की वृद्धियां २८ सितम्बर, १९६० से बन्द कर दी गई हैं।

(ख) से (घ). अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) सरकार ने सचिवालय एवं सम्मिलित सम्बद्ध दफ्तरों में लोअर डिवीजन क्लर्कों को अतिरिक्त वृद्धियां देना बन्द कर देने के बारे में वेतन आयोग की सिफारिश कर ली है क्योंकि अधीनस्थ दफ्तरों में क्लर्कों को ऐसी वृद्धियां नहीं मिलतीं और दोनों श्रेणियों के बीच इस बारे में कोई भेदभाव करने का कोई विशेष कारण नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सैकेन्डरी स्कूलों का प्रबंध

†३७६६. **श्री रामेश प्रसाद सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के सैकेन्डरी स्कूलों के प्रबन्ध का नियंत्रण और विनियमन करने के लिये राज्य सरकारों के मार्ग दर्शनार्थ एक रूप नीति निर्धारित करने की वांछनीयता का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

दिल्ली में अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए भूमि

†३७६७. **श्री भा० कृ० गायकवाड** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमना बांध से परे दिल्ली के अनुसूचित जातियों के लोगों को कितने प्लाट आवंटित किये गये हैं ;

(ख) कितने लोगों को सरकार ने प्रति व्यक्ति ७५० रुपये की सहायता दी है ;

(ग) क्या यह सच है कि ५० प्रतिशत प्लाट वालों को कोई सहायता नहीं दी गई ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में अनुसूचित जातियों के लोगों के लिये मकान

†३७६८. **श्री भा० कृ० गायकवाड** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'दिल्ली हरिजन कल्याण बोर्ड के द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसार दिल्ली के अनुसूचित जाति के लोगों ने कितने मकान बनाये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उल्लिखित मकान दो वर्ष पूर्व पूरे किये गये थे किन्तु दिल्ली हरिजन कल्याण बोर्ड ने सम्बद्ध व्यक्तियों को अभी तक दूसरी और अन्तिम किश्त नहीं दी है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए जमीन

†३७६९. **श्री भा० कृ० गायकवाड** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १५ जुलाई, १९६१ को दिल्ली राज्य के डिप्टी कमिश्नर ने समाचार पत्रों में यह घोषित किया था कि दिल्ली के जिन अनुसूचित जातियों के लोगों के पास दिल्ली क्षेत्र में जमीनें हैं उन्हें भूमि सुधार अधिनियम के अनुसार जमीन का मालिक समझा जायेगा ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसके अनुसार उन्हें जमीनें दी हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि कुछ जमींदारों ने अनुसूचित जातियों को जमीनों से निकाल दिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दतार)** : (क) डिप्टी कमिश्नर ने समाचारपत्रों के जरिये घोषणा की थी कि दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम लागू होने से दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हरिजनों को उन जमीनों पर जहां उनके मकान बने हुए हैं, स्वामित्व के अधिकार मिल गये हैं। यह दिल्ली भूमि सुधार नियम, १९५४ के नियम ५ के साथ पठित दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, १९५४ की धारा ८ के अनुसार है।

(ख) और (ग). दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम में इस सम्बन्ध में सनद जारी करने की व्यवस्था नहीं है ।

(घ) ऐसा कोई मामला नजर में नहीं आया है ।

अलीपुर और मेहतरपुर खंड

†३७७०. **श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेहतरपुर और अलीपुर खंडों में लगभग १४०० बीघा सरकारी कृष्य-भूमि है ;

(ख) क्या यह सच है कि उसमें से लगभग ४०० बीघा जमीन गांव के जमींदार के पास है ; और

(ग) क्या यह सच है कि सरकार करीब ५० बीघा जमीन पर से अनुसूचित जातियों के लोगों को निकाल बाहर करने का प्रयत्न कर रही हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह यथासमय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

दिल्ली छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के भत्ते

३७७१. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंहगाई भत्ता, मकान किराया तथा नगर प्रतिकर भत्ता जो कि आजकल राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलता है, वह स्थानीय निकायों जिनमें छावनी बोर्ड भी शामिल हैं, के कर्मचारियों को भी मिलता है ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली के दो स्थानीय निकाय, अर्थात् दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका समिति ने भी द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और वे अपने कर्मचारियों को मंहगाई तथा दूसरे प्रकार के भत्ते संशोधित दरों पर दे रहे हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी बोर्ड के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता तथा अन्य प्रकार की वे सुविधायें, जो कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और अन्य स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को मिलती हैं नहीं मिल रही हैं ; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली छावनी बोर्ड के कर्मचारियों को दिल्ली के अन्य स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के समान स्तर पर लाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया). (क) जी हां, जहां तक छावनी बोर्डों का सम्बन्ध है, सिवाए उन दशाओं के, जहां राज्य सरकार के मंहगाई भत्ते के दर १ अप्रैल, १९५९ के पश्चात् (जिस तिथि से नेशनल ट्रिबुनल का फैसला लागू किया गया है) उन में संशोधन के कारण, छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के लिए हानिकारक हों ।

(ख) जी हां, जहां तक हमें ज्ञान ।

(ग) चूंकि दरों से सम्बद्ध फैसले का सस्ती से लागू करने का अर्थ होता, दिल्ली छावनी बोर्ड के कर्मचारियों की उपलब्धियों में कमी, इसलिए, उन्हें वही मंहगाई भत्ते के दर दिये जाने का फैसला किया गया, जो राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को १-४-५९ को प्राप्त थे । जहां तक अन्य सुविधाओं का सम्बन्ध है, वह ट्रिबुनल के फैसले द्वारा विनियमित है ।

(घ) चूंकि छावनी बोर्ड दिल्ली के कर्मचारी, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिबुनल के फैसले द्वारा विनियमित हैं, जो अभी तक लागू है, दिल्ली छावनी बोर्ड के कर्मचारियों को, दूसरे निकायों के कर्मचारियों के तुल्य, समानता देने के, कोई पग विचाराधीन नहीं हैं ।

द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारियों की प्रथम श्रेणी में पदोन्नति

३७७२. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के द्वितीय श्रेणी के नवयुवक पदाधिकारियों को प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी बनने के हेतु सुअवसर प्रदान करने के लिये सरकार ने जो अतिरिक्त परीक्षा की विशेष व्यवस्था की है उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस प्रकार की पहली परीक्षा कब होने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) और ख). द्वितीय श्रेणी के नवयुवक अधिकारियों को प्रथम श्रेणी की केन्द्रीय सेवाओं में पदोन्नत करने के लिए एक विशेष प्रतियोगी परीक्षा का प्रचलन करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

दिल्ली छावनी बोर्ड के क्वार्टर और दुकानें

३७७३. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी बोर्ड के पास लगभग २०० रहने के क्वार्टर और दुकानें हैं जिनमें आजकल असैनिक व्यक्ति रह रहे हैं और इसके कारण बोर्ड को काफी नुकसान हो रहा है ;

(ख) इन क्वार्टरों की देखभाल पर अनुमानत: कितना व्यय होता है और पिछले पांच वर्षों में इनसे कितना किराया मिला है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन क्वार्टरों को नीलाम करने का है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन कठिनाइयों पर विचार किया है जो इन क्वार्टरों के वर्तमान निवासियों के सामने आयेंगी ; और

(ङ) क्या सरकार ने इन क्वार्टरों को इनमें रहने वाले व्यक्तियों के पास आसान किश्तों पर बेचने का विचार किया है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) ११८ वास्य क्वार्टरों और ६५ दुकानों पर छावनी बोर्ड दिल्ली को औसतन २००० रुपये मासिक हानि उठानी पड़ रही है। इन में ४२ क्वार्टरों में तो छावनी बोर्ड फंड के कर्मचारी रह रहे हैं और ७६ दूसरों को किराये पर दिये हुए हैं।

(ख) पिछले पांच वर्षों में इन इमारतों की देख रेख पर व्यय, और प्राप्त किया गया किराया निम्नलिखित है :—

वर्ष	व्यय	प्राप्त किराया
१९५६-५७	१३,०५४	१,०,३१४
१९५७-५८	१३,०००	११,१५३
१९५८-५९	१२,१७२	१३,०६४
१९५९-६०	१०,८५७	११,४९६
१९६०-६१	१७,३५८	१०,३९३
जोड़	६६,४४१	५६,४२०

(ग) चूंकि इन इमारतों की देख रेख बचत के विचार से, अब कम लाभकारी हो रही है, उनके निबटारे का सुझाव छावनी बोर्ड के विचाराधीन है। भारत सरकार को अभी तक कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।

(घ) तथा (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

विभिन्न परियोजनाओं में विनियोजन

†३७७४. **श्री सम्पत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में विभिन्न केन्द्रीय सरकारी परियोजनाओं में कितनी-कितनी रकम लगायी गयी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायगी।

निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन

†३७७५. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (उन्मूलन) अधिनियम, १९६१ की धारा ६ के साथ पठित बम्बई विभाजन अधिनियम की धारा १९ के अधीन केवल वर्तमान द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र ही विभाजित किये जायेंगे ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो विधान सभा के लिए पाटन द्विसदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र क्यों नहीं विभाजित किया गया है जब कि मेहसाणा जिले या पाटन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानों की सख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो पाटन तालुके को हरिज तालुके से किस प्रकार अलग किया गया है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) से (ग). द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (उन्मूलन) अधिनियम, १९६१ की धारा ६ द्वारा सशोधित रूप में बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, १९६० की धारा १९ के अधीन गुजरात में सभी विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्य वाले निर्वाचन-क्षेत्र होंगे और चूंकि विधान सभा में स्थानों की संख्या १३२ से १५४ कर दी गयी है इसलिए अब उनका परिसीमन करना होगा। राज्य में एक मात्र द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र अर्थात् अहमदाबाद, को एक एक सदस्य वाले दो निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है।

पाटन द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र था जिसमें पाटन और हरिज तालुके और सिद्धपुर तालके का कुछ हिस्सा था। नये परिसीमन के अनुसार पाटन तालुके का अधिकतर भाग एक निर्वाचन क्षेत्र है, सनी तालुका, हरिज तालुका और पाटन तालुके का कुछ भाग दूसरा निर्वाचन क्षेत्र है और पाटन तालुके का शेष हिस्सा और सिद्धपुर तालुके का कुछ हिस्सा तीसरा निर्वाचन क्षेत्र है।

उद्योगों में शिशिक्षुओं[1] का प्रशिक्षण

†३७७६. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीकी टेक्निकल कोआपरेशन मिशन के "तृतीय देश सहायता कार्यक्रम" के अधीन श्रीलंका से नवसिखुओं को विभिन्न उद्योगों का प्रशिक्षण देने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने टेक्निशियन प्रशिक्षित किये जायेंगे ; और

(ग) वर्तमान योजना कितने वर्षों तक फैलायी गयी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) भारत में टेक्निकल कोआपरेशन मिशन ने भारत सरकार से यह पूछा है कि क्या "तृतीयदेश" कार्यक्रम के अधीन भारत में श्रीलंका के नवसिखुओं के लिए वास्तव में पद पर प्रशिक्षण (ऑन-दी-जॉब ट्रेनिंग) की व्यवस्था करना संभव हो सकेगा। विभिन्न उद्योगों के साथ इस विषय पर बातचीत हो रही है लेकिन अभी तक कोई निश्चय नहीं हुआ है।

(ख) टेक्निकल कोआपरेशन मिशन से वर्तमान पूछताछ १६ नवसिखुओं के सम्बन्ध में है।

(ग) प्रस्तावित प्रशिक्षण की अवधि ४ से ६ महीने तक की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Apprentices.

रेल सुविधाओं की कमी के कारण नागपुर में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के दफ्तर का बन्द हो जाना

†३७७६-क. **श्री गोरे** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सुविधाओं के अभाव के कारण टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने नागपुर में अपना दफ्तर और कान्हन में स्टाकयार्ड बंद कर दिया है ; और

(ख) नागपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में इस्पात का सामान पर्याप्त मात्रा में पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) कोटा-धारियों को यह सलाह दी गयी है कि वे अपनी पसन्द के स्टाकिस्ट चुन लें जिनके पास सप्लाई के बचे हुए आदेशों का पुनः आयोजन किया जा सके । जिन क्षेत्रों में कोई व्यवस्था नहीं है या कम व्यवस्था है वहां स्टाकिस्ट नियुक्त करने का सरकार ने भी निश्चय किया है और राज्य सरकारों से प्रार्थना की गयी है कि वे अपने-अपने प्रस्ताव विचारार्थ भेजें ।

नागा पहाड़ियों की स्थिति के बारे में

†**श्री हेम बरूआ** (गोहाटी) : श्रीमान् जी मैंने आपको नागा नेताओं से प्राप्त हुए तार के सम्बन्ध में पत्र लिखा था । उसमें नागा पहाड़ियों की स्थिति के सम्बन्ध में राज्यपाल के वक्तव्य का भी उल्लेख था और उसमें वहां के प्रशासन का विवरण भी था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इस बात की चर्चा की अनुमति नहीं दी ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

गैर सरकारी क्षेत्र के इस्पात के कारखानों को कोयले और चूने के पत्थर के नियमित रूप से संभरण न होने के कारण कठिनाइयां

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खान देश) : मैं नियम १९७ के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर इस्पात, खान और ईंधन मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

> "गैर सरकारी क्षेत्र में इस्पात के कारखानों को कोयले और चुने के पत्थर के नियमित रूप से सम्भरण न होने के कारण होने वाली कठिनाइयां । तथा उस स्थिति में सुधार करने के लिये की गई कार्यवाही ।"

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : मैं तत्सम्बन्धी वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं । [**देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७३.**]

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयले की स्थिति के बारे में वक्तव्य

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : श्रीमान्, जी ९ अगस्त, १९६१ को जब मैं कुछ अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहा था, तो आपने आदेश दिया था कि इस सम्बन्ध में वक्तव्य सभा पटल पर रखा जाय, अतः मैं तत्सम्बन्धी विवरण सभा पटल पर रखता हूं। **[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७४]**

हम इस विषय पर आज चर्चा भी कर रहे हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : मैं खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत दिनांक २ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना सख्या जी० एस० आर० २०६० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० ३२०१/६१]

भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमों में संशोधन

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १३ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०१८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० ३२०२/६१]

सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पादन शुल्क में निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम १९६० में संशोधन

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: मैं समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल रप रखता हूं।:—

(एक) दिनांक २६ अगस्त, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १०५०।

(दो) दिनांक २६ अगस्त. १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १०५१।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी ३२०३/६१]

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

कार्यवाही सारांश

†**श्री मूलचन्द दूबे** (फर्रूखाबाद) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के चौदहवें सत्र की पच्चीसवीं बैठक के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

याचिका समिति

कार्यवाही सारांश

†**श्री बर्मन** (कूच-बिहार रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं याचिका समिति के चौदहवें सत्र १९६१ में हुई बैठकों (पचपनवीं और छप्पनवीं) के कार्यवाही सारांश की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

कार्यवाही सारांश

†**सरदार अ० सिं० सहगल** (जंजगीर) : मैं, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौदहवें सत्र में हुई, बैठकों (छियास्सीवीं से नब्बेवीं) के कार्यवाही सारांश को सभा पटल पर रखता हूं ।

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही सारांश

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं वैदेशिक-कार्य मंत्रालय और प्रक्रिया सम्बन्धी तथा विधि विषयों के बारे में एक-सौ अड़तीसवें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की बैठकों की कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं :

एक सौ बयालीसवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** : मैं गृह कार्य मंत्रालय संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में अट्ठावनवें प्रतिवेदन मे की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति का एक सौ बयालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

याचिका समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

†**श्री बर्मन** (कूच-बिहार-रक्षित अनुसूचित जातियां) : मैं याचिका समिति का तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जमा धन बीमा विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम वैधानिक कार्य को लेंगे ।

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि जमा धन के बीमें के प्रयोजन के लिएं एक निगम की स्थापना और तत्सम्बन्धी अथवा आनुषंगिक अन्य विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

माननीय सदस्यों को पता है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में वित्तीय मामलों पर विचार करने के लिए १९५४ को एक समिति का निर्माण किया गया था । इस समिति ने यह सिफारिश की था कि जमा धन के लिए बिमा निगम की स्थापना की जाय । समिति द्वारा यह सुझाव समय-समय पर प्रस्तुत किया जाता रहा । है कुछ वर्ष हुए हमने भी इस मामले का परीक्षण किया था, उस समय कुछ देर प्रतीक्षा करना ही ठीक समझा गया । यह विचार था कि शनैः शनैः, रक्षित बैंक के नियंत्रण के परिणाम स्वरूप, बैंकों की वित्तीय स्थिति काफी सुधर जायगी । इसका परिणाम यह होगा कि प्रस्तावित जमा धन बीमा निगम का उत्तरदायित्व काफी कम हो जायेगा । यह भी विचार किया गया था कि इस योजना का जिन गैर सरकारी बैंकों पर प्रभाव पड़ेगा, जहां तक संभंध होगा, उनसे परामर्श कर लिया जायेगा । योजना के महत्वपूर्ण अंगों को स्वीकार करने के लिए उनपर जोर भी डाला जायेगा । परन्तु अब सभी पक्ष इस दिशा में एकमत हैं कि समय आ गया है जब कि जमा धन बीमा निगम की स्थापना कर दी जानी चाहिये । इस संबंध में रक्षित बैंक तथा दो बैंक संघों ने भी योजना पर सविस्तार विचार कर लिया है । राज्य बैंक की सलाह भी ले ली गयी है । अब सभी यह चाहते हैं कि इस योजना को जितनी शीघ्रता से सम्भव हो सके कार्यान्वित कर दिया जाये । इससे खातेदारों को काफी संरक्षण उपलब्ध हो जायगा । साथ ही बैंकिंग प्रणाली तथा वित्तीय प्रणाली काफी शक्तिशाली हो जायगी ।

इस विधेयक द्वारा जिस जमा धन बीमा निगम की स्थापना का विचार किया गया है वह अत्यन्त विशषोपयुक्त संस्था होगी । यह संस्था विश्व में अपन ढंग की दूसरी संस्था होगी ।अमेरिका का जमा धन बीमा निगम, जिसकी स्थापना १९३३ में की गई थी, संसार में इस प्रकार का एक और निगम है जिसे ऐसा ही दायित्व सौंपा गया है । इस दिशा में यह भी ठीक ही रहेगा कि मैं यह बात भी स्पष्ट कर दूं कि यह निगम इसलिए नहीं स्थापति किया जा रहा कि देश में बैंकिंग व्यवसाय को कोई संकट का सामना करना पड़ रहा है। मैं यह बात भी कहना चाहता हूं कि भारत में ज्वाइट स्टाक बैंक का समूचे रूप से संतोषजनक रहा है । बीमे की योजना लागू करन का निर्णय मुख्यतः इस लिए किया गया है कि धन जमा करने वाले व्यक्तियों को अपने धन में की सुरक्षा के बारे में-जिसमें उनका विशेषतः हित है या हो सकता है--यदि कोई चिन्ता या भ्रामक धारणा हो तो वह दूर कर दी जाय । अब जिस प्रकार की गारन्टी (प्रतिभूति) का उपबन्ध किया जा रहा है वह और हानि की स्थिति में तुरन्त भुगतान का सुनिश्चित करना बकिंग की आदत को प्रोत्साहन देने के लिये आवश्यक है ।

अब मैं संक्षप से वर्तमान विधेयक की मुख्य-मुख्य बातें सभा के समक्ष रखूंगा । विधेयक का मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जमा किया गया धन शामिल नहीं है, अधिनियम के लागू होने के तीस दिन के अन्दर बीमें के संरक्षण का लाभ मिलना चाहिये । निगम का वर्तमान

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० रा० भगत]

दायित्व १,५०० रुपये तक सीमित रहेगा। १०० रुपये पर प्रतिवर्ष १५ नये पैसे से अधिक बीमा लाभांश न दिया जा सकेगा। विधेयक में प्रस्तावित योजना के अनुसार ज्योंही किसी बैंक का समापन किया जायेगा या जमा धन को कम करने के संबंध में बैंक के पुनर्निर्माण या उसके विलय की की कोई योजना मंजूर कर दी जायेगी तो निगम उत्तरदायी हो जायेगा। अनुमान लगाया गया है कि इस प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत ७५ प्रतिशत लेखाएं और सारे जमा धन का पांचवां भाग जिसमें पी० एल० ४८० की निधि शामिल नहीं है, आ जायेगी। हमारी इच्छा यह है कि यद्यपि विधेयक में सौ रुपये के लिये पंद्रह नये पैसे की व्यवस्था की गयी है परन्तु हम चाहते यह हैं कि वास्तविक दर पांच नये पैसे ही निर्धारित की जाये। इससे बीमें का व्यय तुलनात्मक तौर पर कम हो जायेगा।

हम आशा करते हैं कि जिन हालात में, और जिस प्रकार यह निगम योजना को लागू किया जा रहा है उससे जिन साधनों की व्यवस्था निगम के लिये की गयी है उस पर कोई अधिक बोझ पड़ने की आशा नहीं। वैसे विधेयक में यह व्यवस्था कर दी गयी है कि यदि आवश्यक समझा जाये तो बाद में अधिमूल्य को बढ़ा दिया जाये और बीमें की सीमा में वृद्धि कर ली जाये। यह जो कुछ भी होगा इसका आधार इस बात पर है कि आगे चल कर इस निगम का कार्य किस प्रकार चलता है, मैं सभा का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं। जो, कुछ मास पहले इस योजना के बारे में, अखबारों में प्रकाशित हुआ था उसमें बड़ी महत्वपूर्ण तबदीली कर दी गयी है। इस विधेयक में जमा धन बीमें संबंधी जिस योजना की रूपरेखा दी गई है उसके अन्तर्गत सभी बैंकों का, जिसमें स्टेट बैंक आफ इन्डिया और उसकी सहायक शाखायें शामिल हैं, जमा धन आ जाता है। बैंकों के अतिरिक्त जमा धन स्वीकार करने वाली ऐसी आर्थिक संस्थायों, जिन पर बैंकिंग कम्पनियां अधिनियम के उपलब्ध पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से लागू होते हैं, इस बीमा योजना के क्षेत्र में न रखी जायेंगी। इस व्यवस्था से बैंक के खातों के लिए बीमा कराने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी और इससे खातेदारों का विश्वास जमा रहेगा।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमारे मार्ग में कछ कानूनी और अन्य प्रकार की कठिनाईयां आयेगी। इसी द्रष्टि से ही यह निर्णय किया गया है कि अभी इस योजना को केवल वाणिज्यक बैंकों तक ही सीमित रखा जाय।

हमारा ऐसा विश्वास है कि जो संस्थाएं इस योजना के अन्तर्गत नहीं आती हैं और जो केवल कुछ विशेष व्यक्तियों अथवा वर्गों के काम आती हैं, उन पर इन निर्णयों का कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। निगम की स्थापना के बाद यदि आवश्यकता हुई तो इनकी परिस्थितियों के बारे में पुनर्विचार किया जा सकता है। एवं इसके दायित्वों का क्षेत्र बढ़ाने तथा वित्तीय संसाधनों का विस्तार करने के लिये प्रयत्न किया जा सकता है।

यह विधेयक ऐसी संस्था की स्थापना करने में समर्थ होगा जो विश्व में अपने ढंग की दूसरी संस्था होगी। हमारी यह जमा धन बीमा योजना अमरीकी योजना पर आधारित है। अमरीका में इस योजना ने बैंक में जमा की जाने वाली राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है और सम्पूर्ण देश में सभी प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था के विकास में सहायता की है। वहां इस योजना के फलस्वरूप बैंकिंग व्यवस्था में स्थिरता आई है।

मैं आशा करता हूं कि जो प्रयोग हम यहां करने जा रहे हैं वह भी अमरीका की भांति यहां भी सफल होगा । तथा इस योजना के अधीन जिस निगम की स्थापना हम करने जा रहे हैं वह अपने अस्तित्व में न्याययुक्त रहेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

इस प्रस्ताव के बारे में दो संशोधन प्राप्त हुए हैं । क्या वे प्रस्तुत किये जा रहे हैं ?

†**श्री तलवुर्गकर** (उस्मानाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री लं० अचौ सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या ७ प्रस्तुत करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : दोनों संशोधन एवं मूल प्रस्ताव अब सभा के सामने हैं ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । सरकार यह स्पष्ट करे कि इन बैंकों के आयकर का निर्धारण करते समय इन बीमे की किस्त रूप में दी गई राशि उनकी कुल आय में शामिल तो नहीं की जायगी जैसा कि आग बीमे की किस्तों के सम्बन्ध में किया जाता है ।

†**श्री ब० रा० भगत** : इसका उत्तर मैं खंडवार चर्चा के समय दूंगा ।

†**श्री वासुदेवन् नायर** (तिरुवल्ला): मैं आशा करता हूं कि यह विधेयक बैंकिंग व्यवसाय को स्थिर बनाने के लिये एक पग है । माननीय मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि इस विधेयक का यह अभिप्राय नहीं है कि हमारा बैंकिंग व्यवसाय संकट में है । यह तो कोई नहीं कह सकता है कि बैंकिंग व्यवसाय संकट में है ।

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग व्यवसाय के बारे में १९६० में इस व्यवसाय की क्या स्थिति रही, एक प्रतिवेदन निकाला है उससे पता चलता है कि इस वर्ष के पिछले छः महीनों में बैंकों में धन कम जमा किया गया है । आशा है कि यह प्रस्तावित विधेयक बैंक व्यवसाय में स्थिरता लाने में सहायक होगा । एवं लोगों को अधिक धन जमा करने के लिये प्रोत्साहित करेगा ।

यह भी सत्य है कि धन जमा बीमा योजना बैंकों के फेल होने के प्रति कोई गारंटी नहीं है । क्योंकि यह व्यवसाय मुख्यतः गैर सरकारी लोगों के हाथ में है और जब तक यह उनके हाथ में रहेगा तब तक इससे जनता में विश्वास उत्पन्न करने में सहायता नहीं मिलेगी । इसलिये अच्छा तो यह होगा कि इस व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये । परन्तु खेद है कि सरकार ने इस पर रूढ़िवादी का कड़ा दृष्टिकोण अपनाया है । आशा है कि सरकार भविष्य में इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेगी और इन बैंकों में जो धन जमा है उसे देश के आर्थिक ढांचे का विकास करने में सहायता पहुंचायेगी । लेकिन इतना अवश्य है कि इस से जनता में एक विश्वास की भावना उत्पन्न होगी क्योंकि कम से कम १,५०० रुपये तक तो सुरक्षित रहेंगे ।

मेरा निवेदन है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा इसके अधीन बैंकों को इसके अन्तर्गत नहीं लाया जाना चाहिये । उनकी साख के बारे में कोई सन्देह नहीं है । सरकार को इन बैंकों के साथ भिन्न प्रकार का व्यवहार करना चाहिये । क्योंकि यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फेल हो गया तो सरकार ही फेल हो गई । इसलिये स्टेट बैंक को गैर सरकारी बैंकों के साथ मिलाना ठीक नहीं है । अतः सरकार को चाहिये कि वह स्टेट बैंक को इनके साथ न मिलाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वासुदेवन् नायर]

विधेयक में जिस राशि के बीमे का उपबंध किया गया है वह अपर्याप्त है । यह राशि उसकी दूनी होनी चाहिये थी ।

[डा० सुशीला नायर पीठासीन हुईं]

कुल जमा धन के २० प्रतिशत के उपबंध से लोगों में पुनः विश्वास उत्पन्न कर ने में कोई विशेष सहायता न मिलेगी ।

सरकार यह भी स्ष्ट करे कि बीमे का भार बैंकिंग उद्योग पर होगा न कि धन जमा करने वालों पर । साथ ही यह भी बताया जाये कि बैंक बीमा की ये किस्तें किस तरह एवं कहां से देंगे । क्या यह किस्तें बैंक के लाभ से दी जायेंगी ।

†**डा० कृष्ण स्वामी** (चिंगलपट) : बहुत कुछ हद तक यह विधेयक सन्तोषजनक है । अतः मेरा विचार है कि यह विधेयक ठीक दिशा में एक कदम है । धन जमा करने वालों में यह विश्वास की भावना उत्पन्न करेगा । यद्यपि इस विधेयक का क्षेत्र सीमित है, फिर भी उसे महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करना है । मैं श्री नायर से इस बात में बिल्कुल भी समहत नहीं हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अथवा इसके अधीन बैंकों को इसमें सम्मिलित न किया जाये ।

मेरा विचार है कि रिजर्व बैंक को छोटे बैंकों की सहायता करनी चाहिये ताकि वे दिवालिया न बनें । इसके लिये आवश्यक है कि इन बैंकों की अच्छी तरह जांच की जाये । सरकार इस बात पर विचार करे कि भारतीय बैंकों को विदेशी निक्षेपों का बीमा करने का अधिकार दिया जाना चाहिये ताकि भारतीय बैंकों को इस नये क्षेत्र में कार्य करने के लिये प्रोत्साहन मिले रिज़र्व बैंक को देश के बैंकिंग ढांचे के पुनर्गठन के लिये प्रभावी कार्य करना चाहिये । कुछ वर्षों बाद देश में कोई अनुसूचित बैंक रह जाये । बैंकों की साख को रिजर्व बैंक रचनात्मक जांच और मैत्रीपूर्ण सहायता द्वारा सुनिश्चित करे । बैंकिंग व्यवसाय, जिसका समेकित ढांचा होना चाहिये, के विकास के लिये दीर्घकालीन योजना होनी चाहिये । हमें यह देखना है कि बैंकिंग व्यवसाय का विधार कैसे हो और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों की जनता बैंकों के माध्यम से काम करने की अभ्यस्त किस प्रकार हो । बैंकिंग व्यवसाय के ढांचे का नवीकरण किया जाना चाहिये ।

यह प्रसन्नता की बात है कि रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों के प्रोत्साहन में सहायता दी है । लेकिन इन सहकारी बैंकों ने धन जमा करने वालों को अपनी ओर आकर्षित नहीं किया है । अतः इसकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये ।

सरकार तथा योजना आयोग से मेरी एक शिकायत है कि बैंकिंग व्यवसाय के बारे में वे तदर्थ कार्य किया करते हैं । अच्छा तो यह हो कि ये दीर्घकालीन कार्य किया करें । आशा है कि सरकार भविष्य में बैंकिंग व्यवसाय सम्बन्धी समस्याओं के बारे में उचित समाधान निकालने के बारे में प्रयत्न करेगी ।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । आज से १०-११ वर्ष पूर्व जब कि देश का विभाजन हुआ था और बंगाल में बहुत से बैंकों के फेल हो जाने के फलस्वरूप बहुत से लोगों को हानि पहुंची थी उस समय भी जमा धन बीमा योजना की बात मैंने कही थी लेकिन उस समय यह बात स्वीकार नहीं की गई । ग्रामीण बैंक व्यवसाय जांच समिति तथा श्रांफ समिति

---

†मूल अंग्रेजी मे

ने भी इसी प्रकार की सिफारिशें की थीं। अच्छा है कि रिजर्व बैंक ने अब तो यह योजना लागू करने के बारे में सोचा है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

हो सकता है कि यह विधेयक, पिछले कुछ महीनों में जो दो बैंक फेल हुए हैं उनके परिणामस्वरूप ही प्रस्तुत किया गया हो।

यह कहा गया है कि १,५०० रु० तक का बीमा किया जायेगा। मेरे विचार में यह राशि कम है। लेकिन कम से कम मध्यवर्ग के लोगों को तो इससे लाभ होगा। अब वे अपना धन यहां आसानी से रख सकेंगे।

यदि इस विधेयक के क्षेत्राधिकार से स्टेट बैंक तथा इसके अधीनस्थ बैंकों को निकाल दिया गया तो दूसरे व्यावसायिक बैंकों पर इसका कुप्रभाव होगा। अतः इसका सम्मिलित करना अच्छा ही है। रिजर्व बैंक इस बारे में पर्याप्त सावधानी बरते कि खासकर छोटे बैंक विधेयक द्वारा प्रदत्त संरक्षण की आड़ में अपने काम में कोई अव्यावहारिक बात न करें। रिजर्व बैंक इन छोटे-छोटे बैंकों की अच्छी तरह जांच करे और जो बैंक अच्छी स्थिति में नहीं हैं उनको कोई प्रोत्साहन न दिया जाये। जहां तक बैंकों को अनुज्ञप्तियां देने की बात है ८० प्रतिशत अनुसूचित बैंक तथा अधिकांश अनुसूचित बैंकों को अब भी लाइसैंस नहीं दिया गया है। सरकार आश्वासन दे कि रिजर्व बैंक द्वारा सभी अनुसूचित बैंकों को अनुज्ञप्तियां दी जायेंगी।

जहां तक कि निगम की रचना का सवाल है, इसकी रचना सम्बन्धी उपबन्ध निश्चित और स्पष्ट नहीं है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि निगमों का प्रशासनिक व्यय यथासंभव कम रहे।

खंड २५ में जो व्यवस्था की गयी है मैं उसका स्वागत करता हूं। मेरा एक निवेदन है कि यदि किसी बैंक ने अच्छा कार्य किया हो और उसके अव्यवहारिक कार्यों से कोई हानि न हुई हो तो अवहार (रिबेट) मिलना चाहिये। किसी भी बैंक कर्मचारी के, जो किसी बैंक में कदाचरण का दोषी सिद्ध हुआ हो, या किसी बैंक की सेवा से हटाया गया हो, निगम के निदेशक बनने पर प्रतिबंध होना चाहिये।

†**श्री ब० रा० भगत** : लेकिन उसके बारे में बैंकों की यह राय नहीं है।

†**श्री अ० चं० गुप्त** : वह तो बैंक की राय है। रक्षित बैंक की राय क्या है?

†**श्री ब० रा० भगत** : हम किसी बैंक को विवश नहीं कर सकते कि वह दोषी कर्मचारी को निकाल दे।

†**श्री अ० चं० गुप्त** : यही व्यवस्था तो मैं करना चाहता हूं कि निजी बैंक का जो भी कर्मचारी दुर्व्यवाहर का दोषी पाया जाये, उसे इस निगम का निदेशक नामजद न किया जा सके। सरकारी या अर्ध-सरकारी कर्मचारियों के लिये यह अनहोता है, इसलिये निजी बैंकों के कर्मचारियों पर भी इसे लागू किया जाना चाहिये।

रक्षित बैंक को यह सावधानी रखनी चाहिये कि निजी बैंक अपने ब्याज की दर न बढ़ा पायें, क्योंकि उससे अन्य वस्तुओं की उत्पादन-लागत भी बढ़ जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० चं० गुह]

इस विधेयक को छोटे छोटे बैंकों को खत्म करने का साधन नहीं बनने देना चाहिये। छोटे बैंकों को भी एक सुदृढ़ आधार पर लाना चाहिये। देश में छोटे बैंकों की भी बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि छोटी-मोटी राशियां जमा कराने वाले लोग बड़े बैंकों में नहीं जा पाते। योजना आयोग ने बार-बार कहा है कि छोटे मोटे लोगों के लिये भी बैंकिंग की सुविधायें जुटाई जानी चाहियें। सरकार को छोटे-छोटे बैंकों को सुविधायें देनी चाहियें, उनको खत्म नहीं होने देना चाहिये।

आशा है कि मेरे सुझाव समाविष्ट किये जायेंगे।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खान देश) : इस विधेयक के उद्देश्य से तो किसी को कोई शिकायत नहीं हो सकती। सभी चाहते हैं कि बैंकों पर जनता का विश्वास जमे। परन्तु इसमें कुछ ऐसी त्रुटियां हैं जिनके कारण सरकार का उद्देश्य भली भांति पूरा नहीं होगा।

परन्तु उससे पहले मैं डा० कृष्णस्वामी द्वारा कही गई बात को लेता हूं। उनको शिकायत है कि इस विधेयक में असंगठित बैंकिंग क्षेत्र, साहूकारों के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यह सही है कि देश में ८० प्रतिशत तक ऋण साहूकारों द्वारा ही सुलभ बनाया जाता है, लेकिन वह व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर ही किया जाता है। इसलिये उनको इसमें शामिल करना व्यावहारिक नहीं है। हां, निक्षेप बीमा निगम का काम आगे बढ़ने पर बड़े-बड़े साहूकारों को इसमें शामिल किया जा सकता है। उसका कोई तरीका निकालना पड़ेगा।

इस विधेयक के खण्ड ४ में कहा गया है कि निगम की अधिकृत पूंजी एक करोड़ रुपये होगी। इसका तो यह अर्थ हुआ कि यदि कभी इस पूंजी को बढ़ाना पड़ा तो अधिनियम को पारित करना पड़ेगा। अच्छा तो यह रहता कि इसे संकल्प पारित करके निर्धारित किया जाता।

सरकार ने निगम के निदेशक बोर्ड में रक्षित बैंक के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर केन्द्रीय सरकार द्वारा नामजद दो निदेशक रखे हैं। उसमें बीमाशुदा बैंकों के कुछ प्रतिनिधि भी रहने चाहिये। इस सस्था को बैंकरों के अनुभव से पूरा लाभ पहुचना चाहिये।

निगम के प्रीमियम की अधिकतम सीमा १५ नये पैसे नहीं रखनी चाहिये। अधिकतम सीमा शीघ्र ही सामान्य सीमा बन जाती है। अभी उसकी दर ५ नये पैसे है, इसलिये ७–८ नये पैसों से अधिक सीमा नहीं रखी जानी चाहिये। उसमें वृद्धि करने के लिये निगम को संसद् से अनुमति लेनी चाहिये।

१,५०० रुपये तक जमा करने वालों को संरक्षण दिया जा रहा है। यह अपर्याप्त है।

हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि रुपये का मूल्य पिछले पांच वर्षों में २० प्रतिशत गिर चुका है। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में वह २० प्रतिशत और गिर जायेगा। यदि १९३९ को आधार माना जाये, तो आज १,५०० रुपये का मूल्य ३०० रुपये के बराबर है। इसलिये यह सीमा ३,००० रुपये तक कर दी जानी चाहिये। प्रीमियम की दर तो वही रहेगी, हां उसकी राशि कुछ बढ़ जायेगी।

उसकी वसूली का तरीका यह है कि यदि राशि थोड़ी सी हो तो बैंक उसे अर्ध-वार्षिक किस्तों में लेते हैं। पहले वह हर छः महीने पर ३ रुपये होते थे, अब उसे ५ रुपये कर दिया गया है। इसलिये उसकी सीमा ३,००० या ५,००० रुपये तक कर देने में कोई हानि नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

उससे बैंकों को तो कोई हानि नहीं होगी, हां जमा करने वालों को अवश्य प्रतिवर्ष एक-दो रुपये अधिक देने पड़ेंगे। माननीय मन्त्री को इसका ध्यान रखना चाहिये।

समापक को ३ महीने में सूची दे देनी पड़ती है, और निगम को उसके दो महीनों के अन्दर उसकी अदायगी करनी पड़ेगी। सूची तैयार करने में एक महीने से अधिक समय नहीं लगना चाहिये।

बैंक दिवालिया हो जाने पर, यदि सूची तैयार करने में ३ और निगम द्वारा अदायगी में २ महीने लगेंगे, तो उसमें पांच महीने लग जायेंगे। जबकि मंशा यह है कि खातेदारों को यथाशीघ्र सहायता पहुंचाई जाये।

निगम एक महीने के अन्दर भी तो अदायगी कर सकता है। अदायगी में विलम्ब होने से तो बीमे का सारा प्रयोजन ही नष्ट हो जाता है। विधेयक में इसके उल्लेख की आवश्यकता नहीं। यह तो अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

अन्य व्यवस्थाओं पर भी सावधानी से विचार करने की जरूरत है।

वैसे इस अधिनियम को प्रवर्तित किये बिना सारी व्यावहारिक कठिनाइयों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आशा है कि सरकार फिर एक पुनरीक्षित विधेयक यहां पेश करेगी।

यह विधेयक सही दिशा में तो है, परन्तु इसमें कुछ खामियां रह गई हैं।

डा० कृष्णास्वामी का यह कथन बिल्कुल सही है कि बीमे का बुनियादी सिद्धान्त यही है कि बलवान को कमजोर की सहायता करनी चाहिये। मैं उससे सहमत हूं। राज्य बैंक को भी बीमा शुदा बैंकों की सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

राज्य बैंक को अलग रखने से संवैधानिक कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी। राज्य बैंक को सुविधा रहेगी क्योंकि उसे प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। संविधान के अनुच्छेद १४ के अनुसार ऐसा भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसलिये राज्य बैंक को भी उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिये।

आशा है कि इस विधेयक से बैंकों की स्थिति सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।

श्री नलदुर्गकर :सभापति महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं, और इसको पेश करने के लिये मन्त्री महाशय का अभिनन्दन करता हूं। यह बिल ऐसे वक्त पर पेश किया गया है, जब कि इस की सख्त जरूरत थी। अगर हम बैंकिंग की पिछली तारीख पर नजर डालें, तो पता चलेगा—और हमें ऐसा अनुभव (तजुर्बा) भी हुआ है—कि बैंकिंग अच्छा न होने की वजह से बहुत से बैंक लिक्विडेशन में चले गए और इसमें जो नुकसान हुआ, वह ज्यादातर डिपाजिटर्ज का हुआ। इसका असर पब्लिक पर बहुत बुरा पड़ा है। जब हम देहात में दौरा करते हैं, तो वहां के लोग हम से यह पूछते हैं कि जब हम पैसा या जेवरात अपने घरों में रखते हैं, तो वह चोरों और डाकुओं के हाथों में चला जाता है और अगर उनको बैंकों में डिपाजिट करते हैं, तो बैंक लिक्विडेशन (समापन) में चले जाते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में हम को क्या करना चाहिए ? जब पब्लिक ऐसी मुसीबत में थी और यह सोच रही थी कि अपने पैसे की हिफ़ाज़त की निस्बत क्या उपाय अख्त्यार करना चाहिये, तो ऐसे वक्त पर यह कानून पेश करने से पब्लिक पर अच्छा असर हो रहा है। इसलिये, जैसा कि मैंने अभी कहा है, मैं मन्त्री महाशय का अभिनन्दन करता हूं कि उन्होंने यह बिल पेश कर के लोगों पर बहुत अच्छा असर पैदा किया है।

मैंने जो यह अमेंडमेंट पेश किया है कि इस बिल को पब्लिक ओपीनियन एलिसिट (राय जानने के लिये) करने के लिये सर्कुलेट (परिचालित) किया जाये, मैं उसकी वजूहात बयान करना चाहता

[श्री नलदुर्गकर]

हूं। इस कानून का ताल्लुक ज्यादातर डिपाज़िटर्ज़ और बैंकिंग कम्पनीज़ से होगा और उन्हीं पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इस बिल में चन्द दफ़ात (क्लाज़िज़) ऐसी हैं, जिनकी निस्बत डिपाज़िटर्ज़ और बैंकिंग कम्पनीज़ की राय तलब करना बहुत ज़रूरी है।

इस बिल में रखी गई चन्द बातों की तरफ़, जो कि वेग हैं, मैं मन्त्री महाशय की तवज्जह मबजूल कराना चाहता हूं। मसलन क्लाज़ १५ में यह लिखा गया है कि प्रत्येक पंजीयित बक को अपने यहां जमा की गई राशि पर एक प्रीमियम निगम को अदा करना पड़ेगा। मैं तफ़सीलन एक बात मन्त्री महाशय के सामने रखना चाहता हूं, ताकि उसका ज़वाब मुझे तसल्ली के साथ मिले। फ़र्ज़ कीजिये, एक बैंक में दस दस हज़ार रुपये वाले दस डिपाज़िटज़ हैं, जिनकी तादाद एक लाख रुपया होती है। १,५०० के अगर दस डिपाज़िटर हैं तो उस रकम की तादाद पन्द्रह हज़ार हो जाती है। इस तरह से कुल डिपाज़िट्स एक लाख पन्द्रह हज़ार के हो जाते हैं। आप क्लाज़ १६ के तहत डिपाजिट्स की रकम दे रहे हैं तीस हजार। अब जो प्रीमियम दिया जाने वाला है इनशोरेंस बैंक को यह क्या एक लाख पन्द्रह हज़ार पर देना पड़ेगा या तीस हजार पर देना पड़ेगा। जब तक इसका साल्यूशन नहीं हो जाता है तब तक मुश्किलात ही पैदा होने वाली हैं। इस वास्ते इसका क्लेरिफिकेशन हो जाना चाहिये। इस वास्ते भी मैं चाहता हूं कि इसको पब्लिश किया जाए और राय ले ली जाए।

अब मैं क्लाज़ १० पर आता हूं। इस कानून की क्लाज़ ३ के तहत आपने कहा है कि आप एक कारपोरेशन को इनकारपोरेट करेंगे। जब यह कारपोरेशन एस्टेब्लिश होगा उसी वक्त से इस कारपोरेशन को अख्त्यार होगा कि वह बैंकिंग कम्पनीज़ को रजिस्टर करे। रजिस्टर होने के बाद ही यह काम पूरा होगा। उसके बाद जो डायरेक्टर्ज़ हैं ये ऐप्वाइंट होने वाले हैं। ये डायरेक्टज़ क्लाज़ ६ की सब क्लाज बी, सी और डी के तहत एप्वाइंट होंगे। इसकी सब क्लाज डी के तहत नान-आफिशल्ज़ को एप्वाइंट किया जाएगा। अब जब हम पूरे कानून को देखते हैं और क्लाज़ तीन और क्लाज़ १० को इसके साथ साथ देखते हैं तो यह नहीं पाते हैं कि इस कानून के एनफोर्समेंट के साथ साथ, इसके शाया होने के साथ साथ जो बोर्ड है वह आटोमैटिकली कायम हो जाएगा। इस वास्ते हमें इस बात पर भी गौर करना पड़ेगा और इस पर गौर करना जरूरी भी है कि एक महीने की एक मुद्दत जो आपने दी है, वह कहां तक मुनासिब हो सकती है और कहीं आगे चल कर उसमें कोई पेचीदगियां पैदा तो न होंगी। होना यह चाहिये कि इस एक्ट के कमैन्समेंट से तीस दिन के अन्दर नहीं बल्कि इस कारपोरेशन के एस्टेबलिश होने के तीस दिन के अन्दर यह चीज़ हो।

क्लाज़ १० में कहा गया है कि निगम प्रत्येक मौजूदा बैंकिंग समवाय को एक बीमा शुदा बैंक के रूप में पंजीयित करेगा। लेकिन कानून में कहीं भी ऐसी कोई क्लाज़ नहीं है या गुंजाइश नहीं है कि जिसकी रू से बैंकिंग कम्पनी पर भी कोई ड्यूटी आयद होती हो कि रजिस्ट्रेशन के लिये कि उसको भी दरख्वास्त करनी है। क्लाज़ १० के तहत कारपोरेशन जरूर उनको रजिस्टर करेगा लेकिन बैंकिंग कम्पनी पर भी कोई ड्यूटी आयद होनी चाहिये थी कि कितने दिन के अन्दर उसको रजिस्टर करवाना होगा। फिर अगर उन पर कानूनन कोई ड्यूटी आयद कर दी जाती है तो सवाल उठेगा कि मेरी इच्छा के बगैर आप कसदन क्यों मुझ पर यह जिम्मेदारी आयद कर रहे हैं। यह भी सोचने की बात है। इस सम्बन्ध में मैंने जो ६ नम्बर की एमेंडमेंट दी है मैं चाहता हूं कि उस पर विचार कर लिया जाए।

अब मैं क्लाज़ १५ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। फ़र्ज़ कीजिये कि किसी बैंक में २० लाख के डिपाजिट्र्स हैं। अब आप की डिपाज़िट १,५०० के लिहाज़ से कुछ रकम देने वाले हैं। आप प्रीमियम तो पूरे डिपाजिट्स पर ले रहे हैं। ऐसी सूरत में कानूनी सवाल पैदा हो जाता है कि सारी रकम पर प्रीमियम देने से जो एक कांट्रेक्ट हो जाता है कारपोरेशन के साथ कि जिस हद तक और जिस रकम

पर हम प्रीमियम दे रहे हैं, उस हद तक और उस रकम के लिये कारपोरेशन जिम्मेदार है। उस सूरत में क्या होगा, इस पर भी आपको विचार करना है। क्लाज़ १५ का प्राविसो २ और क्लाज़ १६ की सब-क्लाज़ २ के जो अल्फाज़ हैं, उनमें कुछ तबदीली करने की जरूरत है। क्लाज़ १५ में लफ्ज "आन इट्स डिपाजिट्स" आते हैं और इसको अगर क्लाज़ १६ के प्राविसो २ के साथ पढ़ें तो मालूम होता है कि बैंकिंग कंपनीज़ १,५०० तक के जिपाजिट्स तक के लिये ही प्रीमियम देने की जिम्मेदार हैं, इससे ज्यादा तादाद पर नहीं।

इसके साथ-साथ क्लाज़ १६(२) को आप देखें तो उसमें डिफेंस देने की या कम्प्रोमाइज़ की जब नौबत आएगी, तो उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कारपोरेशन डिफेंस (अन्तर) के किस हद तक जिम्मेदार रहेगी। इस वास्ते यह भी गौर तलब मामला है।

अब मैं क्लाज़ ३५ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस क्लाज़ के बारे में प्रेस की ओपिनियन जो है और जो पब्लिक की ओपीनियन है, उस पर गौर कर लिया जाए। यहां पर जो यह उनको पावर दी गई है कि निगम आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक बीमा शुदा बैंक के रिकार्डों की जांच कर सकेगा, यह ठीक नहीं मालूम देती। इसके बारे में काफी खौफ जाहिर किया गया है। क्लाज़ ६ के तहत कुछ नान-आफिशल मैम्बर (गैर-सरकारी) आप बोर्ड में ले रहे हैं। मुमकिन है कि बंकिंग कम्पनीज़ जो कारोबार करती हैं, उनको उन्हें राज़ में रखना हो या कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जिन को राज़ में रखना जरूरी समझा जा सकता है। इस तरह की चीज़ों को मालूम करने की अगर कोशिश की जाती है तो उनके कारोबार को धक्का लग सकता है। इस बिल के यहां इट्रोड्यूस होने के बाद से जो क्रिटिसिज्म प्रेस में आया है, उस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये। इस दफा ३५ के बारे में बंकिंग कम्पनीज़ की जो राय है, उस राय पर भी आपको गौर कर लेना चाहिये।

अब हमें यह देखना है कि जो कारपोरेशन हम कायम करने जा रहे हैं वह किस मकसद के लिए है। इसका मकसद सिर्फ डिपाजिट्स का इनश्योरेंस करना ही नहीं होना चाहिये बल्कि यह भी होना चाहिये कि सभी बैंक निहायत एफिशेंटली काम करें, इसको वह देखें। अगर ऐसा किया गया तो क्लाज़ ३५ और ३६ में जो कुछ भी गुंजाइश रखी गई है, बैंकों पर निगरानी रखने की, वह कामयाब होगी। लेकिन अगर सिर्फ यही समझा जाता है कि कारपोरेशन १५०० रुपये तक की सेफ्टी के लिए जिम्मेदार है और इसके नतीजे के तौर पर अगर बैंक लिक्विडेशन में चले जाते हैं या कारोबार खराब हो जाता है तो मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि असल जो मकसद है इस कानून का वह ही खत्म हो जायेगा।

क्लाज़ १६(२) के लिहाज़ से १,५०० से ज्यादा जिनके डिपाजिट्स हैं किसी वजह से उनको वापिस लेने की अगर पब्लिक की तरफ से कोशिश की जाती है और अगर कोई इस वजह से खौफ पैदा हो जाता है तो यह खतरनाक चीज़ होगी। फर्ज़ कीजिये कि किसी का किसी बैंक में आठ हज़ार रुपया डिपाज़िट के तौर पर है। इस कानून के मुताबिक कारपोरेशन १,५०० के लिए जिम्मेदार होगी और उससे ऊपर के लिए कोई इनश्योरेंस नहीं होगा। ऐसी सूरत में इससे ज़ायद जिनके डिपाज़िट्स हैं उन में उन डिपाज़िट्स को विदड्रा करने का रुझान पैदा न हो जाये इसे भी आप देखें। लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह एक खतरनाक चीज़ होगी। इस तरह की चीज़ का पब्लिक के दिल में पैदा होना अच्छा नहीं है। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि क्लाज़ १६(२) के तहत इनश्योरेंस कवर जो है इस में इजाफा करने की कोशिश की जाये।

अब मैं १६(३) के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि बैंक की कुल जमा राशि का निर्धारण उसमें से वह राशि घटाने के बाद ही किया जायेगा जिसे खातेदार के नाम में

[श्री नलदुर्गकर]

'सैट आफ' (अलग रखने) का उसे अधिकार हो। 'सैट आफ' की रकम क्या होनी चाहिये, इसको ठीक तरह से डिफाइन नहीं किया गया है। अगर एक बैंकिंग कम्पनी ने १,००० रुपये पर प्रिमियम दिया और २५–३० साल तक वह उसको देती रही और उसके बाद अगर वह लिक्विडेशन में जाती है तो उस वक्त एक हजार रुपये पर प्रिमियम की जो कुल रकम है, क्या उसको आप सैट आफ करने वाले हैं ? अगर ऐसा किया जाता है तो डिपाजिटर्ज के साथ यह एक बड़ी सख्ती होगी, बहुत ज्यादा अन्याय होगा। यह जो सब क्लाज (३) है यह बहुत ही–कंट्रोवर्शल (विवादग्रस्त) है और इसका स्कोप (क्षेत्र) बहुत वाइड है और मैं चाहता हूं कि इसको डेफिनिट किया जाये।

श्री ब० रा० भगत : किस के बारे में आप कह रहे हैं ?

श्री नलगंकर : इस में लिखा है खण्ड १६ (३) देखिये। इसका मकसद यह है कि अगर किसी इन्श्योर्ड बैंक को प्रीमियम अदा करने में ताखीर हो जाय, अगर प्रीमियम अदा करने में कुछ देर हो जाये तो उस पर इस कानून की रू से सूद ऐड किया जा सकता है कारपोरेशन के जरिये से। अगर किसी बैंकिंग कम्पनी से कोई गलती हो जाय और उस के ऊपर सूद ऐड किया जाय तो उस सूरत में जब उस बैंकिंग कम्पनी के डिपाजिट को वापस करने की नौबत आयेगी, क्या उस को यह डिपाजिट मय सूद के वापस किया जायेगा ? यह सब मामलात ऐसे हैं जिन के साफ होने पर ही कानून ठीक से अमल में आ सकता है, मगर यह बात इस से मालूम नहीं होती है।

इस कानून के मुताबिक जो हमारी होप है वह यह है कि अगर बैंकिंग कम्पनी फेल हो जाती है तो डिपाजिटर्स को १५००, १५०० रु० मिल जायेंगे। इसी के साथ साथ जो हम उम्मीद करते हैं कि बैंकिंग कम्पनीज अपने कारोबार को बड़े इस्तादाद से चलायगी, वह इस्तादाद से चला पायेंगी या नहीं, इस के प्राविजन का पता नहीं चलता, बावजूद क्लाजेज ३५ और ३६ के। इस लिये मेरी अदब से गुजारिश है कि जितने भी कंट्रोवर्शियल क्लाजेज हैं, जिनका सम्बन्ध ज्यादातर डिपाजिटर्स और बैंकिंग कम्पनीज से आता है, और जिन की तरफ मैं ने सदन की तवज्जह मबजूल करवाई है, उन को पब्लिश किया जाय, और डिपाजिटर्स और कम्पनियों की मुश्किलात को मालूम करने के बाद भी, उन को मलहूज रखने के बाद भी, अगर इस कानून में कोई तब्दीली करने की नौबत आ जाये, तो उस लाइट में इस में तब्दीली की जाये।

इन अल्फाज के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वैल्लोर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इससे छोटे खातेदारों को राहत मिलेगी।

हम पिछले दसियों साल से महसूस करते आ रहे थे कि छोटे खातेदारों के हितों की रक्षा के लिये कुछ किया जाना चाहिये।

हमारे देश में १९५३ के बाद से बैंकों में काफी रुपया जमा किया गया है। बैंक भी अनेक हैं। जनता को उनकी सही स्थिति के सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं। लोगों को भी सब से अधिक चिन्ता ब्याज पाने की रहती है, मूलधन की रक्षा की नहीं।

इस विधेयक की कई व्यवस्थायें ऐसी हैं जिन में सभी प्रकार के बैंकों को एक ही लकड़ी से हांका गया है। ईमानदार और बेईमान बैंकों में कुछ तो भेद करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

छोटे खातेदारों को १,५०० रुपये तक जमा की गई राशि को बीमे से सुरक्षित करने का फल यह होगा कि लोग कई बैंकों में १,५००-१,५०० रुपये जमा कराने लगेंगे । इससे निगम को ही अधिक जोखिम उठानी पड़ सकती है । इसलिये सीमा इस तरह से निर्धारित नहीं की जानी चाहिये ।

तीसरी चीज़ यह कि निक्षेप बीमा निगम का कार्यालय भी बम्बई में ही न रखा जाये । वहां बीमा समवायों के अनेक कार्यालय मौजूद हैं । अन्य नगर में इसका प्रधान कार्यालय रखने से प्रशासन में आसानी रहेगी ।

खण्ड ३६(३) में व्यवस्था है कि निगम के कहने पर रक्षित बैंक ही बैंकों के रिकार्ड की जांच-पड़ताल करेगा । लेकिन रक्षित बैंक जो प्रतिवेदन निगम को देगा, उसके बारे में बैंक को नहीं बताया जायेगा । यह ग़लत है । यदि उसमें कोई त्रुटियां हों, तो बताई जानी चाहिये, नहीं तो वह बैंक अपना काम तो करता ही रहेगा और उन त्रुटियों के कारण खातेदारों की हानि होती रहेगी । बकों में कुप्रबन्ध जारी नहीं रहने देना चाहिये ।

जांच-पड़ताल चाहे गोपनीय रखी जाये, लेकिन उसके निष्कर्ष तो बैंकों को बताये जाने चाहियें ।

एक व्यवस्था यह भी है कि यदि कुप्रबन्ध के कारण कोई शेयरधारी बैंक के समापन के लिये मुकदमा चलाये, तो भी न्यायालय बैंक को उस सम्बन्ध में जानकारी जुटाने के लिये विवश नहीं कर सकेगा । ये दोनों व्यवस्थायें ठीक नहीं ।

समितियों के गठन के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है कि बोर्ड कार्यकारिणी समिति गठित कर सकेगा जिसकी सदस्य संख्या निदेशक निर्धारित करेंगे । हमें मालूम है कि बोर्ड में पांच निदेशक होंगे । इसमें यह स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिये कि निदेशक लोग ही समितियों और उपसमितियों के सदस्य हो सकेंगे, कोई भी ऐरा-गैरा आदमी नहीं ।

खण्ड ८ के उपखण्ड (३) को देखिये । उसमें कहा गया है कि समितियों के सदस्य बाहर के आदमी भी नियुक्त किये जा सकेंगे । मेरा सुझाव है कि समितियों में निदेशक बोर्ड के सदस्य ही रहें ।

[श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुए]

मैं चाहता हूं कि मेरे इन तीन सुझावों की रोशनी में व्यवस्थाओं में रूपभेद किया जाये । वैसे हम सभी ने इस विधेयक का स्वागत किया है । इससे छोटे खातेदारों को अधिक सुरक्षा मिलेगी । अच्छा यही रहेगा कि अच्छे और बुरे बैंकों में भेद किया जाये ।

कुल मिला कर, मैं इसका समर्थन करता हूं ।

†**श्री प्रभातकार** (हुगली) : माननीय उपमंत्री ने प्रारम्भ में ही बताया है कि निक्षेप बीमा योजना चालू करने वाले देशों में हमारे देश का नम्बर संसार भर में दूसरा है । यह योजना १९३४ में अमरीका में लागू की जा चुकी है । वह तब किया गया था जब १९२९ में वहां ५,००० बैंक दिवालिये हो गये थ । हमारे देश में अभी तक वह परिस्थिति नहीं है ।

हमारे यहां द्वितीय योजना काल में बैंकों में खुलने वाले नये खातों में ५५ प्रतिशत वृद्धि हुई थी । बैंकों के ऋण-खातों में ८३ प्रतिशत वृद्धि हुई थी । और, बैंकों की लगभग १,३०० नयी शाखायें खुली हैं । साथ ही, बैंकों में खाते रखने वाले व्यक्तियों की संख्या ३०,००० बढ़ गई । इसलिये हमारे देश की परिस्थिति अमरीका से बिलकुल ही भिन्न है । निक्षेप बीमा योजना केवल खातेदारों के हितों की रक्षा के लिये है । वह बैंकों को दिवालिया होने से नहीं रोक सकती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रभातकार]

उपमंत्री ने बताया है कि निक्षेप बीमा निगम रुपया जमा करने वाले २० प्रतिशत खातेदारों का बीमा करेगा। वह राशि कुल मिला कर ४०० करोड़ रुपये बैठती है। परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि बैंकों को अन्य मामलों में मनमानी करने की छट रहेगी, चाहे वे दिवालिया हो जायें।

आज अनुसूचित बैंकों में कुल १,९५७ करोड़ रुपये की राशि जमा है, जिसमें से चालू खातों में ८३७ करोड़ और सावधि खातों में १,१२० करोड़ रुपये हैं। गैर-अनुसूचित बैंकों में ४५·९० करोड़ रुपये की राशि जमा है। आजकल हमारे यहां जमा राशि और ऋण का अनुपात ६७·७ प्रतिशत है। जब तक इस ६७ प्रतिशत ऋण की राशि का सदुपयोग नहीं होता, तब तक बैंकों के उचित ढंग से काम करने की कोई गारंटी नहीं हो सकती।

हाल ही में रक्षित बैंक को विलम्बशोधकाल की अनुमति देने की शक्ति दी गई है। यदि रक्षित बैंक संतुष्ट हो, तो वह बैंक को पुनर्निर्माण की योजना तैयार कर सकता है। ऐसी व्यवस्था करने का यही मतलब है कि बैंकिंग पद्धति में कुछ गड़बड़ी अवश्य है। इसलिये हम वित्त मंत्री से आश्वासन चाहते हैं कि बैंकों के काम के ढंग पर नजर रखी जायेगी। कहीं ऐसा न हो कि इस योजना का लाभ भी केवल बैंकों को ही हो।

अमरीका में भी यह योजना पहले पूरे देश पर लागू नहीं की गई थी। पहले उसे कुछ राज्यों में ही लागू किया गया था।

मैं समझता हूं कि राज्य बैंक और उसकी शाखाओं को इस योजना में सम्मिलित करने का कोई अर्थ नहीं होता। उनके खातेदारों को बीमे की गारंटी की जरूरत ही नहीं।

निक्षेप बीमा योजना का उद्देश्य यही है कि हमारे देश में छोटे-छोटे बैंकों को अधिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। देश को छोटे बैंकों की भी बड़ी जरूरत है।

भारतीय बैंक संस्था ने राज्य बैंक के कार्य-संचालन के सम्बन्ध में सरकार पर आरोप लगाये हैं कि उसे अधिक सुविधायें दी जाती हैं। मेरी समझ में यह आरोप नहीं आया। राज्य बैंक तो एक राष्ट्रीय संस्था है। अब राज्य बैंक को देहातों में अपनी शाखायें खोलनी हैं। वहां अन्य बैंक तो जाते ही नहीं। इसलिये सरकार को भारतीय बैंक संस्था के दबाव में नहीं आना चाहिये।

निगम के सम्बन्ध में मुझे इतना ही कहना है कि प्रीमियम कम से कम रखना चाहिये। विधेयक में उसकी सीमा १५ नये पैसे रखी गई है। अच्छा यह होगा कि उसे ५ नये पैसे से बढ़ा कर १० नये पैसे कर दिया जाये और बीमा शुद्ध खातों की सीमा १,५०० से ३,००० रुपये कर दी जाये। और उसके लिये आकस्मिक व्यय कुछ आने बढ़ा देने से काम चल जायेगा।

†**श्री नोशीर भरुचा** : प्रीमियम की दर न बढ़ाई जाये, उसका परिमाण बढ़ाया जा सकता है।

†**श्री प्रभातकर** : मैं इससे सहमत हूं।

आकस्मिक व्यय की सूची तो किसी भी बैंक के पास नहीं होती। माननीय मंत्री ने कहा है कि हम १,५०० रुपये के खातों के बीमे से शुरू करें। ठीक है, फिर साल बाद उसे ३,००० रुपये तक कर दिया जाये। हमें ध्यान रखना चाहिये कि छोटे खातेदारों की जमा राशि उनके पूरे जीवन की कमाई होती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुख्य बात यह है कि इस बीमा योजना को आरम्भ करने से पहले बीमाशुदा बनने वाली संस्थाओं की पूरी तौर पर जांच करली जानी चाहिये। मैं यह जानना चाहूंगा कि अनियमितताओ का पता लगने पर क्या कार्यवाही की जायेगी? रक्षित बैंक को उस दशा में कड़े कदम उठाने चाहिये।

इसमें निष्क्रिय बैंकिंग समवायों की जो परिभाषा दी गई है, वह विलम्ब शोधकाल के लिये तो ठीक है। लेकिन उसके बाद अभी इस समय जिन बैंकों को विलम्ब शोधकाल की अनुमति मिली हुई है। उनको इस योजना में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। क्या उनके खातों का बीमा उस काल की समाप्ति के कुछ दिनों बाद किया जायेगा? इसे स्पष्ट किया जाना चाहिये।

शोध काल हटा लेने के पश्चात मेरे विचार से बैंक का जीवित रहना असंभव होगा। क्योंकि यह भावना फैल जायेगी कि शोधकाल इसी कारण दिया गया है कि वह बैंक ठीक प्रकार से नहीं चल रहा था। इसके निक्षेपक भी जमा धन बीमा का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जायेंगे।

[डा० सुशीला नायर पीठासीन हुई]

जिन बैंकों की ऋण चुकाने की मोहलत खत्म नहीं हुई है, उनके खातेदार खण्ड २(च)(७) में दी गई व्याख्या के कारण योजना का लाभ उठाने से बंचित रह जाते हैं। सरकार इस बात की जांच करे।

अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ की ओर से हमने यह मांग की थी कि यह योजना सभी छोटे बैंकों में लागू हो। हम यह नहीं चाहते कि राज्य बैंक भी इसमें शामिल हो। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री ले० अचौ सिंह** : यह विधेयक अत्यन्त संकोचपूर्वक प्रस्तुत किया जा रहा है और मेरे विचार से यह अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं कर सकता है। इस विधेयक का उद्देश्य है कि निक्षेपकों में विश्वास की भावना पैदा हो और देश में बैंकों का दिवाला नहीं निकलने पाये। वस्तुत: यह योजना १९५४ से मौजूद है और ग्राफ समिति ने इस पर विचार किया था गैर-सरकारी बैंकों ने उस समिति के सम्मुख अपने बयान देते हुए कहा कि इस प्रकार की संस्था की स्थापना में बहुत खर्चा आयेगा फलस्वरूप ब्याज अधिक देना होगा इससे ऋण और दुर्लभ हो जायेगा इत्यादि। इन सभी बातों को देखते हुए यह अच्छा होता यदि इसे राय जानने के लिये परिचालित कर दिया जाता।

यद्यपि यह अमेरिकन निगम के नमूने पर संचालित किया जायेगा तथापि इसमें और उसमें यह स्पष्ट भेद है कि यह रक्षित बैंक की एक सहायक शाखा रहेगी जबकि वह एक दूसरे प्रकार की संस्था है।

वास्तव में भारत रक्षित बैंकों को इस संबंध में काफी शक्तियां प्राप्त हैं और वह देश में बैंकों के ठप्प होने के संकट का सामना कर सकती हैं। अत: विशेषत: इस विशेष प्रयोजन के लिये सरकार को शक्तियां देने की आवश्यकता नहीं है इसका प्रयोजन यही ज्ञात होता है कि निक्षेपक को पुन: बैंकों में विश्वास प्राप्त हो।

इसलिए मेरे विचार से ऐसा निगम बनाने और सरकार को अधिक शक्तियां देने का कोई कारण नहीं है। हालांकि जो बैंक फेल हुए हैं उनके संबंध में रिजर्व बैंक उचित समय पर उचित कार्यवाही नहीं कर सका, यद्यपि ऐसी स्थिति का सामना करने के लिये उसे पर्याप्त शक्ति प्राप्त थी। ऐसी परिस्थितियों में निगम की स्थापना से हमारी वर्तमान समस्या हल नहीं होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ले० अचौ सिंह]

हमारी बैंकिंग प्रणाली को उचित आधार पर लाने और बैंकों के फेल हो जाने की समस्या को सेदा के लिये हल करने का.म केवल एक उपाय यही है कि देश के सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये। कठिनाई यह है कि गैर-सरकारी बैंक देश के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य नहीं करते हैं जिसका यह फल होता है जब हमें ऋण की आवश्यकता होती है तो यह पूंजी संकुचित कर लेते हैं और जब समृद्धि का समय होता है तो यह भी पूंजी बाहर निकालते हैं।

वस्तुत: रिजर्व बैंक पूर्ण शक्तियों के होते हुए भी उचित तरीके से कार्य नहीं कर सका। हमारी वर्तमान बैंकिंग प्रणाली के दोष दूर करने का दायित्व रिजर्व बैंक पर होना चाहिये, उसे चाहिये कि वह वर्तमान कुप्रथाओं के विरुद्ध जोरदार आन्दोलन चलाये।

†**डा० क० ब० मेनन** (बडागरा) : अभी हाल तीन बड़े-बड़े बैंक फेल हुए हैं। त्रावन्कोर नेशनल बैंक, लक्ष्मी बैंक, और पलाई सेन्ट्रल बैंक। इन तीनों के ठप्प हो जाने से सामान्य जनता तथा उसके कर्मचारियों को आर्थिक हानि व नौकरी की हानि उठानी पड़ी है। सरकार को ज्ञात है कि बैंकों में अधिकांश निक्षेपक निम्न मध्यम श्रेणी के व्यक्ति होते हैं तथा उनके हितों की रक्षा करना आवश्यक है। शाफ़ समिति ने भी इस बात की सिफारिश की थी।

तथापि मेरा विचार है कि विधेयक उपयोगी होते हुए भी इसके द्वारा लाभ होना संदिग्ध है। आशा है कि सरकार अधिनियम की त्रुटियों को शीघ्र ही दूर कर देगी।

बीमे की फीस यथासंभव कम रखी जाय और बीमें की अधिकतम सीमा बढ़ाकर कम से कम ३,००० रु० कर दी जाये। इस योजना में सभी बैंक जिसमें स्टेट बैंक शामिल है होने चाहिये ताकि बीमा शुदा और गैर बीमा शुदा बैंकों का विभेद नहीं रहे।

यदि निगम उचित निगरानी रखे तो उससे बैंकों के फेल हो जाने को रोकने में निश्चय ही सहायता मिलेगी।

मैं बैंकों के संबंध में केरल के बैंकों को कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। भारत के कुल बैंकों में से ३०·४० बैंक केरल में हैं, जब कि कुल पूंजी केवल ०·४६ प्रतिशत ही है। कुल १०७ बैंकों में से केवल ६ बैंक ऐसे हैं जिनकी पूंजी एक करोड़ से ऊपर है उममें से दो बैंक ठप्प हो चुके हैं।

अत: अल्प धन जमा करने वाले लोकों के हितों की रक्षा करने के लिये इस योजना के अतिरिक्त कतिपय अन्य कदम उठाना आवश्यक है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने सावधि निक्षेप और पूंजी विनियोजन के अनुपात तथा छोटे बैंकों के विलय के बारे में जो सुझाव दिये हैं उन पर विचार करना चाहिये और उन्हें क्रियान्वित करना चाहिये।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : सभानेत्री जी, अमानत को, डिपाज़िट्स को, इन्शोर करने के लिये, उस का बीमा करने के लिये एक निगम की स्थापना करने के संबंध में इस सदन में जो विधेयक पेश हुआ है, उस का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। यद्यपि पिछली शताब्दी में हमारे देश में बैंकिंग प्रणाली का धीरे धीरे बहुत विकास हुआ है और व्यापारिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में उसकी तरक्की हुई है, फिर भी यह बात सभी को जाहिर है कि अभी हिन्दुस्तान के बहुत से भाग बैंकिंग प्रणाली से बिल्कुल ही अछूते हैं और बैंकिंग प्रणाली से जिस तरह से फायदा

---

†मूल अंग्रेजी में

उठाया जाना चाहिये, अभी हिन्दुस्तान की जनता का बहुत बड़ा भाग उस से फायदा नहीं उठा सका है। हिन्दुस्तान में अभी बैंक के इस्तेमाल का अभ्यास, आदत, शायद दस-पन्द्रह प्रतिशत से ज्यादा लोगों में नहीं है। इसके कारणों की कई बार छान-बीन की गई है और कई बार देश में बैंकिंग के विषय में जांच पड़ताल करने के लिये एन्क्वायरी कमेटीज़ बैठीं। देहात में बैंकों के इस्तेमाल के बारे में भी एक एन्क्वायरी कमेटी बैठी थी। उन सभी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हिन्दुस्तान में लोगों में बैंकिंग की आदत डालने के लिये यह आवश्यक है कि देहात में बैंक खोले जायें और इस तरह की योजना बनायी जाये, जिस से देहात की जनता, किसान लोग, जो कुछ भी थोड़ी सी पूंजी उन के पास रहती है, उस का इस्तेमाल बैंकों के द्वारा करे। अभी भी अगर इस बात का अन्दाजा लगाया जाये, तो मालूम होगा कि बहुत से लोगों के पास गहने, नोट या कैश के रूप में धन की बहुत बड़ी मात्रा ज़मीन में ही पड़ी रहती है, जिस से कई तरह का सामाजिक बुराइयां भी पैदा होती हैं।

इस सम्बंध में यह कहा गया कि हिन्दुस्तान में बैंकिंग प्रणाली का धीरे धीरे देहात में विस्तार होना चाहिये। इस के अनुसार स्टेट बैंक आफ इंडिया ने अपनी बहुत सी शाखायें सब-डिविज़नल हैडक्वार्टर्ज़ और डिस्ट्रक हैड क्वार्टर्ज़ में खोल कर अपने कार्य का विस्तार किया है। फिर भी उन की संख्या हिन्दुस्तान के लिये पर्याप्त नहीं है। इसका खास कारण यह है कि जो भी बैंकिंग की सुविधायें देहात में उपलब्ध की गई है, उस के बावजूद अभी भी बहुत से लोग अपनेपास रुपया रखते हैं और बैंकों में जमा नहीं करते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। बहुत तरह की गलत फहमियां भी है। देश में बहुत सी कम्पनियां चलती है, बहुत सी बैंकिंग संस्थायें चल रही हैं लेकिन अभी तक इन संस्थाओं ने देहातों के एक बड़े हिस्से में इस बात का विश्वास पदा नहीं किया है कि अगर वे लोग अपनी बचतों को बैंकों में रखेंगे तो उनकी ये रकमें सुरक्षित रह सकेंगीं। इस वास्ते लोगों को यह विश्वास होना चाहिये कि उनकी जो अमानतें बैंकों में हैं, वे सुरक्षित हैं और किसी भी कारण से बैंक के लिक्विडेशन में चले जाने पर या कारोबार बन्द हो जाने पर उनका रुपया डूबेगा नहीं, वह सही सलामत रहेगा। एसा विश्वास पैदा करने के लिये इस निगम की स्थापना के लिए जो विधेयक लाया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के लोगों में रुपये बैंकों में जमा करने की आदत को इससे बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

हमें देश के विकास कार्यक्रमों को कार्यन्वित करने के लिये आज पैसे को जरूरत है। यह जो तृतीय पंच वर्षीय योजना बनी है और इसके बाद भी जो योजनायें बनने वाली हैं, उनको पूरा करने के लिये हमें पैसे की जरूरत है। हम केवल बाहरी सहायता पर निर्भर रहकर या डिफिटि फाइनेंसिंग करके उनको कार्यान्वित नहीं कर सकते हैं। इस वास्ते आवश्यकता इस बात की है कि देश के अन्दर लोग जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचाते हैं और उस बचत को अपने घरों में रख छोड़ते हैं, उसको बैंकों में जमा करवायें ताकि उस पैसे का विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए उपयोग हो सके। अगर ऐसा होता है तो देश बहुत आगे बढ़ सकता है।

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया है कि इस विधेयक का जो कार्यक्षेत्र है, जो सीमा है, वह व्यवसायिक बैंकों तक ही अभी सीमित रहने वाली है। हमारे देश में सरकार की नीति पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा करने के लिए यह रही है कि देश के अन्दर छोटी छोटी बचतों को बढ़ावा दिया जाए, उनके जरिये से रुपया इकट्ठा किया जाए, और उसको विकास कार्यों में खर्च किया जाए। उसकी यह नीति भी रही है कि कोआप्रेटिव बैंक्स और कोआपरेटिव सोसाइटीज़ का विस्तार हर

[श्री श्रीनारायण दास]

सम्भव तरीके से किया जाए । कई बार कोग्रोप्रेटिव संस्थाओं को जांच की गई है और देखा गया है कि उनके जो सदस्य हैं और वे भी जो सदस्य नहीं हैं अगर रुपया जमा करायें तो बहुत भारी रकम हमको अपनी योजना के लिए प्राप्त हो सकती है । निगम की जो इस बिल के द्वारा स्थापना होने जा रही है और जिसका कार्यक्षत्र अभी व्यावसायिक बैंकों तक ही सीमित रहने वाला है, इसमें अगर कोग्रोप्रेटिव बैंक्स को भी शामिल कर लिया जाता है, कोग्रोप्रटिव सोसाइटीज़ को भी अगर शामिल कर लिया जाता है तो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा । जो जनता गांवों में रहती है और उसमें से जो कोग्रोप्रटिव सोसाइटीज़ की मेम्बर है और वहां पर अपनी अमानत रखने की उसको अभी आदत नहीं है, उन सोसाइटीज़ को अगर सुरक्षा प्रदान कर दी जाती है, तो यह एक बहुत उपकार का कार्य आप करेंगे । मैं अनुरोध करता हूं कि इस बिल में इस वक्त इसकी गुंजाइश भले ही न हो लेकिन सरकार को इस बात की छान बीन करनी चाहिए कि कहां तक और कितने समय में और कितनी जल्दी हम इस विधयक को जो कोग्रोप्रटिव बैंक हैं हमारे देश में, उनको इसके कार्यक्षेत्र में ला सकेंग ।

एक बोर्ड की स्थापना इस बिल के द्वारा आप करने जा रहे हैं जिस पर इस निगम को चलाने का भार होगा । उसका जो संगठन है, वह मुझे बाकी सब दृष्टियों से सही नज़र आता है, सिर्फ एक कमी है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा । जहां पर बोर्ड के गठन का जिक्र किया गया है वहां यद्यपि यह कहा गया है कि दो बैंकिंग के या कामर्स या इंडस्ट्री इत्यादि के जो एक्सपर्ट होंगे उनको सरकार द्वारा नामजद किया जाएगा वहां अगर एसा भी प्राविजन कर दिया जाता है कि विभिन्न बैंकों में जो डिपाजिटर हैं, उनको भी प्रतिनिधित्व इस बोर्ड में मिलेगा, तो इससे और भी ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ सकता था । इस बिल में शायद यह कहा गया है कि पांच या छः मेम्बर इस बोर्ड में होंग । अगर यहां यह भी कह दिया जाता कि एक डिपाजिटर्ज का प्रतिनिधि भी इसमें होगा, तो यह ज्यादा अच्छा होता ।

अब मैं कुछ दूसरे विषयों की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं । पहला विषय तो रेट आफ प्रीमियम के बारे में है । जीवन बीमा के सम्बन्ध में या दूसरे जनरल बीमा के सम्बन्ध में आपके विशषज्ञों ने एक वैज्ञानिक ढंग निकाल लिया है और उस ढंग के आधारपर क्या बीमे की दर होनी चाहिए, आपने रख छोड़ी है । बीमे की दर का आधार क्या होना चाहिये, यह आपने वैज्ञानिक आधार पर तय कर दिया है । लेकिन यह एक नया ही विषय आप हाथ में लेने जा रहे हैं । जैसा कि बताया गया है कि एक नए ही ढंग की जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेने जा रहे हैं । मैं समझता हूं कि चूंकि अभी पूरे आंकड़ इस सम्बन्ध में सरकार के पास नहीं हैं पूरी जानकारी इस विषय में सरकार के पास नहीं है, इस वास्ते वह प्रीमियम की शरह को वैज्ञानिक ढंग से तय नहीं कर पाई है । लेकिन मैं समझता हूं कि डिपाज़िट्स की सुरक्षा के लिए जो प्रीमियम लिया जाय वह कम से कम होना चाहिए । एक अन्दाजा लगाया गया है कि अधिक से अधिक १५ नये पैसे यह रहेगा । और कम से कम ५ नये पैसे होगा । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अभी विचार यह है कि कम से कम पांच नए पैसे प्रति सौ रुपया हम प्रीमियम लगायेंगे । मुझ नहीं मालूम कि किस आधार पर यह पांच या पन्द्रह नय पैसे की सीमा तय की गई है । अभी हमें कुछ पता नहीं है कि कितने बैंक फेल हो चुके हैं और किस हद तक उनमें कुल डिपाज़िट थे । अगर यह सब जानकारी और साथ ही साथ दूसरी और भी जितनी जानकारी है, उसको प्राप्त किया जा सके तो मैं कहूंगा कि प्रीमियम तय करने में इस बात का ध्यान रखा जाए कि निगम का स्थायित्व बना

लोक - सभा वाद - विवाद

दिनांक ५ सितम्बर, १९६१ । १४ भाद्र, १८८३ (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ संख्या ३४८४ पर :

१६ वीं पंक्ति के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने का अनुमान है ?

रहे, इसको चलाने में कोई घाटा न हो और प्रीमियम की दर भी कम से कम रहे। । इस वास्ते मैं समझता हूं कि सरकार ने पन्द्रह नये पैसे प्रतिसैकड़ा अधिक से अधिक लिमिट रखी है यह ज्यादा होने वाली नहीं है और पांच नये पैसे प्रति सैकड़ा जो रखा है, इस पर भी उसको कायम रहना चाहिये। इस संस्था के कुछ दिन तक संचालन को देखने के बाद इसकी छानबीन होनी चाहिये कि कम से कम पांच नये पैसे जो रखे गये हैं, इसको क्या और कम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया जो एक तरह से सरकारी बैंक है, उस पर जो भार लादा जा रहा है और उसको जो इसमें शामिल किया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। माननीय मंत्री जी ने बताया है कि कानूनी सलाह ली गई है और बैंकों की एसोसियेशन जो है, उसकी भी राय ली गई है और उन्हें दोनों की तरफ यह सलाह मिली है कि स्टेट बैंक का भी इसमें शामिल होना जरूरी है। मैं समझता हूं कि स्टेट बैंक जो कि सरकारी बैंक है, उसकी सुरक्षा के लिए सरकार खुद जिम्मेदार है और इसमें डिपाजिट्स के डूबने की कोई आशंका नहीं है। इसलिए स्टेट बैंक को इसमें शामिल नहीं किया जाता तो अच्छा रहता। उन्हीं बैंकों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए जिनके लिक्विडेशन में जाने का खतरा है।

श्री श्रीनारायण दास : माननीय सदस्य जिस बात की तरफ इशारा करते हैं, उनको उसके सम्बन्ध में मैं बतलाना चाहता हूं कि यहां पर डिपाजिट्स के डूबने का कोई खतरा नहीं है और जब ऐसी बात है तो बीमा कराने की जिम्मेदारी उस पर क्यों डाली जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो यह एक एक्सट्रा एक्सपेंडीचर होगा। स्टेट बैंक को इसमें लाने का मतलब यह होगा कि उससे भी इस निगम को प्रीमियम का कुछ रुपया दिलाया जाए। यह रुपया स्टेट बैंक के पास ही रहे तो वह अपने काम को आगे बढ़ा सकता है और अधिक शाखायें खोल सकता है।

रूरल बैंकिंग एनक्वायरी कमेटी की रिकोमेंडेशन के मुताबिक बहुत से स्थानों पर इस बैंक ने अपनी शाखायें खोली हैं। मैं समझता हूं कि अभी और भी शाखायें खोले जाने की जरूरत है और बैंक को चाहिये कि और अधिक अपनी शाखायें खोले।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि आगे चल कर जल्दी से जल्दी कोओप्रेटिव बैंक्स को भी इसमें शामिल करने का प्रयत्न किया जाएगा ताकि देश में कोओप्रेटिव बैंक्स का विकास हो सके और इन बैंक्स में रुपया जमा कराने की आदत लोगों में बढ़ सके।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। राष्ट्रीयकृत संस्थाओं और उपक्रमों के संचालन का हमें जो अनुभव हुआ है उसके आधार पर मैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता हूं। जहां तक राज्य बैंक का सम्बन्ध है हमने इस बात पर गौर नहीं किया है कि उसका संचालन पहले की अपेक्षा कुशलता पुर्वक किया जा रहा है या नहीं हमें केवल इतना ज्ञात है कि ग्रामीण बैंक के सम्बन्ध में इसको जो दायित्व दिया गया था वह पूरा नहीं किया गया है।

प्रस्तावित बीमा योजना के कार्यान्वय के फलस्वरूप हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के अल्प धन जमा करने वाले लोगों को बंकिंग प्रणाली की जानकारी हो जायेगी और बैंकिंग की संस्था में उन्हें विश्वास होगा। इस प्रकार की योजना से अधिकांश छोटे उपक्रम अधिक दायित्व से काम कर सकेंगे, ऐसी आशा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रंगा]

मेरे विचार से राज्य बैंक को भी बीमा किये जाने वाले बैंकों की सूची में शामिल करना चाहिये क्योंकि राज्य बैंक भी अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का विकास करने में पूर्णतः असफल रही है।

†श्री ब० रा० भगत : मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस विधेयक को सभी पक्षों की ओर से पूरा समर्थन प्राप्त हुआ है। कुछ सदस्यों ने इस वाद-विवाद के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाय हैं। उनके सुझावों से न केवल जानकारी ही बढ़ी है अपितु वे बहुत प्रेरक भी सिद्ध हुए।

सर्व प्रथम श्री त्यागी ने यह प्रश्न उठाया था कि बीमाकृत बैंकों द्वारा दी गयी किश्तें आयकर से मुक्त होंगी। इस बात पर विचार करने के उपरांत यह ज्ञात हुआ कि भारतीय आयकर अधिनियम, धारा १०(२)(१५) के उपबन्धों के अनुसार कोई भी व्यय जो कि व्यवसाय के लिये आवश्यक समझा जाये उसे कराधेय आय का हिसाब लगाते समय व्यय समझा जावेगा। बैंकों द्वारा दी जाने वाली किश्त इसी के अन्तर्गत आयेंगी।

श्री वासुदेवन नायर ने यह कहा है कि यद्यपि बैंकिंग उद्योग पर कोई संकट नहीं आया है तथापि बैंकिंग व्यवसाय के अन्तर्गत कुछ खराबियां अवश्य मौजूद हैं। वस्तुतः इस प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंचना अच्छा नहीं है। देश की विकासशील अर्थ व्यवस्था की पृष्ठभूमि में देश की बैंकिंग तथा वित्तीय स्थिति भी उसी पृष्ठ भूमि में देखी जानी चाहिये।

निस्संदेह अभी हाल के महीनों में आर्थिक क्षत्र तथा कई अन्य बैठकों में भी बैंक निक्षेपों का प्रश्न उठाया गया है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। यह सही नहीं है कि निक्षेपों में कमी आ रही है वस्तुतः बैंकर लोग चाहते हैं कि उनमें और अधिक वृद्धि हो।

वे इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि इस सम्बन्ध में क्या क्या प्रोत्साहन दिये जा सकते हैं। तथा बैंक निक्षेपों में वृद्धि करने के लिये और क्या क्या गठन सम्बन्धी परिवर्तन किये जा सकते हैं। वस्तुतः जैसे जैसे अर्थ व्यवस्था का विकास हो रहा है बैंक निक्षेपों में वृद्धि होनी चाहिये। मैं यह भ्रांति दूर करना चाहता हूं कि बैंकिंग व्यवस्था में कोई खराबी है। जो भी समस्या आ रही है वह विकास की ही दिशा में है। और वस्तुतः यह समस्या देश की अर्थ व्यवस्था की सक्रियता के कारण ही पैदा हुई है।

डा० कृष्णस्वामी ने बैंकिंग व्यवसाय की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर भी प्रकाश डाला है। उनके पास जमा धन बीमा की एक वैकल्पिक योजना है। उन्होंने यह कहा कि रक्षित बैंक के पास रहने वाली संविहित बकाया राशि पर, दो प्रतिशत का ब्याज लगा कर, भारत रक्षित बैंक काफी रुपये वसूल कर सकता है और इससे इस योजना में उल्लिखित धन से अधिक राशि का बीमा किया जा सकता है। तथापि हमें यह विचार करना चाहिये कि रक्षित बैंक और निगम दोनों स्वतंत्र संस्थायें हैं। ऐसा उपबन्ध करना कि रक्षित बैंक सूद का भुगतान करे और उसे निगम को दे सके अनुचित होगा। यह विधेयक अनुसूचित बैंकों पर भी लागू होता है। इन बैंकों की रक्षित बैंकों के पास कोई बकाया राशि नहीं होती है।

उन्होंने यह भी कहा कि बैंक निर्यात के मामले में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मेरे विचार से यह सही नहीं है। पिछले दो वर्षों से भारत रक्षित बैंक ने शाखाओं को खोलने के संबंध में बहुत उदारता दिखायी है। राज्य बैंक की शाखाओं का पिछले दो वर्षों में बहुत तेजी से

†मूल अंग्रेजी में

विकास हुआ है। राज्य बैंक तीसरी योजना की अवधि में ३०० नयी शाखायें खोलने की योजना बना रहा है। ये छोटे कस्बों और महत्वपूर्ण गांवों में खोली जायेंगी। अतः यह कहना गलत है कि हमारे पास बैंकिंग के विकास की कोई दीर्घकालीन योजना नहीं है।

पिछले कुछ वर्षों में राज्य बैंक की शाखाओं में वृद्धि हुई है और वे ५,००० तक पहुंच चूकी है अतः यह कहना गलत है कि हम बैंकिंग के विकास के लिये कुछ नहीं कर रहे हैं।

जहां तक निर्यात का संबंध है यह हमारे बैंकों के लिये नई लाईन है। यह कार्य अधिकांशतः एक्सचेंज बैंकों द्वारा कर लिया जाता है। तथापि अब हमारे बैंक इस ओर अधिकाधिक ध्यान दे रहे हैं। अभी हाल के वर्षों में उन्होंने बिल व्यवस्था का काफी बड़ा भाग अपने कब्जे में कर लिया है। उन्होंने हमारे निर्यातकों को दिये गये आर्डरों के अधार पर ऋण देना, तथा निर्यातकों को, कई मामलों में नये निर्यातकों को भी, ऋण देना आरम्भ कर दिया है। इस प्रश्न पर, कि क्या बैंकों को निर्यात के लिये टर्म क्रैडिट देने के लिये प्रोत्साहित किया जाये, विचार किया जा रहा है।

माननीय सदस्य ने स्वदेशी बैंकरों के विनियमन और नियंत्रण का भी प्रश्न उठाया है। इससे कई व्यापक प्रश्न पैदा होते हैं। गैर सरकारी बैंकर लोग कदाचित सही लेखा जोखा रखना, तथा अन्य कार्य छोड़ना व रक्षित बैंक के द्वारा लायसैंस और निरीक्षण के नियंत्रण को पसन्द नहीं करे। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा तब तक शर्राफों और मुल्तानियों पर नियत्रण रखना कठिन होगा। तथापि इन्हें अधिक महत्व देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनके पास कुल निक्षेपक राशियों का केवल ५ प्रतिशत रहता है।

यह प्रश्न उठाया गया है कि इसमें भारत के बाहर स्थित निक्षेप राशियों को शामिल नहीं किया गया है। इसका कारण यह है कि वहां स्थिति भारतीय बैंकों की शाखाओं को वहां की विधियों और विनियमनों के अधीन कार्य करना होता है। इन देशों में जमा धन की सुरक्षा के लिये किसी विधी के अभाव में भारतीय निक्षेपक और विदेशी निक्षेपक के बीच में भेदभाव करना उचित नहीं होगा तथा सभी निक्षेपकों को सुरक्षा प्रदान करना भी संभव नहीं है।

जहां तक विदेशी समवायों द्वारा भारतीय बैंकों में रखे गये निक्षेपों का संबध है, वह विशेष शर्तों के अधीन रखे जात हैं और सरकार इस बात का पूरा प्रयत्न करती है कि उन्हें प्रतिष्ठित बैंकों में रखा जाये।

श्री न० रा० मुनिस्वामी ने यह पूछा है कि यदि कोई व्यक्ति अपने निक्षेपों को विभाजित कर २० बैंकों में रखेगा तो क्या स्थिति पैदा होगी। ऐसा करने में उसे कई व्यक्तिगत कठिनाइयां पैदा होंगी। वर्तमान स्थिति यह है। बिना बीमें के भी लोगों ने एक ही बैंक में एक नाम से काफी बड़ी राशि जमा करवाई हुई है। अतः विचार से केवल इस लिये कि उतनी राशि जमा धन के बीमे के भीतर् आ जायेगी, वह इसे कई बैंकों में विभाजित नहीं करेंगे।

उन्होंने यह कहा है कि बोर्ड में गैर-सरकारी व्यक्तियों को भी स्थान मिलना चाहिये। सरकार सदैव गैर-सरकारी व्यक्तियों को परामशदाता या विशेषज्ञ के रूप में लेती रही है। यह सामान्य प्रक्रिया है।

उन्होंने यह कहा है कि निगम का कार्यालय बम्बई में नहीं होना चाहिये। मेरे विचार से यदि उसका कार्यालय भारत रक्षित बैंक के कार्यालय से दूर होगा तो उसमें कई कठिनाईयां पैदा हो जायेंगी। आरम्भ में कदाचित रक्षित बैंक के कर्मचारियों को ही आंशिक समय काम करने वाले कर्मचारियों के रूप मे निगम में कार्य करना होगा। अतः आगामी कुछ वर्षों तक इसे बम्बई से बाहर रखना सभव नहीं होगा।

[श्री व० रा० भगत]

जहां तक निगम के कार्यालय की बात है उसके लिये बाम्बई ही उचित स्थान है। माननीय सदस्य देखेंगे कि और कोई स्थान व्यावहारिक दृष्टि से ठीक नहीं है। श्री गुहा का कहना है कि गैर-सरकारी क्षेत्र से काफी मात्रा में किस्त ली जायेगी और सरकारी क्षेत्र में लगा दी जायगी। यह बात ठीक नहीं है। क्यों कि यह निगम सरकारी क्षेत्र का संगठन है। ऐसा करने से जनता में विश्वास की भावना बढ़ेगी और बैंकिंग व्यवसाय सुदृढ़ होगा। उद्देश्य यह है कि इस व्यवसाय की उन्नति हो।

श्री गुह ने कहा है कि गैर-सरकारी क्षेत्र से निकाले गये बैंक कर्मचारियों को निदेशक मंडल में स्थान नहीं मिलना चाहिये। इस सम्बन्ध में एक बात यह है कि सरकारी क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति को निकाला जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया का पालन किया जाता है लेकिन गैर-सरकारी क्षेत्र में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। हमें यहां तक मालूम नहीं होता कि उसे किस आधार पर निकाला गया है। लेकिन फिर भी मैं उन्हें यहां आश्वासन देता हूं कि उसे निदेशक मंडल में नहीं लिया जायेगा। रिजर्व बैंक इस बात का ध्यान रखेगा कि जिस व्यक्ति का पिछला सेवा काल अच्छा नहीं है वह निदेशक मंडल में न आये। इस उपबंध में इसकी व्यवस्था किये बिना ही इसका ध्यान रखा जायेगा।

निगम को पारस्परिक आधार पर संगठित करने के प्रश्न पर तभी विचार हो सकता है जब कि वह पर्याप्त बीमा निधि एकत्र कर ले। इस में कोई दस वर्ष लग सकते हैं। निगम की पूंजी अधिकृत थी तथा निगमित नहीं क्योंकि इसे कोई बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारी पूंजी शोधित पूंजी के रूप में है तथा निगम के लिये ५ करोड़ रुपये तक के ऋण सम्बन्धी उपबंध भी हैं। फिर भी आशा की जा सकती है कि उधार लेने के लिये कोई आवश्यकता नहीं आयेगी। बीमागत बैंकों के प्रतिनिधियों को बोर्ड पर इसलिये नहीं लिया जा सकता क्योंकि इससे उनके कब्जे में दूसरे बैंकों के बारे में गुप्त जानकारी आ सकती है। निगम ही सारे बैंकों के बारे में जानकारी रख सकता है।

शुरू में हमारा विचार स्टेट बैंक तथा अधीनस्थ बैंकों को इस निगम में सम्मिलित करने का नहीं था किन्तु पुनः विचार के बाद इन को इस में शामिल किया गया है। इसे बाहर रखने से इस बैंक के पक्ष में किये गये विभेद का आरोप लग सकता है। अतः यह ध्यान में रख कर कि इस आरोप से बचा जा सके तथा निगम का काम उचित रूप से चल सके हम ने यह निर्णय किया है।

हमारे देश में सहकारी बैंकों का क्षेत्र महत्वपूर्ण है। रिजर्व बैंक तथा सरकार ने सहकारी क्षेत्र की उन्नति के लिये बहुत कुछ किया है। सहकारी बैंकों को इस विधेयक के क्षेत्र में नहीं लाया गया है क्योंकि इसका सम्बन्ध केवल उन बैंकों से है जिनका काम काज भारत के रिजर्व बैंक के नियंत्रण के अधीन है। चूंकि ये सहकारी बैंक विभिन्न लक्षीर्षों के अन्तर्गत विभिन्न कार्य करते हैं अतः इन सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक का कोई नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा इन सहकारी बैंकों में राशि भी तो कम ही जमा की जाती है। फिर इन पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण ऐसी स्थिति में करना सम्भव भी नहीं है। हम इनकी देखभाल दूसरी ही तरह से कर सकते हैं। यदि सभा चाहती है कि इन बैंकों का भी विकास हो तो उनकी देखभाल के लिये और ही मार्ग अपनाये जा सकते हैं।

विधेयक के अन्तर्गत आने वाले निक्षेपों को १,५०० रुपये से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि यह कोई थोड़ी राशि नहीं है। जहां तक किस्त की बात है वह भी कोई अधिक नहीं है।

और यह उचित ही है। काम शुरू करने के लिये यह ठीक ही है। यह आशा की जाती है कि निगम उचित ढंग से कार्य करेगा जिससे बैंकिंग उद्योग मजबूत हो जाये। जब निगम पर्याप्त धन एकत्र कर लेगा तो इसके अन्तर्गत आने वाले निक्षेपों की राशि के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

हम यह चाहते हैं कि यह निगम अच्छी तरह कार्य करे अतः ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यह निगम भली प्रकार से कार्य करे।

†**सभापति महोदय** : इसे प्रसारित करने के लिये दो संशोधन आये है मैं उन दोनों को मतदान के लिये रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ तथा ७ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि जमा धन के बीमे के प्रयोजन के लिये एक निगम की स्थापना और तत्सम्बन्धी अथवा आनुषांगिक अन्य विषयों की व्यवस्था वस्त्र विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**सभापति महोदय** : अब विधेयक की खंड वार चर्चा होगी।

खंड (२—परिभाषा)

†**सभापति महोदय** : एक सरकारी संशोधन है।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ ३

(१) पंक्ति २८ में

"of sub-section (1)" ["उपधारा (१) का"] शब्द निकाल दिये जायें

(२) पंक्ति ३० में

"sub-section" ["उपधारा"] के स्थान पर "section" ["धारा"] शब्द रख दिया जाये। (८)

यह छपाई की भूल मालूम होती है। उपधारा (१) नाम की कोई चीज नहीं है। इसीलिये हमने यह संशोधन रखा है।

†**श्री वासुदेव नायर** : मैं अपना संशोधन संख्या १० रखता हूं।

राज्य बैंक तथा अधीनस्थ बैंकों को इस विधेयक के क्षेत्राधिकार से निकालने के बारे में जो तर्क माननीय उपमंत्री ने रखे हैं वे कुछ भी तो नहीं हैं। इस विधेयक की आवश्यकता इसीलिये हुई कि कुछ बैंक इस ढंग से कार्य करते हैं कि अंत में वे फेल हो जाते हैं। २९७ बैंकों का दिवाला निकल गया है। जब बैंकों की हम ने ऐसी स्थिति देखी तो उनकी सुरक्षा के लिये ही हम ने यह विधेयक उपस्थित किया।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वासुदेव नायर]

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या स्टेट बैंक की स्थिति भी ऐसी है जो कि किसी भी दिन फेल हो जायेगा और क्या इसी बात को ध्यान में रख कर उसे इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में रखा गया है। मेरा विचार है कि इसे इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में रखना ठीक नहीं है। अतः मैं इस बात का विरोध करता हूं कि यह इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में क्यों रखा गया है। इसका निरूपण तो एक दूसरे ही स्तर पर किया जाना चाहिये। मेरे विचार में तो कुछ लोगों को सन्तुष्ट रखने के लिये ही सरकार ने ऐसा किया है। अन्त में मैं अपने संशोधन पर जोर देता हूं।

†**श्री ब० रा० भगत** : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने मेरी बात का गलत अर्थ लगाया मैं उनके संशोधन को स्वीकार नहीं करता।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३

(१) पंक्ति २८ में

"of sub-section (1)" ["उपधारा (१) का"] शब्द निकाल दिये जायें।

(२) पंक्ति ३० में

"sub-section" ["उपधारा"] के स्थान पर "section" ["धारा"] शब्द रख दिया जाये। (८)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १० मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ३, ४ और ५ विधेयक में जोड़ दिये गये

खंड ६—(संचालक मंडल)

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : मैं अपना संशोधन संख्या ५ प्रस्तुत करता हूं।

खंड ६ के उपखंड (४) में कुछ अनर्हताओं का उल्लेख किया गया है। उपखंड (१) के भाग (घ) के अधीन यदि किसी संचालक को मनोनीत किया जाता है तो वह संचालक बोर्ड का सदस्य नहीं हो सकता। उपखंड (१) के भाग (घ) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बैंकिंग व्यवसाय में सक्रिय भाग लेता है तो वह इस उपखंड में उल्लिखित दो संचालकों में से एक संचालक नहीं हो सकता। खंड (ग) में भी कुछ अनर्हताओं का उल्लेख किया गया है। मैं देखता हूं कि इस खंड में कुछ कमी है। यदि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया गया तो यह कमी दूर हो जायेगी। इसलिये आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय मेरा यह संशोधन स्वीकार कर लें। इस से

---

†मूल अंग्रेजी में

लाभ यह होगा कि किसी संचालक के किसी बैंकिंग कम्पनी से निकट का सम्बन्ध होने से उसका स्थान खाली हो जाये । यही मेरे संशोधन का उद्देश्य है ।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं क्योंकि खंड ६ (१) (घ) में यह व्यवस्था की गई है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दो ऐसे संचालक; रिजर्व बैंक के परामर्श से मनोनीत किये जायेंगे जिन्हें, बैंकिंग व्यवसाय की, अथवा वाणिज्य की, अथवा उद्योग वित्त की विशेष जानकारी हो और वे न तो सरकारी अथवा न रिजर्व बैंक के पदाधिकारी होंगे । उपखंड ४ (ग) किसी बीमागत बैंक के संचालक अथवा उसके पदाधिकारी अथवा उसके किसी कर्मचारी के बारे में है । यदि कोई बैंकिंग व्यवसाय में सक्रिय भाग तो लेता है किन्तु वह कोई पदाधिकारी अथवा कर्मचारी नहीं है तो वह संचालक हो सकता है । दोनों खंडों का उद्देश्य एक सा नहीं है ।

†**श्री प्रभात कार** : जैसा कि आपने अभी कहा है उसका अभिप्राय तो यह हुआ कि उपखंड (४) (ग) केवल संचालक की नियुक्ति के समय ही प्रभावी हो सकती है किन्तु बाद में नहीं । नियुक्ति हो जाने के बाद यदि कोई सक्रिय रूप से भाग लेने लगता है तो उसके लिये आपने कोई व्यवस्था नहीं की है ।

†**श्री ब० रा० भगत** : यदि वह सक्रिय रूप से भाग लेता है तो वह अनर्हर हो जायेगी । मेरे विचार से उसका यहां विशेष रूप से उल्लेख करना अतिरंजन होगा । क्योंकि वह उसके बाद भी अनर्हर हो जायेगी ।

†**सभापति महोदय** : चूंकि इस विधेयक की चर्चा के लिये जो समय निर्धारित किया गया था वह पूरा हो गया है इसलिए मेरा सुझाव है कि अब इस पर विचार समाप्त किया जाय । इसमें अभी ४९ खंड हैं । इसे अब समाप्त करना संभव नहीं है ।

कोयले के उत्पादन और संभरण के बारे में प्रस्ताव

श्री रामकृष्ण गुप्त (महेन्द्रगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि देश में कोयले के उत्पादन और संभरण की स्थिति पर विचार किया जाये ।"

कोल के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का मामला कितना अहम है इसका अन्दाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले डेढ़ दो साल से यह मामला क्वश्चन्स और कालिंग एटेंशन नोटिसेज के जरिय कई दफा हाउस के सामने आया है और इसके बारे में स्टटमेंट दिय गये हैं । आज भी मंत्री जी ने इस बारे में दो स्टेटमेंट हाउस के सामने रखे हैं ।

इन तमाम बातों को देखने से पता चलता है कि कोल की कितनी जरूरत है । यह सारी इंडस्ट्री के डवेलपमेंट के लिए बहुत अहम चीज है ।

सबसे पहले मैं कोल के प्रोडक्शन के सवाल को लेता हूं और हाउस के सामने यह जाहिर करने की कोशिश करूंगा कि कोल की प्रोडक्शन कितनी है और आगे थर्ड फाइव अर प्लान में कितनी होगी ।

सैकिंड फाइव इअर प्लान में हमारे इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स जो थीं, जो कारखानों की जरूरतें थीं, उन तमाम का अन्दाजा लगाते हुए ६० मिलियन टन का टारगेट मुकर्रर किया गया

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राम कृष्ण गुप्त]

था। यह पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टरों के लिए था कि इतना प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हमारा प्रोडक्शन का टारगेट पूरा नहीं हो सका। सिर्फ ५४–६२ मिलियन टन प्रोडक्शन हम कर सके। इसके बारे में ज्यादा दुःख की बात यह है कि जो यह शार्ट-फाल है यह तकरीबन तमाम का तमाम पबलिक सेक्टर में है। मैं चाहता हूं कि पबलिक सेक्टर कामयाब हो और उसकी कामयाबी के लिये सब से ज्यादा जरूरी है कि उसका टारगेट प्राइवट सेक्टर से भी ज्यादा हो। मुझ पूरा विश्वास है कि आइन्दा जो टारगट मुकर्रर किया जाएगा, उसको पूरा करने की कोशिश की जायगी।

अभी माननीय मंत्री जी ने इस सिलसिले में जो बयान दिया, उसमें इस बात का ज़िक्र किया गया कि पबलिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टरर्ज़ के टारगेट्स के बारे में गवर्नमेंट की पालिसी यह है कि कोई रिजिड रूल नहीं होना चाहिये, बल्कि व फ्लैक्सिबल होने चाहिए और जो कमी हो, उसको बाद में पूरा किया जाये। मैं इस बात से मुत्तिफिक हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि थर्ड फ़ाइव यीअर प्लान के लिये जो ९७ मिलियन टन का टारगेट रखा गया है, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की जायगी।

मेरी यह भी तजवीज है कि अगर ये टारगेट्स एनुअल हों, तो और ज्यादा अच्छा है। हमारे देश में दो फ़ाइव यीअर प्लान्स बन चुके हैं और उनका तजुर्बा हमारे सामने मौजूद है। आप किसी भी प्राजेक्ट को, किसी भी प्रोग्राम को ले लें, प्लान के आखिरी साल में सब से ज्यादा कोशिश की जाती है, जिसका नतीजा यह होता है कि जल्दी में काफी वैस्टज होता है और हम सही तौर पर टारगेट पूरा नहीं कर सकते। इसलिय मैं चाहता हूं कि जो प्राग्रेस हो, लगातार हो, रेगूलर हो और यह न हो कि हर साल तो कमी हो और आखिरी साल उसको पूरा करने की कोशिश की जाये। इंडस्ट्री का मामला एसा है कि इसके काम को चलाने के लिये रेगुलर सप्लाई की जरूरत है। इसीलिय मैं इस बात पर ज़ोर देता हूं। सैकिंड फाइव यीअर प्लान के प्राडक्शन के फिगर्ज़ को देखने से पता चलता है कि लास्ट यीअर में इस टारगट को पूरा करने की बहुत कोशिश की गई और उससे पहले सालों में प्राडक्शन में कोई खास फ़र्क नहीं है। मिसाल के तौर पर १९५७–५८ में प्राडक्शन ४४.१० मिलियन टन था, १९५८–५९ में ४५.९४ मिलियन टन था, १९५९–६० में ४७.८२ लिमियन टन था, जब कि आखिरी साल में १९६०–६१ में—एक दम बढ़ कर ५४.६२ मिलियन टन हो गया। आखिरी साल में जो एकदम प्राडेक्शन बढ़ाने की कोशिश की गई, उसका मतलब यह है कि इंडस्ट्रीज को रेगुलर सप्लाई नहीं मिल सकी। इससे इंडस्ट्रीज पर बुरा असर पड़ता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तजुर्बे की बिना पर आइन्दा इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा जायगा और यह कोशिश की जायगी कि टारगट सालाना मुकर्रर हो और उसको उसी साल एचीव करने की कोशिश की जाय, न कि चार सालों की कमी को आखिरी एक साल में पूरा करने की कोशिश की जाये।

जहां तक प्रोडक्शन का सवाल है, मेरा यह ख्याल है कि ९७ मिलियन टन का जो टारगेट रखा गया है, उससे शायद काम नहीं चल सकेगा। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस बात को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि यह ९७ मिलियन टन का अन्दाज़ा कैसे लगाया गया है। मैं समझता हूं कि आइन्दा कंट्री में जो इंडस्ट्रियल डवलपमेंट होगी और पबलिक सेक्टर में जब लोहे के कारखाने पूरी तौर पर चलेंगे, तो ९७ मिलियन टन का अन्दाज़ा ग़लत साबित होगा और इससे ज्यादा कोयले की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा प्राइवेट इंडस्ट्री के लिये भी कोयले की बहुत ज्यादा ज़रूरत पड़ेगी।

जहा तक डिस्ट्रिब्यूशन का सवाल है, वह एक अहम मसला है। जहां तक मैंने समझने की कोशिश की है, प्राडक्शन का मामला इतना अहम नहीं है, जितना कि डिस्ट्रिब्यूशन का है। इस के

बारे में सब से पहले हमें यह देखना है कि डिस्ट्रिब्यूशन के कौन कौन से तरीके हैं, उन तरीकों में क्या क्या डिफ़क्ट हैं और उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। सब से बड़ा तरीका रेलवे का है। उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने वैगन्ज़ की ज़रूरत थी, उतने वैगन्ज़ नहीं दिये गये और उस ज़रूरत को पूरा नहीं किया गया। मिसाल के तौर पर मिनिस्ट्री आफ स्टील माइन्ज एंड फ्यूल की तरफ़ से तक़रीबन छः हजार से ज्यादा वैगन्ज़ की ज़रूरत पेश की गई, जब कि रेलवे बोर्ड ने उसको घटा कर ५,०३० कर दिया। यही नहीं, एक्चुअली, जो वैगन सप्लाई किये गये, उनकी तादाद सिर्फ़ ४,५०७ थी। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि १,६५२ वैगन्ज़ की कमी रह गई।

मेरे कहने का मतलब यह है कि इस मिनिस्ट्री की तरफ़ से जो टारगेट रखा जाये, रेलवे बोर्ड उसको स्वीकार करे और उसको देने की कोशिश करे। उस को टारगेट को पूरा करके एक्चुअली उतने ही वैगन्ज़ देने चाहिए, वर्ना काम नहीं चल सकता है। अगर एसा नहीं किया जाएगा, तो पिट-हैड्ज़ पर स्टाक बढ़ता जायगा। पिछले साल की फ़िगर्ज़ से आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि इस साल पिट-हैडस पर स्टाक बढ़ता जा रहा है। ३१–३–६० को वहां पर जो स्टाक था, ३१–३–६१ को उससे काफ़ी ज्यादा था। यह समस्या उसी सूरत में हल हो सकती है जब कि वैगन्ज़ की तादाद बढ़ाई जाये। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो ९७ मिलियन टन का टारगेट बनाया गया है, उसके लिये वैगन्ज़ का क्या इंतिजाम है? अगर वैगन्ज़ का इंतिजाम नहीं किया जाता है तो काम इससे और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। हमारा मकसद सिर्फ़ इतना ही नहीं है कि प्रोडक्शन बढ़ाया जाए बल्कि हमारा मकसद यह भी है कि इस प्राडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाए। इस वास्ते यह जरूरी है कि कितने वैगन्ज़ की ज़रूरत होगी, इसका भी अन्दाज़ा लगाया जाए और कैसे इनका इंतिजाम हो सकेगा, इसका भी पता चलाया जाए। जब तक इस मसले को हल करने की कोशिश नहीं की जाएगी तब तक मेरा खयाल है कि तीसरे प्लान में जो पोज़ीशन है वह खराब होती चली जायगी। इस वास्ते वैगन्ज़ का अन्दाज़ा लगाना और उनका इंतिजाम करना बहुत ज़रूरी है और मैं तो कहूंगा कि सब से ज्यादा ज़रूरी चीज़ यही है।

माननीय मंत्री जी ने अपनी स्पीच में इसकी तरफ इशारा किया है कि ज्यादा जो बाटलनक है वह मुगलसराय से ऊपर की तरफ है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस मसले को भी हल करने की कोशिश की जाएगी। इस सम्बन्ध में मैं एक तजवीज़ रखना चाहता हूं। खुशी की बात है कि तीसरे प्लान में इस बाटलनैक की समस्या को हल करने के लिए गढ़वा से राबर्ट्सगज तक नई रेलवे लाइन बनाने की योजना है। मैं चाहता हूं कि इसको जल्दी बनाया जाए। जब आपके पास दूसरा अल्टरनेटिव रुट हो जाएगा तो वैगन्ज़ को ज्यादा तादाद में और आसानी से सप्लाई किया जा सकेगा और हिन्दुस्तान के नादर्न हिस्सों में कोयले की कमी नहीं रह पायगी। स्टट्स की तरफ से जो रिक्वायरमेंट्स रखी गई थीं उसकी लेटेस्ट यीअर की फीगर्ज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और उससे आपको अन्दाज़ा हो जाएगा कि कितने वैगन्ज़ की ज़रूरत थी और कितनी वैगन्ज़ सप्लाई की गई हैं। जहां तक कुल वैगन्ज़ की रिक्वायरमेंट का सवाल है, वह १७,६१,१७४ थी लेकिन १२,४५,०९९ वैगन्ज़ ही सप्लाई की गई हैं। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि जो हिस्से बंगाल, बिहार से ज्यादा दूर हैं वहां की पोज़ीशन तो और भी ज्यादा खराब है। आपको ज़ान कर हैरानी होगी कि हिमाचल प्रदेश ने ६४० वैगन्ज़ की मांग की थी और उसको सिर्फ़ ४१ वैगन्ज़ ही सप्लाई की गईं। काश्मीर को ८६८ वैगन्ज़ की जरूरत थी लेकिन सिर्फ १९ वैगन्ज़ ही उसको दी गईं। इस संकट को हल करने का बहतरीन तरीका यही हो सकता

[श्री रामकृष्ण गुप्त]

है कि आल्टरनेटिव रूट को जल्दी से जल्दी और एक दो साल में कम्पलीट करने की कोशिश की जाए। एसा करने से हिन्दुतान में जो शुमाली हिस्से हैं और जहां पर कोयले की सब से ज्यादा ज़रूरत है, जैसे पंजाब है, काश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है और जहां पर कोयला न पहुंच सकने की वजह से इंडस्ट्री को बड़ा भारी लास होता है, वहां पर पहुंच सकेगा और उनकी जरूरतों को काफी हद तक पूरा किया जा सकेगा।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बैगंज की सप्लाई के सवाल से भी एक और अहम सवाल है और वह है वैगंज को अनलोड करने का सवाल है। पिछले दिनों हाउस में जो क्वेश्चन किए गए थे, उनको रेफर करते हुए नें कहना चाहता हूं कि पब्लिक सैक्टर में जो प्रोजैक्ट्स हैं, जैसे स्टील फक्ट्रीज हैं, वहां पर अनलोडिंग में जितना समय लगा है, उससे भी काफी लास हुआ है। इस तरफ भी सिसरियली ध्यान देने की जरूरत है। मैं ने खुद देखा है कि जहां तक प्राइवेट सैक्टर का सवाल है, प्राइवेट इंडस्ट्री का सवाल है, और उसको चलाने वाला जो विजिनेसमैन है, उसका सवाल है उसके सामने एक ही कंसिड्रेशन रहता है और वह यह रहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्राफिट कैसे हो सकता है। अगर उसको मुनाफा इस बात में है कि ज्यादा से ज्यादा कोल की डिल्विरी जल्दी ले कर वैगंज को अनलोड किया जाए तो वह जल्दी उनको अनलोड करने की कोशिश करता है, अगर वह इस बात में मुनाफा देखता है कि वैगंज की देर से डिलिवरी ली जाए तो वह देरी से उनको अनलोड करवाता है और एक आर्टिफिशल डिफिकलटी पैदा करने की कोशिश करता है। इसका नतीजा यह होता है कि भाव बढ़ जाते हैं और उसका मुनाफा अधिक हो जाता है। इस वास्ते इस की तरफ भी गम्भीरतापूर्वक आपका ध्यान जाना चाहिये। पिछले दिनों मैं ने एक सवाल हाउस में पेश किया था और उस सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से यह स्वीकार किया गया था कि काफी मिसमैनेजमेंट है। कोयला ऐसी चीज नहीं है जिसकी हर आदमी को जरूरत हो, हर आदमी इससे काम चला सके। कोयला आया किसी एक पार्टी का, लेकिन उसके बजाय यह दूसरी पार्टी को दे दिया गया जिस को इसकी एक्चुअली जरूरत नहीं थी। इस तरह का जो मिसमैनेजमेंट है यह खत्म होना चाहिए। इस तरह की बांतों से बहुत नुक्सान होता है। मैं इस पर भी जोर देना चाहता हूं कि अनलोडिंग में जो मिसमैनेजमेंट है, उसको चैक करने की भी खास तौर से कोशिश की जानी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि रेलवे मिनिस्ट्री इस काम में पूरा कोओप्रेशन देगी। मैं यह भी चाहता हूं कि मौजूदा जो डैमोरज वगैरह के रूल हैं, उनको भी चेंज किया जाए ताकि जो लोग आर्टिफिशल शार्टफाल क्रियेट करने की कोशिश करते हैं, वे ऐसा न कर सकें।

मेरी इन सजैशंज पर अगर ध्यान दिया गया तो मैं समझता हूं कि कोयले की सप्लाई और कोयले के डिस्ट्रीब्यूशन का काम ज्यादा बेहतर हो सकेगा।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मिडलिंग का जो सवाल है वह भी बहुत अहम है। इस वक्त जो मिडलिंग है, उसकी क्वांटिटी तकरीबन पांच छः मिलियन टन है। जब हमारी काल्यिरीज पूरी तरह से चलेगी, पूरी उनमें प्राडक्शन होगी तो अन्दाजा है कि दस मिलियन टन इसकी मात्रा हो जाएगी। इसको यूटिलाइज करने की भी कोशिश की जानी चाहिये। अगर इसको यूटिलाइज करने की कोशिश की जाती है तो यह जैनरेशन के लिए, पैदा करने के लिए बड़ी कामयाब चीज साबित हो सकती है इससे भी कोयले की जो जरूरत है, वह कम हो जायेगी।

माननीय मंत्री जी की स्पीच में यह भी जिक्र आया है कि एक कमेटी मुकर्रर की गई है जो इस सब चीज को देखेगी । इसकी डिमाड बहुत अर्से से की जा रही थी और मुझे खुशी है कि इसको मुकर्रर कर दिया गया है । मैं समझता हूं कि इस मसले को हल करने में अब और भी असानी हो जाएगी । खुशी की बात है कि रेलवे मिनिस्ट्री का नुमाइंदा भी इसमें मौजूद है । मैं समझता हूं कि कोयले का जहां तक सम्बन्ध है, इसका ताल्लुक सिर्फ इसी मिनिस्ट्री से नहीं है, रेलवे मिनिस्ट्री से भी है और सब से ज्यादा जरूरत इस मामले में रेलवे मिनिस्ट्री के कोग्रोप्रेशन की है । इस वास्ते इन दोनों मिनिस्ट्रीज में पूरा कोग्रोर्डिनेशन और पूरा पूरा कोग्रोप्रेशन होना चाहिये । अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि जो क्राइसिस है, वह और भी कम हो सकता है ।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

इसके बारे में श्री ब्रजराज सिंह का एक संशोधन भी है । क्या वे उसे प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : जी हां । मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं ।

†**सभापति महोदय** : यह संशोधन भी सभा के समक्ष है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड को वर्ष १९५९–६० के वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेख और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित और प्रतिवेदन पर सरकार की समीक्षा पर, जो २२ फरवरी, १९६१ को सभा-पटल पर रखे गये थे, विचार करती है ।"

यह प्रतिवेदन काफी पुराना है । और कुछ ही महीनों में आगामी वर्ष का प्रतिवेदन भी आने वाला है । निगम ने इस वर्ष के दौरान में ३५.११ करोड़ रुपये का विनियोग किया है और लगभग ५० लाख टन कोयले का उत्पादन हुआ है । विशेषज्ञों का कहना है कि इतने उत्पादन के लिये तो २० करोड़ रुपये की राशि ही पर्याप्त थी । इसका तात्पर्य यह है कि हमने १५ करोड़ अधिक लगाये । इससे स्पष्ट है कि निगम का काम सन्तोषजनक नहीं है ।

कारगली का कोलया साफ करने का कारखाना आज से २–३ वर्ष पूर्व पूरी क्षमता के साथ काम करने योग्य हो जाना काहिये था । इसकी पूरी क्षमता ५५० टन कोयला प्रति घंटा साफ करने की है ; वर्ष १९५९–६० में इसको ३२ लाख रुपये की हानि हुई है । लेखा परीक्षक ने भी इसकी आलोचना की है । हम यह जानना चाहते हैं कि यह पूरी क्षमता से कब से काम करने लगेगा । इस कारखाने की स्थापना लोहा और इस्पात उद्योगों की पूर्ति के लिए हुई थी । अतः यह स्वाभाविक है कि यदि यह अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं करेगा तो इसका प्रभाव लोहा और इस्पात उद्योग पर भी पड़ेगा । हमारी समझ में यह बात नहीं आई कि इसके लक्ष्य की जो अवधि रखी गई थी उसे भी पूरा हुए एक वर्ष हो गया किन्तु यह अभी तक पूरी क्षमता के साथ काम करने में असमर्थ है । इसका कारण क्या है । सरकार ने जापान के साथ अनुबन्ध किया था हम यह

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त० ब० विट्ठल राव]

भी जानना चाहते हैं कि सहयोग देने वाले जापानियों को ठेके की शर्तों को पूरा न करने के लिये कोई जुर्माना देने के लिये कहा गया है या नहीं ।

कुरेसिया खान की क्षमता एक लाख टन प्रति मास की जाती थी । यह खान विभिन्न उद्योगों एवं रेलवे को कोयला संभरण करती । स्क्रीलिंग प्लांट ठीक समय पर वहां नहीं लग सका । विस्फोट के कारण इस खान में आग भी लग गई जिसके परिणाम-स्वरूप ये खानें बन्द हो गई इससे यह स्पष्ट है कि निगम और इस के विशेषज्ञ सावधानी से काम नहीं कर रहे हैं। यह खान मध्य भारत की महत्वपूर्ण खान है । इस खान के बन्द हो जान से उत्पादन कम हो गया है और आग लगने के कारण भारी हानि अलग से हुई है । राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने इसकी जांच के लिये आदेश भी दिया था । मालूम हुआ है कि दो तीन सप्ताह पूर्व निगम को जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर दिया है ? लेकिन इससे यह प्रकट होता है कि निगम के अधिकारी पूरी सावधानी से काम नहीं ले रहे हैं ?

गिरडीह खानों के बारे में कहा जाता है कि वहां बहुत अच्छा कोयला पाया जाता है लेकिन अब वहां कोयला समाप्त हो रहा है । झुकुटी तथा खड़ियां में भी काफी निक्षेप है। उन पर काम किया जाये और वहां से कोयला निकाला जाये । इसका उपयोग थर्मलन संयंत्र एवं रेलों में किया जा सकता है । ऐसा प्रतीत होता है कि दामोदर घाटी निगम ने खानों के इस समूह से कोयला लेना अस्वीकार कर दिया है अब यह भी ज्ञात हुआ है कि उक्त निगम किसी ठेकेदार के द्वारा कोयला खरीदाता है और इसमें ठेकेदार ४ रुपये प्रति टन कमीशन कमा लेता है । मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि इस ठेकेदार को यह कमीशन क्यों दिया जाता है । दामोदर घाटी निगम को ठेकेदार के द्वारा क्यों माल भेजा जाता है । सीधे रूप से क्यों नहीं । जैसा कि ऐसा और भी जगह किया जाता है । यहां काफी मात्रा में कोयले का उत्पादन बढ़ गया है । लेकिन अवागमन की कठिनाई के कारण वह कोयला वहां जमा होता रहा । नतीजा यह हुआ कि वहां आग लग गई । मेरा एक सुझाव है कि गिरडीह खान समूह में घटिया किस्म का कोयला निकाला जाये तो कर्मचारियों की छटनी को रोका जा सकता है । राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में कई श्रेणी के कर्मचारी काम करते हैं। उन्हें द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन नहीं दिया गया है । मेरा निवेदन है कि उन्हें इस आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन दिया जाये ।

अभी हाल में कोरबा के कोयला क्षेत्रों में मैं गया था । मैंने वहां देखा कि श्रमिकों की अवस्था बड़ी शोचनीय थी । इनमें कई ऐसे हैं जिन्हें फालतू घोषित कर दिया गया है । खेद का विषय है कि सरकारी क्षेत्र में जिस संगठन अथवा संस्था को एक आदर्श नमूना प्रस्तुत करना चाहिये था वहां ३२०० कर्मचारियों को फालतू घोषित किया गया है । मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के कर्मचारियों के आवास की स्थिति सुधारी जाये और उन लोगों को अन्य सुविधायें भी दी जाये । सुना है कि इन लोगों के लिये जल सम्भरण का प्रबन्ध किया जा रहा है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें इस दिशा में थोड़ा शीघ्रता से काम करना चाहिये ।

आज ही प्रातः यह भी पता चला है कि गिरीडीह खानों में आग लग गई है यह बड़ी महत्व-पूर्ण खान है और प्रत्येक मास १,२५,००० टन कोयले का उत्पादन करती है । वहां ३०७

कर्मचारियों को एक दम इस लिये निकाला जा रहा है कि वे ५५ वर्ष के हो गये हैं यह मनोरञ्जक बात है कि ३०० के ३०० व्यक्ति एक साथ एक ही दिन ५५ वर्ष के हो गये। खैर मामला सरकार के सामने है। मेरा निवेदन इस दिशा में यह है कि गिरिडीह खान समूह में घटिया प्रकार का कोयला भी निकाला जा सकता है। यदि इन कर्मचारियों को उधर लगा दिया जाय तो छटनी रोकी जा सकती है। मैं इस बात की ओर भी सदन का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि सिंगरैणी कोयला क्षेत्रों के विकास के लिये उचित उपबन्ध नहीं किया गया है। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि कोयला उत्पादन के लिये योजना बनाई जानी चाहिये और सरकार को इस दिशा की ओर समुचित ध्यान देना चाहिये। यह ठीक है कि रेल और समुद्र के मार्ग से लगभग १० लाख टन कोयला दक्षिण भारत पहुंचाने के लिये एक योजना बनाई गई थी किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें हम नितान्त असफल रहे हैं। दक्षिण रेलवे के पास कोयला नहीं है और वर्षा हो जाने के कारण इस दिशा में स्थिति और बिगड़ गई है। मेरा सुझाव है कि इस दिशा में योजना बना लेना चाहिये और चौथी योजना के लक्ष्य अभी से ही ठीक ढंग से निर्धारित कर लेने चाहियें।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : यह ठीक है कि देश में कोयले की कमी है परन्तु मेरा मत यह है कि यह कमी कमी के कारण नहीं प्रत्युत सम्भरण के कारण है। मैं अधिकतर बिहार और बंगाल के कोयला क्षेत्रों के सम्बन्ध में ही चर्चा करूंगा। इस क्षेत्र का १९५२ में उत्पादन २९.५५ लाख टन था जो कि १९५९ में ३७.३३ हो गया। सारे देश का इस दिशा में उत्पादन ४७.०६ लाख टन था। यह उत्पादन हमारे दूसरे योजना के अन्तर्गत रखे लक्ष्य से ७ लाख टन कम है। मेरा विचार यह है कि इस दिशा में सब से गम्भीर स्थिति धातु कार्मिक कोयले के सम्बन्ध में है। उसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाना सम्भव है। साथ ही कोयले को धोने की भी समस्या बड़ी विकट है। कोयला साफ करने वाले कारखानें अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे। इस के फलस्वरूप भी कोयले के उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है। इस कमी के कारण इस्पात के संयंत्र अपना पूरा उत्पादन नहीं कर पा रहे। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि देश में धातु कार्मिक कोयले को प्राथमिकता दी जाय। सरकार को एक निश्चित नीति और योजना के अनुसार कोयला शोधक कारखानों की स्थापना के काम को प्राथमिकता देनी चाहिये। जितनी भी शीघ्रता सम्भव हो सके उसके साथ इस कार्य को किया जाय।

रेलवे वाले भी इस काम में अपनी गति को पूरे स्तर पर नहीं रख पा रहे। यदि दूसरी योजना के अन्तर्गत रेलवे ५०० लाख टन कोयला परिवहन करने में असफल हो रही है तो तीसरी योजना के अन्तर्गत ९७० लाख टन कोयला कैसे लाया ले जाया जायेगा। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं रेलवे को यह प्रयत्न करना चाहिये कि अधिकतम कोयला लाया और ले जाया जा सके। ऐसे डिब्बों का प्रयोग करे जिसमें २२ टन कोयला जा सके। कोयला खानों पर भी विभिन्न क्षेत्रों में कोयला जमा करने की व्यवस्था की जाय। यह बड़ी आवश्यक चीज है, इससे कोयले की चोर बाज़ारी रोकी जा सकती है। अनुमान यह है कि दूसरी योजना के अन्तर्गत योजना के अन्त में कोयले की कुल मांग ६०० लाख टन होगी। यद्यपि इसमें ७० लाख टन की कमी रह जायेगी परन्तु तीसरी योजना में ३७० लाख टन और प्राप्त हो जायेंगे। तीसरी योजना के अन्त तक ८,८०० गाड़ियां इसके लिये प्रतिदिन अपेक्षित हैं। अब यह आवश्यकता ५००० प्रतिदिन है। इसके अतिरिक्त यह सम्भावना है कि सभी कोयला क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा भी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अरविन्द घोषाल]

इस दिशा में मेरा सुझाव यह है कि परिवहन की अड़चनों को दूर करने के लिये खानों के निकट रेलवे 'साईडिंग्स' बनाये जाने चाहिये । पाइलटों को समय बद्धता के अनुसार चलाया जाय । बैगनों पर माल लादने और उतारने की स्थिति में सुधार करना चाहिये । इसके अतिरिक्त लाइनों को दोहरा करने तथा उनके विद्युतीकरण करने के बारे में भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये । बैगनों की अलाटमेंन्ट का मामला भी इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण है उस ओर भी समुचित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये इसके अतिरिक्त सरकार ने जो कोयला समुद्र मार्ग से ले जाने के लिये कहा था वह सब मिला कर ८३,००० टन है । उसमें से ७४,००० टन ऐसा है जो केवल रेलवे के प्रयोग के लिये ही है । उद्योगों के लिये जो कोयला समुद्र मार्ग से लाया ले जाया जाता है उस पर बहुत व्यय आ जाता है । यह भी मुझे मालूम हुआ है कि सरकार इसके लिये कुछ सहायता भी दे रही है । परन्तु यह सहायता दे कर कितने दिन काम निकाला जा सकता है । अतः मेरा सुझाव यह है कि सरकार समुद्र मार्ग से कोयला परिवहन के लिये सहायता न दे प्रत्युत कोयला क्षेत्रों में सहायक सडकों की हालत में सुधार करे ताकि कोयले का परिवहन ट्रकों द्वारा हो सके । यह भी आश्चर्य की ही बात समझनी चाहिये कि सब से अधिक कोयला देश भर में बंगाल और बिहार में होता है परन्तु कलकत्ता में स्थानीय तौर पर कोयला चोर बाजार में खरीदना पड़ रहा है । मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय का इस कोयले की दो समस्याओं उत्पादन और सम्भरण को हल करना चाहिये ।

†श्री शि० ला० सक्सेना (महाराजगंज) : एक वर्ष से ऊपर ही हो गया, हम लोग उत्तर प्रदेश में कोयले का अकाल अनुभव कर रहे हैं । जो विवरण प्रस्तुत किया गया है उससे पता चलता है कि पंजाब के लिये २०६६ बैगन प्रतिमास रखे हैं परन्तु उत्तर प्रदेश यहां कि आबादी लगभग पंजाब से दो गुणी है, केवल २२१० वैगन प्रति मास दिये गय हैं । मेरा निवेदन है कि यह वितरण थोड़ा सन्तुलित होना चाहिये । इसके साथ ही कोयला खानों में श्रमिकों की उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाया जाना चाहिये । सभी सम्भव साधन से इसमें सुधार किया जाना चाहिये । कोयले के उत्पादन को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये । हमारा इस दिशा में लक्ष्य ६०० टन था और लोग पूछ रहे हैं कि यह लक्ष्य पूरा क्यों नहीं किया जा सका ? इस प्रश्न को हल किया ही जाना चाहिये ।

मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि खानों में अधिकाधिक मशीनों का प्रयोग होना चाहिये । इस उद्देश्य के लिये इन मशीनों को देश में ही निर्माण करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। और यह भी आवश्यक है कि इस्पात संयंत्रों के लिये अपेक्षित धातु कार्मिक कोयले के सम्भरण के लिये पूर्ण रूप से आश्वासन दिया जाना चाहिये । यदि ऐसा न हुआ तो हमारे इस्पात संयंत्रों को हानि पहुंच सकती है । समुद्र मार्ग द्वारा कोयला लाने ले जाने पर बहुत अधिक व्यय आता है । मेरा मत है कि जो व्यय अब आता है समुद्र मार्ग द्वारा कोयल के परिवहन की इस लागत को किया जा सकता है और सब सम्बद्ध लोगों को अपेक्षित कोयले की मात्रा उपलब्ध हो सकती है ।

तीसरी योजना के अन्तर्गत कोयला उत्पादन का लक्ष्य ९७० लाख टन रखा गया है । मेरे विचार में यह लक्ष्य १५०० लाख टन का होना चाहिये और इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिये कि इसे प्राप्त करने में हम दूसरी योजना काल की तरह असफल न हो जाय । रेलवे वालों को भी इस दिशा में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिये और अपेक्षित परिवहन की व्यवस्था करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिये ताकि हमारी कठिनाइयां समाप्त हो सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : यह एक कटु सत्य है कि सारे देश में आज कोयले के संभरण के संबंध में एक असन्तोष की लहर पाई जाती है। परन्तु मैंने इस मामले की पूरी छानबीन की है और मेरा मत कि इस दिशा में सरकार द्वारा संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं। मुझे इस दिशा में पूरी आशा है कि इस्पात, खान तथा ईंधन मंत्रालय तथा रेलवे प्रशासन परस्पर सहयोग से काम करेंगे, जिससे कोयले के संभरण संबंधी गम्भीर समस्या शीघ्रता से हल हो जाय ।

मुझे पता नहीं लगा कि इस मामले को हल करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करने की सरकार की जो प्रस्थापना थी उसका क्या बना है । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रीमंडल सचिव के सभापतित्व में इस समस्या के अध्ययन के लिये कोई समिति नियुक्त की जायेगी ? क्या यह इससे पूर्व नियुक्त तो नहीं की जा चुकी है? मैं जानना चाहता हूं कि यदि यह समिति नियुक्त हो चुकी है तो इसने इस मामले पर क्या निर्णय किये हैं ?

मैं मंत्री महोदय का ध्यान तुरन्त इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि कोयले का आवंटन ठीक और उचित ढंग से नहीं हो पा रहा। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि इस बात को सुनिश्चित करे कि कोयला आवंटित मात्रा के अनुसार दिया जाय। इस दिशा में भारी शिकायतें आ रही हैं। दिल्ली से तो यह शिकायत विशेषत: है। कहा जाता है कि दिल्ली में आवंटित मात्रा के बहुत थोड़े प्रतिशत भाग का संभरण हो रहा है। यह शिकायत भी आम है कि कुछ उद्योगों को तो अपेक्षित कोयला मिल जाता है और कुछ मूंह ही देखते रह जाते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है ? मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप लोगों की मांग किसी भी कारण से पूरा करने में असमर्थ हैं तो उन्हें गलत आशायें भी नहीं दिलाई जानी चाहिये ।

मालुम होता है कि वैगनों का अलाटमैंट कोयला आयुक्त के हाथ में नहीं है। शायद इसका कारण यह है कि वित्त मंत्रालय में संगठन संबंधी कुछ परिवर्तन हुये हैं। विभिन्न उद्योगों ने इस बारे में बड़ी सख्त शिकायतें की हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस बारे में वांटन संबंधी स्थिति क्या है ? एक बात यह भी है कि यदि सरकार कोयले के भाड़े को एक स्तर पर नहीं ला सकती तो कम से कम वह न्यूनतम और अधिकतर सीमा तो निर्धारित कर सकती है। सरकार को यह आश्वासन देना चाहिये कि कोयले का भाड़ा २५ से ३० रुपये प्रति टन से अधिक नहीं बढ़ेगा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि कोयला साफ करने के कारखानें समय पर चालू नहीं हो सके। साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि मंत्री महोदय को चाहिये कि वह इस बात को नोट करें कि इस विषय में सारे देश भर में असन्तोष पाया जाता है ।

श्री ब्रज राज सिंह : सभापति महोदय, इस प्रस्ताव के बदले मैंने यह प्रस्ताव पेश करने की अनुमति चाही जिसके द्वारा मैं यह चाहता हूं कि २५ प्रतिशत ज्यादा लक्ष्य को निर्धारित किया जाये। मुझे लगता है कि मेरी इस बात पर माननीय मंत्री जी हंस रहे हैं---

सरदार स्वर्ण सिंह : इस बात पर नहीं हंस रहा हूं, और भी कई बातें हो सकती हैं।

श्री ब्रजराज सिंह : मैं बतलाना चाहता हूं कि तृतीय योजना के अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारित करते वक्त जहां यह कहा गया है कि कौन कौन सी चीजें जिनके लिये कोयला चाहिये, वहां यह भी नहीं लिखा है कि पब्लिक के इस्तेमाल के लिये भी कोयले की जरूरत होगी। इस चीज

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजराज सिंह]

का कहीं पर भी ध्यान नहीं रखा गया है। इसमें कहा गया है कि रेल डिवेलेपमेंट के लिये, स्टील प्लांट्स और बनाने के लिये, थर्मल पावर जैनेरेटिर प्लांट्स के लिये और सिमेंट और अदर इंडस्ट्रीज़ के लिये कोयला चाहिये। ये चार बातें ही इस तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कही गई हैं। इन चारों बातों को ध्यान में रखते हुये कहा गया है कि ३७ मिलियन टन और हमें ज्यादा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिये।

पहली योजना में कोई सवाल नहीं था कि लक्ष्य किस तरह से निर्धारित करना है। दूसरी योजना में जब छः करोड़ टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसमें भी कहीं यह सवाल नहीं था कि मुल्क की आवश्यकताओं के मुताबिक लक्ष्य को निर्धारित किया जाये। सवाल यही था कि रेलों में कितनी क्षमता है कोयला ढोने की और उसको देखते हुये ही लक्ष्य निर्धारित किया जाये। इस बात को देख कर छः करोड़ टन का लक्ष्य रखा गया था। माननीय मंत्री जी खुद इस बात को देखते हैं कि छः करोड़ टन पैदा की करने की क्षमता हमने काल्यरीज में पैदा कर दी है लेकिन छः करोड़ टन अभी पैदा नहीं हुआ है, साढ़े पांच करोड़ टन भी नहीं हुआ है।

अब सवाल यह है कि लक्ष्य निर्धारित करते वक्त मुल्क की जरूरतों को क्यों ध्यान में नहीं रखा गया है और क्यों इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया है कि औद्योगिक प्रगति को बढ़ाने के लिये और मैनुफैक्चरिंग एक्टिविटी चालू रखने के लिये कितने कोयले की आवश्यकता होगी? यह चीज न पहली और न ही दूसरी योजना में ध्यान में रखी गई है। खेद और अफसोस की बात तो यह है कि तीसरी योजना के अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारित करते वक्त भी यह निश्चित नहीं किया गया है कि आखिर मुल्क की आवश्यकतायें क्या हैं। देखा यही गया है कि रेलों की कितनी क्षमता हो सकेगी और इसके साथ ही साथ यह देखा गया है कि हमारे पास कितना धन है, कितने साधन हैं और शायद इसी के आधार पर यह तय कर दिया गया है कि ९७ मिलियन टन का लक्ष्य हम इस तीसरी योजना में निर्धारित करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कि यदि यही लक्ष्य निर्धारित रहता है तीसरी योजना के अन्त तक और इसी के मुताबिक रेलों में क्षमता पैदा करने की कोशिश की जाती है कोयले को ढोने की तो मुल्क में औद्योगिक उत्पादन के संबंध में और मुल्क में मकान बनाने के संबंध में और रेलों के कोयला ढोने के संबंध में कई प्रकार के संकट पैदा हो सकते हैं जिन पर काबू पाना सरकार के लिये नामुम्किन हो जायेगा।

आप अपने स्टील प्लांट्स को ही देखिये। माननीय मंत्री जी को यह मालूम ही है कि कुछ इस तरह के संकट आये हैं कि कोयला ठीक वक्त पर और ठीक मात्रा में और ठीक क्वालिटी का नहीं पहुंचा है और इस वजह से जो हानि उठानी पड़ी है देश को वह शायद करोड़ों तक पहुंच गई होगी। आज देहातों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। बाढ़ों की वजह से लाखों मकान जो गिर जाते हैं, किसी का ध्यान उस तरफ नहीं है और न ही इस तरफ है कि उनको दुबारा बनाने के लिये भी कुछ ऐसी चीजों की जरूरत होती है, जिनके लिये कोयला आवश्यक होता है। शहरों में मकान बनाने की एक्टिविटी चल रही है और उसके लिये ईंटें बनाने के लिये कोयले की जो जरूरत है, उसकी तरफ भी क्या किसी का ध्यान है? क्या किसी का इस तरफ ध्यान है कि मकानों के लिये कितनी ईंटें की जरूरत होगी और वे कैसे तैयार होंगी? स्टील प्लांट भी आप लगा रहे हैं। वहां पर जो लोहा तैयार होगा, उसे आप लोगों को देंगे। अब लोहे के साथ साथ ईंटों की भी आवश्यकता होगी मकान बनाने के लिये। ईंटों को पैदा करने के लिये कोयले की जरूरत होगी। कितने कोयले की जरूरत होगी, इस चीज को आपने अपने सामने नहीं रखा है और न ही यह है कि कितना कोयला आप भट्टों के लिये

देंगे। यह बड़े ही खेद की बात है। इस वास्ते अभी से इस बात पर अच्छी तरह से ध्यान दिया जाना चाहिये कि क्या लक्ष्य को बढ़ाने की आवश्यकता है या नहीं है और अगर है तो किस हद तक लक्ष्य को बढ़ाया जाना चाहिये।

तीसरी योजना के अन्तर्गत कहा गया है कि दो करोड़ टन कोयला हम पब्लिक सैक्टर के अन्तर्गत पैदा करेंगे। इसके लिये १०३ करोड़ रुपये की जरूरत होगी। मैं समझता हूं कि १०३ करोड़ टन कोयले के लिये इतने खर्च का लक्ष्य शायद कुछ ज्यादा है, और अगर ठीक तरह से काम किया तो संभव है कि ८० करोड़ रुपये में यह १०३ करोड़ टन कोयले का उत्पादन हो सकता है। लेकिन अगर यह मान भी लिया जाये कि १०३ करोड़ टन कोयले के उत्पादन के लिये इतने रुपये की आवश्यकता होगी, तो भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त के लिये १२ करोड़ टन कोयले का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिये और उसके लिये १०० करोड़ रुपये की और जरूरत होगी। यदि आप १२ करोड़ टन का लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं तो जो बहुत छोटे छोटे उद्योग आप चलाना चाहते हैं वह बन्द रहेंगे और नहीं चल सकेंगे, और खाना पकाने में भी लोगों को कठिनाई का सामना करना होगा। पिछली बार जब कोयला नहीं मिल रहा था तो दिल्ली और कानपुर में लोगों को खाना पकाने की भी कठिनाई हो गयी थी।

बहुत खुशी की बात है कि आपने पबलिक सैक्टर और प्राइवट सैक्टर के लिए कोयले के उत्पादन का लक्ष्य स्थिर किया है, लेकिन अभी यह लक्ष्य अन्तिम नहीं है। शायद आगे चल कर यह लक्ष्य बदल जाए, और जो २ करोड़ टन पबलिक सैक्टर के लिए है वह प्राइवट सैक्टर के लिए हो जाए और जो १ करोड़ ७० लाख टन प्राइवट सैक्टर के लिए निर्धारित किया गया है वह पबलिक सैक्टर में रह जाए। खैर जो भी हो।

मैं कहता हूं कि तृतीय योजना के लक्ष्यों को स्वीकार करने के बाद हम जिस तेजी से मुल्क के औद्योगिक उत्पादन को गति देना चाहते हैं उस गति को देने के लिए और उसको कायम रखने के लिए इतने कोयले से काम नहीं चल सकता। इसलिए हमको कोयले के उत्पादन के लिए १०० करोड़ रुपए का और इन्तिजाम करना चाहिए ताकि ततीय योजना के अन्त तक १२ करोड़ टन कोयले का उत्पादन होने लगे।

दूसरी बात मैं कोयले को ढोने के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मुझे आश्चर्य है कि इस में न जाने कौन सी नीति अपनायी जा रही है। मेरे सामने एक स्टेटमेंट है जिसके मुताबिक सन् १९६० में १७,६१,१७४ बैगन्स का कोटा मंजूर किया गया था लेकिन उसमें से केवल १२,०४,५९९ वैगन्स दिए गए। जिसके मानी यह हुए कि ५,५६,५७५ वैगन नहीं ढोये जा सके। यानी कोयले की एक तिहाई से ज्यादा मात्रा को ढोया ही नहीं जा सका।

उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के लिए १,६८,०९० वैगन्स का कोटा था जिसमें से केवल १,०६,२०२ वैगन कोयला ढोया गया यानी एक तिहाई से ज्यादा वैगन नहीं ढोये जा सके।

अक्सर इस सदन में जब यह सवाल आता है तो रेलवे मंत्री और कोयले के मंत्री दोनों में एक प्रकार का कम्पिटीशन रहता है और दोनों कहते हैं कि हम में कोई मतभेद नहीं है। अगर ऐसा है तो अच्छा है, हम भी चाहते हैं कि उन में मतभेद न हो क्योंकि ऐसा होने से सरकार

[श्री ब्रजराज सिंह]

का काम कैसे चल सकता है। लेकिन आप आंकड़ों को कहां ले जाएंगे । ये आंकड़े साबित करते हैं कि आप में मतभेद है । अगर ऐसा नहीं तो क्या कारण है कि आप कोटा निर्धारित करते हैं सौ वैगन्स का और जब वक्त ढोने का आता है तो केवल ६० बैगन ही ढोये जाते हैं । नतीजा यह है कि जिसको कोटा मिला हुआ है वह उसको पूरी मात्रा में प्राप्त करने के लिए कोल कंट्रोलर के दफ्तर में पड़ा रहता है । जिन लोगों को अपना कोटा लेना होता है उनके प्रतिनिधि कोल कंट्रोलर के दफ्तर के चक्कर काटते रहते हैं, और जब तक वे ऐसा नहीं करते उनको उचित मात्रा में कोयला नहीं मिल पाता, और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि जो कोयला उनको मिला हुआ होता है वह ले लिया जाता है । मेरा निवेदन है कि इस स्थिति को संभालना चाहिए । अगर ऐसा नहीं किया गया तो नतीजा यह होगा कि एक तरफ तो पिट हैड्स पर कोयला पड़ा रहेगा और दूसरी तरफ कोयला न मिलने की वजह से जो औद्योगिक उत्पादन बन्द हो जाएगा और रोटी पकना बन्द हो जाएगा ।

यह खुशी की बात है कि स्थिति कुछ बदली है । शायद इसका कारण प्रधान मंत्री महोदय का आश्वासन था जिसके कारण १ जुलाई के बाद स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। और मुगल-सराय से ऊपर के हिस्से का कोटा १९०० वैगन से बढ़ा कर २१०० कर दिया गया है लेकिन इस से भी काम चलने वाला नहीं, अगर आप उत्पादन क्षमता को कायम रखना चाहते हैं तो आपको निर्धारित लक्ष्य को बढ़ाना चाहिए । साथ ही मैं समझता हूं कि रेलवे की कोयला ढोने की क्षमता को भी बढ़ाना चाहिए । इस के लिए रेलवे मंत्रालय को विचार करना चाहिए और रेलवे की क्षमता बढ़ाने के लिए उनको लाइन की कैपैसिटी बढ़ानी चाहिए और वैगन और दूसरे साधन उपलब्ध करने चाहिएं । जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा रेलवे की कोयला ढोने की क्षमता नहीं बढ़ेगी । अगर इतना किया भी जाए तो भी मैं समझता हूं कि अकेली रेलवे सारा कोयला ढोने की क्षमता पैदा नहीं कर सकेगी । मैं समझता हूं कि हमको कोयला ढोने के लिये मोटर ट्रकों का भी उपयोग करना चाहिए ताकि स्थिति कुछ संभल सके । इसके लिए मेरा निवेदन है कि कोयला क्षेत्र में २०० मील के अन्दर कोयला लाने ले जाने के लिए यह नियम बना दिया जाना चाहिए कि इतनी दूर तक कोयला ट्रकों द्वारा ले जाया जायेगा, रेलवे द्वारा नहीं । जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक यह कठिनाई हल नहीं होगी ।

मैं मंत्री महोदय के उस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं जिस में उन्होंने कोयले के डम्प बनाने का जिक्र किया है । लेकिन इस में भी इस बात का विचार रखना होगा कि डम्प ऐसे स्थानों पर बनाए जाएं कि जिस से उपभोक्ताओं को नुकसान और कठिनाई न हो। ये डम्प ऐसे स्थानों पर बनाए जाएं जहां बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज हैं । यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो उपभोक्ताओं को कठिनाई हो सकती है ।

मैं अन्त में फिर कहना चाहता हूं कि इस समस्या के हल के लिये यह बहुत आवश्यक है कि आपको लाइनों की और वैगन्स की क्षमता को बढ़ाना चाहिए । यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो परिणाम यह होगा कि एक तरफ तो कोयला पड़ा रहेगा और दूसरी तरफ उद्योग कोयला न मिलने के कारण बन्द हो जाएंगे ।

मैं आशा करता हूं कि मैंने जो सुझाव दिए हैं उन पर मंत्री महोदय विचार करेंगे और और ऐसी नीति निर्धारित की जाएगी कि जिस से औद्योगिक उत्पादन में कोई रुकावट नहीं आएगी ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सभापति महोदय, स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद मुझे कुछ ऐसा मालूम होता है कि मुगलसराय के बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन वास्तविकता को जब हम देखते हैं तो लगता है कि सुधार नहीं हुआ है। यहां पर जब हम कोयले के बारे में बहस को सुनते हैं तो मालूम होता है मानो हम कोयले की खान में बैठे हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं और कानपुर या लखनऊ में जाते हैं तो पता नहीं वह कोयला कहां चला जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम साल से कोयले के बारे में बड़ी कठिनाई हो गयी है और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है कि साफ्ट कोक घरेलू काम के लिए नहीं मिल रहा है। मैं सचाई के साथ कहना चाहता हूं कि कानपुर में परिस्थिति यह है कि वहां कोयले की कमी के कारण रायट जैसी स्थिति हो गयी है । मुझे और मेरे मित्र श्री जगदीश अवस्थी को कानपुर के कलक्टर ने एक कानफ्रेंस में बुलाया और कोयले की स्थिति पर विचार किया। उन्होंने बताया कि कानपुर के लिए १ लाख मन कोयले की आवश्यकता है उसकी जगह १५–२० हजार मन कोयला मिल रहा है। इसका नतीजा यह होता है कि लोगों को कोयला लेने के लिए सुबह से लेकर शाम तक लाइनों में लगना होता है और फिर भी उनको कोयला नहीं मिलता। और परिस्थिति ऐसी आ गयी है कि लोगों को ब्लैक मारकेट से कोयला लेना पड़ रहा है।

मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह हमको सही स्थिति बतला दें ताकि हम लोगों को बतला सकें कि उनको कितना कोयला मिलेगा । कहा जाता है कि वैगन्स बढ़ायी जा रही हैं, लेकिन कोयला न जाने कहां चला जाता है या बीच में चोरी हो जाता है। मिनिस्टर साहब कहते हैं कि कायला दुकानों को दिया जा रहा है लेकिन लोगों को मिल नहीं रहा और उस पर मजाक यह है कि कहा जाता है कि कोयले का डम्प बनाया जा रहा है। लोग पूछते हैं कि यह डम्प उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो कोयला खरीदते हैं या कोयले के लिए ही डम्प बनाया जा रहा है।

मुझे खुशी होती है जब मैं यह पढ़ता हूं कि इस दिशा में पूरी योजना से काम हो रहा है, और लघु उद्योगों में १ मई, १९६१ से कोयले का सम्भरण काफी सुधर गया है । मेरी यह समझ में नहीं आता कि प्लान्ड मूवमेंट का क्या मतलब है। हो सकता है कि वैगन्स की कमी की वजह से कोयला ढोने में दिक्कत हो रही हो और मैं चाहता हूं कि ज्यादा वैगन्स बनें ताकि कोयले की कोई दिक्कत न रहे। लेकिन जो वैगन्स आज भेजी जा रही हैं उनका किस शहर को और किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इस पर अगर कुछ प्रकाश डाला जाए तो अच्छा होगा।

मेरे पास कुछ सवालात हैं जो मैं पूछना चाहता हूं । मैं जानना चाहता हूं कि कम से कम आज ६ महीने में उत्तर प्रदेश को कितने वैगन सप्लाई किए गए और वाकै में उत्तर प्रदेश की जरूरत कितनी थी । माननीय मंत्री हमको बतायें कि वहां पर इंडस्ट्रीज को बरकरार रखने के लिये, भट्टों को बरकरार रखने के लिये और डामेस्टिक कनजम्पशन के लिये कितना कोयला दिया जा रहा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से अगर सरकार की तरफ से यह कह दिया जाय कि हिन्दुस्तान मे कोयला बढ़ता जा रहा है, तो भले ही मैं उस बात को मान लूं, लेकिन मेरे घर में मेरी धर्मपत्नी उसको नहीं मानेगी, क्योंकि उसको कोयला चाहिए, योजना नहीं चाहिए । हमको कहा जाता है कि हौसला रखो, खाद्यान्न की समस्या हल हो जायगी, लेकिन रोटी हौसले से नहीं, आटे से पकती है । उसी तरह से योजना का नाम लेने से कोयला नहीं मिलेगा ।

[श्री स० मो० बनर्जी]

आखीर में मैं यह कहना चाहता हूं कि कोयले के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खराब है--पंजाब में भी जरूर होगी--और वहां पर इस वजह से इंडस्ट्रीज बन्द हो रही हैं और डामेस्टिक कनजम्प्शन के लिये भी कोयला नहीं मिल रहा है ।

†श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : देश में एक प्रकार से कोयला परिवहन की दिशा में एक संकट का सा उत्पन्न हो गया । । यह भी सम्भव है कि कोयले की कमी के कारण भी संकट हो परन्तु लगता यही है कि सारी समस्या परिवहन की है । देश भर में परिवहन सुविधाओं की कमी है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस दिशा में कोई गम्भीर कमी रह गयी है । तीसरी योजना के अध्ययन से यह बात काफी स्पष्ट हो जाती है कि देश में परिवहन सुविधाओं के अभाव की बात आम है । और निकट भविष्य में इस स्थिति के तुरन्त सुधर जाने की कोई आशा नहीं है । इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि उसे वैगन देने में काफी सचेत रहना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए ।

पता चला है कि कोयला आयुक्त ने शीघ्र यातायात के उद्देश्य से कई नयी नयी योजनायें चालू की हैं । परन्तु खेद है कि इस दिशा में उन्हें कुछ विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई । इससे कई बीच के लोगों को ही कुछ अनुचित लाभ प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो गया है । वे लोग कोयला खानों को कम दरों पर कोयला बेचने पर बाध्य कर काफी मुनाफा कमा रहे हैं । मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि इस तथ्य की पूरी जांच की जाय ।

मैं सरकार से यह भी मांग करना चाहता हूं कि कलकत्ता तथा पश्चिमी बंगाल के अन्य नगरों तथा बिहार और उत्तर प्रदेश में ट्रकों द्वारा ही कोयले का यातायात किया जाना चाहिए । कलकत्ते के लिए वैगनों का जो वर्तमान कोटा है वह बढ़ाया जाना चाहिए । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि तीसरी योजना के अन्तर्गत कोयला उत्पादन का लक्ष्य ९३० लाख टन रखा जाना चाहिए ।

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मैं इस वाद विवाद का स्वागत करता हूं क्योंकि इस से मुझे विभिन्न प्रदेशों और विभिन्न दलों के सदस्यों के विचार जानने का मौका मिला है । चूंकि समय अधिक नहीं है इसलिए मैं अपना उत्तर कुछ महत्वपूर्ण विषयों तक सीमित रखूंगा ।

आरम्भ में, मैं श्री ब्रजराज सिंह के स्थानापन्न प्रस्ताव को लेता हूं । उन्होंने कहा है कि तीसरी पंच वर्षीय योजना में कोयला का लक्ष्य ९७० लाख टन से बढ़ा कर १,२०० टन कर देना चाहिए और आवश्यक परिवहन की व्यवस्था की जाय ।

हमें एक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना है । यदि हमारे कुल वित्तीय तथा अन्य संसाधन सीमित हैं, तो हमें इनका अधिक से अधिक उपयोग करना है और उनके अनुसार ही प्राथमिकताएं निर्धारित करनी हैं । इस विषय पर तीसरी पंच वर्षीय योजना की चर्चा के दौरान पूरी बहस की गई थी । तीसरी योजना को दोनों सदनों ने अनुमोदित कर दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह विचार कि हमें अधिक कोयले, अधिक बिजली, अधिक परिवहन और अन्य मूलभूत वस्तुओं के लिए आयोजन करना चाहिए चाहे कितना आकर्षक क्यों न हो, इनको उपलब्ध संसाधनों के अनुसार प्राथमिकता देनी पड़ेगी ।

यह सत्य है कि तीसरी योजना बनाते समय कोयले को उत्पादन का लक्ष्य १२०० लाख टन तक रखा गया था । मैं सदन को बताना चाहूंगा कि ये आंकड़े कैसे निश्चित किय गये थे ।

अगले पांच या दस वर्षों में विकास की रफ्तार के कायम रखने के लिए इस्पात की कुल आवश्यकता कितनी होगी । हमें कहीं से तो शुरू करना है । हम इस्पात से शुरू करते हैं । इस्पात के अधिक उत्पादन के साथ साथ कोयला और बिजली और सीमेंट के उत्पादन को भी तदनुसार बढ़ाना पड़ेगा और परिवहन को भी विकसित करना पड़ेगा। इस आधार पर अन्य क्षेत्रों में भी लक्ष्य निर्धारित किये गये थे । इन सब लक्ष्यों का पारस्परिक सम्बन्ध है । यदि एक लक्ष्य को छेड़ा जाये, तो इस का प्रभाव अन्य क्षेत्रों में निर्धारित किये गये लक्ष्यों पर पड़ेगा और इस का अर्थ है योजना के व्यय में वृद्धि । इसलिए मैं श्री ब्रज राज सिंह के इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि १०० करोड़ रुपये अधिक लगाने से कोयले का उत्पादन ९७० लाख टन से १२०० लाख टन तक बढ़ाया जा सकता है । यदि ऐसा होता तो अतिरिक्त १०० करोड़ रुपये कहीं से प्राप्त किये जा सकते थे । किन्तु यह मामला इतना सरल नहीं है । इस के लिए बहुत बड़ी राशि जो कई सौ करोड़ रुपये हो सकती है, आवश्यक होगी, क्योंकि उस कोयले का उपयोग करने के लिए समुद्र, सड़क या रेल द्वारा परिवहन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उपभोक्ता केन्द्रों के लिए धन लगाना पड़ेगा, जो कि नये औद्योगिक संयन्त्रों या बिजली संयंत्रों के रूप में होंगे । हमें लक्ष्यों के आंकड़े बढ़ाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक लक्ष्य को अलग से नहीं बढ़ाया जा सकता । ऐसा करना वास्तव में योजना का व्यय २० प्रतिशत तक बढ़ाना होगा, जो कि सरकार स्वीकार नहीं कर सकती । इसलिए मेरा निवेदन है कि कोयले को इतना अधिक बढ़ाने का सुझाव स्वीकार नहीं किया जा सकता । ९७० लाख टन का लक्ष्य सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर बहुत सावधानी से निर्धारित किया गया है ।

अब मैं उत्पादन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । मैं सदन का ध्यान उस स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं जो दूसरी योजना के दौरान में पैदा हुई थी । सदन इस बात से सहमत होगा कि योजना के पहले चार वर्षों में कम प्राथमिकता वाले कोयले के उपभोक्ताओं को भी कोई कठिनाई नहीं हुई थी । ऐसे उपभोक्ता ईंटों के भट्टे जैसे उद्योग हैं । इन को कम प्राथमिकता इसलिए मिलती है क्योंकि इन का कार्य निरन्तर जारी नहीं रहता । उन उद्योगों को जिनका कार्य निरन्तर जारी रहता है ऊंची प्राथमिकता देनी पड़ती है । ऐसे उद्योग कौन से हैं ? सब से बड़ा रेलवे है । क्योंकि इस का कार्य निरन्तर जारी रहता है । इसलिए इस के लिए कोयले का नियमित संभरण आवश्यक है । इस के बाद इस्पात संयन्त्र और बिजली पैदा करने वाले संयंत्र हैं, जिन्हें कोयला नियमित रूप से मिलता रहना चाहिए ।

जब हम एक कोयला जैसी बुनियादी वस्तु का संभरण करते हैं, तो इन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना आवश्यक होता है । इस लिये जब कमी होती है, तो इस का प्रभाव कम प्राथमिकता वाले उपभोक्ताओं पर पड़ता है । ईंटों के भट्टों के कोयले की कमी का मुख्य कारण यही था ।

रेलवे, बिजली, इस्पात और सीमेंट जैसे उद्योगों के लिये उच्च प्राथमिकताएं निर्धारित करने का अर्थ यह नहीं है कि अन्य उद्योगों या उपभोक्ताओं की उपेक्षा की गई है। प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है।

तीसरी योजना में जो ३७० लाख टन के अतिरिक्त उत्पादन होने का अनुमान है उसमें से २०० लाख टन सरकारी क्षेत्र तथा १७० लाख टन गैर-सरकारी क्षेत्र को दिया जायेगा। श्री विट्ठल राव को मालूम होगा कि उन २०० लाख टनों में वह ३० लाख टन भी सम्मिलित हैं, जो सिंगरैनी खान का उत्पादन होगा। मैं चाहता हूं कि उस का उत्पादन इस से भी अधिक हो।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : वह चाहते हैं कि इस का विकास और भी तेज़ होना चाहिये।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : तीसरी योजना में ३० लाख टन से ६० लाख टन तक अर्थात् शत प्रतिशत वृद्धि काफी तेज़ है। ये देश में हुई सामान्य वृद्धि से अधिक है। यदि इस क्षेत्र में अधिक कोयला पैदा किया जा सके, तो मुझे हर्ष होगा। सरकार की बंगाल-बिहार से बाहर के क्षेत्र अर्थात् मध्य भारत के कोयला खानों के विकास के लिय प्रयत्न करती रहेगी।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** :योजनाओं के पहले पांच वर्षों में सिंगरैनी के लिये वित्त उपलब्ध नहीं किया गया।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं कह सकता हूं कि उन को अपेक्षित धन दिया जायेगा और कोई कठिनाई नहीं होगी।

यह ध्यान में रखना चाहिये कि अतिरिक्त उत्पादन न केवल मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्रों से बल्कि महाराष्ट्र और सिंगरैनी से होना है।

मैंने जो वक्तव्य आज सदन के सामने रखा है, उस में बताया गया है कि एक वार्षिक पुनर्विलोकन होगा और यदि एक क्षेत्र में कमी हुई तो दूसरे में पूरी कर दी जायेगी।

श्री राम कृष्ण गुप्त ने मध्य श्रेणी की वस्तुओं के उपयोग का प्रश्न उठाया था। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। कोयला परिषद् ने इन वस्तुओं के उपयोग के बारे में एक समिति गठित की है। सरकार ने उसकी यह सिफारिश मोटे तौर पर स्वीकार करली है कि हमें संयंत्र ऐसे स्थानों में स्थापित करने चाहियें कि कोयला साफ करने वाले कारखानों से जो मध्यम श्रेणी की वस्तुएं प्राप्त हों, उन्हें बिजली पैदा करने वाले संयन्त्रों में काम में लाया जा सके। कोयला साफ करने के नये कारखाने तथा नये बिजली घरों की योजना बनाते समय इस बात को ध्यान में रखा जायेगा।

श्री विट्ठलराव ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के बारे में कहा है कि १९५९–६० में जो ५० या ६० लाख टन का उत्पादन हुआ था, सारा विनियोग इसी के लिये किया गया था। यह ठीक नहीं है। खानों के विकास हेतु लगाये गये धन का परिणाम उससे निर्मित क्षमता से देखा जाना चाहिये न कि किसी विशिष्ट वर्ष में होने वाले उत्पादन से, क्योंकि विकास के समय वास्तविक उत्पादन और विनियोग में अन्तर अवश्य रहेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुरेसिया और गिडी में आग लगने की दुर्घटनाओं पर हमें खेद है । यदि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को जांच समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, तो वह उस पर विचार करेगा, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके ।

†**श्री तंगामणि :** इन खानों में उत्पादन कब आरम्भ होगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** गिडी तो उत्पादन करने के लिये तैयार है किन्तु कुरेसिया में कुछ समय और लगेगा । श्री विट्ठल राव ने गिरिडीह कोयला खान समूह के बारे में भी कहा है । हम जानते हैं कि इनको चलाना लाभप्रद नहीं है और कुछ हानि भी हो रही है फिर भी इन को चलाया जा रहा है क्योंकि उत्पादन अच्छी किस्म का है और प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट नहीं होने देना चाहिये ।

इनकी स्थिति सदा विचाराधीन रहती है और उत्पादन बढ़ाने के लिये आवश्यक कदमों की ओर निगम ध्यान दे रहा है । निगम के खाद्यों के कर्मचारियों की स्थिति गैर-सरकारी क्षेत्र की खानों के कर्मचारियों से अच्छी है, क्योंकि निगम उनके आवास, प्रशिक्षण, वेतन आदि सम्बन्धी सुविधाओं की ओर उचित ध्यान देता है और इनमें सुधार करने का प्रयत्न करता है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** करगली कारखाने के बारे में क्या स्थिति है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यद्यपि इसका उत्पादन निर्धारित क्षमता का ६०% प्रतिशत है, फिर भी उसके कार्य में जहां कहीं सुधार की गुंजाइश है वहां सुधार करने के लिये निरन्तर कार्य-वाही की जा रही है । आशा है, स्थिति सुधर जायगी ।

जब परिवहन व्यवस्था पर जोर पड़ता है, तो कम प्राथमिकता वाले उपभोक्ताओं पर, जिन की संख्या काफी है, प्रभाव पड़ता है । उदाहरणतया "साफ्ट कोक' को उच्च प्राथमिकता तो नहीं दी गई है किन्तु बड़े शहरों में उसके संभरण की व्यवस्था की जा रही है, ताकि लोगों को असुविधा न हो । उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में इसीलिये भट्ठे के कोयले के बारे में कठिनाई हुई थी । हाल में मालगाड़ियों के डिब्बे १९०० से २१०० कर देने से कम दर्जे के कोयले के सम्भरण की स्थिति में सुधार हुआ है ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मेरे माननीय मित्र श्री सक्सेना को आंकड़ों के बारे में भ्रम हुआ है । वह भूल गये थे कि वह केवल एक किस्म का कोयला था और आंकड़े भी भिन्न थे जबकि उत्तर प्रदेश को एक साल में एक लाख से अधिक डिब्बे दिये गये थे ।

मेरे विचार से हमने रेलवे मंत्रालय के परामर्श से जो व्यवस्था की है उससे दूरवर्ती स्थानों में कोयले के परिवहन में अवश्य सुधार हुआ है । इसके पूर्व पहिले प्रतिदिन के हिसाब से डिब्बों का संभरण किया जाता था । इससे उनको कुछ कठिनाई होती थी तथापि दस दिन का कार्यक्रम एक साथ देने से उनको काफी सुविधा हो गई है । स्थिति में काफी सुधार हुआ है और इससे अधिक डिब्बों का परिवहन संभव हो सका है । इसके ही कारण पिछले कुछ सप्ताहों में उत्तर प्रदेश और पंजाब में संभरण की स्थिति में सुधार हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार स्वर्ण सिंह]

अब हम एक डिब्बे को किसी दूर के स्थान में भेजने के बदले पूरे रैक को सुनिश्चित स्थानों में भेजते हैं। इससे परिवहन शीघ्रता से संभव होता है और निकटवर्ती स्थानों में वितरण वहां के स्थानीय लोगों द्वारा कर लिया जाता है। अतः उक्त दोनों पद्धतियों से परिवहन और संभरण की दशा में सुधार हुआ है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने ठीक ही कहा है कि माल डिब्बों के आवंटन और वास्तविक उपलब्धि में ठोस अनुपात रहना चाहिये। इसमें संदेह नहीं कि जब स्थिति अच्छी थी तो वास्तविक आवश्यकता से अधिक के लिये आवंटन कर दिया जाता था। तथापि परिवहन की स्थिति कठिन होने से इस स्थिति में अंतर आ गया है। अब डिब्बों की उपलब्धि और उनके आवंटन में अधिक अंतर नहीं रहता है। अतः अब आवंटन के मामले में सख्ती बरती जाती है।

श्री ब्रजराज सिंह की शिकायत भी सही थी और हम पद्धति में इस प्रकार का परिवर्तन कर रहे हैं कि वास्तविक आवंटन डिब्बों की उपलब्धि के अधिक निकट हों। यद्यपि हमें अविलम्बनीय आवश्यकताओं के लिये कुछ छूट देनी होगी। तथापि धीरे धीरे माल डिब्बों की उपलब्धि के अनुसार ही आवंटन किया जायगा। मेरे विचार से इससे उपभोक्ताओं की बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी।

वस्तुतः कोयला खान मालिकों और उपभोक्ताओं के हितों के बीच सदैव संघर्ष रहता है। हमें किसी न किसी रूप से संतुलन बनाये रखना होता है। यदि आवंटन व्यापारियों के हाथों में रहता है तो वह कोयला खान मालिकों पर जोर डाल सकते हैं क्योंकि खानों के सिरों में कोयला जमा रह सकता है और वे छूट इत्यादि के लिये कह सकते हैं। यदि हम खान मालिकों को यह अधिकार दें तो वह इससे विपरीत स्थिति को पैदा कर सकते हैं। अतः हमें इस प्रकार आवंटन करना होता है कि खान मालिक अथवा व्यापारी इसका लाभ न उठा सकें। हम चाहते हैं कि इससे उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षा हो और साथ ही खान मालिकों पर भी किसी प्रकार की विवशता नहीं हो क्योंकि इसका प्रभाव कोयले के उत्पादन पर पड़ेगा। कोयला नियंत्रक को इन सभी बातों पर विचार करना होता है। इस संबंध में आगामी सप्ताह दिल्ली में एक बैठक को जा रही है जिसमें राज्यों के प्रतिनिधियों को भी निमंत्रित करने का निश्चय किया गया है उसमें आवंटन के प्रश्न पर विस्तृत विचार किया जायगा।

सौभाग्य का विषय है कि रेलवे उपमंत्री और परिवहन के मंत्री भी चर्चा में मौजूद थे। उन्होंने समुद्र द्वारा कोयले के परिवहन के सम्बन्ध में हुई बातों को नोट कर लिया है। यद्यपि आरम्भ में समुद्री मार्ग द्वारा कोयले का परिवहन आशानुरूप नहीं हुआ है तथापि मैं आशा करता हूं कि नौवहन समवाय इस अवसर का पूरा उपयोग करेंगे इससे न केवल उन समवायों को लाभ होगा अपितु इससे तटीय राज्यों की कोयला स्थिति में पर्याप्त सुधार होगा।

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर): क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि महाराष्ट्र में यवतमाल जिले के राजुरा स्थान में एक कोयला खान है जो कई वर्षों से बन्द है क्या सरकार उसे पुनः खोलने का विचार कर रही है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह कार्य के लिये सुझाव है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप): रेलगाड़ी तथा समुद्री मार्ग से कोयला ले जाने के लिय जो ६ रु० प्रति टन की सहायता राशि दी गई है क्या उसमें निकासी और लदान भी शामिल है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह**: यह व्यवस्था की गई है कि समुद्री मार्ग से कोयला ले जाने में जो अधिक व्यय आयगा उसे अतिरिक्त उपकर द्वारा एकत्र की गई राशि से दिया जायेगा। मेरे विचार से माननीय सदस्या द्वारा उल्लिखित सभी बातें इसमें शामिल हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : देश की परिवहन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये मंत्रालय ने कुल कितने माल डिब्बों की मांग रखी है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : हमें लगभग २००० अधिक डिब्बों की प्रतिदिन आवश्यकता होगी। अभाव के दिनों के सम्बन्ध में यह मांग बढ़ा कर भी रखी जा सकती है। तथापि यदि १५०० अधिक डिब्बों की प्रतिदिन के हिसाब से मांग की जाय तो मांग पूरी हो सकती है।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : साफ्ट कोक के बारे में जिसका प्रयोग कंज्यूमर सबसे ज्यादा अपने घरों में करते हैं, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही कम बताया है, बहुत ही कम प्रकाश डाला है। जाड़ों के महीने आ रहे हैं और इन जाड़ो में घरेलू काम काज के लिये मुख्य रूप से साफ्ट कोक की आवश्यकता होगी और इसकी मांग बढ़ जाएगी जैसे हमेशा ही जाड़ों में बढ़ जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि आपके मंत्रालय ने जो आने वाले जाड़े के महीने हैं और जिनमे साफ्ट कोक की खपत बढ़ने वाली है कोई ठोस योजना बनाई है ताकि बड़े बड़े शहरों में जहां लोग इस कोयले को इस्तेमाल करते हैं, उनको आसानी से प्राप्त हो सके और इसकी कोई कमी अनुभव न हो और जो असन्तोष आज फैला हुआ है, वह दूर हो ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह बात ठीक है कि सर्दियों के दिनों में कुछ इसकी खपत बढ़ जाती है और हम कोशिश करेंगे कि लोगों की इस कोयले की जरूरत को पूरा किया जाए। फिर इलैक्शन भी आ रहे हैं इसलिये शायद कुछ लोग उकसायेंगे भी कि जरूरत से ज्यादा मांगो।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : (कलकत्ता-दक्षिण पूर्व) : केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकारों की इस मांग के सम्बन्ध में क्या विचार है कि वे स्वयं कोयला खानों का विकास करना चाहती हैं ? राज्य सरकारों को कोयला खानों को विकसित न करने देने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या आपत्ति है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह**: इस विषय पर पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार के बीच बातचीत हो रही है। हमें अपना उत्पादन कार्यक्रम योजना के अनुरूप बनाना है जो स्वीकृत हो चुकी है। अतः जब तक नई योजनाओं के लिये संसाधन तथा वित्तीय व्यवस्था न की जा सके तब तक इनको योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है। तथापि मैं इस विषय पर अभी राय जाहिर नहीं कर सकता हूं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने यह कहा है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में हम विनियोजित पूंजी तथा उत्पादन में कोई सम्बन्ध निर्धारित नहीं कर सकते हैं। मैं इसके लिये और एक महीना ठहरने को तैयार हूं जिससे कि संतुलन पत्र से यह ज्ञात हो सके कि विनियोजित राशि और उत्पादन में क्या सम्बन्ध रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त० ब० विट्ठल राव]

आशा है सिंगरैनी कोयला खानों के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और खान के प्रबन्धक मिल कर कार्य करेंगे और लक्ष्य को पूरा करने में आर्थिक आवंटन की बाधा उपस्थित नहीं होगी ।

सरकार को यह बताना चाहिये था कि वह दक्षिण में रेलवे के लिये कोयले का संभरण करने के लिये क्या कदम उठा रही है । इस रेलवे में कई मालगाड़ियों का आवागमन रोक दिया गया है । इसका एक ही उपाय प्रतीत होता है और वह है महाराष्ट्र और अंध्र क्षेत्र की कोयला खानों का विकास किया जाये । इस विषय में तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय:** मैं श्री ब्रजराज सिंह का स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

अध्यक्ष द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री त० ब० विट्ठलराव के स्थानापन्न प्रस्ताव को रखूंगा : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड के वर्ष १९५९–६० के वार्षिक प्रतिवेदन लखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित और प्रतिवेदन पर सरकार की समीक्षा पर, जो २२ फरवरी, १९६१ को सभा पटल पर रखे गये थे विचार करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

*बोनस आयोग

†**अध्यक्ष महोदय :** सभा अब आधे घंटे की चर्चा करेगी ।

†**श्री तंगामिण** (मदुरै) : मैं तारांकित प्रश्न संख्या ५४८ के उत्तर के सम्बन्ध में जो कि १६ अगस्त, १९६१ को दिया गया था के बारे में आधे घंटे की चर्चा उठाना चाहता हूं । इस प्रश्न पर १३ सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किये थे ।

यद्यपि बोनस आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव मार्च १९६० में स्वीकार किया गया था और फरवरी, १९६१ में उपसमिति ने आयोग के सदस्यों के नाम भी स्वीकार किये थे तब भी प्रस्तावित आयोग गठित नहीं किया गया ।

इधर उच्चतम न्यायालय ने अभी हाल बोनस सम्बन्धी एक आवेदन खारिज कर दिया है और प्रबन्धकों की अपील स्वीकार कर ली है । उच्चतम न्यायालय ने यह स्वीकार कर लिया है कि बोनस के लिये राष्ट्रीय आयकर पर ही विचार किया जाना चाहिये

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा ।

सम्पूर्ण आयकर पर नहीं । इससे श्रमिक लगभग २० लाख रुपये से वंचित हो गये ।

अप्रैल, १९६१ में स्थायी श्रम समिति में इस प्रश्न पर इस आधार पर चर्चा नहीं की जा सकी कि नियोजकों के प्रतिनिधियों ने पूरे १५ दिनों का समय मांगा । इस प्रकार की विलम्बकारी बातों का यह प्रभाव हुआ कि कार्मिक संघ और केन्द्रीय श्रम संगठन उत्तेजित हो गये । अतः आईटक के महासचिव ने मंत्रालय को एक पत्र भेज कर यह कहा कि आयोग के निर्देश पदों का अन्तिम निश्चय करने के लिये एक उपसमिति की बैठक तत्काल बुलाई जाये । वस्तुतः हम इन बातों पर सरकार से स्पष्ट उत्तर चाहते हैं। (१) क्या प्रस्तावित आयोग गठित किया जायेगा अथवा नहीं ; (२) क्या निर्देश पदों को अन्तिम रूप से निर्धारित किया जायेगा और यदि हां तो संभवतः कब तक ; (३) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को भी इसमें शामिल किया जायेगा ; तथा (४) क्या अंतिम प्रतिवेदन के प्रकाशन के सम्बन्ध में कोई समय सीमा निश्चित की जायेगी ?

सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिये कि अन्तरिम अवधि में बोनस किस प्रणाली के अनुसार दिया जायेगा ।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता-पूर्व) : न्यायाधिकरणों के समक्ष बोनस निश्चित करने का वर्तमान सूत्र बहुत जटिल है । हानि होने की दशा में यद्यपि कुछ फर्में अपने अंशधारियों को लाभांश देती हैं तथापि इस अवस्था में श्रमिकों को बोनस पर कोई अधिकार नहीं होता है ।

क्या वर्तमान अविलम्बनीय परिस्थिति पर विचार करते हुए बोनस आयोग तत्काल अपना काम आरम्भ करेगा तथा निर्देश पदों में पूरे बैंच सम्बन्धी सूत्र पर पुर्नविचार किया जायेगा ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को बोनस आयोग के अन्तर्गत शामिल कर लेने का अन्तिम फैसला कर लिया है ? क्या सरकार का ध्यान उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय की ओर भी दिलाया गया है कि रक्षित निधियों के बारे में खतरा मोल न लिया जाये ?

†**श्री अरविंद घोषाल** (उलुबेरिया) : क्या आम बोनस को भी बोनस आयोग के क्षेत्र में शामिल किया जायेगा ।

†**श्री शि० ला० सक्सेना** (महाराजगंज) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस आश्वासन पर कायम रहेगी कि बोनस आयोग की बैठक के कारण चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिश के अनुसार बोनस सूत्र को लागू नहीं किया जायेगा ।

आयोग का प्रतिवेदन शीघ्र प्रकाशित किया जाना चाहिये ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : यदि सरकार आयोग की नियुक्ति का विचार नहीं कर रही है तो उसे कर्मचारियों को ऐसा स्पष्ट रूप से बता देना चाहिये ताकि कर्मचारी आवश्यक उपाय कर सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एन्थनी पिल्ले** (तिरूवली) : क्या सरकार उपसमिति की नियुक्ति, अयोग बनाने और बोनस आयोग के सूत्र के बारे में वास्तविक रूप से गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है ।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : सभा को ज्ञात है कि द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय वार्त्ताओं, परामर्शों, समितियों और सम्मेलनों के द्वारा श्रम सम्बन्धी मामलों को सुलझाने के सम्बन्ध में काफी सफलता मिली है । इसका फल यह हुआ है कि औद्योगिक विवाद कम हुए हैं, हड़तालें कम हुई हैं और नियोजकों तथा श्रमिकों के बीच सम्बन्धों में सुधार हुआ है । दोनों पक्षों द्वारा स्वेच्छा से जो अनुशासन स्वीकार किया गया उससे भी कार्यक्रम की सफलता में बहुत सहायता मिली है । इन बातों की परिणति श्रमिकों के लिये भविष्य निधि, बीमारी बीमा इत्यादि के बारे में विधान बनाने में हुई है । महत्वपूर्ण उद्योगों में मजरी निश्चित करने के सम्बन्ध में त्रिपक्षीय मजूरी बोर्ड नियुक्त किये गये । कई मामलों में स्वेच्छा पूर्वक सहमति होने के कारण पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है । इससे बिना किसी संविहित सहायता के ही सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा सका है ।

हमने इसी से प्रेरित होकर, स्वयं ही प्रस्ताव किया था कि बोनस के प्रश्न पर भी एक स्वतंत्र निर्णायक की सहायता से दोनों पक्षों को किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना चाहिये । बोनस का एक कोई मानदण्ड निश्चित कर दिया जाये, जिससे कि हर साल ऐसे झगड़े खड़े न हों । उसी दृष्टि से, बोनस आयोग बनाने का सुझाव दिया गया था ।

मार्च, १९६० की बैठक में सरकारी तौर पर ही उल्लेख किया गया था । उसके बाद पिछले वर्ष दिसम्बर में बोनस आयोग गठित करने की घोषणा की गई थी । उसके सभापति, और उसके एक सदस्य राज्य सभा के सदस्य श्री गोविन्द रेड्डी——तथा एक अर्थशास्त्री को उसमें रखने की घोषणा की गई थी । दिसम्बर में ही हमने उसके पद-निर्देशों का प्रारूप तैयार किया था । लेकिन उनकी घोषणा नहीं की गई थी क्योंकि ऐसे मामलों में हम मजदूरों के प्रतिनिधियों से भी परोमर्श करते हैं और वह तब तक नहीं हो सका था ।

इस मार्च में स्थायी श्रम समिति में आयोग के गठन के संबंध में चर्चा हुई । उसी में यह फैसला हुआ था कि इसके लिये एक त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया जाये ।

उसके बाद ही यह प्रश्न उठा कि आयोग का गठन किस प्रकार का रखा जाये । दोनों पक्षों का सुझाव यही था और यही निर्णय हुआ कि आयोग में मालिकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी रहें । तब प्रश्न उठा कि किसके कितने प्रतिनिधि हों ।

अप्रैल, १९६१ में समिति में यह प्रश्न उठा था । तब इसी पर चर्चा हुई थी कि क्या हर एक के दो या तीन सदस्य रखना ठीक रहेगा । उस पर कोई निर्णय नहीं हो सका था । उसके बारे में लिखा पढ़ी चली थी । गठन का निणय होने के बाद ही, पद-निर्देशों का भी निर्णय होना था ।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस आयोग के पद-निर्देशों और कृत्यों के संबंध में प्रश्न पूछे हैं । अभी अन्तिम रूप से तो कोई निर्णय नहीं हुआ है । लेकिन मैं एक मोटे तौर पर सरकार द्वारा तैयार किये गये प्रारूप की रूपरेखा आपको बता सकता हूं । बोनस के पद-निर्देशों में उसका काम यह बताया गया है कि वह औद्योगिक कर्मचारियों को अदा किये जाने वाले बोनस के प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार करेगा । वह निर्धारित करेगा कि किसी उद्योग के मजूरी के स्तर

---

†मूल अंग्रजी में

के आधार किस सीमा तक बोनस निश्चित किया जाये और वह बोनस की अदायगी की शर्तों पर विचार करेगा। वह इस प्रश्न पर भी विचार करेगा कि बोनस की अदायगी राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों के रूप में की जाये या नहीं और उसकी अदायगी की व्यवस्था क्या हो।

मजदूरों और मालिकों के कुछ संगठनों ने इस प्रारूप पर विचार कर ही लिया है। अब उसके बारे में अक्तूबर में १० या ११ तारीख को उपसमिति की बैठक होने जा रही है, बंगलौर में। उसमें इन सभी प्रश्नों पर अन्तिम निर्णय होगा और तभी इसकी घोषणा कर दी जायेगी।

हम इससे वचनवद्ध हैं। इसलिये माननीय सदस्यों को इस संबंध में कोई आशंका नहीं रहनी चाहिये।

कुछ माननीय सदस्यों ने बैंकों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया था। उसका आधार संसद द्वारा समवाय अधिनियम में किया गया संशोधन है। न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया था कि वह संविधान की शक्ति से परे है या नहीं। निर्णय यही था कि वह संविधान की शक्ति से परे नहीं है। इसलिये उस निर्णय का इस बोनस के प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

†**श्री तंगामणि** : नतीजा यही निकलता है कि गुप्त रक्षित राशि को बताया न जाये।

†**श्री आबिद अली** : संसद् इस संबंध में निर्णय कर चुकी है, इसलिये इस अवस्था में उस पर पुनः विचार नहीं किया जा सकता।

सरकारी क्षेत्र के संबंध में हमारी यही इच्छा है कि वह रेलवेज़ और डाक तथा तार तक सीमित न रहे, उसका विस्तार हो और इस श्रेणी में अधिक मजदूर सम्मिलित हों।

इसलिये हम इन प्रश्नों पर पूरी गम्भीरता से विचार करते रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बंगलौर के सम्मेलन में इस पर निर्णय हो जायेगा।

अभी यह बताना संभव नहीं कि आयोग कितना समय लेगा। उसमें मजदूरों के प्रतिनिधि भी रहेंगे और उनके हित में भी यही है कि काम शीघ्रता से पूरा हो जाये।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : छः महीने का समय रख लीजिये।

†**श्री आबिद अली** : हम तो यहीं चाहेंगे, लेकिन हमने इसका निर्णय मजदूरों के प्रतिनिधियों पर छोड़ दिया है। इसका निर्णय आयोग के सदस्य ही करेंगे।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : माननीय उपमंत्री भी तो आयोग के सभापति बन सकते हैं।

†**श्री आबिद अली** : जी, हां। मैं उसका एक सदस्य रहूंगा।

इस बीच में मजदूरों को बोनस तो मिलता ही रहेगा। श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण ने उसका एक सामान्य सिद्धांत तो बना ही दिया है। मध्यस्थ निर्णयों और द्विदलीय समझौतों के आधार पर भी बड़े-बड़े शहरों में मजदूरों को बोनस मिलता रहता है। साथ ही बोनस आयोग का काम भी चलता रहेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ध० बिट्ठल राव :** कोयला उद्योग में तो बोनस नहीं मिलता ।

†**श्री आबिद अली :** हो सकता है कि वे इसके अधिकारी न हों । या शायद उनका कोई ठीक संगठन न हो, या खान मालिकों में बोनस देने की क्षमता न हो । इस बीच यदि मजदूर और उनके संघ कहीं महसूस करें कि मालिक लोग उनका बोनस का हक मार रहे हैं, तो उसका मध्यस्थ निर्णय हो सकता है । कुछ कठिनाई पड़ने पर, मैं उनकी सहायता के लिये हूं ही ।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, ८ सितम्बर, १९६१ / १७ भाद्र, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

१६ भाद्र, १८८३ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३७२३–४७
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२७१	दक्षिण में हिन्दी विश्वविद्यालय	३७२३–२७
१२७२	खनिज सम्पत्ति की खोज	३७२७–३०
१२७३	पंजाब में सेवाओं का एकीकरण	३७३०–३१
१२७४	रूबी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी के बारे में जांच पड़ताल	३७३२–३४
१२७५	सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा	३७३५–३६
१२७६	भारत और पाकिस्तान के बीच शेष वित्तीय समस्यायें	३७३६–३८
१२७८	हिन्दी विश्वकोष	३७३८–३९
१२७९	भारतीय औद्योगिकी, संस्था, मद्रास	३७३९–४१
१२८०	गिडी कोयलाखान में आग	३७४१–४३
१२८२	सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें	३७४३–४४
१२८४	वृहत हिन्दी शब्दसागर	३७४४–४७
प्रश्नों के लिखित उत्तर		३७४७
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२७७	इस्पात का वितरण	३७४७
१२८१	गुजरात में पुरातत्व संबंधी खुदाई	३७४७
१२८३	कोयला धुलाई कारखाने	३७४७–४८
१२८५	विदेशी छात्रों द्वारा काश्मीर की सैर	३७४८
१२८६	कोयला खान	३७४८
१२८७	नई दिल्ली नगरपालिका	३७४९
१२८८	इस्पात का उत्पादन	३७४९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२८६	हिन्दी का प्रचार	३७४६
१२६०	कलाकारों और लेखकों को सहायता . .	३७५०
१२६१	थोक और उपभोक्ता मूल्य .	३७५०
१२६२	मतदाताओं की सूची . .	३७५०-५१
१२६३	दक्षिण और उत्तर कनारा में कोयला .	३७५१
१२६४	केन्द्रीय सचिवालय में असिस्टेंट . . .	३७५१-५२
१२६५	दिल्ली में मकान निर्माण सहकारी समितियां	३७५२
१२६६	सेना के ट्रकों का निर्माण .	३७५२
१२६७	दिल्ली में वर्षा और आंधी .	३७५३
१२६८	प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्रणा समिति .	३७५३
१२६६	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की कार्य की दशा .	३७५३
१३००	छात्रों में राष्ट्रीय चेतना . . .	३७५४-५५
१३०१	कालेजों को विश्वविद्यालयों से संबद्ध करना .	३७५५
१३०२	पवन चक्कियां .	३७५५
१३०३	हिन्दी में लोकप्रिय पुस्तकें . . .	३७५६
१३०४	भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा ट्रांसमीटरों का निर्माण	३७५६
१३०५	विदेशों में प्रशिक्षित कर्मचारी . .	३७५६-५७
१३०६	गैर-सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों का विकास	३७५७
१३०७	उड़ीसा के निर्वाचन में अमान्य मत . .	३७५७
१३०८	इंग्लैंड में भारत संबंधी पुस्तकों की नीलाम द्वारा बिक्री	३७५८
१३०६	विश्वविद्यालय अध्यापकों के वेतन-क्रम	३७५८-५६
१३१०	राष्ट्रमंडल प्रतिरक्षा अभ्यास	३७५६-६०
१३११	वैज्ञानिक अनुसंधान . .	३७६०
१३१२	अध्यापकों के वेतनों में सुधार . .	३७६०-६१
१३१३	बीमा कर्मचारियों की मांगें . .	३७६१
१३१४	बुनियादी स्कूलों के अध्यापकों के लिये स्रोत पुस्तकें .	३७६१
१३१५	इस्पात कारखाना	३७६१-६२
१३१६	मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में किये गये निर्णय . .	३७६२
१३१७	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के मुख्यालय का अन्य स्थान पर ले जाया जाना	३७६२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

१३१८ केन्द्रीय सचिवालय सेवा . . . ३७६३

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३६२० अफीम का निर्यात . . . ३७६३
३६२१ विकास ऋण निधि ३७६३
३६२२ प्राभिलेख विधान संबंधी समिति का प्रतिवेदन . . ३७६४
३६२३ मद्रास का खनिज संबंधी विकास . ३७६४–६५
३६२४ सरकारी संगठनों का नामकरण . . ३७६५
३६२५ दिल्ली में नगरीय बेसिक स्कूल . ३७६५–६६
३६२६ सोहागा के निक्षेप . ३७६६
३६२७ चंडीगढ़ में सैनिक हवाई अड्डा ३७६६
३६२८ महाराष्ट्र में हिन्दी प्रचार ३७६७
३६२९ अभ्रक उद्योग . . . ३७६७
३६३० दिल्ली के अध्यापकों के बच्चों को रियायतें . ३७६७–६८
३६३१ उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों का विकास . . ३७६८
३६३२ आदिवासी तथा हरिजन कल्याण ३७६८
३६३३ पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् . . . ३७६८–६९
३६३४ आंध्र प्रदेश में सोना ३७६९
३६३५ कोयम्बटूर जिले में लौह अयस्क ३७६९–७०
३६३६ आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अवशिष्ट कार्य . ३७७०
३६३७ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त . ३७७०
३६३८ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त ३७७०–७१
३६३९ रूरकेला इस्पात संयंत्र ३७७१
३६४० दिल्ली में तम्बुओं में स्कूल . . . ३७७१
३६४१ आई० एम० एस० अधिकारी ३७७१–७२
३६४२ पठानकोट के सैनिक स्टोरों के लिये मिलावट वाली शराब (रम) ३७७२
३६४३ विस्फोटक पदार्थों सहित गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध मामला . ३७७३
३६४४ भाषाई अल्पसंख्यक ३७७३
३६४५ पंजाब में कोयले की कमी . . ३७७३–७४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या		
३६४६	पाकिस्तान से धर्मनगर खजाने के पोतदार का निकाला जाना .	३७७४
३६४७	दिल्ली में राजघाट के निकट आग	३७७४
३६४८	प्रबन्ध संस्थायें	३७७५
३६४९	विदेशी तेल समवायों का भारतीयकरण . .	३७७५
३६५०	भारत तथा पाकिस्तान के बीच तस्कर व्यापार	३७७५–७६
३६५१	शिक्षा शासक .	३७७६
३६५२	कोयला परिषद् . .	३७७६
३६५३	दरीबां और खेत्री में तांबे का खनन	३७७७
३६५४	सीमावर्ती जिले . .	३७७७
३६५५	छावनी बोर्ड .	३७७८
३६५६	विदेशी मुद्रा संबंधी विनियम .	३७७८
३६५७	केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश .	३७७८
३६५८	रूसी वनस्पति शास्त्री .	३७७९
३६५९	इम्फाल नगर	३७७९
३६६०	स्टेनोग्राफी के लिये छात्रवृत्तियां	३७७९–८०
३६६१	तस्कर व्यापारी	३७८०
३६६२	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय	३७८०
३६६३	बीमा विभाग, शिमला . . .	३७८०–८१
३६६४	विशेष राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों का जारी किया जाना	३७८१
३६६५	अमरीकी गैर-सरकारी पूंजी का विनियोजन .	३७८१
३६६६	मंत्रियों की विदेश यात्रा . .	३७८२
३६६७	उत्तर प्रदेश–तिब्बत सीमावर्ती सड़क . . .	३७८२
३६६८	भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिये रूसी विमान चालक	३७८२–८३
३६६९	दिल्ली के परिवीक्षाधीन बाल तथा वयस्क अपराधी .	३७८३
३६७०	संस्कृत में अनुसंधान	३७८३
३६७१	केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना . . .	३७८४
३६७२	'रिवर्ट' किये गये सेक्शन अफसर और हिन्दी असिस्टेंट .	३७८४
३६७३	पुनर्बीमा कम्पनी की स्थापना . . .	३७८४–८५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या		
३६७४	प्रविधिक अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये छात्रवृत्तियां	३७८५
३६७५	अस्थायी सरकारी पद . .	३७८६
३६७६	केन्द्रीय सचिवालय क्लैरिकल सेवा . .	३७८६—८७
३६७७	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	३७८७
३६७८	उत्तर प्रदेश में तेल पाये जाने की संभावनायें .	३७८७—८८
३६७९	बिना पारपत्र के पाकिस्तानियों और चीनियों की गिरफ्तारी .	३७८८
३६८०	बाल साहित्य की रचना	३७८८—८९
३६८१	पब्लिक स्कूलों में राष्ट्रीय सेनाछात्र दल .	३७८९—९०
३६८२	अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार . .	३७९०
३६८३	केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड .	३७९०
३६८४	सिंगरेनी की कोयले की खानें	३७९१
३६८५	दिल्ली पुलिस . . .	३७९१
३६८६	बिहार में शिक्षा संस्थाओं को विद्यार्थी पर्यटनों के लिये सहायता	३७९१
३६८७	ब्रिटिश अफसरों को पेंशन .	३७९२
३६८८	लौह अयस्क . .	३७९२
३६८९	मैंजिरेनियम की कृषि .	३७९३
३६९०	चैकोस्लोवाकिया से ऋण .	३७९३
३६९१	इंजीनियरी कालिज और पालिटेक्निक .	३७९४
३६९२	जमना बाजार की कोढ़ी बस्ती	३७९४—९५
३६९३	कलकत्ता नगर की समस्यायें .	३७९५
३६९४	विदेशी तेल शोधक कारखानों के लाभ	३७९५
३६९५	मास्को में युवक गोष्ठी .	३७९६
३६९६	लाहौल . .	३७९६
३६९७	पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी	३७९६—९७
३६९८	भारत के हिन्दी भाषी लोग .	३७९७
३६९९	सेना पेंशन नियम . . .	३७९७
३७००	उड़ीसा में थियेटर संगठनों को सहायता .	३७९८
३७०१	भारतीय सेना में गोरखे . . .	३७९८
३७०२	रेलवे व्लीह सेट्स (पहियों के सेट) .	३७९८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३७०३	नेपाल में भारतीय सेना प्रशिक्षण मंत्रणा दल .	३७९९
३७०४	पंजाब सीमा प्रतिरक्षा व्यय	२७९९
३७०५	महान्यायवादी की रूस यात्रा .	३७९९
३७०६	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का जहाज	३८००
३७०७	सिक्के बनाना	३८००
३७०८	अवैध अफीम . .	३८००–०१
३७०९	स्टेट बैंक की शाखाओं का खोला जाना . .	३८०१
३७१०	केन्द्रीय पैट्रोलियम अनुसन्धान संस्था, देहरादून	३८०१
३७११	दक्षिण अर्काट में तांबा और जस्ता .	३८०२
३७१२	मैट्रिक के बाद अध्यापक प्रशिक्षण कालेज	३८०२
३७१३	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नयी दिल्ली .	३८०३
३७१४	ए० एस० सी० नायकों के लिए पदोन्नति	३८०३
३७१५	विदेशी माल का तस्कर व्यापार . .	३८०४
३७१६	जीवन बीमा निगम की पालिसियों का हस्तान्तरण . .	३८०४
३७१७	सुल्तानपुर उपनिर्वाचन	३८०५
३७१८	कच्चे लोहे का मूल्य	३८०५–०६
३७१९	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की निधियां . . .	३८०६
३७२०	भारतीय विनियोजन केन्द्र . . .	३८०६
३७२१	त्रिपुरा में शरणार्थियों का पुनर्वास . . .	३८०७
३७२२	पेंशन के मामले	३८०७
३७२३	सीमावर्ती क्षेत्रों की सड़कें	३८०८
३७२४	एक पूर्वी जर्मन प्रोफेसर द्वारा भारत के संबंध में लिखी गई पुस्तक	३८०८
३७२५	शब्द कोष . . .	३८०८–०९
३७२६	बिशनपुर (मनीपुर) का महल . .	३८०९
३७२७	भारतीय छिद्रण कर्मचारी	३८०९
३७२८	राजस्थान में तेल . .	३८१०
३७२९	मनोपुर में स्कूल की इमारतों का निर्माण . .	३८१०
३७३०	यूरोप में आर्थिक मामलों संबंधी भारतीय आयोग का मुख्यालय .	३८१०
३७३१	विद्युत जनन के लिए अमरीका से ऋण	३८११

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या

३७३२	मद्रास में स्कूल के बच्चों को खाद्योपहार .	३८११
३७३३	पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी सुविधायें	३८११
३७३४	अध्यापन व्यवसाय के संगठनों का विश्व संघ . .	३८१२
३७३५	दिल्ली के बिक्रीकर कार्यालयों द्वारा फार्मों का संभरण .	३८१२
३७३६	कच्छ में पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी .	३८१२–१३
३७३७	सशस्त्र बल मुख्यालय में लोअर डिवीजन क्लर्क	३८१३
३७३८	सशस्त्र बल मुख्यालय में स्टेनोग्राफर	३८१३
३७३९	दीवान हाल की घटना . . .	३८१४
३७४०	पुरातत्व विभाग के सुपरिंटेंडेंट के कार्यालय पर पुलिस द्वारा छापा	३८१४
३७४१	दिल्ली के प्राइमरी अध्यापकों के लिए भविष्य निधि योजना	३८१५
३७४२	टैक्नीकल असिस्टेंट . . .	३८१५–१६
३७४३	लोअर डिवीजन क्लर्क तथा अपर डिवीजन क्लर्क	३८१६
३७४४	अंकलेश्वर तेल क्षेत्र . .	३८१६
३७४५	नालीदार लोहे की चादरों का वितरण . .	३८१६–१७
३७४६	शिवसागर में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की बस्ती	३८१७
३७४७	भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड .	३८१७
३७४८	दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का निवास स्थान	३८१८
३७४९	पुनर्वास वित्त प्रशासन	३८१८–१९
३७५०	प्रतिरक्षा सामान का उत्पादन	३८१९
३७५१	सवारी भत्ता . . .	३८१९
३७५२	पुरातत्व वस्तुओं में 'कार्बन–१४' का निश्चयन	३८२०
३७५३	मद्रास तथा नागपुर नगरों को 'ए' क्लास बनाना	३८२०
३७५४	सशस्त्र बल मुख्यालय के कर्मचारी . .	३८२०–२१
३७५५	अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को दिया गया सामान .	३८२१
३७५६	प्रभाकर बैंक का बन्द होना . .	३८२१–२२
३७५७	भारतीय विमान बल के लिये असैनिक विमान चालक	३८२२
३७५८	नौसेना के दस्ते के लिये विमान चालक	३८२३
३७५९	विदेशियों का भारत में अधिक समय तक ठहरना . .	३८२३
३७६०	अनुसूचित जातियों के लिये जम्मू व काश्मीर में आवास योजनाएं	३८२३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उतर—**क्रमशः**

अतारांकित प्रश्न संख्या

३७६१	मिट्टी के तेल की खपत	३८२४
३७६२	प्रविधिक विषयों के साहित्य का अनुवाद .	३८२४
३७६३	अध्ययन अवकाश संबंधी नियम .	३८२५
३७६४	लोअर डिवीजन क्लर्क	३८२५–२६
३७६५	लोअर डिवीजन क्लर्क . .	३८२६
३७६६	सैकंडरी स्कूलों का प्रबंध . . .	३८२७
३७६७	दिल्ली में अनुसूचित जातियों के लोगों के लिये भूमि	३८२७
३७६८	दिल्ली में अनुसूचित जातियों के लोगों के लिये मकान .	३८२७
३७६९	दिल्ली में अनुसूचित जातियों के लोगों के लिये जमीन .	३८२७–२८
३७७०	अलीपुर और मेहतरपुर खंड . .	३८२८
३७७१	दिल्ली छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के भत्ते . .	३८२८–२९
३७७२	द्वितीय [illegible] की प्रथम श्रेणी में पदोन्नति	३८२९
३७७३	दिल्ली छावनी बोर्ड के क्वाटर और दुकानें . . .	३८२९–३०
३७७४	विभिन्न परियोजनाओं में विनियोजन	३८३०
३७७५	निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन	३८३०–३१
३७७६	उद्योगों में शिशुक्षुओं का प्रशिक्षण . . .	३८३१
३७७६–क	रेल सुविधाओं की कमी के कारण नागपुर में टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी के दफ्तर का बंद हो जाना .	३८३२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३८३२

श्री नौशीर भरूचा ने गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात के कारखानों को कोयले और चूने के नियमित रूप से सम्भरण न होने के कारण होने वाली कठिनाइयों और इस स्थिति को ठीक करने के लिए की गयी कार्यवाही की ओर इस्पात, खान और ईंधन मंत्री का ध्यान दिलाया।

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) ने इस संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३८३३

(१) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत दिनांक

सभा पटल पर रखे गये पत्र—क्रमशः

विषय	पृष्ठ
२ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २०६० की एक प्रति ।	
(२) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १२ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०१८ की एक प्रति ।	
(३) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—	
(एक) दिनांक २६ अगस्त, १९६१ की जी० एस० आर० १०५० ।	
(दो) दिनांक २६ अगस्त, १९६१ की जी० एस० आर० १०५१ ।	
संसदीय समितियों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखे गये . .	३८३४
निम्न समितियों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखे गये :—	
(१) सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
(२) याचिका समिति	
(३) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
(४) प्राक्कलन समिति	
प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . .	३८३४
एक सौ ब्यालीसवीं प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।	
याचिका समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित	३८३४
तेरहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।	
मंत्री द्वारा वक्तव्य	३८३३
इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) ने देश में कोयले की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा ।	
विधेयक विचाराधीन	३८३५—५७
वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) ने प्रस्ताव किया कि जमा धन बीमा निगम विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । विधेयक पर खंडवार विचार किया गया और उस पर चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	

विषय पृष्ठ

विधेयक-विचाराधीन—क्रमशः

कोयले के उत्पादन के और संभरण के बारे में प्रस्ताव . . ३८५७—७६

श्री रामकृष्ण गुप्त ने प्रस्ताव किया कि देश में कोयले के उत्पादन और संभरण के बारे में विचार किया जाये। श्री ब्रजराज सिंह ने उस पर एक स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री त० ब० विट्ठल राव ने भी राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में, जो कि २२ फरवरी, १९६१ को सभा पटल पर रखा गया था प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री ब्रजराज सिंह का स्थानापन्न प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। श्री त० ब० विट्ठल राव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

आधे घंटे की चर्चा . . . . . . ३८७६—८०

श्री तंगामणि ने बोनस आयोग के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ५४८ के १६ अगस्त, १९६१ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठायी।

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) ने वाद विवाद का उत्तर दिया।

शुक्रवार, ८ सितम्बर, १९६१ / १७ भाद्र, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि

राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में आय कर विधेयक पर विचार, जमा धन बीमा निगम विधेयक पर खंडवार विचार और उसका पारित किया जाना ; यूरोपीय साझा बाजार के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा ; तथा गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर विचार।

GMGIPND—LSIII—1221(Ai)LS—20-10-61—125.